छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　द्वितीय सत्र

शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 04, शक सम्वत् 1945)

[अंक 14]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024

(फाल्गुन-4, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बड़े-बड़े विषय उठाता है और बहुत हल्ला होता है। आप उन गंभीर लोगों की उपस्थिति देख लीजिये कि उनको कितनी गंभीरता है। यहां गिनती के चेहरे उपस्थित हैं।

श्री विक्रम मंडावी :- आप कल उपस्थित नहीं थे।

<u>निधन का उल्लेख</u>

<u>आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी</u>

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दु:ख हो रहा है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज दिनांक 18 फरवरी, 2024 को ब्रम्हलीन हो गये।

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर, 1946 को ग्राम-सदलगा, जिला-बेलगांव, कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण की। आचार्य जी को 08 भाषाओं का ज्ञान था। सन् 1972 में उन्हें संत ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य का दायित्व प्रदान किया गया। उन्होंने हिन्दी और संस्कृत में अनेक रचनाएं की। उनकी ओजस्वी वाणी से प्रभावित होता रहा। उनके द्वारा रचित रचनाओं को विभिन्न संस्थानों द्वारा स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उनकी प्रसिद्धि जैन धर्म में ही नहीं अपितु सभी धर्मों के अनुयायी में है।

उनका छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रहा। अंतिम समय में भी वे डोंगरगढ़ में ही रहे तथा उन्होंने वहीं समाधी ली। उनके महाप्रयाण से धर्मजगत और विश्व ने एक दिव्य संत, गुरू एवं पथप्रदर्शक खो दिया है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के सम्मान में अब सदन कुछ देर का मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के सम्मान में सदन की कार्यवाही पांच मिनट तक के लिये स्थगित।

(11.03 से 11.07 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

11.07 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

<u>जन्मदिन की बधाई</u>

<u>माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय</u>

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था। हम सब लोग, पूरा सदन उनको जन्मदिन की सीधे-सीधे, सामने से बधाई देने के लिए वंचित रह गये। इसलिए आज मैं अपनी पार्टी की ओर से उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) और यह भी कहना चाहूंगा..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो काम है, हर काम Belated होता है।

डॉ. चरणदास महंत :- भईया, यह मेरा नहीं ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे विपक्ष का काम Belated है। यहां पूरी राजनीतिक प्रक्रिया Belated है। एकाध काम तो आपका तात्कालीक होना चाहिए। आप इतना दम तो पैदा कीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भविष्य के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से परसों वह यहीं थे। अभी सदन चल रहा है और इस सदन में उनके बहुत चाहने वाले लोग हैं। यहां रोज माननीय विष्णु देव साय जी के सरकार की चर्चा होती है। तो कम से कम सदन के प्रति इतना चिंतित रहें कि सदन को भी गाहे-बगाहे एक-दो दिन में देख लिया करें। यहां उनको देखकर, लोगों की जो मुस्कान है ताकि वह बढ़ जाये। मेरी इतनी ही आपसे अपेक्षा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं होती हैं। आज आप दोनों के जैकेट का कलर एक जैसा है। यह देखकर, बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहां माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का यदि यह रोज का क्रम बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मिलीभगत है, आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी दोनों के जैकेट का रंग अच्छा लग रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मिलीभगत तो नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों के जैकेट का खिला हुआ रंग है। यदि पूरे सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता एक जैसे लगेंगे तो सबको अच्छा लगेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ रहा हूँ कि उन पर प्रदेश का पूरा भार है। उनको प्रदेश में जाना है। फिर भी सदन के प्रति उत्तरदायित्व को, वह नहीं समझे तो कम से कम उनके अधिकारी लोग समझा दें, आप समझा दें। मैं, आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने श्रद्धेय मुनि विद्यासागर महाराज जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं यह चाहूंगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, दो-दो मिनट..।

अध्यक्ष महोदय :- अब गाड़ी आगे बढ़ गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धांजलि के बाद भी 2 मिनट का मौन हो गया। उनके बारे में बोला जा सकता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम अब आगे बढ़ गये हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- आप परम्परा को इतना ज्यादा मत तोड़िए। आप बहुत ज्यादा परम्परा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं तो आप परम्परा को तोड़िए । मगर इतना ज्यादा मत तोड़िए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह हो गया।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. (*क्र. 2199) श्री इंद्र साव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा में कितने शासकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल संचालित हैं, जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत संचालित कितने पंजीकृत निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना एवं शासन की अन्य योजनाओं के तहत मरीजों का ईलाज हो रहा है ? **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" के इन निजी अस्पतालों में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मरीजों को किन-किन बीमारियों के ईलाज हेतु, कितनी राशि शासन द्वारा दी जाती है, की जानकारी अस्पतालों में सूचना पटल पर लगाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्या लगाई जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) जिले में कुल 207 शासकीय चिकित्सालय तथा कुल 30 मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय संचालित है। **(ख)** 13 पंजीकृत निजी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अस्पतालों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मरीजों का ईलाज हो रहा है। **(ग)** निजी अस्पतालों में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मरीजों के बीमारियों के ईलाज हेतु पैकेज राशि की जानकारी अस्पतालों में सूचना पटल पर लगाने हेतु निर्देश जारी नहीं किए गए हैं एवं प्रावधानित नहीं है। उक्त सूची में 2404 से अधिक पैकेज के नाम व राशि की जानकारी होती है। जी नहीं। सूचना पटल पर लगाया जाना प्रावधानित है।

श्री इन्द्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मेरा पहला प्रश्न पहले नंबर पर है। मेरा माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न है कि बलौदाबाजार- भाटापारा जिला में कितने शासकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल संचालित हैं और कितने पंजीकृत निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना एवं शासन की अन्य योजनाओं के तहत मरीजों का इलाज हो रहा है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संचालित निजी अस्पतालों की जानकारी चाही है। जिले में कुल 207 शासकीय चिकित्यालय तथा कुल 30 मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय संचालित हैं। उसमें 13 पंजीकृत निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना चालू है।

श्री इन्द्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें बलौदाबाजार-भाटापारा में कुल 207 शासकीय चिकित्सालय तथा कुल 30 मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय संचालित हैं। इसमें 30 निजी चिकित्सालय कहां-कहां पर संचालित हैं, उनके नाम एवं स्थान बताने की कृपा करेंगे? तथ वे कौन से 13 निजी अस्पताल हैं जहां पर आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मरीजों का ईलाज किया जा रहा है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 30 निजी चिकित्सालय चल रहे हैं, उनमें 13 चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना चल रही है। मैं उन 13 चिकित्सालयों का नाम पढ़ रहा हूं- वाजपेयी नर्सिंग होम बलौदाबाजार, स्वर्गीय श्रीमती चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल बलौदाबाजार, श्रीराम हॉस्पिटल बलौदाबाजार, ओमकार हॉस्पिटल बलौदाबाजार, किलकारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बलौदाबाजार, आनंद हॉस्पिटल प्रसूति सर्जरी एवं ट्रामा सेंटर, बलौदाबाजार, जया पाली क्लिनिक एवं हॉस्पिटल संडी पलारी, आनंद मल्टी स्पेशियलिटी, हॉस्पिटल, पलारी, अद्या हॉस्पिटल, कसडोल, नरेन्द्र मिश्रा मेमोरियल संजीवनी हॉस्पिटल, कसडोल, आस्था नर्सिंग होम, भाटापारा, आरोग्य सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सिमगा, श्री विनायक हॉस्पिटल सिमगा।

अध्यक्ष महोय :- चलिये, आप दूसरा प्रश्न करिये।

श्री इन्द्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि शासन द्वारा प्रदेश की आम जनता एवं गरीब मरीजों के लिए बनाई गई जनकल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ निजी एवं शासकीय अस्पतालों में मरीजों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु सही समय पर नहीं मिल पाता। महोदय, मरीज जब गंभीर स्थिति में अस्पताल जाया जाता है तब उसकी तत्काल जान बचाने के लिए मंहगे इलाज का खर्च बताया जाता है जिसको वहन कर पाना आम गरीब जनता के बस में नहीं होता है। इसके कारण उस मरीज को अस्पताल से वापस जाना पड़ता है तथा कई अस्पतालों में मरीज को यह बताया जाता है कि हमारे यहां यह योजना नहीं चलती है या चलती है तो पहले उसके लिए आपको विभाग में आवेदन करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपको कोई विशेष हॉस्पिटल की शिकायत है, उसके बारे में प्रश्न कर लें। मंत्री जी ने आपको हॉस्पिटल की पूरी सूची बता दी है, आपको शिकायत कहां से है, यह बता दीजिए।

श्री इन्द्र साव :- जी सर, बता रहा हूं। आयुष्मान योजना के लिए पहले विभाग में आवेदन करना पड़ता है, उसके बाद इलाज किया जाता है। योजना में राशि स्वीकृत होने में समय लगता है तथा मरीज इंतजार करते-करते अपना दम तोड़ देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार तो मरीजों के इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है या अपनी जमीन बेचकर अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए मजबूर होते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है और मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के सभी निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों के लिए आदेश जारी करेंगे कि ईमरजेंसी में गरीब गंभीर रूप से किसी भी बीमारी से पीड़ित मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाया जाये तो सबसे पहले इसकी जान बचाने की व्यवस्था किया जाए?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, क्या ऐसा कोई आदेश है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नये हैं और उनकी चिंता बहुत जायज है। माननीय सदस्य जिस बात की चिंता कर रहे हैं, उसमें मैं उनको बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था, यह मैं नहीं जानता, परंतु हमारे आयुष्मान कार्ड का जो पैकेज में है, वह कल भी मैंने सदन में घोषणा किया है कि जिस भी बीमारी के लिए कोई भी मरीज अगर भर्ती होता है, उस बीमारी के पैकेज में उसको हमारे आयुष्मान योजना से शत् प्रतिशत बिना अतिरिक्त पैसा लिए उस हॉस्पिटल को ईलाज करना होगा। यदि वह ईलाज नहीं करेंगे तो हम उनको आयुष्मान योजना से टर्मिनेट करेंगे और उसका लाईसेंस भी रद्द करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा जवाब। आपका और कोई विषय है?

श्री इंद्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक मिनट और समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये।

श्री इंद्र साव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई जाये कि तत्काल ऑनलाईन सुविधा के माध्यम से उसके ईलाज में होने वाले खर्च को 24 घंटे के भीतर अस्पताल के खाते में जमा करा दिया, जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को तत्काल इस योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए क्या माननीय मंत्री महोदय आदेश जारी करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जवाब सुन लीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में प्राईवेट हॉस्पिटल का एक साल का 650 करोड़ रूपये के आसपास लंबित है।

अध्यक्ष महोदय :- जनक ध्रुव जी, अपना प्रश्न करें।

श्री इंद्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- आपका दो-तीन प्रश्न हो गये।

श्री इंद्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा के सिविल अस्पताल भाटापारा में स्वास्थ्य सुविधा का अत्यंत ही बुरा हाल है, जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टॉफ की कमी है। वहां भवन भी जर्जर है। वहां न कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, न ब्लड बैंक की सुविधा है और न ही कोई लैब की सुविधा है। यह अस्पताल मात्र रेफर सेंटर के रूप में रह गया है। यहां के डॉक्टर स्वयं अपना निजी अस्पताल चलाते हैं, जहां पर यहां के मरीजों को रेफर करके उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। साथ ही बिलासपुर, रायपुर के अस्पतालों में मरीजों को रेफर कर कमीशन का बड़ा खेल चल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ..।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, बता दीजिये।

श्री इंद्र साव :- मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि सिविल अस्पताल, भाटापारा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आम जनता को मिले, इसके लिए क्या आप पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर एवं स्टॉफ की स्थापना तथा जर्जर भवन के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- आप इतना ज्यादा मत पढ़िये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भाटापारा में सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर की संख्या जरूर कम है। हमारे पास विशेषज्ञों की संख्या कम है। जैसे ही उपलब्ध हो रहे हैं, हम वहां भेज रहे हैं। यदि आपकी कोई व्यक्तिगत शिकायत हो तो बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- जनक ध्रुव जी, अपना प्रश्न करें। ठीक है। साव जी, आपका प्रश्न हो गया।

देवभोग विकासखण्ड के स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. (*क्र. 1862) श्री जनक ध्रुव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- गरियाबंद जिले के विकासखण्ड देवभोग में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं? शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप की पृथक-पृथक केंद्रवार जानकारी दें। यदि स्वीकृत सेटअप अनुसार पद रिक्त हैं, तो इन स्वीकृत पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : गरियाबंद जिले के विकासखण्ड देवभोग में सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र - निरंक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र 22 संचालित है। स्वीकृत सेटअप संलग्न प्रपत्र[1] अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही सतत् प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गरियाबंद जिला के विकासखण्ड देवभोग के अंतर्गत जो जानकारी मैंने चाहा था, वह इस प्रश्न के उत्तर के परिशिष्ट-एक में बताया गया है। लेकिन मैंने जो सामुदायिक केन्द्र की जानकारी चाहा था, वह निरंक बताया गया है और उसमें देवभोग को पिछले सात सालों से सिविल अस्पताल का दर्जा मिला हुआ है। जबकि बजट में और सेटअप के अनुसार इस प्रकार के सिविल अस्पताल में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये। क्या सेटअप के अनुसार स्वीकृति दी जाएगी? यह प्रश्न है। यही प्रश्न आपको पूछना है? मंत्री जी, जवाब दे दीजिये। ठीक है।

श्री जनक ध्रुव :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ ..।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप दोबारा फिर प्रश्न पूछना। बैठ जाईये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से 100 बिस्तर का सेटअप है तो उसमें स्वीकृति देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमने कल ही देवभोग में 5 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति किया है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने कल ही नियुक्ति किया है। आपके प्रश्न का इतना असर हुआ कि वहां डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है। आप मंत्री जी को धन्यवाद दीजिये। आपका और कोई प्रश्न होगा तो बताईये?

श्री जनक ध्रुव :- माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि सुपेबेड़ा के ग्रामीणों का दर्द किसी से नहीं छिपा है, जो वहां के लोग किडनी की बीमारी से प्रभावित हैं।

---

[1] परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अभी तक लगातार 135 लोगों की मौत हो चुकी है और आज भी वहां के लोग किडनी से पीड़ित है। इस सुपेबेड़ा में वी.आई.पी. दौरा के समय मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस. फिल्म के तर्ज पर यहां पर एक सरकारी भवन के भीतर रखे सामानों को साज-सज्जा करके यहां पर सरकारी अस्पताल को नियमित चलाने का दिखावा कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत तो यहा है कि वहां न तो डॉक्टर की पोस्टिंग है और न ही स्वास्थ्य सुविधा है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी बता रहे हैं। आप बैठ जाईये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भी सदस्य की चिंता बहुत जायज है। सुपेबेड़ा में उसको संज्ञान लेते हुए हमने कल ही तीन डॉक्टरों की दल बना दिया है। वह वहां जाकर देखेंगे। आपको एक खुशखबरी यह है कि कल ही वहां पर एक एम.बी.बी.एस. डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका पूरा काम कर दिया मंत्री जी को आप धन्यवाद तो दीजिये। श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय से सम्बंधित विषय

[चिकित्सा शिक्षा]

3. (*क्र. 2003) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ सह चिकित्सीय परिषद द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालय को पहली बार कब मान्यता देना प्रारंभ किया गया ? प्रारंभ दिनांक से आज तक कितने निजी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए, कृपया जानकारी देवें ? **(ख)** प्रत्येक निजी चिकित्सा महाविद्यालय को वर्षवार कितनी सीटें और पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गए, कृपया जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) छत्तीसगढ़ सह चिकित्सीय परिषद द्वारा शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, अपितु प्रवेश हेतु अनुमति, मान्यता प्रदान करने इत्यादि कार्य राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा की जाती है। प्रदेश में प्रारंभ दिनांक से आज तक 03 निजी चिकित्सा महाविद्यालय जिनमें, श्री शंकराचार्य इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भिलाई, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मोवा, रायपुर व रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर खोले गए।**(ख)** प्रश्नांक 'क' में उल्लेखित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की वर्षवार सीटों, व पाठ्यक्रमवार स्वीकृत की **जानकारी प्रपत्र [2] में संलग्न है।**

[2] परिशिष्ट "दो"

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ सह चिकित्सीय परिषद द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालय को पहली बार कब मान्यता देना प्रारंभ किया गया ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने का काम छत्तीसगढ़ सह चिकित्सीय परिषद द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि पहले जो एम.सी.आई. होती थी । मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया वह देती थी और वर्ष 2019 से जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके द्वारा मान्यता दी जाती है, छत्तीसगढ़ से नहीं है ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक निजी चिकित्सा महाविद्यालय को वर्षवार कितनी सीटें और पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गये हैं, कृपया जानकारी देवें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ने में समय लगेगा । मैं आपको अलग से दिला देता हूं, इसकी सूची मेरे पास है ।

अध्यक्ष महोदय :- निजी चिकित्सा महाविद्यालय में वर्षवार सीट और पाठ्यक्रम कितने स्वीकृत किये गये हैं । यह एक छोटा सा प्रश्न है । यदि उत्तर लंबा है तो आप इनको लिखित में जवाब दे सकते हैं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं बता सकता हूं । हमारे यहां अभी 3 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं । चूंकि 4 थे तो इसको पिछली सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है । रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर लगभग इसका 150 प्रतिवर्ष है, केवल वर्ष 2021 में 151 था और वर्ष 2022 में 149 था ।

अध्यक्ष महोदय :- लगभग क्यों होगा ? या तो 150 होगा या 100 होगा । लगभग नहीं होता ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग मतलब वर्ष 2016 में 150, वर्ष 2019 में 150, वर्ष 2020 में 150...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका कोई और प्रश्न ?

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । श्रीमती अनिला भेंडिया ।

<u>बालोद जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य</u>

[स्कूल शिक्षा]

4. (*क्र. 1516) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 10 जनवरी, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तक मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत कौन-कौन से कार्य एवं राशि स्वीकृत की गई है, जानकारी देवें ? **(ख)** स्वीकृत कार्यों के निविदा प्रक्रिया हेतु नियम-शर्तें क्या थीं एवं स्वीकृत कार्य के विरूद्ध कितने कार्य पूर्ण एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा क्यों ? **(ग)** स्वीकृत कार्यों में कितने कार्यों को निरस्त किया गया है ? यदि हॉ तो क्यों ? **(घ)** उक्त कार्योंकी निर्माण एजेंसी की जानकारी देवें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी निम्नानुसार हैः--

वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाख में
2022-23	मरम्मत/जीर्णोद्धार	771	4158.46
	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	69	1037.46
	शौचालय निर्माण	11	25.88
2023-24	शौचालय निर्माण	28	120.13
	मरम्मत/जीर्णोद्धार	44	289
	अतिरिक्त कक्ष निर्माण	30	513.66
	किचन शेड निर्माण	5	8.96
योगः-		958	6153.55

(ख) निर्माण एजेंसी से प्राप्त नियम एवं शर्तो की **जानकारी संलग्न प्रपत्र [3] अनुसार है**। 724 कार्य पूर्ण है तथा 234 कार्य अपूर्ण (194 कार्य प्रगति पर तथा 40 अप्रारंभ) है। अप्रारंभ कार्यो को वर्तमान में प्रारंभ नहीं किये जाने के वित्त विभाग के निर्देश है। **(ग)** कोई भी कार्य निरस्त नहीं किया गया है। **(घ)** निर्माण एजेंसी- लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत जो स्वीकृत कार्य हैं उन कार्यों में आपने 724 कार्य पूर्ण बताये हैं लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इसमें में भी 25 से 30 प्रतिशत कार्य नहीं हुआ है । आपको गलत जानकारी दी गयी है तो मैं...।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके द्वारा सरकार चल रही थी उसको दुरूस्त करने में कुछ समय तो लगेगा । (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- यह बच्चों के स्कूल के भविष्य की बात है ।

श्री अजय चंद्राकर :- इधर जो उसकी सब व्यवस्था बिगाड़ दिये थे उसमें कुछ समय तो लगेगा ।

---

[3] परिशिष्ट “तीन”

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था को किसी ने नहीं बिगाड़ा है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो कार्य स्वीकृत हो गया था उस कार्य को क्यों बंद किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप अजय चंद्राकर की तरफ देखकर बात मत करिये, मुझे देखकर बात करिये और प्रश्न करिये । (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वे वैसा ही चाहते हैं कि सब डिस्टर्ब हों और मेरी तरफ सबका ध्यान जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको उधर बिल्कुल देखना ही नहीं है । मंत्री जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 724 कार्य पूर्ण हुए हैं और 234 कार्य अपूर्ण हैं, 194 कार्य प्रगति पर हैं और 40 कार्य अप्रारंभ हैं । जो अप्रारंभ कार्य हैं वह केवल 40 हैं बाकी सभी कामों के लिये टेंडर हो गया है, काम की शुरूआत हो गयी है और वह काम वहां पर चल रहे हैं । आपका क्षेत्र है, आप स्वयं जाकर चूंकि सेंक्शन भी आप ही लोगों ने किया था, टेंडर भी आप ही लोगों ने किया था तो किसी भी काम को हमने रोका नहीं है । जिस काम का टेंडर नहीं हुआ, जो काम प्रारंभ नहीं हुआ केवल वही काम प्रारंभ नहीं हुए हैं बाकी सभी काम वहां पर चल रहे हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, काम रोका गया है । जो काम शुरू हुआ था वह काम रोक दिया गया है । आदेश है, आप विभाग के द्वारा जानकारी ले लीजिये और जो 40 काम अपूर्ण हैं वह भी आपके शासकीय एजेंसी के माध्यम से हो रहा है पी.डब्ल्यू.डी. और आर.ई.एस. तो उस काम को क्यों रोका गया है ? मैं यह जानना चाहूंगी । बाकी जो शुरू काम है उसको भी रोका गया है । आप अपने विभाग से सही जानकारी ले लीजिये क्योंकि हम लोग क्षेत्र में हैं इसलिये हमें पूरी जानकारी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने किसी भी काम को नहीं रोका है । जो काम अपूर्ण हैं वह काम ठेकेदार को पूरा करना है, जो काम प्रगति पर है वह उनको पूरा करना है । जो 40 काम शुरू ही नहीं हुए हैं खाली वही काम रूके हुए हैं बाकी किसी भी काम को रोका नहीं गया है । शासन का कोई निर्देश नहीं है, जो काम प्रारंभ नहीं हुए हैं खाली वही रूके हुए हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 40 अधूरे काम हैं, आप आदेश करेंगे कि वह काम कैंसिल करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुरंत आश्वासन दे दे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- क्योंकि यह काम जल्दी हो जाना चाहिए ताकि अगले नये सत्र में हमारे स्कूल वहां पर संचालित हों, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्कूलें हैं, जो सामुदायिक भवन में लग

रहे हैं और कहीं इधर-उधर लग रहे हैं। तो वैसा काम आप तत्काल निर्देशित करेंगे कि जल्दी चालू हो और complete हो और 40 अधूरे काम भी तत्काल जारी हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल की नई बिल्डिंग बनना हो। आप लोगों ने तो इतना अति किया है, अब मैं उसके बारे में बोलूंगा। 61 करोड़ रूपये के काम स्वीकृत हुए। कोई estimate नहीं है कि एक कमरा बनेगा। इतने बाई इतने का बनेगा तो उसमें कितना पैसा लगेगा? एक कमरे के लिए अगर किसी ने 20 लाख मांगा तो 20 लाख दे दिया। किसी ने 30 लाख मांगा तो 30 लाख दे दिया। उसमें इस प्रकार से खर्च किया गया, उसके बाद भी जो काम चल रहे हैं, जो काम on going हैं उनको हम नहीं रोक रहे हैं। क्योंकि वो शासन के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। जो 40 काम हैं, उन 40 कामों का हम परीक्षण करवाकर उसकी वास्तविक जितनी लागत होगी, उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिले का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो रूके हुए काम हैं, मेरे विधान सभा के लगभग 8-10 काम हैं। चुनाव के कारण वो पोलिंग बूथ बने हुए थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरे प्रतिवेदन में आप विधान सभा का ही बोले थे और क्या बच गया है?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी है और बोलूंगा। जब तक सत्र चलेगा, तब तक बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जो पोलिंग बूथ बनाये गये थे, वो स्कूल जर्जर हो चुके हैं। उनके निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे निर्माण काम जिसे निर्माण करना बहुत जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है तो आपसे आग्रह करूंगा कि जो रूके हुए हैं, उसके भी निर्माण कार्य की स्वीकृति आप दे दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, 958 काम बालोद जिले में स्वीकृत हुए थे। जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। 958 कामों में से सिर्फ 40 काम जो प्रारंभ नहीं हुए थे, वही काम रूके हुए हैं। बाकी सभी काम हो रहे हैं और इन 40 कामों को भी हम परीक्षण करवाकर गुण-दोष के आधार पर उसका निर्णय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। आप पूछ लीजिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि जब भी हो, कोई भी काम के लिए आप लोगों ने बहुत अति कर दिया था। ये कार्य योजना बनाने का काम अधिकारी करता है। sanction देने का काम अधिकारी करता है। काम कराने का काम अधिकारी के निर्देश पर होता है। तो ये हमारे माननीय मंत्री जिसने भी दिये हैं, उनका दोष क्या है? अगर अधिकारी अति किया होगा तो क्याइसमें कार्रवाई करेंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अगर हम कार्रवाई शुरू करेंगे तो कोई नहीं बचेगा।

श्री बघेल लखेश्वर :- नहीं-नहीं, सबको करिएगा। इस काम का दायित्व भी जनता ने आपको दिया है। आप कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- कर दीजिए। कर दीजिए। हम सामना करने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- काम होने दीजिए। जो कार्रवाई करनी है करिएगा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- किसी के साथ भेदभाव मत करें। सभी को स्वीकृति प्रदान करें। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप गुमराह कर रहे हैं। आप कार्रवाई कीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभी विधान सभा में काम रूका हुआ है। (व्यवधान) सभी विधान सभा में काम को रूकवा दिया गया है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- टेंडर रूका हुआ है। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- जनप्रतिनिधियों को जेल में डाल दीजिए। सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए। आप कार्रवाई कीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप अभी घोषणा कर दीजिए कि अभी कार्य चालू हो जायेगा। आप घोषणा कर दीजिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- घोषणा कर दीजिए कि सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जायेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, प्रश्नकाल है । मंत्री जी का जवाब आ गया। अजय चन्द्राकर जी, अपना प्रश्न पूछेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। इसमें बहुत हो गया। आपका जिला नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं, इससे हटके है।

अध्यक्ष महोदय :- जिले से हटकर नहीं होता न।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा होगे।

<u>प्रदेश मे संचालित शोधपीठ की अद्यतन स्थिति</u>

[उच्च शिक्षा]

5. (*क्र. 1558) श्री अजय चंद्राकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कहां-कहां, कौन-कौन से शोधपीठ संचालित हैं एवं कौन-कौन सा शोधपीठ, कब से बंद हो चुका है? इन शोधपीठों में अध्यक्ष कौन-कौन हैं और किस शोधपीठ में कब से

अध्यक्ष के पद रिक्त हैं व इन्हें क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ? इसके अंतर्गत सेटअप के अनुसार कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, उसमें कितने भरे/रिक्त हैं ? **(ख)** विगत तीन वर्षो में किन-किन विषयों में शोध किये गये एवं कौन-कौन सी किताबों का लेखन कार्य किया गया? कितने सेमिनार, किस-किस शोधपीठ द्वारा, कहां-कहाँ कराये गये? वर्षवार बतायें। **(ग)** उक्त तीन वर्षो में इन विश्वविद्यालयों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी वर्षवार बतायें ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :(क) प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संचालित शोधपीठ एवं शोधपीठ के अध्यक्ष के संबंध में **जानकारी परिशिष्ट † [4] प्रपत्र-"अ" पर संलग्न** है। शोधपीठों को बंद करने संबंधी शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। शोधपीठों के सेटअप अनुसार स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों की **जानकारी प्रपत्र-"ब" पर संलग्न** है।**(ख)** विगत तीन वर्षों में शोध कार्य की जानकारी निरंक है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर अंतर्गत कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र द्वारा निम्नानुसार पुस्तक लेखन कार्य किया गया है :-

1. संत कबीर का इतिहास (2021-22)
2. संत कबीर का छत्तीसगढ़ (2021-22)
3. कहत कबीर (2021-22)

शोधपीठों द्वारा कराए गए सेमिनार की जानकारी निरंक है।**(ग)** प्रश्नांकित विश्वविद्यालयों की तीन वर्ष की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की **जानकारी प्रपत्र-"स" पर संलग्न** है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित जो शोधपीठ हैं, उनके बारे में मेरा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये शोधपीठ में पद कब से रिक्त हैं? कब भरे जायेंगे और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और उद्देश्यों में कितना सफल हुए हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रविशंकर विश्वविद्यालय में गुरू घासीदास शोधपीठ की वर्ष 2017 में स्थापना हुई। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जन संचार विश्वविद्यालय..।

श्री अजय चन्द्राकर :- वो परिशिष्ट में है। आप सीधे उत्तर में आइए। वो सब परिशिष्ट में है। मैंने कहा ये गठन के उद्देश्यों में कितना सफल हुए हैं? दूसरा, ये कि रिक्त पद कब से हैं और कब तक भरे जायेंगे ? मेरा पहला प्रश्न यह है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जानकारी है कि इनके गठन के जो उद्देश्य थे, वे उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं, पूर्णत: पूरे नहीं हुए हैं । इनका उद्देश्य था कि जिन महापुरूषों के नाम से इनका गठन किया गया है, उनके बारे में शोध करके छत्तीसगढ़ की और देश की जनता को

[4] † परिशिष्ट "चार"

बताया जा सके कि इन महापुरूषों का क्या योगदान देश और समाज के लिए हुआ है । इसके लिए इसका गठन किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने इसी में एक और पूरक प्रश्न पूछा था कि इसमें कब से पद रिक्त हैं ? पद कब से रिक्त हैं और इनको भरेंगे या नहीं भरेंगे, यदि उद्देश्य में सफल नहीं हैं तो ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब से इन शोध पीठों को गठित किया गया है, तब से ये पद रिक्त हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप विद्वान् आदमी हैं मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मंत्री जी भी सक्षम मंत्री हैं । अब आप देखिएगा बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है कि 2020-21 में लगभग 47 करोड़, 84 लाख रूपए, 2021-22 में 47 करोड़, 79 लाख, 2022-23 में लगभग 50 करोड़, 39 लाख रूपए दिए गए तो इतने रूपए इन शोधपीठों को किन कारणों से दिए गए, जब पद खाली हैं, उद्देश्य में सफल नहीं हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं । लगभग 146 करोड़ रूपए के आसपास इनको अनुदान क्यों दिया गया ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह जो राशि है यह विश्वविद्यालय को कुल दी गई अनुदान की राशि है, शोधपीठों को दिए गए अनुदान की राशि नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप परिशिष्ट देखिए, प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में शोधपीठ के संदर्भ में वित्तीय/भौतिक जानकारी, स्पेशल लिखा है कि शोधपीठ के संदर्भ में और मैंने पूछा भी वही है । मैंने विश्वविद्यालय के अनुदान को नहीं पूछा है । भौतिक स्थिति बताई और वित्तीय स्थिति में उन्होंने लिखा है । मैंने तो पूछा ही नहीं कि विश्वविद्यालय को कितना अनुदान मिला है । और प्रश्न के उत्तर के परिशिष्ट में भी यही जानकारी आई है कि 146 करोड़ रूपए अनुदान इन शोधपीठों को मिला है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न ग को आप भी देख लें। उक्त तीनों वर्षों में इन विश्वविद्यालयों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी वर्षवार बताएं, तो हमने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा चलिए । आपने परिशिष्ट में लिखा है कि शोधपीठ के संदर्भ में वित्तीय एवं भौतिक स्थिति । आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए । जब ये शोधपीठ कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई आदमी नहीं है तो आप यह स्पष्ट कर दीजिए कि आपने शोधपीठों को कोई अनुदान दिया है या नहीं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शोधपीठों को कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि शोधपीठों को कोई अनुदान नहीं दिया गया । मैं उस संत का चरण स्पर्श करूंगा, संत कबीर का इतिहास, कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र हैं । उसमें भी कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है । मंत्री जी ने स्वीकार किया कि कोई अनुदान नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिला है । संत कबीर का इतिहास 2021 में, संत कबीर का छत्तीसगढ़ 2021 में, कहत कबीर 2021-22, बिना मुद्रक के, बिना अनुसंधान अधिकारी के, बिना स्टाफ के एक ही साल में तीन किताबें लिख लीं । एक ही साल में तीन किताबें लिखने का भी रिकॉर्ड है, यदि इनको विधान सभा में लाया जाए तो मैं इनके चरण स्पर्श करूंगा । अब इनके पास अनुदान नहीं है, कुछ नहीं दिया गया तो आखिर ये किताबें किसके द्वारा छपवाई गई ? जब स्टाफ ही नहीं तो खर्चे कहां से हुए ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, शासन के द्वारा इनकी छपाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से तो पूछ ही नहीं रहा हूं । आपने बताया है कि शोधपीठ ने ये किताबें छपवाई हैं तो जब कोई अधिकारी, कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं, महान विद्वान् ने एक ही साल में तीन किताबें लिख दीं । संसार में एक साल में किसी ने तीन किताबें नहीं लिखी हैं । एक साल में किस खर्चे से लिखा, जब उसके पास एक रूपए का अनुदान नहीं है तो इस शोधपीठ का खर्च किसने उठाया, यह जानना चाह रहा हूं । शासन ने दिया या नहीं दिया, यह मेरा विषय नहीं है । विश्वविद्यालय ने दिया या उसने अपने जेब खर्च से किया या चंदा लेकर किया, किसी एन.जी.ओ. ने अनुदान दिया या यू.जी.सी. ने इसके लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत किया, कुछ तो होगा, जादू से तो नहीं हुआ होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस बारे में शासन के पास किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस विद्वान् के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने खर्च से, कहीं से पैसे मांगकर या किस प्रकार से किया इसके बारे में शासन को कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर सही नहीं है। जब यह प्रश्न के उत्तर में आया है, मैंने पूछा कि शोधपीठों ने क्या-क्या काम किया? आपने काम के उल्लेख में एक शोधपीठ के तीन किताबों का नाम दिया है। कुशाभाऊ ठाकरे के एक शोधपीठ ने तीन किताबें छापी हैं। छापी है तो कैसे छपी, क्या छपी, कहां से खर्च आया, किस तरह से आया ? मैंने जिन-जिन चीजों का उल्लेख किया है, इसका उत्तर तो आना चाहिए। वह विद्वान ने किया हो, किसने किया हो, अगर विद्वान ने किया है तो आपको जिम्मेदारी से यह बताना चाहिए कि विद्वान ने खर्च किया है और उसका इतना पैसा खर्च हुआ है। यह मुद्रक प्रकाशन हैं । जब उत्तर में यह विषय आया है तो आपको बताना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है। क्योंकि पिछले पांच सालों में शोधपीठों के लिए कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया, शोधपीठों ने कोई काम नहीं किया। मैं माननीय विद्वान सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय पर सभी शोधपीठों का संचालन सुगम रूप से हो, यह हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठजन हैं, इनका सम्मान बढ़े और इसी के लिए इन शोधपीठों की स्थापना की

गयी है। आने वाले समय में इन शोधपीठों का सुचारू संचालन किया जाएगा। मैं इस बात की जानकारी देता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इस घटना की जांच हो। यह तो अप्रत्याशित बात है, ठीक है, आप करेंगे, मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन यह तीन किताब जो जादू से छपी है, एक साल में लिख दी गयी, आप उसके बारे में जांच करवाईए। भ्रष्टाचार न हुआ हो, कुछ भी न हुआ हो, अगर आपने उत्तर दिया है तो आपके संज्ञान में आनी चाहिए। आप बोलिए कि मैं इसका पता लगाऊंगा, ऐसी घटनाएं न हो, अगर हुई है तो विधिवत रूप से हो, इसकी घोषणा कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न भी कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। आज दोनों विशेषज्ञ खड़े हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- इस सदन के सबसे मुखर बोलने वाले, प्रश्न करने वाले और सबसे अच्छा जवाब देने वाले दोनों खड़े हैं। दोनों का उत्तर सही आ रहा है। मगर मुझे लगता है कि आपने प्रश्न का जवाब दे दिया। बृजमोहन जी की जवाब देने की जरूरत समाप्त हो गयी।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, मैंने जवाब नहीं दिया है। चूंकि उत्तर में आ गया है...।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी को सुन लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरू घासीदास शोधपीठ, पिछले पांच सालों में इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। माधव राव सप्रे शोधपीठ, पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ, हिन्द स्वराज शोधपीठ, कबीर विकास संचार अध्ययन केन्द्र, पं. सुंदर लाल शर्मा शोधपीठ, स्व. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ, पं. लखन लाल मिश्र शोधपीठ। ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के विभूति रहे हैं और पांच साल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया, की बात करने वाले लोगों ने इन विभूतियों के नाम पर खाली भाषण दिए हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह किया है। (शेम-शेम की आवाज) उसके लिए गुरू घासीदास बाबा के शोधपीठ में भी कोई काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष की चिंता जायज है, आप जिन तीन किताबों के बारे में कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वह जादू से ही लिखी गयी है। क्योंकि विभाग के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, आपकी चिंता है तो निश्चित रूप से...।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, मैं सहमत हो गया लेकिन जब जानकारी नहीं है तो विभाग को इसका उत्तर भी नहीं देना था। वह सारा लफड़ा उत्तर दिया है, इसलिए पैदा हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, उस चिंता में मैं भी शामिल होते हुए हम पता करेंगे कि यह किताबें कैसे छपी।

अध्यक्ष महोदय :- पता करिए। महंत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने प्रश्न पूछा, विद्वान मंत्री जी ने उत्तर दिया। उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर विकास संचार

अध्ययन केन्द्र द्वारा निम्नानुसार पुस्तक लेखन कार्य किया गया। यह लेखन किया गया है या इसे छाप दिया गया है। आप जिस विद्वान व्यक्ति का नाम बार-बार ले रहे हैं कि जादू से कर दिया। उस विद्वान व्यक्ति का भी नाम बता दीजिए, विद्वान प्रश्नकर्ता, विद्वान मंत्री तो विद्वान लेखक का भी नाम बता दीजिए जिसने यह लिखा है। यह छपा है या नहीं छपा है, अगर छपा है तो हम लोगों को बटवा दीजिए, नहीं छपा है तो यहां क्यों आया। यह अपने विभाग से पूछकर बताईए। इसमें उत्तर में आया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने जादू बोला तो मैं चुप हो गया कि जादू ने किया है।

अध्यक्ष महोदय :- कोई जवाब है..।

डॉ. चरणदास महंत :- ऐसा जादू थोड़ी चलेगा। सर, जादूगरी है तो इतनी जादूगरी नहीं चलेगी। जादू दिखाईए, पांच साल का जादू दिखाईए, 15 साल का जादू दिखाईए, मगर ऐसा हवा में लड्डू मत उछालिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए जवाब दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी जवाब चाह रहे हैं और मैंने लगभग जवाब दे दिया है। मैं सोचता हूं कि जिन 3 किताबों के बारे में मुख्य रूप से बात हुई है, उसके बारे में विभाग निश्चित रूप से पता करेगा कि उनकी छपाई कहां हुई है और कैसे लेखन हुआ है। यदि यह आवश्यक जानकारी होगी तो हम माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी का इतना ही कहना है कि यदि वह उपलब्ध जाएं तो उनको सदस्यों को बंटवा दिया जाए।

डॉ. चरण दास महंत :- नहीं, लिखा है, वह ठीक है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि लिखा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चंद्राकर जी, उनका नाम क्या है ?

श्री अजय चंद्राकर :- मुझे मालूम नहीं है।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, इनको देख लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठे-बैठे सवाल पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठकर प्रश्न मत पूछिये।

श्री भूपेश बघेल :- उनकी माइक चालू है तो वह रिकॉर्ड में आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- जब माननीय महंत जी प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप आपस में बात मत कीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी बैठकर बात कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की माइक चालू है और वह बैठे-बैठे माननीय सदस्य से सवाल पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसका ध्यान रखें। महंत जी, आप अपना आखिरी प्रश्न पूछिये।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न ही आखरी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप प्रश्न पूछ लीजिए।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि लेखन कार्य किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं यही बात तो कह रहा हूं कि यदि किताब मिल जाएं तो आप उनको बंटवा दीजिएगा।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, किताब लिखी गई है या छपी भी है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महंत जी की चिंता जायज है। वह कबीर के अनुयायी हैं और उनको लग रहा है कि उनकी सरकार कबीर जी के नाम पर भी ऐसा घपला कर सकती है और इसलिए वह चिंतित हैं। निश्चित रूप से उनकी चिंता में मैं भी शामिल हूं। यदि वह किताबें मिल जाएंगी तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप पूरे विधायकों को बंटवा दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ठीक है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीर जी यह कहते थे कि लिखा-लिखी की है नहीं, देखन-सुनी की बात भी नहीं चलती। वहां पर सिर्फ देखने की बात चलती है। जिसको यदि आपने आंख से देखा है तो बताइये।

अध्यक्ष महोदय :- वैसे मंत्री जी ने देखा-सुनी का अनुपालन किया है और लिखा-पढ़ी भी की है।

डॉ. चरण दास महंत :- मंत्री जी, आप अपने विभाग को इतनी छूट मत दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, वह किताब लिखने वाले को लाएंगे। हम दोनों मिलकर उनको प्रणाम करे लेंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- हां, हम उनको प्रणाम करते हैं। आप करेंगे और मैं जाकर भी प्रणाम कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। धन्यवाद। फूल सिंह राठिया जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>कोरबा जिलान्तर्गत जर्जर एवं भवन विहीन स्कूल</u>

[स्कूल शिक्षा]

6. (*क्र. 1903) श्री फूलसिंह राठिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोरबा जिले में कितने प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जर्जर एवं भवन-विहिन हैं एवं आहाता विहिन है ? संपूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** जर्जर एवं भवन विहिन शलाओं को भवन व आहाता विहिन शालाओं को आहाता कब तक उपलब्ध हो जाएगा ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) जानकारी निम्नानुसार हैः-

शाला का स्तर	जर्जर शालाएं	भवन विहीन	अहाता विहीन
प्राथमिक	189	58	422
पूर्व माध्यमिक	61	20	91
हाईस्कूल	4	1	28
हायर सेकेण्डरी	7	0	24

(ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री फूल सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोरबा जिले में कुल कितने प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी स्कूल जर्जर हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जर्जर प्राथमिक शालाएं 189, भवन विहीन प्राथमिक शालाएं 58, जर्जर पूर्व माध्यमिक शालाएं 61, भवन विहीन पूर्व माध्यमिक शलाएं 20, जर्जर हाई स्कूल 4, भवन विहीन हाई स्कूल 1, जर्जर हायर सेकण्डरी स्कूल 7 और कोई भी हायर सेकण्डरी स्कूल भवन विहीन नहीं हैं।

श्री फूल सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 58 प्राथमिक शालाओं को भवन विहीन बताया है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनमें शालाएं संचालित हो रही हैं या नहीं हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शालाएं भवन विहीन हैं तो वहां पर वह शालाएं नजदीक के दूसरे भवनों में संचालित हो रही हैं और जो शालाएं ज्यादा जर्जर हो गई हैं, वह भी नजदीक के दूसरे भवनों में संचालित हो रही हैं और शेष शालाएं उसी भवन में संचालित हो रही हैं।

श्री फूल सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन जर्जर तथा भवन विहीन शालाओं को कब तक भवन उपलब्ध हो जाएंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द जर्जर तथा भवन विहीन शालाओं के लिए भवन बनवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बहुत बुरी स्थिति है और वह आदिवासी क्षेत्र है। वह बेचारे सदस्य ठीक से प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहे हैं। इतनी सारी भवन विहीन शालाएं हैं। माननीय मंत्री जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार ने शाला भवन निर्माण के बारे में कुछ सोचा होगा तो उसके आहाता के बारे में भी सोचा होगा कि आहाता बनाना अनिवार्य है या नहीं है ? आपने अपने उत्तर में एक भी जगह इसकी जानकारी नहीं दी है कि कहीं पर आहाता बना हुआ है। क्या

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

वह शालाएं दिन में बच्चों के काम आती हैं और रात में पशुओं के काम आती हैं। एक भी जगह में आहाता निर्माण नहीं हुआ है। विशेष सुविधा दी गई है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, गौठान बनने के बाद अब कोई भी पशु किसी दूसरी जगह में नहीं जाते हैं। सब पशु गौठान में ही रहते हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- ठीक है। आपने इसमें आहात की बात कही है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने पूछा है कि वहां पर पशु तो नहीं चले जाते हैं। आपका बाकी प्रश्न ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी अहाता नहीं है । वहां पर 1476 प्राथमिक शालाएं संचालित हैं, उसमें से 422 शालाएं अहाताविहीन हैं । पूर्व माध्यमिक शाला 518 हैं तो उसमें से 91 शालाएं अहाताविहीन हैं । 86 हाईस्कूलों में से 28 स्कूल अहाताविहीन हैं । 94 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में से 24 स्कूल अहाताविहीन हैं । ऐसा नहीं है कि सभी स्कूल अहाताविहीन हैं । माननीय नेता जी की चिन्ता जायज है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, भवन की सुरक्षा के लिए पहली बार हमने यह निर्णय लिया है । अभी तक शिक्षा विभाग के निर्माण के जितने काम होते थे, वह पी.डब्ल्यू.डी. या आर.ई.एस. के माध्यम से होते थे, हम पैसा देते थे, पर वे बनाते नहीं थे । अब स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग अपने खुद का इंजीनियरिंग विभाग बनाएगा और इंजीनियरिंग विभाग बनने के बाद में तेजी से काम होंगे । कई काम तो ऐसे हैं, जो 10 सालों से वह पी.डब्ल्यू.डी. या आर.ई.एस. को पैसे दिए हैं, लेकिन उनका निर्माण नहीं हुआ है और हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन बनने के बाद हम तेजी से कोशिश करेंगे कि स्कूलों की बिल्डिंगों की मरम्मत हो जाये, नई बिल्डिंग बन जाएं, उनके अहाते बन जाएं । हमारे बच्चे एक अच्छे वातावरण में पढ़ाई करें, यह हमारा कोशिश है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप कम से कम यह निर्णय तो ले सकते हैं कि भविष्य में जो नये भवन बनेंगे, वह अहाता सहित उसका ड्राइंग डिजाईन बनेगा तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा । यदि चाहें तो आप एक नीतिगत फैसला ले सकते हैं । (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आप इस तरह से सुझाव देते रहेंगे तो शायद यह सरकार ठीक चलने लगेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- वह मंत्री जी का निर्णय है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश निश्चित रूप से बहुत अच्छा है । यहां पर कई स्कूलें ऐसी हैं, जहां पर स्कूल भवन के निर्माण से ज्यादा अहाते में पैसा लगेगा तो जहां पर पर्याप्त पैसे में या कम पैसे में अहाता बन सकता है, हम आपके निर्देशानुसार भविष्य में निर्णय करेंगे कि अहाता के साथ स्कूल बिल्डिंग सेंशन हो और जहां पर बड़े मैदान हैं, उसमें फारेस्ट

विभाग के माध्यम से या फिर मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण करके, बारबेट वायरिंग करके उसको सुरक्षित किया जाये, यह हमारी कोशिश होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- यह भी किया जा सकता है । धन्यवाद ।

<u>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसरों के स्वीकृत एवं रिक्त पद</u>

[चिकित्सा शिक्षा]

7. (*क्र. 2164) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में प्रदेश में संचालित शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है, जिलेवार जानकारी देवें? इनमें से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या कितनी है? **(ख)** कण्डिका 'क' के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कितने नियमित डीन तथा नियमित अधीक्षक व प्रभारी डीन तथा प्रभारी अधीक्षक पदस्थ हैं? जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) प्रदेश में 10 शासकीय एवं 03 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। जिलेवार **जानकारी प्रपत्र[5] में संलग्न** है। संचालनालय अधीनस्थ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर के 240 स्वीकृत पद के विरूद्ध 112 पद रिक्त, एसोसिएट प्रोफेसर 397 स्वीकृत पद के विरूद्ध 184 पद रिक्त तथा असिस्टेंट प्रोफेसर 632 स्वीकृत पद के विरूद्ध 324 पद रिक्त है।**(ख)** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों मे नियमित डीन 09 पदस्थ है तथा नियमित अधीक्षक-निरंक व प्रभारी डीन-02 तथा प्रभारी अधीक्षक-10 पदस्थ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के माध्यम से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी । मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि प्रोफेसर के 240 स्वीकृत पद के विरूद्ध 112 पद रिक्त हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 397 स्वीकृत पद के विरूद्ध 184 पद रिक्त हैं तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 632 स्वीकृत पद के विरूद्ध 324 पद रिक्त हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो रिक्त पद होने के कारण चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए क्या विभाग के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर की बहुत कमी है । इसके लिए 234 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है । चूंकि इनकी भर्ती पी.एस.सी. के माध्यम से होती है और हम 234 पद की भर्ती की कार्यवाही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्या ने जानना चाहा है तो इसकी

---

[5] परिशिष्ट "पांच"

वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग संविदा पर प्रति माह वॉक इन इंटरव्यू करते हैं और जितनी संख्या हमें संविदा में उपलब्ध हो पाती है, वह हम लोग भर्ती करते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं तो संविदा से कितने दिनों तक वैकल्पिक व्यवस्था रहती है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संविदा में एक बार भर्ती के बाद, हमारे पास उपलब्ध हो जाने पर उनकी संविदा को हम लोग बढ़ाते भी हैं। चूंकि प्रदेश में मैं सभी फोरम में बार-बार बता रहा हूं कि विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रोफेसर की बहुत कमी है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पी.एस.सी. के माध्यम से 234 पदों पर भर्ती हो जाये और उनकी पूर्ति हो सके ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था में संविदा के जरिए भर्ती कर रहे हैं तो रेग्युलर नियुक्ति तो बहुत जल्द होना चाहिए क्योंकि यह पूरे मेडिकल छात्रों के भविष्य का सवाल है । मोदी जी की गारंटी और विकसित भारत बनाना है तो इसके लिए मेडिकल के छात्रों के साथ अनदेखा करना उचित नहीं है । मैं निवेदन करती हूं कि बहुत जल्द रेग्युलर प्रोफेसरों की भर्ती की जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, पी.एस.सी. से जल्दी भर्ती कराईए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भर्ती के लिए पी.एस.सी. को भेज दिया है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

आयुर्वेदिक दवाओं में ऐलोपैथिक दवाओं की मिलावट

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. (*क्र. 2154) श्री धरमलाल कौशिक : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक आयुर्वेदिक दवाओं में ऐलोपैथिक दवाओं के मिलावट के कुल कितने प्रकरण एफडीए द्वारा दर्ज किये गए हैं? आयुर्वेदिक दवाओं में कितनी मात्रा में ऐलोपैथिक दवा की मिलावट की गई थी एवं ऐलोपैथिक दवा के क्या घटक पाये गए थे व कितनी प्रतिशत मात्रा में ऐलोपैथिक दवाओं की मिलावट की गई थी? इन प्रकरणों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार जानकारी देवें। **(ख)** ड्रग्स कास्मेटिक एक्ट अंतर्गत दवाओं की जांच में कितनी समयसीमा निर्धारित है? कंडिका "क" अवधि अंतर्गत प्रदेश में एफडीए द्वारा कितनी दवाओं के सैम्पल,कहां-कहां से लिये गये एवं इन सैम्पलों की जांच कहां भेजकर कराई गई एवं जांच रिपोर्ट कब व

क्या प्राप्त हुई? **(ग)** कंडिका "क" अवधि में चलित फ्रूड लैब के कितने सैम्पल लिये गए व जांच उपरांत इन सैम्पलों में गुणवत्ता रहित पाये गये सैम्पलों पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) प्रदेश में जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक आयुर्वेदिक दवाओं में ऐलोपैथिक दवाओं के मिलावट के कुल 11 प्रकरण एफडीए द्वारा दर्ज किए गए है। आयुर्वेदिक दवाओं में मिश्रित ऐलोपैथिक दवाओं के घटक, प्रतिशत एवं की गयी कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार**है। **(ख)** ड्रग्स कास्मेटिक एक्ट 1940 अंतर्गत दवाओं के औषधि प्रयोगशाला द्वारा जांच हेतु 60 दिवस की समयावधि निर्धारित है। प्रदेश में जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक एफडीए द्वारा 1595 औषधि नमूनों का जांच हेतु संग्रहण किया गया। जांच हेतु भेजे गये लैब, जांच परिणाम एवं जांच रिपोर्ट प्राप्ति दिनांक की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार**है। **(ग)** जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक चलित फुड लैब से कुल 29743 सर्विलेंस सैम्पल लिये गए। इन सैम्पलों में से कुल 3353 सैम्पल गुणवत्ता रहित/अमानक पाये गये। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र 'स' अनुसार**है। चलित प्रयोगशाला द्वारा संकलित नमूना गुणवत्ता रहित पाये जाने की स्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ को मौके पर ही विनष्टीकरण की कार्यवाही के साथ-साथ मिथ्याछाप खाद्य पदार्थो को विक्रय न करने के निर्देश तथा नियमानुसार लेबलिंग व पैकेजिंग की जानकारी खाद्य करोबारकर्ता को दी गयी।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अमानक दवाई का मामला है। आयुर्वेदिक दवाईयों में एलोपैथिक दवाई मिलाई गई है। 11 आयुर्वेदिक दवाईयों में एलोपैथिक दवाईयों की मिलावट की जानकारी दी गई है। प्रपत्र 'अ' के कालम में 10 दवाईयों के जांच प्रतिवेदन में एलोपैथिक दवाईयों का प्रतिशत नहीं दिया गया है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक दवाईयों में एलोपैथिक दवाई तो मिलाई गई है। आपके द्वारा जांच के लिए भेजा गया है। जांच हेतु भेजने के बाद प्रतिवेदन में मिलावट का प्रतिशत दिया जाना चाहिए था कि कितना प्रतिशत एलोपैथिक दवाई मिला है, वह नहीं दिया गया है। आप उसका कारण बतायेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दवाईयों की जांच की प्रक्रिया है। हमारे पास चलित वाहन में लैब रहता है। हमको कहीं पर ऐसा लगता है कि यहां मिलावट की आशंका है तो तत्काल वहीं पर जांच करते हैं। मिलावट के प्रतिशत के लिए समय की भी आवश्यकता होती है और उस हिसाब से तत्काल जांच नहीं होता है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, यह चलित लैब का मामला नहीं है। यह आपके छत्तीसगढ़ के लैब का मामला है और जो कलकत्ता भेजे हैं, वह लैब का मामला है। मैं चलित लैब का मामला नहीं पूछ रहा हूं। आपने ही लिखा है कि 11 आयुर्वेदिक दवाईयों में मिलावट पाई गई है। कितने प्रतिशत, मात्रा मिलावट की की गई है, यह आप बतायें कि उसमें क्यों प्रतिशत नहीं लिखा गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां मानव संसाधन बहुत कम हैं। हमारे यहां मानव संसाधन बहुत कम है। लगभग 5 प्रतिशत ही हमारे पास जांच करने वाले प्रयोगशाला में उसके विशेषज्ञ हैं। हम उसकी भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं। इसलिए हम जांच करने हेतु बाहर भेजते हैं। अभी तक बाहर से रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आयेगी, हम मिलावट का प्रतिशत बता देंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच तो हुई है। इसमें कम है या ज्यादा है, उससे मतलब नहीं है। लैब में जांच हुई है। जांच के बाद उसमें कितना प्रतिशत एलोपैथिक दवा मिला है तो प्रतिशत क्यों नहीं लिखा है, मैं तो यही कहना चाहता हूं। तो आप बतायें कि प्रतिशत क्यों नहीं लिखा गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जांच हमारे लैब में हुआ है। हमारे पास केवल यह पता करने का उपकरण है कि आयुर्वेदिक में एलोपैथिक मिला है या नहीं मिला है। उस पर कार्यवाही के लिए तत्काल रिपोर्ट चाहिए होता है, तो यह डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें मिलावट है। हम उस आधार पर कार्यवाही करके सेम्पल को सील करते हैं और उसके विस्तृत घटक का प्रतिशत जानने के लिए बाहर लैब में भेजते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कोई कार्यवाही की है तो उसके बारे में जानकारी दे दीजिये, जो माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- कार्यवाही की है तो उसकी जानकारी दें। क्योंकि यह गंभीर मामला है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसमें आधे घण्टे की चर्चा करवा दीजिये। जवाब नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, जवाब आ रहा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- जवाब नहीं आ रहा है न।

अध्यक्ष महोदय :- आप अनुमान कैसे लगा लेंगे ?

श्री धरम लाल कौशिक :- इसमें आधे घण्टे की चर्चा करवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी खड़े हैं, जवाब सुनिये। मैं उसके बाद किसी विषय पर पहुंचूंगा। पहले जवाब तो सुन लें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा जवाब है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है कि कितना प्रतिशत मिला है। मिलावट है और मिलावट की जांच आ रही है। तो कितना प्रतिशत मिला है या नहीं मिला है, उसका क्या औचित्य है ?

अध्यक्ष महोदय :- कार्यवाही, कार्यवाही।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी कार्यवाही के बारे में बता देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- उनका मूल विषय कार्यवाही का है, मिलावट का प्रतिशत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर तो आने दीजिये। उसके बाद हम लोग मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी को देखेंगे। अभी तो मंत्री जी मौजूद हैं, उनका उत्तर आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- अभी मंत्री जी जवाब देने में सक्षम हैं। वह जवाब दे रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। यदि आप कहे तो एक एक प्रकरण का बता देता हूं या रेण्डम बताऊं, 13-14 प्रकरण हैं ?

श्री धरम लाल कौशिक :- चलिये, एक-एक प्रकरण का बताईये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इसमें कार्यवाही कर रहे हैं। हम लोग अपने विभागीय कार्यवाही मे राजनांदगांव का एक प्रकरण है, जिसमें विवेचनाधीन है, विवेचना चल रही है। दूसरा एक और प्रकरण है, उसमें भी चल रहा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आप एक बात बता दीजिये, आप विवेचना की बात कर रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 11नंबर को देखिये, हमने कोर्ट भेजा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यदि इसमें मिलावट पाया जाता है तो इसमें सजा का क्या प्रावधान है ? मामले को कितने दिन के अंदर कोर्ट में भेजना चाहिए ? आपने 60 दिन का लिखा है। आपके जितने प्रकरण विवेचनाधीन हैं, तो विवेचना में कितने दिन हो गया है और शासन से क्या देरी के लिये अनुमति ली गई है, यदि अनुमति ली गई है तो बता दें कि कब अनुमति ली गई है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग 12 केसों की अपने स्तर पर विवेचना कर रहे हैं, इसकी समयसीमा होती है । इस प्रकरण में सजा 1 से 3 साल के मध्य होती है । ऐसे प्रकरणों की समयावधि 3 वर्ष होती है, प्रकरण जिसमें 3 साल से अधिक सजा का प्रावधान होता है, उसमें दायर करने की समयसीमा नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह दवाओं और औषधि का मामला है, इसे कोर्ट में पेश भी करना रहता है, इसलिये पूरी तरह से विभाग को विश्वास हो जाता है कि इसमें हर तरह की मिलावट है, तब उस प्रकरण को ....।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आप विश्वास ही करते रहिये । मैं आपको स्पेसिफिक पूछ देता हूँ, जांच प्रतिवेदन से असहमत होने पर फर्म के आवेदन अनुरूप पुन: जांच हेतु केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला प्रेषित किया गया, जिसका रिपोर्ट घटक डायक्लोफेनिक सोडियम 35.91 एम.जी. पाया गया । प्रकरण विवेचनाधीन है। यह तो प्रूफ हो गया है ना कि इसमें 35 पाया गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बताया है कि हम एक बार जांच करके डिटेक्ट कर दें कि इसमें मिलावट है या नहीं है... ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लैब में आया है । मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक ही बता रहा हूँ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसमें जवाब स्पेसिफिक दीजिए ?

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमने पहले डिटेक्ट कर लिये, फिर आपने जैसा बताया कि केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता भेजते हैं । मैंने पहले ही बताया है कि इसके बाद भेजते हैं, उसमें 35.91 एम.जी. डायक्लोफेनिक सोडियम घटक आ गया है । उस प्रकरण को फाईल बनाने में जैसा कि मैंने कहा है कि 3 साल से ऊपर में समयसीमा नहीं है । एक से तीन साल की सजा में 3 साल है। कोर्ट में प्रकरण भेजने के लिये तैयार कर रहे हैं । वर्ष 2022 तक सभी अमानक वाले प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हो चुके हैं, वर्ष 2023 के विवेचनाधीन जो है, उसे जल्द ही हम कोर्ट में पेश करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वर्ष 2022-2023 का बता दिया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, एक प्रकरण को कोर्ट में भेजे हैं । 11 प्रकरण अमानक पाया गया है ना ?

अध्यक्ष महोदय :- वर्ष 2022 का भेज दिये हैं, वर्ष 2023 का ....।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक प्रकरण कोर्ट में भेजा गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने मंत्री जी का जवाब नहीं सुना है । वर्ष 2022 का भेज चुके हैं, वर्ष 2023 का भेजेंगे । आप उसके आगे प्रश्न करिये ?

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- वर्ष 2022 तक सभी प्रकरण भेज दिये हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं अवधि पूछा हूँ । कोर्ट में उसे भेजने की अवधि क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ ?

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- जल्द से जल्द भेज देंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जल्द से जल्द नहीं भई, आपके नियम में, एक्ट में क्या लिखा हुआ है ? कितने दिनों के बाद उसको भेजना है ?

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्ट के अनुसार 1 से 3 साल में हमको भेजना है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, कितने दिनों के अंदर इसे भेजना चाहिये ?

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- 1 से 3 साल के अंदर ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- कोर्ट में ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 3 साल का नहीं है, वह कम का है । आप उसको एक बार दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप और प्रश्न हो तो पूछिये, नहीं तो अजय जी पूछेंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- हम उसको जल्द से जल्द भेज देंगे । 3 महीने के अंदर भेज देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया । अजय जी, पूछ लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कितनी दवाई खरीदते हैं, उसमें कितने प्रतिशत की सेंपलिंग करना अनिवार्य है या कितने प्रतिशत का सेंपलिंग लेने का नियम है और आपने कितना प्रतिशत सेंपलिंग लिया है ?

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मामला दवाई खरीदी से संबंधित है, यह इसमें उद्भूत नहीं होता है । खाद्य औषधि के मिलावट से संबंधित प्रश्न है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप जो दवाई खरीदे हैं, उसमें सेंपलिंग के नियम हैं । प्रश्नाधीन अवधि में जितने का दवाई खरीदे हें, आपने उसमें कितने प्रतिशत की सेंपलिंग करने का नियम है । यदि नहीं है तो नहीं है बोल दीजिए, उद्भूत तो हो रहा है ? आप सेंपलिंग करते हैं या तो फिर दवाई की जांच नहीं करते हैं, ऐसा है ।

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दवाई में मिलावट संबंधी प्रश्न है, यह आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक दवाई के मिलावट का मामला है और माननीय सदस्य दवाई खरीदी की बात कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसी को पूछ रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ । आप आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं, मानलो 10 खरीदते हैं, कितने प्रतिशत की आप चेकिंग करते हैं, यह पूछ रहा हूँ । कितने प्रतिशत चेकिंग करने का कोई नियम है कि नियम नहीं है कि शिकायत मिलने पर रेंडमली करते हैं, उसका नियम क्या है, मैं यह पूछ रहा हूँ ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम जितनी भी दवाईयां सरकारी अस्पतालों के लिये खरीदते हैं, उसमें शत-प्रतिशत बैचों का हम सेंपलिंग करते हैं और यह आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक दवाई की मिलावट का प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं ना ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- शत-प्रतिशत हर बैच का ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें कितने प्रतिशत की सेंपलिंग करते हैं, जांच करते हैं, यह पूछ रहा हूँ ? उद्भूत होने का सवाल ही नहीं है, एलोपैथी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- पूरा 100 प्रतिशत ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 2 प्रतिशत की करते हैं ।

श्री श्याम बिहारी जायवाल :- 100 परशेंट पूरे बैच का ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- 100 परशेंट की करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2021-2022

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2021-2022 पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कवर्धा जिला के पंडरिया विधान सभा के कुकदूर ब्लॉक में आग लगने से बैगा जनजाति के तीन लोगों की मौत हो जाती है, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है। पूरा प्रशासन इस मामले में लगा था कि झोपड़ी में आग लगने की कार्रवाई करके इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाये। इस मामले में यह भी बताया गया कि गैस सिलेण्डर फटने की वजह से यह आग लगी, ऐसी तमाम बातें हुई। लेकिन अब जाकर पुलिस प्रशासन यह मान रही है कि जिसको पहले मौत बताया जा रहा था, वह हत्या है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है और खासकर जनजाति में बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं, दूसरा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, जिनके पास गृह विभाग है और उनके जिले में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। इस मामले में हमारे पास बहुत सारे तथ्य है। आप इसे ग्राह्य करके चर्चा करायें ताकि हम अन्य तथ्यों को भी सामने रख सके। क्योंकि यह राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का मामला है। इसलिये आपसे आग्रह है कि आप इसे स्वीकार करके इसमें चर्चा करायें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कवर्धा के पंडरिया विधान सभा क्षेत्र का जो मामला आया है। जिन बैगा जनजाति के लोगों की हत्या हुई थी, वे आदिवासी हैं और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी माने जाते हैं। आज से लगभग महीना, डेढ़ महीना पहले वहां पर घटना होती है और पुलिस जांच में उसे दुर्घटना का रूप देकर उसमें तुरंत मुआवजा के रूप में 4-4 लाख रूपये दिया जाता है। उसके बाद जब लगातार वहां के स्थानीय जनजाति के और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस मामले में दबाव डाला गया फिर उसमें यह कहना कि यह हत्या है, तो फिर इस मामले को दूसरी तरफ मोड़ देना। हमारा कहना है कि लगातार उस मामले को जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया गया है। यह किसके संरक्षण में हुआ और क्यों हुआ ? इसमें बैगा जनजाति को न्याय नहीं मिलना बहुत ही गंभीर मामला है। अध्यक्ष महोदय, इस पर आपसे आग्रह है कि इसे ग्राहय करके इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नागाडबरा हत्याकांड का यह मामला बेहद जघन्य है। इसमें 12 वर्षीय बैगा जनजाति का बच्चा और उसके माता-पिता की जघन्य हत्या की गयी। वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे विषय को दबाने की, ढकने की कोशिक की गयी। वहां पर विभिन्न कारणों से उन लोगों की मौत हुई। यह कहा जाता है कि जमीन हड़पने के उद्देश्य से उन लोगों की मौत की गई और उसके बाद उस पूरे प्रकरण को ढका भी गया और साथ ही साथ नियम विरूद्ध 4-4 लाख रूपये के चेक देकर इस पूरे प्रकरण को शांत करने की कोशिश की गयी। अब एक महीने बाद जब नागाडबरा गांव के लोग अपनी बातें रख रहे हैं और जिला प्रशासन के पास जा रहे हैं तो जो शर्ट में खून के दाग मिले हैं, उससे यह समझ में आया कि उनकी आगजनी से मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वह हत्याकांड है। इस पूरे विषय को दबाने की कोशिश की गयी। जिसको लेकर पूरे आदिवासी समाज में और सर्व छत्तीसगढ़ के हर एक वर्ग में डर का और भय का माहौल है। इस तरीके से प्रशासन हत्या के मामले को ढकने का काम कर रही है तो इसमें न्याय कहां मिलेगा। इसलिये इसमें विस्तृत रूप से जानकारी लेने की आवश्यकता है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया जाये।

श्रीमती अनिला भेंड़िया (डौंडी लोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बैगा जनजाति ऐसी जनजाति है जो माननीय राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र के रूप में माने जाते हैं और इसके लिए प्रदेश में अलग-अलग तरीके का फण्ड रहता है जिससे इनको सहयोग किया जाता है, परन्तु आज शासन और प्रशासन के द्वारा अलग-अलग एंगल से देखा जा रहा है। कहीं पर कोई मर्डर कह रहा है, कहीं इनको झोपड़ी में जलाकर मार दिया गया है। मतलब इसमें शासन की उदासीनता देखने को मिल रही है और उस क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जहां के हमारे माननीय गृहमंत्री हैं। माननीय गृहमंत्री जी के क्षेत्र में इस तरह के जघन्य अपराध किये जा रहे हैं। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें आप विधान सभा की कार्यवाही रोककर, चर्चा कराने की कृपा करें।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई में यह आदिवासियों, 3-3 लोगों की मौत का मामला है। यहां पर पुलिस और प्रशासन द्वारा मृतकों के शव के सभी अंगों को दिखाए बगैर पंचनामा बनाया गया। उन्हें जानकारी दिए बगैर ही घटनास्थल के बगल वाले खेत में पोस्टमार्टम किया गया है। उनके परिजनों को जानकारी दिए बगैर आनन-फानन में खेत में ही पोस्टमार्टम करना संदेह के दायरे में है और यह भी आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस और प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर, बैगा परिवार के रीति-नीति के विरूद्ध जबरन दाह संस्कार किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाह रही हूँ कि इसमें जरूर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पण्डरिया विधान सभा क्षेत्र के बैगा आदिवासी जनजाति समाज की जो आगजनी के माध्यम से मृत्यु बतायी गई है, वह गलत है। क्योंकि उनकी शर्ट में जो निशान हैं वहां जो खून के छिटें पड़े हैं इन सब से यह पता चलता है कि उनकी हत्या की गई है और पण्डरिया, कवर्धा जिले में आदिवासी समाज बाहुल्य है। इससे वहां आदिवासी समाज में बहुत आक्रोश है कि वहां इस तरह से जघन्य हत्याएं होती जा रही हैं। यह हमारे आदिवासी समाज और वे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं यह बहुत ही सोचने वाला विषय है। यह गंभीर विषय है। इस पर जांच करायी जाए। मैं आपसे यह मांग करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बाकी लोगों को बोलने दीजिए। आप लोग हमेशा बोलते हैं।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी (मोहला-मानपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नागडबरा में जो अग्निकाण्ड के नाम से हीरमति बुधराम बैगा, हीरमति बैगा और उनके बेटे जोन्हूराम बैगा, इन चारों की मौत को यहां पर जलने से मौत बताया गया है जबकि अभी इसमें 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। इसमें विशेष चर्चा की जाए और दोषियों को दण्ड दिया जाये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा परिवार को इस तरह मारने के बाद, 4-4 लाख रूपये देकर, उस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। [6][XX] तो यह मामला बहुत ही गंभीर है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्वाईंट में ऑब्जेक्शन है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सदस्या इस तरीके से ...। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समाचार पत्रों में आया है।

---

[6] [6][XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्वाईंट में ऑब्जेक्शन है। आपके पास ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- आप सीधे-सीधे आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान) आपको सीधे-सीधे आरोप लगाने का हक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी पर आरोप लगाने की एक प्रक्रिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- आप सीधे-सीधे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाने की प्रक्रिया है। किसी के ऊपर आरोप लगाने की नियम प्रक्रिया है। नहीं तो माननीय सदस्या को माफी मांगनी चाहिए।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.11 से 12.30 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12.30 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

पृच्छा

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संगीन मामला है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर हत्या का मामला है जिसे पुलिस प्रशासन लगातार दबाती रही है। इसमें हमने स्थगन दिया है। इसे ग्राहय कर चर्चा करायें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्या श्रीमती भावना बोहरा, विधायक पंडरिया के खिलाफ बिना सूचना के, बिना प्रक्रिया का पालन किये व्यक्तिगत आरोप लगाये गये हैं, उसकी हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। (व्यवधान) नियम प्रक्रिया के तहत आरोप लगाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन लाया है, इसे ग्राहय करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- माननीय सदस्य पर असत्य आरोप लगाया गया है। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है, उस पर चर्चा कराई जाये। किसी को किसी माननीय सदस्य के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। किसी के ऊपर आरोप लगाना है तेा नियम प्रक्रिया के तहत आरोप लगायें। (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। मैं सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि सभा में कभी भी व्यक्तिगत आरोप या आक्षेपात्मक कथन के पूर्व आरोप की विधिवत प्रक्रिया है, उसका पालन करें। आक्षेप लगाने के लिए निश्चित रूप से यदि उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो मैं माननीय सदस्या श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल द्वारा प्रयुक्त इस कथन को विलोपित करता हूं। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल अपने कथन पर खेद व्यक्त करें, मैं यह उनके विचार पर छोड़ता हूं।

मेरे पास जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष अपने विवेक पर छोड़ दिया, वह तो ठीक है। हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। यह नई विधान सभा में पहला मामला है। 50 नये विधायक आये हैं। जब तक इसमें चर्चा नहीं होगी, समझ में नहीं आयेगा। व्यक्तिगत आरोप लगाते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं। यह किसे उंगली दिखा रहे हैं ? .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। आगे बढ़िये। .. (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें चर्चा होनी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी ने अपना विषय रखा। अभी-अभी मेरे पास सूचना प्राप्त हुई है कि माननीय अजय चन्द्राकर जी ने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। मैं इसमें व्यवस्था बाद में दूंगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन सदस्यों का सदन है। इस सदन में हम एक दूसरे सदस्य के खिलाफ आरोप लगाने से लगातार बचते हैं। माननीय जिन सदस्य के खिलाफ आरोप लगाया गया है, वह भी नई सदस्य हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है, वह भी नई सदस्य हैं। इस सदन में आपने व्यवस्था दी है। परंतु व्यवस्था के बाद मुझे लगता है कि अगर इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त करना है तो माननीय सदस्या खड़े होकर खेद वयक्त कर दें। क्योंकि यह सदन की उच्च

परंपरायें रहीं हैं । हम लोगों से बहुत बार मंत्री के रूप में भी मन से अगर कोई गलत शब्द निकाल है तो हमने उसके लिए खेद व्यक्त किया है। इसलिए माननीय नये सदस्यों के सीखने के लिए है कि हम किसी भी सदस्यों के खिलाफ में व्यक्गित आरोप न लगाये तो यह ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा।

अध्यक्ष महोदय :- यह अनुरोध किया जा रहा है। आप इसको सुनिये और इसमें प्रतिक्रिया देना है तो नेता प्रतिपक्ष जी प्रतिक्रिया दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए क्योंकि हम यह भी नहीं चाहते हैं कि विशेषाधिकार में कार्रवाई हो। अगर माननीय सदस्य खड़े होकर अपना खेद व्यक्त कर देती हैं तो मुझे लगता है कि यह प्रकरण यही पर समाप्त हो जाएगा और नये सदस्यों को सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए आपने व्यवस्था दी है तो उस व्यवस्था के आधार पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी बैठे हुए हैं। उनको भी इस पर पहल करना चाहिए कि सदन का वातावरण सदस्यों के बीच में सद्भावनापूर्वक बना रहे और हम एक-दूसरे के विरूद्ध में यह आरोप ना लगाये तो यह औचित्यपूर्ण होगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से व्यवस्था आ गई है और हर्षिता स्वामी बघेल जी की जो कथन है, उसको आपने विलोपित कर दिया है। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के बाद अब सदन को आगे बढ़ाना चाहिए और हमने जो स्थगन दिया है और आप आगे भी बढ़ गये हैं, आप उसको पढ़ भी हरे थे तो मैं समझता हूं कि यह आगे बढ़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। अजय जी, आपको कुछ बोलना है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी ने कहा कि नये सदस्य हैं, इसलिए मैं बहुत जोर नहीं चाहूंगा, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि उन्होंने आरोप लगाया है। हर्षिता जी का खुद का सम्मान बढ़ेगा। यदि वह सदन के समक्ष खेद नहीं करती हैं तो उनको अपने कथन को वापिस ले लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- उसको मैंने उनके विवेक पर छोड़ दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने उनके विवेक पर छोड़ा है, इसीलिए मैंने उनसे कहा।

अध्यक्ष महोदय :- बस। उतना ही काफी है। दोनों माननीय सदस्य पहली बार जीतकर आयी हैं। दोनों सदस्यों के लिए स्पष्ट किया गया है कि यदि वह बोलना चाहते हैं तो बोलें।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, हर्षिता जी को बोलने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये-बोलिये। मैं आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको व्यक्तिगत आरोप लगाने के कारण नहीं कहा है। वहां बैगा जनजाति के एक ही परिवार के तीन-तीन लोगों की संदिग्ध मृत्यु हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- बस। छोटी बात कर लीजिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जब वहां पर हमारी टीम पहुंची, उसके बाद हमको पता चला कि वहां कि विधायक के द्वारा चार-चार लाख रूपये का चेक दिया गया है तो किस आधार पर वह चेक दिया गया था?

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा विषय रखने का अवसर दिया जाए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- इसी कारण मैंने इस बात को उठाया है।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, अगर चर्चा हो रही है तो मुझे मेरा विषय रखने का अवसर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- आप दो मिनट बोल लीजिये, खेद है। एक मिनट। बृजमोहन जी, बैठ जाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय। हर्षिता जी, एक मिनट। मेरी बात सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, उनका वाक्य पूरा हो जाये। हर्षिता जी, आप वाक्य पूरा कर लीजिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जी। अध्यक्ष महोदय, उनको चार-चार लाख रूपये का चेक दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप आखिरी एक लाईन बोलिये न।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- ठीक है। मैं उस वाक्य को वापस लेती हूं, लेकिन वहां की जांच कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट) उन्होंने अपना वाक्य वापसे ले लिया। अब आगे बाद में चर्चा होगी।

समय :
12:38 बजे

स्थगन प्रस्ताव

पंडरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नागडबरा में बैगा जनजाति के एक ही परिवार के तीन लोगों की संदिग्ध मृत्यु होना

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास पंडरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नागडबरा में बैगा जनजाति के एक ही परिवार के तीन लोगों की संदिग्ध मृत्यु होने के संबंध में 30 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	-	श्री भूपेश बघेल
दूसरी सूचना	-	श्री विक्रम मण्डावी
तीसरी सूचना	-	श्री बघेल लखेश्वर
चौथी सूचना	-	श्री कुंवर सिंह निषाद

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पांचवीं सूचना	-	श्री भोलाराम साहू
छठवीं सूचना	-	श्री इन्द्र साव
सातवीं सूचना	-	श्री द्वारिकाधीश यादव
आठवीं सूचना	-	श्री रामकुमार यादव
नवमीं सूचना	-	श्री लालजीत सिंह राठिया
दसवीं सूचना	-	श्रीमती अनिला भेंडिया
ग्यारहवीं सूचना	-	श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
बारहवीं सूचना	-	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
तेरहवीं सूचना	-	श्री अटल श्रीवास्तव
चौदहवीं सूचना	-	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
पंद्रहवीं सूचना	-	श्री दिलीप लहरिया
सोलहवीं सूचना	-	श्रीमती संगीता सिन्हा
सत्रहवीं सूचना	-	श्री जनक ध्रुव
अट्ठारहवीं सूचना	-	श्री ओंकार साहू
उन्निसहवीं सूचना	-	श्री ब्यास कश्यप
बीसवीं सूचना	-	श्री इन्द्रशाह मंडावी
इक्कीसवीं सूचना	-	श्री बालेश्वर साहू
बाईसवीं सूचना	-	श्रीमती उत्तरी जांगड़े
तेईसवीं सूचना	-	श्री फूलसिंह राठिया
चौबीसवीं सूचना	-	श्रीमती चातुरी नंद
पच्चीसवीं सूचना	-	श्री संदीप साहू
छब्बीसवीं सूचना	-	श्रीमती शेषराज हरवंश
सत्ताईसवीं सूचना	-	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
अट्ठाईसवीं सूचना	-	श्रीमती अंबिका मरकाम
उनतीसवीं सूचना	-	श्रीमती कविता प्राण लहरे
तीसवीं सूचना	-	नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत)

चूंकि श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अतः उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :-

दिनांक 14/01/2024 को कवर्धा जिले के अंतर्गत पंडरिया विधानसभा के कुकदुर थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम नागडबरा में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा जनजाति के एक ही पविार के तीन लोगों की संदिग्ध

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि घटना के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा साक्ष्यों को छुपाकर हत्या को आगजनी से मृत्यु के रूप में बदलने का प्रयास किया जा रहा है । घटना स्थल पर परिजनों ने खून का छींटा लकड़ी के खंभे में, दीवाल पर और जमीन में भी देखा और पास ही एक कुल्हाड़ी का बैठ जिसमें खून के धब्बे लगे थे । दिनांक 15/01/2024 को थाना कुकदुर में मर्ग क्रमांक 3, 4, 5/2024 पंजीबद्ध कर आनन-फानन में बिना परिजनों के सहयोग एवं जानकारी दिए बिना घटना स्थल के बगल खेत में पोस्टमार्टम करवाया गया । परिजनों का यह भी आरोप है कि मृतकों के शव के सभी अंगों को दिखाए बगैर पंचनामा बनाया गया तथा बैगा परिवार की तय रीति नीति के विरूद्ध पुलिस द्वारा जबरिया दाह संस्कार कराया गया । इस बात की प्रबल संभावना है कि उच्च राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की बिना समुचित विवेचना किए आनन-फानन में कार्यवाही कर मामले में पर्दा डालने का प्रयास किया गया है तथा आगजनी से मृत्यु का कारण बताते हुए आर.बी.सी. 6-4 के तहत् चार-चार लाख रूपये के अनुसार बारह लाख का चेक परिजनों को दिया गया । हत्या की घटना को अग्नि दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया । परिजनों का आरोप है कि मृतक बैगा परिवार अपने घर के बगल में बने कबेलू की खुली झोपड़ी में जली हुई हालत में 3 शव पड़े थे शव के ऊपर झोपड़ी के ही तीन-तीन फीट की तीन बल्ली जली हुए दिख रही थी । तीन फीट की बल्ली से 3 शव कैसे जले यह संदेह का विषय था । एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदेहास्पद मौत को लेकर बैगा समाज के लोगों ने स्थानीय प्रशासन का घेराव कर कार्यवाही में संदेह व्यक्त करते हुए न्याय की मांग की है । पुलिस प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है अत: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र एवं संरक्षित जनजाति होने के कारण सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाये । मंत्री जी इस पर कोई वक्तव्य देंगे ।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कबीरधाम, थाना कुकदुर के ग्राम माठपुर में 14.01.2024 को बुधराम बैगा अपनी पत्नी हिरमती तथा लड़के जोन्हू राम के साथ गांव में छट्ठी कार्यक्रम में गया था । छट्ठी कार्यक्रम के बाद अपने झोपड़ी वाले घर में सोया था कि दिनांक 15.01.2024 को प्रात: प्रत्यक्षदर्शियों ने तीनों के जल कर मौत हो जाने की सूचना थाना कुकदुर में दी गई थी जिस पर क्रमश: मर्ग क्रमांक 03, 04 एवं 05/2024 कायम कर कार्यवाही पंचनामा/जांच में लिया गया ।

मर्ग जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शी साक्षी लाल सिंग बैगा तथा शांतिबाई का कथन लिया जिन्होंने बताया कि 14.01.2024 की रात सुखसिंग बैगा के घर छट्ठी कार्यक्रम में राजो बाई बैगा तथा मृतक बुधराम बैगा के साथ जमीन कब्जे की बात को लेकर आपस में वाद-विवाद हुआ था । गांव के बजरू बैगा ने भी राजोबाई का सपोर्ट करते हुए कहा था कि बुधराम किसी की बात नहीं मानता, आज उसे मुस्केट देते हैं । शांति बाई शौच के लिये उठी थी, रात्रि लगभग 02.00 बजे बुधराम के घर की ओर से बचाव-

बचाव की आवाज पर अपने पति लाल सिंह के साथ जाकर देखे कि आग जलने की रोशनी में बुधसिंग बैगा, कमलैश बैगा, बजरू बैगा, सुखीराम बैगा, चारू बैगा, बुधलाल बैगा दिखाई दिये, इसके अलावा 7-8 लोग किनारे खड़े थे जिनकी पहचान नहीं हो पाया । चश्मदीद गवाहों एवं घटनास्थल से जप्त बर्तन, टंगिया एवं संदेही संतू बैगा से जप्त शर्ट में एफ.एस.एल. रिपोर्ट में मानव रक्त पाये जाने की रिपोर्ट पर आरोपियों द्वारा मृतकों की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से छपरी में आग लगा देने की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने से अपराध क्रमांक 21/2024 धारा 302, 201, 120 बी, 147, 148, 149, 436 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । संदेही आरोपी बुध सिंग बैगा, कमलेश बैगा, बजरू बैगा, सुखीराम बैगा, चारू बैगा से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि मृतक का राजो बाई बैगा के साथ जमीन का विवाद था। मृतक बुधराम बैगा किसी की बात नहीं मानता था। इसी बात को लेकर बुधराम बैगा, हिरमती बैगा एवं जोन्हु बैगा जो सो रहे थे, के हाथ, बांह पकड़ टंगिया से मारकर हत्या कर छपरी सहित आग लगा दिया जिससे तीनों जल गये। अब तक की विवेचना उपरांत सभी 14 आरोपियों क्रमश: (1) बुध सिंग उम्र 33 वर्ष (2) बजरू बैगा बैगा उम्र 55 वर्ष (3) सुख सिंग उम्र 30 वर्ष (4) सुख राम बैगा उम्र 29 वर्ष (5) अक्कल सिंग उम्र 45 वर्ष (6) चारू बैगा उम्र 25 वर्ष (7) तिहारू बैगा उम्र 35 वर्ष (8) बुधलाल बैगा उम्र 36 वर्ष (9) सूखी राम बैगा उम्र 19 वर्ष (10) मियाजी उम्र 30 वर्ष (11) संतू बैगा 35 वर्ष (12) राजो बाई बैगा उम्र 50 वर्ष (13) बुधवारीन बाई उम्र 42 वर्ष को दिनांक 22/02/2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया एवं (14) आरोपी एक अपचारी बालक की अपराधिक पृष्ठभूमि बाल सम्प्रेक्षण गृह भेजा गया है, विवेचना जारी है।

अध्यक्ष महोदय :- शासन का वक्तव्य और माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट हो गया है कि 37 दिन बाद गिरफ्तारी होती है और इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसमें पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से कार्रवाई की और जिस प्रकार से उसका पोस्टमार्टम खेत में ही किया गया, जिस प्रकार से आनन-फानन में उसे जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, वो परंपरा के विपरीत है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में राजनीतिक संरक्षण भी है। अध्यक्ष महोदय, इसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि आपसे आग्रह है कि इसमें फिर से विचार करें और इसे ग्राह्य करके चर्चा करायें। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं और अभी भी षड्यंत्र चल रहा है। लोगों को गलत ढंग से फंसाने की कोशिश की जा रही है और यह पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण में ये घटनाएं हुई हैं। जिस प्रकार से मंत्री जी ने भी जवाब दिया कि धारा 4(6) के तहत् मुआवजा दिया गया। आप कैसे धारा 4(6) में मुआवजा देंगे? तो ये खुद ही मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट हो गया है कि इस प्रकरण में आपने मुआवजा नहीं दिया, बल्कि धारा 6-4 के तहत् दिया है तो जो प्राकृतिक आपदा में

दिया जाता है, उसके तहत् आपने मुआवजा दिया है। शासन ने खुद स्वीकार किया है। हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, जिसे आप ग्राह्य करें और मैं सत्ता पक्ष से भी चाहूंगा कि मामला बहुत गंभीर है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों का मामला है और साथ ही आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री डिप्टी सी.एम. साहब उसी जिले से आते हैं तो अध्यक्ष महोदय, इसे ग्राह्य करके चर्चा करायें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपके सामने हमने बात रखी कि जो आदिवासी दत्तक पुत्र हैं...।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी व्यवस्था आने के बाद इस पर कोई चर्चा नहीं होगी और इस पर कोई भाषण नहीं होंगे। माननीय, आपने स्थगन प्रस्ताव को पढ़ दिया। माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया। अब इसके बाद इस पर चर्चा हो, यह औचित्यपूर्ण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 व्यक्तियों की मौत होती है, उसके बाद शुरूआती तौर पर उनका यह कहना है कि वहां पर आगजनी से मौत हुई है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, हम ट्रेचरी बैंच से आग्रह कर रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सी.एम. का गृह जिला है और वहां इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें ट्रेजरी बैंच को स्वीकार करके चर्चा कराने में क्या तकलीफ है? आपसे निवेदन है कि आप इस पर चर्चा करायें, क्योंकि यह संवेदनशील मामला है। 37 दिन बाद आदिवासी बैगा जब प्रदर्शन किये, घेराव किये, तब जाकर आप उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और लीपापोती करने की पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। अब उसे और दूसरे ढंग से घुमाने की कोशिश की जा रही है तो अध्यक्ष महोदय, सदन चल रहा है, इसमें चर्चा होनी चाहिए। आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल चर्चा होगी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि किसी न किसी रूप में मैं इसे स्वीकृत करूंगा। इसलिए इसके लिए आपको अवसर मिलेगा। चलिए, आगे बढ़ने दें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। मैंने कहा था कि चर्चा के लिए किसी न किसी रूप में मैं इसे लूंगा। इसमें और क्या बचा है?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हमने स्थगन दिया है और स्थगन इसीलिए दिया है, क्योंकि यह मामला स्थगन के लायक है। आप इसे किसी न किसी स्वरूप में लेंगे तो वह अलग है, लेकिन जो संवेदनशील मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें मंत्री जी का अच्छे से वक्तव्य आ गया।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें 37 दिनों बाद अरेस्टिंग होती है। जिस प्रकार से समाचार पत्रों में आ रहा है, जिस तरह से वहां के लोगों में आक्रोश है । इस बात से स्पष्ट है कि गृहमंत्री जी का जिला और मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं । हमको पूरी आशंका है इस मामले को दबाया जा रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अब आगे बढ़ गए हैं । हो गया, काफी समय हो गया ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये)

सदन को सूचना

सदस्यों हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट, ऐप एवं लैपटॉप प्रशिक्षण

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट, एप और कम्प्यूटर लैपटॉप के परिचालन को समझें, जान सकें, इस दृष्टि से शनिवार 24 फरवरी, 2024 को समिति कक्ष क्रमांक 01 में दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक चिप्स एवं एन.आई.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है । इच्छुक माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर लाभान्वित हों ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी करते हुए सदन के गर्भगृह में प्रवेश किया गया)

समय
12.52 बजे

गर्भगृह में प्रवेश करने पर स्वमेव निलम्बन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत् निम्न सदस्य अपना स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं :-

1. डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल,
3. श्रीमती अनिला भेंडिया,
4. श्री उमेश पटेल,
5. श्री लखेश्वर बघेल,
6. श्री भोलाराम साहू,
7. श्री लालजीत सिंह राठिया,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

8. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े,
9. श्री दिलीप लहरिया,
10. श्री रामकुमार यादव,
11. श्री द्वारिकाधीश यादव,
12. श्रीमती अंबिका मरकाम,
13. श्रीमती संगीता सिन्हा,
14. श्री कुंवर सिंह निषाद,
15. श्री देवेन्द्र यादव,
16. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा,
17. श्री इंद्र शाह मंडावी,
18. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी,
19. श्री विक्रम मंडावी,
20. श्रीमती विद्यावती सिदार,
21. श्री फूल सिंह राठिया,
22. श्री अटल श्रीवास्तव,
23. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,
24. श्री ब्यास कश्यप,
25. श्री शेषराज हरवंश,
26. श्रीमती चातुरी नंद,
27. श्री संदीप साहू,
28. श्री जनक ध्रुव,
29. श्री ओंकार साहू,
30. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं । मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अभी गृह मंत्री जी की जगह पर अजय चंद्राकर जी बैठे हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आपसे आग्रह है, कृपा करके सदन से बाहर जाएं। सभी सदस्यों से आग्रह है, निलंबन के बाद सदन से बाहर जाएं।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये गये)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, हाउस तीन हफ्ते से चल रही है। भूपेश बघेल जी हाउस में आ जाएं और चरणदास महंत जी तो....।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा तख्ती लहराने पर)

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन में तख्ती लहराने की अनुमति नहीं देता। कृपया जो तख्ती लहरा रहे हैं, उसको वापस लें। सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12:58 से 1:14 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
1.14 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, 3 हफ्ते से हाऊस चल रही है। अचानक भूपेश बघेल जी अपना पर्यटन समाप्त करके आये और नेता प्रतिपक्ष जी आते ही हल्ला शुरू कर दिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- एक मिनट, आप बैठिये। सभी निलंबित माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप सभा कक्ष से बाहर जाएं। जिससे सभा की कार्यवाही का संचालन सुचारू रूप से हो सके। आप सभी निलंबित हो चुके हैं। आप कृपा करके बाहर जाइये और आसंदी को सहयोग कीजिए।

समय :
1.14 बजे **<u>माननीय सभापति महोदय की सदन में घोषणा</u>**

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट, ऐप एवं कम्प्यूटर/लैपटॉप परिचालन को समझ एवं जान सकें, इस दृष्टि से कल शनिवार, दिनांक 24 फरवरी, 2024 को समिति कक्ष क्रमांक - 01 में दोपहर 12.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक चिप्स एवं N.I.C. के माध्यम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है।

इच्छुक माननीय सदस्यगण अपनी सुविधानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर लाभान्वित होवें।

श्री संपत अग्रवाल :- सभापति महोदय, कल 12 बजे से अपने-अपने विधान सभा में मोदी जी का संबोधन है, जो एल.ई.डी. स्क्रीन के माध्यम से होगा । हमको वहां जाना पड़ेगा ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए । आसंदी की जो व्यवस्था है, आसंदी से जो निर्देश है, वह मैंने आप सबकी जानकारी के लिए बता दिया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

घोषणा

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा की लॉबी स्थिति सदस्य कक्ष में दिनांक 26 फरवरी, 2024 एस.एम.सी. हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही. रिसर्च सेन्टर, रायपुर द्वारा कार्डियक कैम्प एवं दिनांक 27 फरवरी, 2024 को श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल एवं पॉजिटिव हेल्थ जोन, रायपुर द्वारा नेत्र/आयुर्वेद नाड़ी परीक्षण शिविर आयोजित है ।

कृपया माननीय सदस्य प्रात: 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लेवें ।

सभापति महोदय :- अब मैं ध्यानाकर्षण ले रहा हूं । श्री पुरंदर मिश्रा ।

समय :
1:17 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाना.

श्री पुरंदर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- प्रदेश के स्कूलों में नियमित शिक्षकों के स्थान पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा बच्चों के अध्यापन का कार्य निष्पादन हो रहा है । कई एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ऐसे हैं, जिनके संचालन का जिम्मा अतिथि शिक्षकों पर ही है । अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किये जाने से उनमें रोष एवं आक्रोश व्याप्त है । मैं बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ड्रीम पोजेक्ट है ।

सभापति महोदय :- आप अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ दीजिए । आपने पढ़ दिया न ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- जी ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट ।

समय :
1:18 बजे

निलंबन समाप्ति की घोषणा

सभापति महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत जो माननीय सदस्यगण अपने स्थान का छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं ।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में 31 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है । इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा जावेगा । लिखित वक्त्व्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

मैं पहले क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जावेगी ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बात सही है कि लगभग 1682 अतिथि शिक्षक शिक्षा विभाग में एवं लगभग 630 अतिथि शिक्षक आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कार्यरत् हैं ।

शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राप्तांक अंकों के अतिरिक्त प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर 02 बोनस अंक, अधिकतम 10 बोनस अंक दिए जाते हैं। पूर्व में शिक्षा विभाग में इनकी संख्या 2516 थी। शिक्षकों की भर्ती में प्राथमिकता व बोनस अंक दिए जाने के कारण इनकी संख्या 1682 रह गई है। भविष्य में लगभग 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाने वाली है, इसमें इनका समायोजन हो जाने की संभावना है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा की जाती है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के सम्बन्ध में यह निर्देश दिए गए हैं कि जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, वहां पर उनके विषय के व्याख्याता की पदस्थापना, सीधी भर्ती, पदोन्नति या स्थानान्तरण से नहीं की जायेगी। सरकार के इस निर्णय के कारण किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में दिनांक 22.05.2018 को नियमितीकरण हो गया है। हरियाणा प्रदेश में 26.02.2019 को नियमितीकरण हो गया है। मिजोरम में 15.11.2021 को नियमितीकरण हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक होगा ?

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि हम शीघ्र ही शिक्षक भर्ती कर रहे हैं। हमने आलरेडी एक वर्ष 2 बोनस अंक देने का निर्णय लिया है। अधिक 10 अंक बोनस देने का निर्णय लिया है। इसके कारण पहले इनकी संख्या 2516 थी, अब 1682 बची है। हमें इस बात की उम्मीद है कि आने वाले समय में जो शिक्षकों की भर्ती करेंगे, उन भर्तियों में इनका समायोजन इन बोनस अंकों के कारण, इनकी प्रावीण्यता के कारण हो जायेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस बात की आवश्यकता नहीं है।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों के लिए सरकारी नौकरी में और क्या-क्या प्रावधान रहेगा ? उनकी रिटायरमेंट की उम्र क्या रहेगी ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों, पहले ही शासकीय सेवा में भर्ती की उम्र 5 साल बढ़ा दिया है, हमने 45 साल उम्र कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि जितने अतिथि शिक्षक हैं, उससे कम उम्र के हैं। यह कोई एक साल का है, कोई दो साल का है, कोई पांच साल का है। हम शीघ्र ही एक वर्ष में भर्ती करने वाले हैं। इन भर्तियों में उनका समायोजन अतिरिक्त अंकों के कारण तथा उनकी योग्यता के कारण हो जायेगा, हमको इस बात की उम्मीद है।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री पुन्नू लाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, जिले में जो डी.एम.एफ. से अतिथि शिक्षक रखे हैं, वह भी उतना ही पढ़ाते हैं, लेकिन उनका वेतन कम है। क्या उनको राज्य शिक्षक में लेंगे ? पूरे प्रदेश में मुश्किल से 3 हजार हैं। आप इसके ऊपर विचार करेंगे ? क्योंकि इन शिक्षकों में अतिथि शिक्षक लोग भी हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमने पहले से ही निर्णय लिया हुआ है कि हमारे यहां लंबे समय से जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनके अनुभव का उनको अतिरिक्त अंक दिए जायेंगे। उसके आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर उनकी भर्ती हो जायेगी।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, एक तो अतिथि शिक्षक हैं, हम उनको कैसे लाइनअप करें ? अप्रैल तक उनकी तनख्वाह है फिर उनको मई जून से तनख्वाह नहीं मिलेगी। फिर भरोसा नहीं है कि आप उनको जुलाई महीने में रखेंगे या नहीं रखेंगे ? इसलिए वे असमंजस की स्थिति में हैं। आप उसको देखेंगे।

सभापति महोदय, दूसरा अनुकम्पा नियुक्ति वाले कुछ शिक्षक हैं, उनकी भी अनुकम्पा नियुक्ति का मामला पेण्डिग है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि उसका निराकरण होना चाहिए। आप उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं तो उसमें क्या रहेगा, आप देख लीजिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये रेग्युलर शिक्षक नहीं हैं। इसलिए उनकी जो नियम-शर्तें हैं, उन शर्तों के अनुरूप वह जितने दिन पढ़ाते हैं, उनको रखा जाता है। मुझे अभी तक की जो जानकारी है कि अगर किसी अतिथि शिक्षक ने नियमत: काम किया है, उसका आचरण अच्छा है, वह अच्छा पढ़ाता है तो किसी को भी निकाला नहीं गया है और भविष्य में भी इन अतिथि शिक्षकों को जो लगातार ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, उनका आचरण गड़बड़ नहीं है तो उनको, किसी को निकाला नहीं जायेगा और जो अनुकंपा नियुक्ति का मामला है, अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जल्द ही नीतिगत निर्णय सरकार लेने वाली है, निर्णय के बाद में उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी ।

सभापति महोदय :- जी । पुन्नूलाल मोहलू जी । आखरी प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, यह आखिरी प्रश्न है, अतिथि शिक्षक बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और रेगूलर पढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को निकालेंगे तो नहीं ? मेरा आशय यह था कि क्या उसे राज्य शिक्षक के रूप में शामिल करेंगे ? मेरा आशय यह था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जो अतिथि शिक्षक हैं, उनको स्कूल के सतर पर, संकुल के स्तर पर, जिले के स्तर पर रखा जाता है, उनकी भर्ती किसी राज्य स्तर के परीक्षा को पास करके नहीं की गई है, इसलिये स्कूल और संकूल स्तर पर और जिला स्तर के शिक्षक हैं, जब तक वह रेगूलर शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक राज्य शिक्षक मानना उचित नहीं है ।

सभापति महोदय :- श्रीमती अंबिका मरकाम । (अनुपस्थित)

(माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 02 प्रस्तुत नहीं हुई)

सभापति महोदय :- कार्यसूची के पद क के उप पद (3) से (31) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उश्न पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे । सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा :-

3. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, श्री धर्मजीत सिंह, श्री धरमलाल कौशिक
4. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, श्री अनुज शर्मा, श्रीमती भावना बोहरा
5. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, श्री मोतीलाल साहू
6. श्री बघेल लखेश्वर
7. श्री राजेश मूणत
8. श्री इन्द्र साव
9. श्री इन्द्र कुमार साहू
10. श्री इन्द्र कुमार साहू
11. श्री ईश्वर साहू

12. श्री कुंवर सिंह निषाद
13. श्री पुरन्दर मिश्रा
14. श्री पुरन्दर मिश्रा
15. श्री बघेल लखेश्वर
17. श्री पुन्नूलाल मोहले
18. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
19. श्री सुशांत शुक्ला
20. श्री द्वारिकाधीश यादव
21. श्री भईयालाल राजवाड़े
22. श्री ईश्वर साहू
23. श्री ईश्वर साहू
24. श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
25. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती चातुरी नंद
26. श्री आशाराम नेताम
27. श्री आशाराम नेताम
28. डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री ब्यास कश्यप
29. श्री राजेश मूणत
30. श्री राजेश मूणत
31. श्री राजेश मूणत

समय
1.26 बजे **<u>नियम 267- क के अधीन शून्यकाल सूचनाएं</u>**

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री दिलीप लहरिया
2. श्री बघेल लखेश्वर
3. श्री देवेन्द्र सिंह यादव

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

1.26 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

सभापति महोदय:- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेगी :

(1) श्री मोतीलाल साहू

(2) श्रीमती संगीता सिन्हा

सभापति महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ।

समय

1.27 बजे **प्रस्ताव**

छत्तीसगढ़ राज्य, जहां प्रभु श्री राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ प्रभु राम के वनवास काल में वनगमन मार्ग रहा है, प्रभु श्री राम इस प्रदेश के तीन करोड़ जनता के आराध्य हैं । छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक नागरिक की ओर से यह सदन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में लगभग 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित निर्मित भव्य राममंदिर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा किये जाने पर यह सदन कृतज्ञ है ।

धर्मस्य एवं संस्कृति मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य, जहां प्रभु श्री राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ प्रभु राम के वनवास काल में वनगमन मार्ग रहा है, प्रभु श्री राम इस प्रदेश के तीन करोड़ जनता के आराध्य हैं । छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक नागरिक की ओर से यह सदन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में लगभग 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित निर्मित भव्य राममंदिर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा किये जाने पर यह सदन कृतज्ञ है ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- माननीय सभापति महोदय, दिनांक 22 जून, 2024 को इस देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल जुड़ा। जिसको रामलला या बालक राम कहा गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, क्या विपक्ष अयोध्या में बने प्रभु राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके विरोध में है ? क्योंकि पूरा विपक्ष गायब है। वह प्रभु राम को मानते हैं या नहीं ? वह प्रभु राम को छत्तीसगढ़ का भांजा मानते हैं या नहीं ? वह छत्तीसगढ़ को मां कौशल्या की जन्मभूमि मानते हैं या नहीं ? उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिस राम वन गमन के लिये अरबों

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

रूपये खर्च कर दिया, उसे वह मानते हैं या नहीं ? अगर वह मानते हैं तो उनको इस सदन में आकर इस कार्यवाही में और प्रधानमंत्री जी को और केंद्र की सरकार को धन्यवाद देने के लिये उपस्थित रहना चाहिए। नहीं तो छत्तीसगढ़ की 03 करोड़ जनता में और पूरे देश की जनता में यह संदेश जायेगा कि जो कांग्रेस के, प्रतिपक्ष के लोग हैं, वह राम विरोधी है या रामद्रोही है। इसलिये मेरा आग्रह है कि माननीय विपक्ष के सदस्यों को प्रभु राम का अपमान करने के आरोप या उस दंश को झेलने की बजाय इस सदन में उपस्थित होकर इस चर्चा में भाग लेना चाहिए, मेरा इस बात का प्रतिपक्ष से आग्रह है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी उनके पास आग्रह पहुंचे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी जो बृजमोहन जी ने कहा, वह तो सर्वविदित है कि कौन विरोधी है और कौन समर्थक है। लेकिन उनका आग्रह ठीक है। कांग्रेस वालों को तो अपना गोत्र बदलकर स्थायी तौर पर दत्तात्रेय गोत्र कर लेना चाहिए और वे जनेव को समय विशेष में कान में दिखाने के लिये लपेटते हैं या परंपरा का पालन करने के लिये लपेटते हैं, लेकिन कांग्रेसियों को स्थाई तौर पर जनेव को लपेट लेना चाहिए और बताना चाहिए कि हम दत्तात्रेय गोत्र के हैं। कई पीढ़ी इधर से उधर हो गयी लेकिन गोत्र अभी तक बकाया है। अब क्या करेंगे, चलता है।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह ऐतिहासिक पल आया है। इस देश में दिल्ली में अंतिम हिंदू राजा के पतन के बाद या यह कह ले कि पृथ्वीराज चौहान के पतन के बाद और उससे पहले भी हमको 7वीं शताब्दी से इतिहास मिलता है। पहले मोहम्मद बिन कासिम का, फिर बीच में कुछ अलग शासन रहा, लेकिन तुर्क आये, मंगोल आये, मुगल आये, उनका एक ही काम था कि दुनिया के सबसे समृद्ध देश में, ऐसा माना जाता है कि जिसका उस समय पूरी दुनिया में जी.डी.पी. में 40 प्रतिशत से ऊपर का योगदान था। हमारे पूरे प्रतीकों को, हमारे आस्था के, विश्वास के, संस्कृति के केंद्र को, किसी ने नालंदा को जला दिया, किसी ने तक्षशिला को नष्ट कर दिया, किसी ने सिरपुर जैसे स्थानों को नष्ट कर दिया और कह दिया, इतिहास में लिख दिया कि महानदी में बाढ़ आयी तो सिरपुर नष्ट हो गया। वे लूटते गये, लूटते गये, तोड़ते गये, तोड़ते गये लेकिन कुछ तो बात है कि इकबाल का एक शेर है :-

"कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सदियों रहा है दुश्मन दौरें जहां हमारा"

कितने लोग दुश्मन हैं, कितने लोग आये और कितने लोग चले गये लेकिन सनातन में वह ताकत है कि हमारे दौर की जो समकालीन संस्कृतियां थीं, चाहे यूनान की हो, चाहे मिस्त्र की हो, चाहे ग्रीस की हो, वह नेस्तोनाबूद हो गयी, आज की तारीख में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा । कहीं पर भी आज के दौर की चर्चा होती है तो उनको गिना नहीं जाता। लेकिन इसके बाद जो बर्बर जातियां आयी, जैसे मंगोल, तुर्क और मुगल के बाद अंग्रेजों ने हमको जाति के तौर पर विभाजित किया, हमारी परंपरा और शिक्षा को नष्ट करने की कोशिश की। हमको, सनातन को इतने टुकड़ों में बांट दिया गया कि ऐसा

लगा कि हम ही हमारे दुश्मन हो गये हैं लेकिन कुछ न कुछ बात तो थी। आप दुनिया का पूरा उदाहरण देख लें कि हजार साल तक जो संस्कृति, जो आस्था या जो विरासत के केंद्र हैं, वह यदि दुनिया में कहीं भी गुलामी में रहे हैं, तो वह नष्ट हो गये। पूरा अरब, गल्फ कंट्री इसका उदाहरण है। पारसी कहां गये ? वहां के मूल निवासी कहां गये ? सब एकेश्वरवादी थे, सब मूर्ति पूजक थे, सब सनातनी थे, कहीं न कहीं वह तलवार की धार पर नष्ट होते गये और आज भी जब कोई लड़ने को नहीं मिला तो दसों देश है, जो आपस में लड़ रहे हैं। चाहे यमन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे सोमालिया हो और नहीं मालूम वह कब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन यह भारत है, 500 साल से लाखों लड़ाइयां हुईं, लाखों बलिदान हुए, लेकिन ज़िद नहीं छोड़ी और विश्वास कम नहीं हुआ। हम लड़ते रहे, लड़ते रहे और यह एक मात्र देश है, जिसमें आज भी बहुसंख्यक समाज। साहब, बहुसंख्यक समाज में आने से पहले अभी-भी एक बहस को करते हैं। हमने संविधान दिवस के दिन कहा था कि आपने जो संविधान की किताब पिछली बार बांटी है, उसके preamble में पंथ निरपेक्ष लिखा है, उसमें कांग्रेस वाले असहमत थे। वह कह रहे थे कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। मैंने कहा कि यह किताब विधान सभा ने बांटी है। इस देश में आजादी के बाद यही बहस चलती रही कि हम पंथ निरपेक्ष हैं या धर्म निरपेक्ष हैं। हमने यह स्वीकार किया कि हम पंथ निरपेक्ष देश है, हम धर्म निरपेक्ष देश नहीं है, लेकिन एक मात्र बहुसंख्यक समाज है जो अपने जन्मस्थान में, जहां से अनेक पंथ पैदा हुए। सिक्ख, जैनिजम, बौद्धिस्ट यही से पैदा हुए। यही वह देश है जिसने पारसियों को स्थान दिया। यही वह देश है जहां केरल के राजा ने पहली मस्जिद बनाने की अनुमति दी। इस देश में पहला चर्च बनाने की अनुमति दी। हमने सबको आत्मसात किया। हमारा आत्मसात और हमारी सहिष्णुता का परिणाम यह रहा कि उन वर्गों से और आज तक हमको अपने आस्था के केन्द्रों के लिए, हमको अपने संस्कृति के केन्द्रों के लिए, हमको अपने विश्वास के केन्द्रों के लिए संघर्ष करना पड़ा और अभी भी पड़ रहा है। अभी तो एक सौपान तय हुआ है कि इस देश में 500 सालों के बाद राम जन्मभूमि विभिन्न बलिदानों के बाद, विभिन्न अदालती लड़ाईयों के बाद, मैं इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित समय में ...।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री टंक राम वर्मा, राजस्व मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

प्रस्ताव (क्रमश:)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित समय में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा कर दी। दुनिया में जितनी वैज्ञानिकता हो सकती है आई.आई.टी., मौसम विज्ञान, भूगर्भशास्त्री से लेकर सब लोगों ने रिकॉर्ड समय में वहां के अध्ययन कर लिये और वहां आज सबसे वैज्ञानिक मंदिर बनकर तैयार हुआ। उसका प्रभाव दुनिया में क्या पड़ा मैं कुछ उदाहरण पढ़ता हूँ। राम मंदिर अखिल विश्व परिघटना है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत का कोई आदमी नहीं कह रहा है, हिमांशु गुलाटी सांसद, नार्वे, राममंदिर हमारे लिए हिन्दू अध्यात्मिकता संस्कृति के बारे में और अधिक जागरूक होने का अवसर है। यह मंदिर भारत के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय होना चाहिए। फिर किसी का धर्म या राजनीति जो भी हो, इसका उद्घाटन अखिल विश्व परिघटना भी है। युवाओं का उत्साह, धार्मिकता में बढ़ोत्तरी ही नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान में उनका गौरव दर्शाता है। यह नार्वे के सांसद बोल रहे हैं। यह सनातन संस्कृति का वैश्विक उत्सव है। यह बोल रहे हैं जेफरी आर्मस्ट्रॉग बैंकुअर स्थित भारतविद् है। वह बैंकुअर के जेफरी आर्मस्ट्रॉग, कोई भारतीय नहीं हैं या एन.आर.आई. नहीं हैं जो यह बोल रहे हैं। यह भारत की संस्कृति के लिए दिलचस्प समय है। विश्व वैदिक पुनर्जागरण जहां भारत में बाहर भी भव्य मंदिरों का निर्माण प्राचीन सनातन धर्म संस्कृति के पुनरूद्धार और वैश्विक उत्सव का प्रतीक है इसे सधही सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारतीयों के लिए अपनी संस्कृति की महानता को साझा करने क्षुद्र टकराहटों में उलझने के बजाए दुनिया के नेतृत्व करने का मौका है। याद रखिए। राम मंदिर वह जगह है जहां पूर्ण अवतार श्री राम पहली बार प्रगट हुए जहां इसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि इसका गहन सारभौमिक ज्ञान वैश्विक सद्भाव, सहिष्णुता को बढ़ावा देने में निहित है यह जेफरी आर्मस्ट्रॉग बैंकुअर स्थित भारतविद् का कथन है। यह एक भारत की सांस्कृतिक पहचान भर का उत्सव नहीं है। पूरे देश और दुनिया के लिए एक बड़ी घटना थी और उस बड़ी घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पूरी दुनिया में यह उत्सुकता जगी, पूरी दुनिया में यह दिलचस्पी बढ़ी, आखिर सनातन क्या है। यह संस्कृति क्या है ? जिसने 500 सालों बाद एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया कि यह इसके पुनरूत्थान का दौर है। अब इसमें कुछ उदाहरण बता देता हूँ। माननीय बृजमोहन जी जो कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस समिति के सदस्य हैं, वामपंथी हैं वह बेगूसराय से सी.पी.आई. के उम्मीदवार थे, वह कांग्रेस पार्टी में गये, कांग्रेस को चिंतन नहीं है। वामपंथी हैं, उनका उदाहरण वह उधार में लेते हैं। उनने कहा कि वहां जाना चाहिए। हिमांचल प्रदेश ने छुट्टी घोषित की। वीरभद्र जी के लड़के विक्रमादित्य ने यह बात कही कि उनके पिताजी का भी संकल्प था, हम इसको पूरा करेंगे। वैसे ही जयराम नरेश जी ने भी यह कहा कि उस

उत्सव में जाने से कोई घाटा नहीं है। कांग्रेस तो सदैव वैचारिक मामलों में विभाजित रही। और भारत की संस्कृति का, गौरव का, सांस्कृतिक एकता का जहां तक सवाल है, उसमें हमेशा कांग्रेस एक हीनता की ग्रंथि से ग्रस्त रही। उनको जय श्रीराम, भारतमाता की जय कहने में, वंदे मातरम कहने में, राष्ट्रगान को सब जगह गाने के लिए कहने में, अब कौन सा स्थान यह मैं कहूंगा तो विवाद हो जायेगा। उनके रीढ़ में दम नहीं है। उनकी विचारधारा नहीं है। उनके पास सोच का अभाव है। उसी का कारण है कि तथाकथित सबसे प्राचीन पार्टी सिमटते जा रही है और एक-एक, दो-दो सीटों के लिए क्षेत्रीय पार्टियों से संघर्ष कर रही है। सबसे बडी बात यह है कि हजार साल की गुलामी के बाद इस देश भर में हमारी जो धर्म संस्कृति सुरक्षित रही। बृजमोहन जी, राजिम कुंभ कल्प का आयोजन कर रहे हैं। मैं थोड़ा समय और बोलता हूं, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। हिन्दी साहित्य में या किसी में भी पढ़े भारतीय साहित्य के इतिहास को पढ़ें तो भक्तिकाल एक घटना है, हिन्दी साहित्य में भक्तिकाल का एक दौर आता है। तुलसीदास जी से शुरू होकर, सूरदास, मीराबाई, नानक, कबीर, दादू, रैदास, तूकाराम, दक्षिण के अलवार संत, संत ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता, नहीं मालूम कितने भक्तिकाल के ऐसे कवि पैदा हुए जब राजा अपना दायित्व भूल गया। जब ब्राम्हण अपना धर्म प्रचार का कर्तव्य भूल गया हो, छिपकर शंख और घंटी बजा रहा हो, कही पर तलवार की नोक में कहीं धर्म परिवर्तन नहीं हो जाये। तो भारत ही एक मात्र ऐसा देश था जिसमें सनातन के मानने वाले साधु-संतों ने, इस धर्म को, सनातन को जिंदा रखा। उस सनातन के संदेश का ही परिणाम था कि 500 और हजार साल की गुलामी के बाद उस भक्तिकाल के संतो ने सनातन को जिंदा रखा और उसका परिणाम है कि 500 साल भगवान श्रीराम अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए । माननीय सभापति महोदय, अंत में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का योगदान यह भी है, छत्तीसगढ़ में इसलिए विशेष उत्सव रहा, गांव-गांव में यह घटना रही कि इस दिन दीपक जलायें। जो अक्षत और निमंत्रण पत्र आये थे, लोगों ने समारोहपूर्वक भक्तिभाव के साथ उसको बांटा। लेकिन कांग्रेस ही ऐसी पार्टी रही, दत्तात्रेय गोत्र वाले जो हैं, जनेव को दिन भर कान में लपेटे रहने वाले लोगों ने इसमें भी पैसा खाने का अवसर खोज लिया। उन लोगों ने रामवगन पथ में भी पैसा खा लिये। और तो और कभी उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि बिलासपुर के हैं। कोसला जनपद राजा भानुमल की कन्या कौशल्या, दक्षिण कौशल हमारा नाम है, उत्तर कौशल के राजा दशरथ से ब्याही गई थीं। यह हमारे इतिहास में लिखा है। यह उसको कहीं और से जोड़ देते हैं कि यहां माता कौशल्या का मंदिर है। मंदिर होना अलग विषय है लेकिन तथ्य को तोड़ना मरोड़ना अलग विषय है। इन्होंने अपने भांजा के इतिहास के साथ भी तोड़-मरोड़ करने के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया। संस्कृति, विरासत को अपने हिसाब से तोड़ने-मरोड़ने के अतिरिक्त कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। ऐसे लोगों से भारत के गर्व की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे लोग गर्वित हों, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे लोग भारत की संस्कृति, विरासत, ज्ञान, परंपरा को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, उनके बारे में कही जाकर कहने के बारे में सोचें,

यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनकी बातों में 03 चीजें हैं। जातिगत जनगणना करायेंगे। अभी राम जन्म मंदिर में अमिताभ बच्चन नाच रहे हैं, ऐश्वर्या राय का नाम ले रहे हैं, क्या कोई गरीब दिखा ? प्रधानमंत्री जी ने कितने श्रमिकों का पैर धोकर सम्मान किया, शायद उनके नेता देखे ही नहीं होंगे। तो विवादास्पद विषयों में बात करने के अतिरिक्त एक भी आदमी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस कार्य समिति ने विधिवत रूप से अस्वीकार किया कि हमारा कोई भी नेता उस आमंत्रण में नहीं जायेगा। इसको देशद्रोह से कम का मामला नहीं माना जा सकता। जब विदेशी विद्वान इसको एक वैश्विक घटना बता रहे हैं। आज का दौर भारत के स्वर्णित काल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मोदी जी की गारंटी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमारी संस्कृति के अभ्युदय का काल है, भारत के फिर से विश्वगुरू बनने का अवसर है, भारत का फिर से सोने की चिड़िया बनने का अवसर है, भारत फिर से दुनिया का नेतृतव करें, भारत फिर से आगे बढ़े, इसका अवसर है और उस ओर हम मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। आज एक स्थान है। अब निश्चित रूप से बहुसंख्यक समाज को अपने आस्था के स्थलों के बारे में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सनातन फिर से स्थापित होगा। श्रीराम जन्मभूमि की 500 साल बाद की स्थापना ने इस बात को प्रमाणित किया है। इसको बहुत तेजी के साथ संपादित करने के लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से, पूरे सदन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को और उसके निर्माण में जुड़े हुए शहीदों को याद करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय :- श्री राम विचार नेताम जी।

कृषि विकास मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, इसके लिए हमको न जाने कब से इंतजार था। आज पूरा सदन अच्छा होता कि पूरे विपक्ष के लोग होते और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति पास करके, भारत सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर जो एक ऐतिहासिक निर्णय किया और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हमारा आस्था का केन्द्र है, जिन्होंने हजार-पांच सौ साल से सपना देखते-देखते कहां से कहां काल के गाल में समा गये। कितनी क्रांतियां हुईं, कितनी लड़ाड़ियां लड़ीं और लोग अपने को शहीद कर लिये। आज उनकी आत्मा भी आज प्रसन्न होगी, खुश होगी कि हमने अपने जीवन में तो ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन इस देश का नेतृत्व करने के लिए एक युग दृष्टा, युग पुरूष आया, उन्होंने अपने बुलंद इरादों के साथ जो ऐसे तपस्वी दिनचर्या वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ, बल्कि पूरा दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु राम का वहां मंदिर में स्थापना हुआ। ऐसा मैं समझता हूं कि न भूतो न भविष्यति। उस दिन को हम कभी भूल नहीं सकते। वह जहां भी रहे या इस मूल्क में रहे या फिर मूल्क के बाहर भी रहे, हर देश में सभी जगह, देश-दुनिया

के सभी स्थानों में प्रभु राम का जो दृश्य दिखा, उससे हर कोई रोमांचित हुआ है। हर कोई रोमांचित होता रहा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उस समय खुशियों के लोगों के आंसू झर रहे थे। ऐसे ऐतिहासिक पल को भी जिन लोगों ने, जिनके मुंह में राम, बगल में छुरी, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना? सभापति महोदय, जब अमृत का जब बंटवारा हो रहा था तो वहां कुछ लोग उसमें विघ्न डालने वाले भी रहते थे। जहां यज्ञ होता होता थी, आहुति होती थी, वहां भी कुछ लोग हड्डी फेंका करते थे, उसमें हड्डी गिराया करते थे कि यज्ञ को कैसे विध्वंस किया जाय। ऐसे विध्वंसकारी लोगों का साथ देने वाले लोग, उनका पूरा कुनबा आज किस स्तर में है? क्या स्थिति बन रही है? आज जैसे-जैसे जब-जब प्रभु राम का विरोध करने वाले जो-जो लोग रहे, आज देश के नक्शे में ऐसे लोगों की क्या स्थिति है ? वे नक्शे से ही गायब हो रहे हैं । ये लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं । भारतीय संस्कृति के जो प्रतिष्ठान हैं उसमें प्रहार करने वाले लोग हैं। आज इन लोगों की क्या स्थिति है ? हम लोगों ने कल्पना की थी, हम लोगों ने आंदोलन चलाया उस आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया । रामलला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे, बच्चा-बच्चा राम का । यह नारा लगाते हुए हम लोगों ने वहां से शुरूआत की और आज वहां पर मंदिर बनकर तैयार है । प्रभु का बुलावा हम सबको आया है । हम सब भी जाने वाले हैं, आप भी जायेंगे और भाभी जी को भी जरूर लेकर जाईयेगा । अकेले मत जाईएगा । वह हम सबके लिये है और आदरणीय बृजमोहन जी तो जायेंगे ही, अजय जी तो जायेंगे ही लेकिन कभी-कभी छोड़कर जाते हैं, यह ठीक बात नहीं है । हम प्रभु के दर्शन करने के लिये जायेंगे, अयोध्या धाम में जाना है । मेरा जन्मदिन आ रहा है । मैंने सोचा था कि काश मैं अपना जन्मदिन वहीं मनाता लेकिन यहां आपका हुक्म मिले तब हम वहां जायें क्योंकि सत्र चल रहा है ऐसे में हम सत्र छोड़कर जा भी नहीं सकते ।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, आप अपना जन्मदिन यहां मनायेंगे तो हमको दूसरा प्रसाद खाने को मिलेगा, वहां मनायेंगे तो दूसरा प्रसाद होगा ।

सभापति महोदय :- इसलिये आप अपना जन्मदिन यहीं मना लीजिये ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं यहीं मनाकर फिर वहां प्रभु के दर्शन करने के लिये जरूर जाउंगा । मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि हम सपरिवार वहां जायें और वास्तव में हम लोग तो प्रभु का चित्रण करते हैं, देखते हैं । हम जगह-जगह देखते हैं तो खुशियों के आंसू भी झरने लगते हैं । इतना भावुक पल होता है । उसी चीज को देखने के लिये आज हम सभी को जो समय मिला है, आज जो एक इतिहास रचा गया है । हमारे देश में जिस प्रकार से निर्णय हुआ, आज वह पूरी दुनिया का सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है । आज वर्ल्ड हैरिटेज (World Heritage) बन गया, उसको वर्ल्ड हैरिटेज (World Heritage)की उपलब्धि मिल रही है । सैकड़ों देश के लोग वहां पर आ रहे हैं, वहां बड़े-बड़े एयरपोर्ट बन गये । इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया । वहां तमाम् आने-जाने वाले लोगों के लिये देखते ही देखते बड़े-बड़े जंक्शन तैयार हो गये । बताया जा रहा है कि वह वर्ल्ड हैरिटेज (World Heritage) बन रहा

है और विश्व का ध्यान उस ओर है । मैं तो यह चाहता हूं कि हम सब जायें, देखें और कुछ लोग उसमें अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन जौ के साथ घुन भी पीस जाता है । लोग पीस रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) अच्छा समय मिला था, ये अपने पाप को धो सकते थे लेकिन उनको तो स्वर्ग नहीं जाना है और कहा जाता है कि जिनको नरक ही जाना है तो उनको कौन रोकेगा ? तो उनको जाने दीजिये और ये जब-जब प्रभु राम का विरोध करेंगे । जब-जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करेंगे, हर चुनाव में इनका आकार सिकुड़ना जरूरी है । हर चुनाव में इनका आकार सीमित होते जा रहा है, सिकुड़ते जा रहा है । आगे आने वाला समय बतायेगा कि इस बार जो चुनाव होगा 400 पार होने वाला है । (मेजों की थपथपाहट) और इसलिये यह जो प्रस्ताव आया है इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और वहां प्रभु राम जी का जो मंदिर बना है ऐसा ऐतिहासिक निर्णय करने के लिये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उस ट्रस्ट से जुडे हुए हमारे छोटे कर्मचारी से लेकर, इंजीनियर से लेकर, आर्किटेक्ट से लेकर, वैचारिक संस्थानों से लेकर, दानदाताओं से लेकर के तमाम् तरह के वहां विघ्न-बाधाओं को दूर करने वाले एडवोकेट से लेकर, हमारे ज्यूडिशियरी से जुडे हुए तमाम् सारे लोगों से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं जिनकी प्रतिबद्धता इस ओर है उन सभी के प्रति मैं अपने भाव पूरे सम्मान के साथ व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय :- श्री धरम लाल कौशिक।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उन्हें हम धन्यवाद दें और यह प्रस्ताव हम छत्तीसगढ़ विधान सभा में पारित करें। माननीय सभापति महोदय, भगवान राम का त्रेतायुग में जन्म हुआ। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की है। वाल्मिकी जी ने रामायण की रचना की है और अनेक ऐसे ग्रंथ मिल जायेंगे, जिसमें प्रभु श्रीराम चंद्र जी की और उनके पूर्वज राजा दशरथ से लेकर, राजा अज से लेकर, रघु कुल से लेकर, ये सारी बातों का उल्लेख हमारी ग्रंथों में आया है। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और कालांतर के साथ हम द्वापर और द्वापर के बाद आज कलयुग में आये, लेकिन अयोध्या में जहां भगवान राम ने जन्म लिया, वह मंदिर स्थापित रही। यह घटना 1526 में घटी। 1526 में जहीरूद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर के साथ 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और इस पानीपत के युद्ध में दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ में उनका युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी पराजित हुए और पराजित होने के बाद में बाबर के द्वारा एक प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रथम मुगल सम्राट या शासक बाबर ने यहां पर हिन्दुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये जो बाबर है, वह उजबेकिस्तान का रहने वाले हैं। पुराना ताशकंद आजकल उजबेकिस्तान कहा जाता है, वहां के रहने वाले हैं। उन्होंने 5 बार युद्ध किया और अंतिम युद्ध में इब्राहिम लोदी जी पराजित हुए, तब यहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई।

मुगल साम्राज्य की स्थापना होने के बाद में हमारे जो हिन्दू धर्म का जो स्थान है, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं, ऐसे स्थानों को ध्वस्त करने के लिए उस शासन के द्वारा नीति अपनायी गयी और नीति अपनाने के बाद में उनके जो प्रधान सेनापति मीर बाकी थे, उनके द्वारा अयोध्या में जो मंदिर स्थित है, उस मंदिर को ध्वस्त किया गया और बाबर को, उसके परिवार को, उसकी सल्तनत को खुश करने के लिए वहां पर उनके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया और बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के बाद में वहां जो सनातन धर्म के लोग हैं और वहां पर जो सनातन धर्म को न मानने वाले लोग हैं, इनके बीच में द्वंद चलते रहा। हमारे कई राजाओं ने उसको पुन: मंदिर बनाने के लिए युद्ध किया और युद्ध में वे पराजित होते रहे। कइयों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी है और अपने प्राणों की आहुति देने के बाद भी कभी ये पीछे नहीं रहे, क्योंकि मन में यह चाह थी कि हमारे प्रभु श्रीराम का मंदिर है और यदि राम का मंदिर है तो जो मस्जिद बनाया गया है, उसे हटाना चाहिए और पुन: वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये 500 साल का परिश्रम है। 500 साल के हमारे संघर्ष की गाथा है कि 500 साल तक चुप नहीं रहे, बल्कि इसे लेकर हमेशा लड़ते रहे और लड़ते-लड़ते वो दिन आया और एक बार आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 1980 में भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि अयोध्या में जो राम मंदिर का मामला चल रहा है उसमें हमको समर्थन देना चाहिए और 1980 में पालनपुर में यह प्रस्ताव पारित किया गया ।

समय
2.00 बजे

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकाली । उस समय व्ही. पी.सिंह जी प्रधानमंत्री थे । हमारे समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी । राजीव गांधी जी की सरकार गिरने के बाद जो चुनाव हुए उसमें व्ही.पी.सिंह की सरकार बनी। उसके बाद यह मामला चलता रहा तो यह तय किया गया कि राम जन्मभूमि आंदोलन में हमारा समर्थन रहेगा । आस्था को लेकर सोमनाथ से यात्रा निकाली गई। यात्रा को अयोध्या पहुंचना था लेकिन अयोध्या के पहले बिहार में, उस समय लालू यादव की सरकार थी और वे मुख्यमंत्री थे । इस राम रथ यात्रा को रोकने का काम उनके द्वारा किया गया और 4 सप्ताह तक लालकृष्ण आडवाणी जी को गेस्ट हाऊस में नजरबंद करके रखा गया । उसके बाद हम लोगों ने समर्थन वापस लिया और व्ही.पी.सिंह की सरकार गिर गई । इसके बाद हमारा यह आंदोलन समय-समय पर जारी रहा । सभापति महोदय, तब तक पूरे देश में इस राम रथ यात्रा से उस संघर्ष यात्रा के प्रति लोगों में समर्थन का भाव, राम शिला पूजन के समय हमने भक्तिभाव को देखा है । हर गांव में जो ईंट रखी गई, वहां हजारों की संख्या में आकर लोगों के द्वारा पूजा अर्चना की गई और उस ईंट को अयोध्या भेजने की तैयारी की गई

और अयोध्या भेजा गया । इसके साथ जब लालकृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा पर निकले, तो उनकी यात्रा जहां शाम को 6.00 बजे पहुंचनी थी, लोगों की इतनी भीड़ और जमघट के चलते वहां यात्रा रात को 11.00 बजे पहुंच रही है । महिलाओं द्वारा आरती की थाल सजाकर उस रथ की आरती उतारी जाती थी । रथ की आरती उतारकर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वे भगवान राम की आरती उतार रही हैं, हम उनके दर्शन कर रहे हैं, यह भक्तिभाव पूरे हिंदुस्तान में जगा । अनेक प्रदेशों में यात्राएं हुईं और इस यात्रा से घबराकर, उस समय की व्ही.पी.सिंह की सरकार एवं उनके समर्थक लालू यादव को यह लगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बात को लेकर उस यात्रा को रोकने का काम किया गया ।

सभापति महोदय, आपको मालूम होगा कि एक मामला रामसेतु का आया । रामसेतु का मामला आने पर कांग्रेस के लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया गया और उसमें उसको काल्पनिक बताया गया । यह रामसेतु नहीं, काल्पनिक है । भगवान राम के बारे में उन्होंने कहा कि यह काल्पनिक है । यह मैं नहीं कह रहा हूं, उनके वकील के द्वारा, उनके नेता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया और जिस भगवान को हम करोड़ो करोड़, केवल हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो नहीं मानने वाले हैं वो भी राम के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं । लेकिन राम के अस्तित्व को लेकर इनके द्वारा कहा गया कि काल्पनिक है, इस बात का हलफनामा इनके द्वारा दिया गया । सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि राम चरित मानस में जब भगवान राम का वन गमन हुआ और उसके बाद माता जानकी का हरण होता है, उसके बाद रावण उनको लंका ले कर चले गए । उसके बाद जब प्रभु श्रीराम भइया लखनलाल जी के साथ में माता जानकी को खोजने के लिए निकले और रास्ते में चलते-चलते पूछते गये, उसमें अनेक संतों का आश्रम भी पड़ा, वहां ऋषिमुनियों का आश्रम पड़ा, वहां भगवान राम आगे बढ़ते गये, आश्रम में भगवान राम ने पूछा कि मुझे कहां जाना चाहिए तो वहां पर उनको बताया गया कि भगवान राम माता शवरी की कुटिया में जाईए और माता शवरी आपके आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भगवान राम लखनलाल जी के साथ माता शवरी की कुटिया में जाते हैं तो माता शवरी के गुरू मतंग ऋषि थे, जब मतंग ऋषि यहां से अपने लोक को गये, उस समय उन्होंने शवरी से कहा था कि बेटा शवरी आप यहां रहना, एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु श्रीराम आपकी इस कुटिया में आएंगे। जिस दिन प्रभु श्रीराम इस कुटिया में आएंगे, उसके बाद आप मेरे धाम में आ जाना, तब तक प्रभु श्रीराम का इंतजार करना लेकिन मतंग ऋषि ने माता शवरी को यह नहीं बताया कि कितने साल के अंदर आएंगे, कितने महीनों के अंदर आएंगे लेकिन माता शवरी का अटूट विश्वास था, उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, उनके बाल सफेद हो गये, दांत झड़ने लगे, उस समय भी लोग चिढ़ाने वाले थे, उन्होंने कहा कि माता शवरी क्यों तकलीफ पा रही हो, बड़े-बड़े ऋषिमुनियों को भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ है, आप तो पढ़ी लिखी नहीं हो, आपकी कुटिया में कैसे आ जाएंगे, एक भीलनी हो, यह

संभव नहीं है कि कुटिया में आए। लेकिन अपने गुरू मतंग ऋषि के लिए माता शवरी का अटूट विश्वास था, यदि मेरे गुरू ने कहा है जो जरूर प्रभु श्रीराम मेरी कुटिया में आएंगे। प्रभु श्री राम एक दिन कुटिया में आते हैं और आने के बाद माता शवरी से भेंट होती है और भेंट होने के बाद प्रभु श्रीराम माता शवरी से पूछते हैं तो माता शवरी को भागवान श्रीराम के द्वारा नवधा भक्ति सुनाया गया, नवधा भक्ति सुनाने के बाद भगवान श्री राम ने पूछा कि मेरे आगे का मार्ग क्या होगा तो माता शवरी ने मार्ग प्रशस्त किया, इसके आगे पंपापुर सरोवर पड़ेगा, स्कंदा जाईए, स्कंदा में आपको हनुमान जी मिलेंगे, वहां हनुमान जी आपको सुग्रीव से मुलाकात करायेंगे। सुग्रीव से मुलाकात होने के बाद वह आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जिस प्रकार से माता शवरी ने पूरे जीवन भर भगवान की प्रतिक्षा की कि एक दिन मेरी कुटिया में भगवान राम आएंगे। मुझे अतिश्योक्ति नहीं लगता। सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि इस देश में अनेक प्रधानमंत्री हुए, एक ईंट भी उसमें नहीं लगा सके, इस देश में अनेक मुख्यमंत्री हुए, आयोध्या में एक ईंट नहीं लगा सके लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान भी देख रहे थे, नरेन्द्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कब बनेंगे और योगी आदित्यनाथ कब मुख्यमंत्री बनेंगे, तब मेरा पर्दापण होगा। जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आपने देखा है कि बिना खून खराबा के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जो लोग यह कहते थे कि यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी लेकिन पांच मिनट का समय नहीं लगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों द्वारा आधे घंटे के अंदर फैसला आ गया। जहां पर मस्जिद बना हुआ है, वह प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि है, वहां पर आप मंदिर का निर्माण करा सकते हैं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। 5 अप्रैल, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से आयोध्या में भूमिपूजन हुआ और भूमिपूजन होने के बाद 22 जनवरी, 2024 को आयोध्या में भगवान श्रीराम पधारे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। माननीय सभापति महोदय, इस देश के करोड़ों, करोड़ जो हिन्दू सनातन धर्म को मानने वाले हैं, 22 जनवरी को आयोध्या को लाईव देख रहे थे, आयोध्या में कैसा प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस दिन रात को दिवालिया मनाई गयी है, घर-घर में फटाके फूटे हैं, वहां पर दिये जलाये गये हैं, घर में रोशनी की गयी है। इस प्रकार से भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम इसके लिए हमारी केन्द्र सरकार और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को छत्तीसगढ़ विधान सभा की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। यह आपके कारण संभव हुआ है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसके लिए हम नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे संस्कृति मंत्री बृजमोहन जी ने जो प्रस्ताव लाया है, हम उसका समर्थन करते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री अरूण साव जी।

सभापति महोदय :- श्री अरूण साव जी।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक नागरिक की ओर से यह सदन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में लगभग 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित निर्मित भव्य राम मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी, 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण-प्रतिष्ठा किये जाने पर कृतज्ञ है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए अवसर मिला है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के कड़-कड़ में भगवान राम हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के रोम-रोम में भगवान राम हैं। यह पूरा छत्तीसगढ़ भगवान राम की एक-एक यात्रा का गवाह है। भगवान राम के वनवास काल का अधिकांश समय इस भू-भाग में बीता है। हमारे छत्तीसगढ़ की यह धरती माता कौशिल्या की धरती है और माता सबरी की धरती है। इसीलिए इस धरती के कड़-कड़ में भगवान राम विराजे हैं।

समय :
2.12 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में जिस प्रकार से नवधा रामायण का आयोजन होता है। नवधा रामायण की शुरूआत के बारे में अभी माननीय धरमलाल कौशिक जी ने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ की धरती से सबरी माता के सामने नवधा रामायण की शुरूआत हुई है। आज हर एक गांव में पूरे गांव के लोग मिलकर जिस उत्साह से नवधा रामायण का आयोजन करते हैं, वह कितना अद्भूत होता है। गांव के लोग हमको आमंत्रित करते हैं तो हम सब लोगों को भी वहां पर जाने का अवसर मिलता है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर नवधा रामायण का आयोजन करते हैं और गांव के त्यौहार के रूप में उसे मनाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा होता है और 9 दिनों तक भगवान राम की पूजा होती है। इसलिए मैंने कहा कि भगवान राम तो छत्तीसगढ़ के कड़-कड़ में हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के रोम-रोम में हैं। 22 जनवरी, 2024 के उत्सव में पूरी दुनिया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में झूम रही थी। मुझे उस दिन भी अनेक कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। मैं जिस भी रास्ते पर जा रहा था तो हर गांव में हमारी माताएं-बहनें अपने सिर पर कलश लेकर कलश यात्रा के लिए निकल पड़ी थीं। छत्तीसगढ़ में ऐसा दृश्य कभी नहीं दिखा कि हर गांव से कलश यात्रा निकले। उस दिन ऐसा उत्साह और ऐसी खुशियां थीं कि लगता था कि भगवान राम हमारे घर पधारे हैं। भगवान राम के लिए इतनी श्रद्धा और भक्ति अद्भूत है। भगवान राम हमारे भांचा हैं। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। इसलिए सारी दुनिया से अधिक खुशी छत्तीसगढ़ के लोगों ने मनाई। 22 जनवरी, 2024 को अलग-अलग प्रकार के लोगों ने अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। यह बताता है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम की धरती है और भगवान राम का ननिहाल है। जिस प्रकार से ऐसे ऐतिहासिक

अवसर पर यह सामने की पूरी बेंच खाली है। आज के इस अवसर पर यह जो बेंच दिख रही है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह बेंच खाली ही रहने वाली है। (मेजों की थपथपाह) क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम के प्रति उनका रवैया रहा है, अभी थोड़ी देर पहले राम-राम जप रहे थे । रघुपति राघव राजा राम, गा रहे थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सिर्फ रघुपति राघव नहीं, ईश्वर अल्ला भी जप रहे थे ।

श्री अरूण साव :- ईश्वर अल्ला भी जप रहे थे । जब भी राजनीति करनी होती है तो भगवान राम का नाम लेते हैं और बाकी समय भूल जाते हैं तो मुझे लगता है कि भगवान राम भी इनका भला नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस प्रकार से इनका रवैया है, यह बताता है । यह इस सदन के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है और यह सदन इस अवसर पर बहुत गौरवान्वित है । हम छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का कृतज्ञता व्यक्त करते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री, धर्मस्व मंत्री जी को पहले तो बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केन्द्र बिन्दु, हमारे मान और सम्मान भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पश्चात् उस मंदिर की खुशी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव इस पवित्र सदन में रखकर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का संदेश वहां तक भेजने का एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास किया है ।

अध्यक्ष महोदय, जब इंसान जिंदा रहता है, तब भी राम के नाम का सहारा लेता है । जब कभी भी घर में, बाहर में, धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में मिलते हैं तो राम-राम के संबोधन से बात शुरू होती है । मरने के समय में भी आदमी को राम का ही नाम याद आता है । इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी जी हैं । जब उन्हें गोली मारी गई तो उन्होंने "हे राम" कहा था । गांधी को मानने वाले लोग, गांधी के नाम पर दुहाई देने वाले लोग, गांधी की मूर्ति पर जाकर उनकी शांति में खलल डालने वाले लोग यहां पर कोई भी बात होने पर गांधी का सहारा लेने वाले लोग, जब गांधी जी ने इतना मूल मंत्र दिया था कि मरने के पहले, गोली लगने के बाद इस दुनिया में जाने के पहले उन्होंने अगर एक शब्द ही बोला था तो वह सिर्फ "हे राम" बोला था । अगर इस देश में राम मंदिर बना तो कौन सा अपराध हो गया ? अंग्रेजों से ज्यादा मुगलों ने अत्याचार किया था। मुगलों के अत्याचार की कहानी अगर आपको देखनी है तो आप आगरा के किले में जब घुसेंगे तो उस किले में घुसने के साथ ही सीढ़ी के पास एक ऐसा भय का वातावरण बनता है कि वहीं पर औरंगजेब ने अपने दारा और शिकोह जैसे भाइयों का गला काटकर देखने के लिए मंगवाया था। वे लोग हाथ से गिड़गिड़ाते रह गए थे कि हमको छोड़ दो, हम कहीं फकीर बन जाएंगे। किसी दूसरे देश में चले जाएंगे, मुल्क छोड़ देंगे, लेकिन वह

इतना जालिम अताताई तानाशाह था कि उसने अपने सैनिकों को कहा कि उसके गर्दन काटकर तश्तरी में सजाकर लाकर मुझे दिखाया जाये और जब तश्तरी में उसको दिखाया गया कि तुम्हारे दोनों भाइयों का गर्दन काट दिया गया है, तब उसको सुकुन मिला । जो लोग गर्दन काटने पर सुकुन पाते हैं, उन लोगों को मंदिर तोड़ने के लिए कितना कलेजे की जरूरत होगी । हिन्दू संस्कृति को इस देश से मिटाने और मुगल सल्तनत को कायम करने के लिए एक अयोध्या नहीं, बल्कि इन लोगों ने इस देश के सैकड़ों मंदिरों पर कब्जा किया, लेकिन लंबे जद्दोदहद के बाद, 500 सालों के संघर्षों के बाद कई लोगों के बलिदानों के बाद, कई संगठनों के प्रयास के बाद, कई राष्ट्रीय दलों के समर्थनों के बाद यह अवसर आया, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मुझे याद है, जिस दिन यह फैसला आने वाला था, मैं उस दिन झारखण्ड जाने वाला था। मैं ट्रेन से जाने वाला था। लेकिन मैं ट्रेन का दौरा कैंसिल करके by road गया। क्योंकि इन लोगों ने भय व्याप्त किया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश में दंगा-फसाद होगा, ट्रेनें जला दी जायेगी, आदमियों को जिंदा जला दिया जायेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसमें 130 करोड़ जनता की भावना छिपी हुई थी और उस भावना के तहत, वहां पर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसी जगह पर मन्दिर बना। वहां दूसरे पक्ष के लोगों को भी जमीन दी गई। उनका मस्जिद बना या नहीं बना, यह उनके संगठन का काम था। लेकिन यह मन्दिर भी बना तो यह कोई सरकार से पैसे नहीं बना है। यह 130 करोड़ लोगों में से जितने हिन्दू धर्म के लोग थे और जो भगवान श्रीराम के प्रति आस्था रखते थे, उनके सहयोग से यह भव्य मन्दिर का निर्माण हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) यह रास्ता इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े और पुराने नेता, भारतीय जनता पार्टी के कारसेवक, भारतीय जनता पार्टी और आर.एस.एस. के बड़े-बड़े नेताओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया, जिसे मोदी जी ने सहारा देकर, अमित शाह जी ने सहारा देकर भगवान राम के मन्दिर को बनाने का मार्ग प्रशस्त किया और भगवान राम का एक भव्य मन्दिर बना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मन्दिर बनने में भी तकलीफ हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, यह बताईये कि ये अगर राम के भक्त थे तो इनको जाने में क्या तकलीफ थी ? वह मन्दिर तो सबके चंदे से बना है, पूरे देश के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन नहीं, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप लोग जबर्दस्ती आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि उनके रोम-रोम में राम है। मैंने कहा कि बहुत ठीक बोलते हैं। उनके रोम-रोम में राम नहीं है, सिर्फ रोम है, रोम। रोम के कारण, रोम के प्रभाव के कारण यह भगवान राम से भी नहीं चाहते हुए भी दिखावटी रूप से ही सही अंदर से चाहते हैं, लेकिन ऊपर से ऐसा आडम्बर करते हैं कि वह जैसे राम के मन्दिर के विरोधी हों।

अध्यक्ष महोदय, इनको रोजा-इफ्तार पार्टी में जाने में लज्जा नहीं आती है, लेकिन भगवान राम के मन्दिर में जाने के लिए किन्तु, परन्तु बोला जाता है। इन्हें ईद मिलादुनब्बी के अवसर पर जुलूस का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस्तकबाल करने में तकलीफ नहीं होती। लेकिन भगवान राम के मन्दिर के दिन, भगवान राम के सम्मान में जो मूर्तियां लगी हैं, उसमें दो पुष्प चढ़ाने में तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की पार्टी के हैं। हम ईद मिलानुदन्बी में भी स्वागत करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन हम अपने भगवान राम के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी राम मन्दिर के निर्माण के लिए आगे आई।

अध्यक्ष महोदय, राम क्या है ? राम तो जीने की कला है। राम, बचपन में अपने गुरू के लिए अपना महल छोडकर अपने गुरू के साथ शिक्षा लेने के लिए गये। यह गुरू शिक्षा और एक समाजवाद की परिकल्पना, वहीं पर से राम जी दिखाते हैं। राम के साथ एक सामान्य आदमी का बच्चा भी वहां पढ़ा और ज्ञान लिया। राम अपने गुरू के द्वारा बुलाये जाने पर कम उम्र में भी आततायियों से टकराकर अपने देशभक्ति का परिचय देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, जब किसी राजा के समक्ष राजगद्दी का प्रस्ताव हो, कल राजगद्दी होना है और पिता ने उसको हुक्म दिया कि तुम राजा के पद पर नहीं, जंगल जाओगे तो वह अपने भाई के लिए राजगद्दी छोड़कर जंगल चला गया। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने राजा की कुर्सी को भी ठुकराया। अध्यक्ष महोदय, राम वह है, जो निषादराज जैसे गंगा के किनारे बैठे हुए लोगों को गले से लगाया। उन्होंने बताया कि दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को भी गले लगाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जब वह शबरी के आश्रम में गये, वह शबरी के प्रेम से अभिभूत थे, जिस प्रेम से शबरी के बेर खाये और जिस लक्ष्मण ने उसके बेर नहीं खाये, वही शबरी का फेंका हुआ बेर पहाड़ों में, जहां पर पहाड़ से लेकर संजीवनी बूटी का काम किया, शबरी का बेर वहां पर संजवनी बूटी के रूप में पैदा हुआ था और उस पर्वत को जब हनुमान जी लेकर आये तो उसकी जान की रक्षा हुई । यह बताता है कि गरीबों के प्रेम में भी बहुत ताकत होती है, यह आपकी जिंदगी बचा सकता है और आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है । अध्यक्ष महोदय, भगवान राम जंगल में जाकर वनवासियों से, वन्य प्राणियों से, उन्होंने सहायता ली, कोई राजा और महाराज उनके साथ नहीं थे, उनके साथ कोई रथ भी नहीं था, रावण रथि विरथ रघुवीरा वहां पर विभीषण ने कहा था । भीग विभीषण भये अधीरा, रावण रथ में था और राम बिना रथ के थे और इसको देखकर विभीषण विचलित हुआ और बोला आप इससे कैसे लड़ेंगे, तो बोले उनके साथ अहंकार है, उसके संग दुष्ट प्रवृत्ति है और मैं साफ प्रवृत्ति का आध्यात्मिक शक्ति के दम पर उनसे लड़ूंगा । अध्यक्ष महोदय, उस आततायी का अंत करके उन्होंने उसके राज्य को भी विभीषण को दिया, उन्होंने चीन के समान कब्जा नहीं किया, उन्होंने ताईवान को कब्जा करने के लिये लड़ाई नहीं लड़ी थी । अध्यक्ष महोदय, यह उनका आदर्श है, यह हमको जीने का रास्ता दिखाता है, हमारे धर्मग्रन्थों में बड़ी ताकत है, अगर रामचरित मानस हमको जीने का रास्ता दिखाता है, वहीं भगवत गीता हमें मृत्यु के डर से दूर करता है । ऐसे भगवान हमारे प्रेरणा के केन्द्र बिन्दु हैं, हमारी आत्मा है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, आप अपने आत्मा का मान और सम्मान

नहीं करते हैं ? एक ऐसे नेता के चक्कर में, जो आलू डालता है तो इधर से सोना निकलेगा बोलता है, एक ऐसे नेता के चक्कर में जो अभी भी किसी मंदिर में जाते हैं, छद्म हिन्दू बनने के लिये, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ भी देखें । वह भगवान राम के सामने में कैसे प्रार्थना करते हैं, मैं तो कई लोगों को सलाह दिया कि बाबा कल्याण दास के आश्रम में खबर कर देता हूँ, अगर पूजा करना नहीं आता है, वहां एक महीना रहकर पूजा-पाठ देखें, आरती कैसे उतारी जाती है, क्या करें, कितना सिखायें, कितना पढ़ायें, जनेऊ कैसे पहनायें, हर काम उल्टा-पुल्टा चल रहा है । आप उसके बाद सोचते हैं कि सदन में नही रहकर आप इस पाप से बच जायेंगे, जनता बहुत समझदार है । अध्यक्ष महोदय, जनता यहां का संदेश देख रही है । कल अखबारों की सुर्खियों में छपेगा कि सदन में बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा भगवान राम के मंदिर के प्रस्ताव पर मुहर लगी । हम लोग तो कहेंगे ही और हम लोगों को कहने में गर्व की अनुभूत हो रही है । अध्यक्ष महोदय, जब इनका नाम नहीं छपेगा तो तीन महीने की देरी है, अभी तो दो इस प्रदेश में दिख भी रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 11/11 होने वाला है और 0/11 होने वाला है, इधर । अध्यक्ष महोदय, भगवान राम से टकराकर रावण नहीं जीत सका है, ये किस खेत की मूली

है ? भगवान राम से दुनिया की कोई ताकत नहीं लड़ सकती है, सर्वब्रम्हांड में विराजमान भगवान राम हमारे आराध्य है और उनके मंदिर के निर्माण के लिये, इस प्रस्ताव के लिये भी आपको धन्यवाद । इस प्रस्ताव के माध्यम से नरेन्द्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, उस मंदिर कमेटी के जितने सम्माननीय ट्रस्टी हैं, उन सब को धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, वहां के पुजारी को भी धन्यवाद, उस मूर्तिकार को भी धन्यवाद, जिन्होंने उस पत्थर की मूर्ति में सही मायनों में जान फूंका है, ऐसे महान कलाकार को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं वहां बैठा था, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी कि मुझे भी बोलना है, मैं आपकी कृपा से यहां बोल पाया हूँ । अध्यक्ष महोदय, पूजा-पाठ कराना सिखाईये । भगवान राम के सामने ऐसी पूजा करना ठीक नहीं है । बृजमोहन जी, आप इनको अमरकंटक भेजवाईये या कम से कम राजिम कुंभ में एक-आत दिन पूजा करना सिखवा दीजिये। वह वहां भी नहीं जायेंगे क्योंकि अब उस मेले का नाम पुन्नी मेला नहीं लिखा है। वे क्यों नहीं जायेंगे ? वहां कुंभ ही तो लिखा है, वहां हज थोड़ी न लिख दिया गया है। आप चले जाईये। यह हाल है, विनाशकाले विपरित बुद्धि। मुंह में राम बगल में छूरी। इनके ऊपर यह सब स्थिति लागू है। इनका तो भगवान ही मालिक है, मुझे तो ठीक लक्षण नहीं दिख रहा है। लेकिन चलिये ठीक है, भगवान राम हमारे संग है, भगवान विष्णु के रूप में विष्णु देव साय हमारे पास है। यहां बृजमोहन जी भी, हमारे कृष्ण भगवान, कन्हैया जी उपस्थित है। सब ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री जी।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने ब्रम्हाण्ड नायक, विश्व नायक, जन-जन के, मन-मन के प्रेरणा स्त्रोत, विश्व के आदर्श, ऐसे प्रभु रामलला के मंदिर के निर्माण के लिये इस देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिये इस शासकीय प्रस्ताव को लाने की अनुमति दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आल्हादित भी हूं और मैं आज खुश भी हूं कि हम लोग बचपन से जिस प्रभु राम का गुणगान करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, अपने कष्ट के समय जिस प्रभु राम को याद करते हैं, यहां सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि पूरे विश्व के अरबों लोग जब अपनी जिंदगी हार जाते हैं, तब किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रभु राम हैं । कहते हैं कि जिसके जीवन में प्रभु राम नहीं है, उसका जीवन नहीं है। मुझे बहुत खेद के साथ, दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन के विपक्षीय सदस्य जो वेल्म में आकर प्रभु राम का नाम ले रहे थे, वही लोग प्रभु राम के धन्यवाद प्रस्ताव के समय यहां से नदारद है। इनको प्रदेश की, देश की जनता माफ करने वाली नहीं है, उनको सबक सिखाने वाली है। या तो वे कह दे कि हम रामद्रोही हैं, हम राम विरोधी हैं। हमारे बैगा आदिवासियों के आपसी झगड़े में हत्या हो गयी, वे उसका बहाना बनाकर यहां से चले गये। उनका बहाना तो था कि प्रभु राम मंदिर के निर्माण के लिये खुशी व्यक्त करने के समय, कृतज्ञता व्यक्त करने में हम विरोध करेंगे तो जनता बतायेगी, यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो पार्टी बतायेगी। उनकी स्थिति ढोलक के समान हो गयी है। इसलिये मैं उनके इस कृत्य की निंदा करता हूं कि उन्होंने प्रभु राम के मंदिर बनाने पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया। यह तो हमारे भारत देश के वासी है, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। लेकिन जो लोग भारत में नहीं रहते, जो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमारे, इंडोनेशिया, मलेशिया, कम्बोडिया, मॉरिशस में रहते हैं और अभी-अभी प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम देश अबू धाबी में हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। उसमें अबू धाबी के राजा भी उपस्थित थे। यह अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं या नहीं ? यह अपने आप को भारतवासी मानते हैं या नहीं ? सूरीनाम में, जमाईका में, त्रिनिदाद में और यहां तक कि पाकिस्तान में मंदिर है। कनाडा में, अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में, दक्षिण कोरिया में प्रभु राम के चरित्र को पढ़ाया जाता है। वहां रामायण और गीता पर रिसर्च होती है। जरा यह बताये कि यह प्रभु राम के ननिहाल के रहने वाले हैं या नहीं ? प्रभु राम का वन गमन पथ बनाने वाले, प्रभु राम की चर्चा में भाग क्यों नहीं ले रह हैं ? यह मां कौशल्या की जन्मभूमि के लोग हैं या नहीं है ? इनको यह जवाब देना चाहिए। मुझे यह नहीं मालूम है कि आप इनसे जवाब लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि वह तो डरपोक हैं। वह पार्टी से भी डरते हैं, किसी सही काम में सहयोग देने से भी डरते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 500 वर्षों का इतिहास, एक ऐसा इतिहास, जिस इतिहास में करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति दी है।

मैं अशोक सिंघल जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ, जिनका बलिदान, त्याग, उनकी पहल के कारण प्रभु रामलला का मंदिर बना है। मैं लालकृष्ण आडवाणी जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ जिन्होंने रामरथ यात्रा निकालकर, इस मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। मैं इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् और बधाई देना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ (मेजों की थपथपाहट) 500 सालों का इतिहास, कभी जिस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने किया था अगर उसके बाद कोई दूसरे हमारे लिए राजा विक्रमादित्य जैसे हमारे सामने आये हैं तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी के रूप में सामने आये हैं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं। महर्षि वशिष्ट जी ने कैकेयी को समझाते हुए कहा था कि जहां राम नहीं, वहां राष्ट्र नहीं हो सकता और जहां राम है वहीं राष्ट्र है। (मेजों की थपथपाहट) प्रभु श्रीराम, कहीं पर पूरी रामायण, गीता में हिन्दू शब्द का उपयोग हुआ है। वह तो एक जीवन के आदर्श हैं वह एक जीवन पद्धति है और जो लोगों को जीवन में आदर्श सीखा सकते हैं जो एक जीवन पद्धति सीखा सकते हैं। एक सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है, एक सुखी परिवारिक जीवन कैसे जिया जा सकता है इसका आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनकी चर्चा में विपक्ष के लोग भाग जाएं, उनकी चर्चा का बहिष्कार कर दें। इससे ज्यादा दु:खद प्रसंग और कोई नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रभु राम, यहां जितने लोग बैठे हैं चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी पंथ के मानने वाले हों, अगर सबके पूर्वज कोई हैं तो प्रभु राम हैं। (मेजों की थपथपाहट) प्रभु राम हमारी प्रेरणा, आराध्य, संस्कार, चेतना, विरासत, संस्कृति और सभ्यता हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है यह हमारी संस्कृति, सभ्यता, चेतना, आराध्य इसका निर्माण हुआ है। हम सोचते थे कि यह भारत पहले विश्व गुरू था इसे फिर से विश्व गुरू बनाना है, उसका रास्ता प्रशस्त हुआ है। प्रभु राम का जीवन एक आदर्श मानव का जीवन था। प्रभु राम का जीवन हम सब के लिए सीखने के लिए है। एक आदर्श राजा कैसे हो सकता है, राज कैसे करना चाहिए। जब भी यहां पर कोई सरकार बनती है तो वह कहती है कि हम राम राज्य के रास्ते पर चलेंगे। अगर राम राज्य के रास्ते पर चलना है तो हमें प्रभु राम जैसे राजा बनना पड़ेगा। एक आदर्श पति कैसा होता है, एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, एक आदर्श भाई कैसा होता है, एक आदर्श वीर कैसा होता है, एक आदर्श मित्र कैसा होता है और एक आदर्श पिता का चरित्र कैसा होता है, अगर यह प्रदर्शित किया है तो प्रभु राम के जीवन में प्रदर्शित होता है। राम का चरित्र इतना विशाल है कि उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। 22 जनवरी, 2024 यह भारत के उत्थान का दिन है। यह दिन भारत की संस्कृति के पुनरूत्थान का दिन है। यह दिन भारत के विश्व गुरू के रूप में प्रतिस्थापित करने का दिन है। इसलिए छत्तीसगढ़ भक्ति का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ आस्था का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ सद्भावना का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ सेवाभाव का प्रदेश है। यह

छत्तीसगढ़ प्रभु राम का प्रदेश है। (मेजों की थपथपाहट) तभी तो छत्तीसगढ़ में राम-राम है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसके कान में राम-राम बोला जाता है। नाम के राम, काम में राम, अभिवादन में राम-राम, थक गये तब हे राम, मुख में जय श्री राम, बोलचाल में राम-राम , शहर और गावों के नामों में राम-राम, यहां पर जितने सदस्य बैठे हैं, हमारे रामविचार जी बाजू में बैठे हैं, यहां पर जितने सदस्य बैठे हैं, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, आदिवासी हों, सबके नाम में कहीं न कहीं राम आता है। अंतिम समय में भी राम नाम सत्य कहा जाता है। हमारे विपक्षी सदस्य ऐसे प्रभु श्री राम की चर्चा में भाग लेने के बजाय भाग जाते हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट-घट में लेटा, वही राम जगत पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का जो वनवास काटा, उसमें अधिकांश समय छत्तीसगढ़ की धरती में काटा।

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे,

सहस्त्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने।

अर्थात जो कोई भी राम कहता है, राम की आत्मा में रहता है। ऐसा कभी हमने सुना है कि हम उसे याद करें और वह हमारे पास आ जाये। इसलिए हम कहते है कि घट-घट में राम है। 500 साल के लंबे संघर्ष में 1 लाख 74 हजार से ज्यादा राम सेवकों ने अपना बलिदान दिया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इसका रास्ता खुला। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक विधान सभा की बिल्डिंग बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, एक कोई भवन बनाते हैं। 4 सालों के अंदर उसकी सभी बाधाओं को दूर करके 22 जनवरी 2024 का दिन एक ऐतिहासिक दिन पूरे विश्व के लिए बन गया। पूरे विश्व के जो राज प्रमुख थे, पूरे विश्व की जो जनता थी, वह टी.व्ही. की तरफ पलके बिछाये हुए उसको देखना चाहती थी कि पूरे विश्व में भारत में एक अनोखी घटना घटित हो रही है। 500 सालों के बाद एक इतिहास को दोहराया जा रहा है। उस इतिहास को दोहराने वाले व्यक्ति का नाम नरेन्द्र मोदी है जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। (मेंजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का एक मात्र मंदिर है। अभी अजय चन्द्राकर जी बता रहे थे कि राम वन गमन मार्ग में भी जो लोग भ्रष्टाचार कर दें, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की मूर्ति को विकृत बना दें, ऐसे लोगों से हम किस बात की उम्मीद करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- राम तो अनंत हैं, सुबह से रात तक बोलते रहेंगे तो संपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि आप समाप्त कर सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम का एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में जनहित एवं जनता के कल्याण करने वाले राम राज्य की स्थापना कर विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। " दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज काहु नहीं व्यापा।" हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी इसी भावना के अनुरूप काम

कर रही है। राम मिला है केवट के विश्वासों में, राम मिला है प्रण हेतु वनवासों में, राम मिला है हनुमान के सीने में, राम मिला है शबरी के विश्वासों में। ऐसे ही हम प्रभु राम को हमारे देश में, प्रदेश में केवट स्वरूप, शबरी स्वरूप जो दीन हीन, गरीब और जिनकी कोई सहायता करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे लोगों के जीवन में हम खुशहाली ला पायें, उसी के अनुरूप यह सरकार योजनायें बना रही है। मैं अंत में इन पंक्तियो के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा।

राम हमारा कर्म है, राम हमारी भक्ति है,
राम हमारा धर्म है, राम हमारी शक्ति है
राम हमारी गति है, राम हमारी मति है
बिना राम के आदर्शो के, चरमोत्कर्ष कहां है
बिना राम के छत्तीसगढ में, छत्तीसगढ़ कहां है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का शासन पक्ष को अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति इस विधान सभा की तरफ से समवेत स्वर में सर्वसम्मति से हम कृतज्ञता ज्ञापित प्रस्ताव को पारित करें। इसी भावना के साथ आपने इसे स्वीकार करके बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद। जय-जय श्रीराम। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - "छत्तीसगढ़ राज्य जहां प्रभु श्री राम का ननिहाल हे, छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम के वनवास काल में वन गमन मार्ग रहा है, प्रभु श्री राम इस प्रदेश के तीन करोड़ जनता के आराध्य हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक नागरिक की ओर से यह सदन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में लगभग 500 वर्षों से बहुप्रतीक्षित निर्मित भव्य राम मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2024 को प्रभु श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा किये जाने पर कृतज्ञ है।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री। (मेजों की थपथपाहट)

समय :
2:46 बजे

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या	**6**	**वित्त विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**21**	**आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**31**	**योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 6 **वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिये** - सात हजार नौ सौ छप्पन करोड़, सतासी लाख, उनचालीस हजार रूपये,

मांग संख्या 21 **आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये** - एक हजार एक सौ चौहत्तर करोड़, तीन लाख, नब्बे हजार रूपये तथा

मांग संख्या 31 **योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये** - चौंसठ करोड़, अठारह लाख, चार हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कऔतली प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 6

<u>वित्त विभाग से संबंधित व्यय</u>

निरंक

मांग संख्या - 21

<u>आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय</u>

निरंक

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री धर्मजीत सिंह जी। चर्चा प्रारंभ करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, पांच-पांच मिनट में खतम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यदि कम से कम तीन-तीन, चार-चार लोग बोलें। संक्षिप्त में बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, अब अच्छे से बोल लेते हैं न। यहां कोई है ही नहीं है। इधर तो मैदान साफ है।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो अच्छे से बोलिये। आप ओपनर हैं। मैं बाद वाले को बोल रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं और भी बोल लेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं एक लाईन वाला हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- थोड़ा बहुत बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरा तबीयत से बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उनका नाम था।

अध्यक्ष महोदय :- सबका नाम आयेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं?

अध्यक्ष महोदय :- हाँ, आप शुरू करिये।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ओ.पी. चौधरी साहब ने अपने विभिन्न विभागों की मांगों के लिए प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही काबिल वित्त मंत्री और बहुत वर्षों के बाद वित्त मंत्री के रूप में एक वित्त मंत्री ने ही इस सदन में बजट पेश किया है और उनका बजट आम लोगों में बहुत ही लोकप्रिय रहा है। हालांकि, मैंने इसको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से इसका एक बार जिक्र करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट में वर्ष 2023-2024 और वर्ष 2024-25 की तुलना में महिला बाल विकास के लिए वर्ष 2023-2024 में जो 2675 करोड़ रूपये का बजट था, उसको 5683 करोड़ किया। तीन हजार की वृद्धि का बजट में प्रावधान किया है और 112 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में भी पिछले साल के बजट की तुलना में 97% बढ़ाया है। खनिज संसाधन विभाग में 80%, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 70%, लोक स्वास्थ्य विभाग में 37%, कृषि विकास विभाग में 33%, ऊर्जा विभाग में 20%, गृह विभाग में 16%, नगरीय प्रशासन विभाग में 13%, स्कूल शिक्षा विभाग में 10% बढ़ाया है। मतलब उन्होंने यह जो प्रावधान किया है, यह भी वित्त मंत्री के रूप में इन सबकी स्वीकृति के लिए उनके पास ही जायेगा। उन्होंने अपने अपने भाषण में यह भी कहा था कि वह इस फायनेंस डिपार्टमेंट के लीकेज को रोकेंगे । जहां-जहां भी गड़बड़ियां दिख रही हैं, जहां पर भी भ्रष्टाचार की गुंजाईश होगी, जहां पर भी ओवर एस्टिमेटेड आयेंगे, जहां पर ज्यादा इधर-उधर अफरा-तफरी करने का कोई कार्यक्रम पुराने अनुभव के आधार पर कोई करेगा उसे ओ.पी. चौधरी साहब सख्ती से कुचलेंगे, रोकेंगे । मैंने उनका एक उदाहरण देखा कि इस सदन में आपकी कृपा से खनिज माफियाओं के खिलाफ जब बात हुई । ये खनिज विभाग के मंत्री नहीं हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से जवाब दे रहे थे, ये आवास पर्यावरण मंत्री भी हैं इसलिये उन्होंने खनिज माफियाओं के ऊपर कार्यवाही करने के लिये सदन में घोषणा की और उस घोषणा के साथ ही एक घंटे के अंदर इस प्रदेश में छापों का दौर शुरू हो गया । (मेजों की थपथपाहट) जितने खनिज माफिया हैं उनके ऊपर छापों के माध्यम से आपने अंकुश लगाने का जो प्रयास किया है उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं और लोगों में यह उम्मीद जगी कि आप कम से कम उनकी बात को सुनेंगे और कार्यवाही करेंगे । मैं समझता हूं कि आप अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से इसमें हमारे प्रदेश के

गरीबों के विकास के लिये जो प्रावधान किये गये हैं उसे आप आगे लागू कराने के लिये पूरी सक्रियता से भाग लेंगे, काम करेंगे ।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जनसंख्या, तेजी से शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का कम होना, प्रदूषण स्त्रोतों की बहुलता और अपर्याप्त सार्वजनिक जन-जागरूकता के अभाव में पर्यावरण की समस्याएं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गयी हैं । आप इस पर निश्चित रूप से बहुत काम करेंगे और इस प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है और 44 प्रतिशत वन क्षेत्र है इसकी हिफाजत आपके नेतृत्व में पर्यावरण विभाग जरूर करेगा और प्रदूषण से आप मुक्ति दिलाने का काम भी करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योगों की गतिविधियों के फलस्वरूप संभावित वायु प्रदूषण चिमनी के उत्सर्जन पर 24/7 निगरानी रखने के लिये 17 प्रकार के वायु प्रदूषणकारी प्रवृत्ति के 163 उद्योगों में ऑनलाईन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना करायी गयी है । राज्य में 17 प्रकार के प्रदूषणकारी प्रवृत्ति के कुल 163 उद्योग हैं इसके साथ ही वृहद् पहल करते हुए राज्य के सभी रोलिंग मिलों में ऑनलाईन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित कराया गया है इससे निश्चित रूप से प्रदूषण पर रोक लगेगी । छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मंडल द्वारा प्रदेश की प्रमुख नदियों, झीलों, तालाबों और भू-जल की मॉनिटरिंग का कार्य भी बोर्ड की समस्त क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से आप कराने का काम कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि नदियों में उद्योगों का पानी गिरता है, शहर की नालियों का पानी गिरता है और हमारी पवित्र नदी जो साफ पानी से निकलती है वह वहां पर गंदा होता है । माननीय मंत्री जी, आपको इस ओर भी ध्यान देना होगा कि कई शहरों में अगर थोड़ा सा भी खर्च किया जाये तो वह नदी बहुत दूर तक के ऐसे क्षेत्रों से बहती है जहां पर कोई बहुत बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला गांव या शहर नहीं होता है । उस पानी की शुद्धता हमारे लिये बहुत ही सम्मान का विषय हो सकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम मीनार्स के अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्त्रोत की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है । इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियां महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी, डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियां शामिल हैं । यदि आप इतनी ही नदियों की देखरेख ठीक से करा पायेंगे, मॉनिटरिंग ठीक से करा पायेंगे, अरपा को नोचने से, लूटने से बचा पायेंगे तो हमारे इन नदियों के ऊपर निर्भर लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी । आपने 3 शहरों को रायपुर, कोरबा, भिलाई को परिवेशीय वायु गुणवत्ता के आधार पर नॉन अटेनमेंट सिटी (Non Attainment City) के रूप में चिन्हित किया है । इसके साथ ही नॉन अटेनमेंट सिटी (Non Attainment City) भिलाई के लिये तैयार कार्ययोजना अनुसार अफोर्समेंट स्टडी (Afforcement Study) कार्य हेतु प्रारंभ कर दिया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 शहरों रायपुर, कोरबा, भिलाई और

इंडस्ट्रियल क्लस्टर उरला, सिलतरा, भिलाई और कोरबा हेतु पृथक-पृथक एक्शन प्लान आपने तैयार किया है, आपका प्रयास सराहनीय है । पर्यावरण और प्रदूषण दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। पर्यावरण की अगर हम रक्षा कर सकें, प्रदूषण से अगर हम बचा सकेंगे तो हजारों जिंदगियों को हम बचाने का पावन कार्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, शहर के नजदीक में उद्योग तो खोल लिये जाते हैं, तमाम शर्तों के संग उनको अनुमति दी जाती है, लेकिन अनुमति मिलने और उद्योग खुलने के बाद वो नियमों की धज्जियां ऐसा उड़ाते हैं, जैसे वह रद्दी का कागज का टुकड़ा हो। पर माननीय ओ.पी. चौधरी साहब, मैं चाहूंगा कि आप समय-समय पर ऐसे उद्योगों के ऊपर कार्रवाई करने या उनका निरीक्षण कराने का काम जरूर करेंगे ताकि आम लोगों को फायदा हो सके। वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग भी आपके पास है। पंजीयन विभाग द्वारा स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में आज राजस्व अर्जित किया जाता है। राजस्व अर्जन करने वाले प्रमुख विभागों में एक है। विगत वर्षों में विभाग का राजस्व 2242 करोड़ था। इस वर्ष आप 2500 करोड़ राजस्व अर्जन करने का लक्ष्य रखे हैं। ये निश्चित रूप से आपके लिए राजस्व का एक बहुत अच्छा स्रोत होगा और इस राशि से हम अपने प्रदेश के अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने और क्रियान्वित करने का काम करेंगे। महिलाओं के पक्ष में आप संपत्ति अंतरण होने पर स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की छूट प्रदत्त कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष 1 अप्रैल, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक कुल 54770 महिलाओं को 60.28 करोड़ रूपये की छूट का लाभ आपने दिया है। उपरोक्त रियायत के बाद भी आप 2500 करोड़ रूपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी.एस.टी. विभाग हालांकि वित्त विभाग थोड़ा कठिन विभाग है। अध्यक्ष महोदय, ये क्या-क्या बोलते रहते हैं वित्त मंत्री जी जी.डी.पी., ये अपने पल्ले ज्यादा पड़ता नहीं । मैं पढ़ता हूं कौन विभाग में कितना डॉलर, कितना पैसा आया है और क्या-क्या पैसा उसमें हमारे गांवों के लिए मिलेगा तो अपन लोग उतने में ही खुश रहते हैं, लेकिन फिर भी यह जी.एस.टी., बहुत दिन से जी.एस.टी., जी.एस.टी. सुनते हैं तो भू-राजस्व का 50 परसेंट जी.एस.टी. से आपको प्राप्त होता है। मतलब यह डिपार्टमेंट तगड़ा है। विभाग को पैसा प्राप्त करने का, सरकार को पैसा मिलने का। पर कई बोगस व्यापारियों द्वारा कर चोरी कर राजस्व का नुकसान भी पहुंचाया जाता है। तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए आपने business intelligence tool एवं कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए साढ़े 9 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसको 10-12 करोड़ रूपये भी करना हो तो करिए, लेकिन माननीय मंत्री जी, इन लोगों को रोकिए। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने वित्त विभाग की अनुदान मांग संख्या 6 के अंतर्गत 7 हजार 956 करोड़ 87 लाख रूपये का बजट प्रस्तुत किया है। यह जरूरी है। आपको इसमें करना ही पड़ेगा। शासकीय सेवा से निवृत्त शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों के लिए 7 हजार 729 करोड़ 14 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। ये ठीक है। किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिये जाने वाले कृषि ऋण पर राज्य शासन की ओर से ब्याज अनुदान हेतु वित्त

विभाग के बजट में 27 करोड़ रूपये का प्रावधान आपने किया है। आपने किसानों के हित में किया है। साहब, बहुत अच्छी बात है। योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। देखने में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल लूप लाइन वाला विभाग है, लेकिन बिना प्लानिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता न। बिना डाटा के तो आप कुछ प्लान कर ही नहीं सकते। कुछ प्रावधान कर नहीं सकते। इसलिए इसे आप जितना करेंगे उतना ही अच्छा है साहब। और इसी में मुझे लगता है कि विधायक निधि का भी पैसा जो जाता है, उसी में ये लागू होता है, लेकिन उसमें मेरा निवेदन यह है कि विधायकों के लिए कई साल कुछ नियम रहता है, अचानक नियम बदल जाता है। एक साल हम किसी स्कूल को पैसा दे सकते थे, दूसरे साल बोले कि वह नियम बदल गया है । एक बार उसे भी रिव्यू कर लीजिएगा। कुछ-कुछ जनता के हित में जो मांगें, हम दे सकते हैं तो उसे देने का प्रावधान कर दीजिए ताकि हम दे दें। हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं, लेकिन नियम के कारण नहीं दे सकते हैं। उसको आप जरा सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जरूर मदद करिएगा।

समय
3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग से जो भी अनुमति दी जाए, उसका पूरी तरह से वेरीफिकेशन करके ही दी जानी चाहिए । क्योंकि आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं । मैं अभी किसी क्षेत्र का जिक्र करके अपनी दुर्भावना का प्रदर्शन नहीं करना चाहता । लेकिन टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग से अनुमति है ऐसा कहकर वे न तो अधिकारियों को ठीक से बात करने देते, न उनको देखने देते हैं, न ही जांच करने देते हैं । एक बार कोई भी बिल्डर और इस तरह का काम करने वाले बड़े बड़े लोग, ये सारा उत्पात उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है । टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग में इस पर ज्यादा निरीक्षण करना चाहिए । कई कालोनियां बन जाती हैं और उसके बाद वहां की सारी समस्या वहां के जन प्रतिनिधियों और नगर निगम के ऊपर आ जाती है । मैं एक-दो कालोनी में गया था, सड़क बनी नहीं है, बिजली लगी नहीं है तो ऐसी कालोनियों में हम कहां तक व्यवस्था करेंगे और नियम भी आड़े आता है कि आप बनने भी नहीं देते हैं और न ही खुद बनाते हैं वरना हमको कोई तकलीफ नहीं है कि सड़क बनाओगे तो ये रेग्युलर कालोनी नहीं है, यह अवैध कालोनी है । जब तक वैध न हो तब तक बनने मत दीजिए । वैध होने के बाद जो उनके प्रावधान हैं, उनको पूरा कराइएगा ।

माननीय मंत्री जी, आप खनिज को भी एन.ओ.सी. देते हैं । आवास एवं पर्यावरण विभाग से खनिज विभाग को मिलता है । मैं खास तौर पर रेत के लिए बोल रहा हूं, बाकी किसी उद्योग से मेरी कोई दुर्भावना नहीं है । रेत वालों को भी आप देते हैं तो आप थोड़ा नपवा लीजिए, ठीकठाक नियम कायदा बनाकर उनको दीजिए । मैं तो आपसे यह कहता हूं कि आप यह खनिज के रेत के ठेके को बंद

करा दीजिए । यह रेत का ठेका, इतना बड़ा है लेकिन थोड़ा सा पैसा आता है और पूरे प्रदेश में ऐसा हाहाकार मचाता है जैसे ये कोल इंडिया का कोयला निकल गया हो, एनएमडीसी का लोहा निकल गया हो । ट्रेक्टर में, हाईवा में चोरी चकारी वाला काम है, दे दो ना अपने सरपंचों को साहब । सरपंच लोगों को दे दो । यह पुरानी सरकार का धंधा था कि उस सरकार में फोन आता था कि बलरामपुर के ठेके को फलां नेता आ रहा है उसको फिफ्टी परसेंट पार्टनरशिप देना है । लागत मांगता था, आधा दे दो तो नहीं करने देते थे । वो नेता प्लेन से रायपुर आता था और रायपुर से बैठकर जाता था बलरामपुर और बलरामपुर के सर्किट हाऊस में रहता था । आपके अधिकारी उसको खाना खिलाते थे । आपके अधिकारियों से वह कहता था कि आज मैं चिकन खाऊंगा, रात को बोलता था मछली खाऊंगा और वहां से माल टाल लेकर निकल जाता था, यह क्या तरीका है । ये रेत न हुआ, लुटेरों का अड्डा हो गया था । बंद करा दीजिए, दे दीजिए भरोसा कीजिए अपने सरपंचों पर । वो सरपंच चाहे जैसा भी करेंगे, आखिर हैं तो हमारे ही लोग । कम से कम प्रदेश का माल तो बाहर नहीं जा रहा है ना । इसका पूरा पैसा, कोई रायबरेली से आता था, कोई गाजियाबाद से आता था, कोई इस नेता की सिफारिश में आता था, कोई उस नेता की सिफारिश में आता था । इसको बंद करिए साहब और आप सिर्फ सरपंचों को दे दीजिए, चाहे जिस भी पार्टी का सरपंच हो, दे दो और रोज रोज की बदनामी से मुक्ति पाओ । सरकार की बदनामी होती है, अधिकारी भी परेशान हैं । अधिकारी कार्रवाई करता है तो नेता उसका ट्रांसफर करवा देते हैं, कार्रवाई नहीं करेगा तो दुनिया भर की जांच होती है । उसका मरना तो दोनों तरफ से हो गया ना । कुछ अधिकारियों ने कूद-कूद कर ज्यादा काम किया था, कोरबा में और इधर-उधर । देख तो रहे हैं क्या हाल हो रहा है। काम नहीं करते तो सांख्यिकी विभाग के डायरेक्टर बना दिए जाते । दोनों में परेशानी है तो यह सब न हो । मैं आपसे यही कह रहा हूं साहब कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आप कड़े होइए । उद्योगों की जांच कराइए । मैं अभी कोई शिकायत नहीं करूंगा लेकिन मैं भी एक दो उद्योगों के बारे में बताउंगा कि उसमें आप जांच करा लीजिए, यहां बोलना उचित नहीं है । रेत के बारे में सोचिएगा, टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग के बारे में सोचिएगा और आपसे आखिरी निवेदन है कि विधायकों के बारे में फिर से नई नीति, नियम और कुछ कामों को जोड़ने का कर लीजिएगा । हमारे कामों के लिए जो-जो बजट में आया है । मैं वित्त विभाग से बहुत डरता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चौधरी जी से डरने की जरूरत नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- डरने का कारण बता रहा हूं, हल तो वही निकालेंगे । जैसे बजट में आ जाता है कि 28 काम स्वीकृत । अखबार में हमारी मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ छपता है, PWD में 28 काम स्वीकृत। बधाईयों का तांता शुरू हो जाता है। 28 काम में से 2 काम फायनेंस में सेंक्सन होगा तब। साहब, दो महीने बाद वह माला जी का जंजाल हो जाता है, गाली खाना पड़ता है। भैया, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, भले 20 काम शामिल हो, 40 काम शामिल हो, उससे मतलब नहीं है, दो चार पांच

जो बहुत प्रमुख हो, उसको आप कृपा करके वहां से करवा दीजिए। क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं तो थोड़ा उम्मीद कर रहे हैं आप समझिए। हमको वहां का कुछ समझ में आता जाता नहीं है। हम आपको समझ रहे हैं, हम आपके पास आकर बोल देंगे। अब कैसे-कैसे होता है, उसको आप देखिए।

श्री राजेश मूणत :- धर्मजीत भैया, आपका पुराना अनुभव बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार चौधरी जी हैं, चिंता मत करिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कुछ टेस्ट करूंगा, उसके बाद ही बोलूंगा। उम्मीद तो मेरे को भी है कि चौधरी साहब बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं अपनी पीड़ा तो बता रहा हूं, तुम्हीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा देना। यह दर्द भी आपने दिया है, दवा भी आप दे देना। हमारे क्षेत्र में काम वगैरह करा देना, हम लोग भी थोड़ी मान प्रतिष्ठा के लिए चिंतित रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। आप हैं तो उम्मीद है। जब तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे साथ देंगे, हमारे सदन के सब लोगों का साथ देंगे। मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विभाग में बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं धन्यवाद के साथ अपनी बात की शुरूआत करूंगी। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 2024-25 का बजट आया है। आदरणीय वित्त मंत्री जी के मार्गदर्शन में बजट प्रस्तुत हुआ है, निश्चित ही बहुत अच्छा बजट है जिसको आने वाले 23 सालों के बाद छत्तीसगढ़ किस रूप में बनेगा, कैसे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, उसका रोडमैप इस बजट में क्लीयर है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया था, हम सब यहां पर उपस्थित थे, जिस तरीके से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, यह सदन का पहला ऐसा बजट था जो पेपरलेस बजट था। हमें बहुत खुशी है कि हम नये टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नये सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है, इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगी। हम हमेशा अमृतकाल की बात करते हैं। जब हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे तो हमारे भारत का स्वरूप कैसे दिखेगा, हम इस विषय पर हमेशा चर्चा करते हैं। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसका एक छोटा रूप है। आज से 23 साल बाद छत्तीसगढ़ किस दिशा में आगे जाएगा। वित्त मंत्री जी के द्वारा इसकी रूपरेखा रखी गयी है। मैं बहुत छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात प्रस्तुत करना चाहूंगी। जब विष्णु भगवान का वामन अवतार हुआ था, 5वां अवतार वामन के रूप में हुआ था। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि उनका पहला पग धरती को नापने का था। धरती को नापने का जो उद्देश्य था, वह कहीं न कहीं हम उसको अर्थशास्त्री के रूप में देखते हैं। हमारा जो पहला उद्देश्य है, वह आने वाले 2028 में हमारी जो जी.डी.पी. है, वह डबल हो जाएगी। पहला कदम विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूसरे कदम की बात करते

हैं, वामन ने दूसरा कदम स्वर्ग का नापा था। आदरणीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो 10 आधारभूत स्तंभ की बात की गयी है, जिसे ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, G-गरीब, Y-युवा, A-अन्नदाता, N-नारी शक्ति की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा कदम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना पहला कदम है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बजट में चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। देखने में बहुत आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि हम नये सदस्य चुनकर आए हैं, सदन से हमारी उम्मीद थी कि जब किसी विषय पर चर्चा होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में रहता है। हमें विपक्ष से भी काफी कुछ सीखने का अवसर मिलता है लेकिन हम लगातार विपक्ष से जो चीज सीख रहे हैं, वह यह है कि हर परिस्थिति में यहां से बहिर्गमन कर देना। मैं बजट की शुरूआत किसी और विषय से करने वाली थी लेकिन जब मैंने बजट देखा। हम प्रभु श्रीराम को कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे, आज यहां पर विपक्ष की सारी सीटें खाली हैं। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की बात से सहमत हूं कि राम जी का विरोध करते करते एक भूमिका बनाई गयी और आज राम जी की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगी कि 35 करोड़ का बजट राम जन्म भूमि की आयोध्या दर्शन के लिए रखा गया है, मुझे लगता है कि शायद यह उनकी उपयोगिता नहीं है, इसलिए 35 करोड़ बजट में उनका कोई हिस्सा होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल उसी तरह है, जैसे यह कोविड का विरोध करते थे। जब कोविड का इंजेक्शन आया था तो इनका कहना था चूंकि इंजेक्शन की पहल भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार के द्वारा की गई है तो हमें इंजेक्शन नहीं लगवानी है।

समय :
3.10 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

भले ही पता नहीं कि छिप-छिपकर विपक्ष के कितने सदस्यों ने इंजेक्शन लगवायी होगी। उसी तरह से आज विपक्ष ने प्रभु श्री राम जी की प्राण-प्रतिष्ठा से संबंधित कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का विरोध किया है तो हम यह मानकर चलते हैं कि कहीं न कहीं यह इस बजट के प्रति उनके विरोध को दर्शाता है। बहुत सारे विभागों में चर्चा हुई है। चाहे मैं महिला एवं बाल विकास विभाग की बात करूं, चाहे शिक्षा विभाग की बात करूं, चाहे पिछड़ा वर्ग विभाग की बात करूं, चाहे वन विभाग की बात करूं, जिसकी अभी चर्चा होने वाली है। हम मानकर चलते हैं कि सभी विभागों में बजट का प्रारूप बहुत अच्छे तरीके से divide किया गया है। सारे विभागों को महत्वपूर्ण तरीके से। हम आने वाले 23 वर्षों की बात करते हैं तो कहीं न कहीं उसकी रूपरेखा बनाकर ही यह बजट लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी के द्वारा यह भी बात कही गई है कि राजस्व में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। हमेशा यह बात आती है कि सरकार ने पिछले दिनों में क्या किया है? मैं कहना चाहूंगी कि चाहे पर महतारी वंदन

योजना की बात करें तो महतारी वंदन योजना के लिए 3 हजार करोड़ रूपये सुरक्षित किया गया है। जिसका लाभ आने वाले मार्च के प्रथम सप्ताह से मिलने वाला है। चाहे कृषक उन्नति योजना की बात करें तो यह किसानों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें उनकी 917 रूपये की जो राशि pending थी, वह राशि 3,100 रूपये के हिसाब से मिलने वाली है। चाहे मैं प्रधानमंत्री आवास की बात करूं। जो 18 लाख आवास pending थे, पहले ही बजट और पहले ही सत्र में आदरणीय विष्णु देव साय जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए निर्णय लिया गया। चाहे मैं तेंदूपत्ता की मानक राशि में वृद्धि की बात करूं तो उसको 4,000 रूपये से बढ़ाकर 5,500 रूपये किया गया है। ऐसे विभिन्न विषय हैं, जिनके लिए वित्त मंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छे से बजट का संचालन किया गया है। जब यहां पर विभिन्न विभागों पर चर्चा हो रही थी तो जिस तरीके से पिछले 5 सालों में जो कमियां थीं, उन कमियों को लगातार दूर किया जा रहा है। चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें, चाहे स्कूलों के उन्नयन की बात करें, चाहे नये कॉलेज खोलने की बात करें, चाहे कहीं तहसील खोलने की बात करें तो लगातार सारे विभागों के द्वारा जो घोषणाएं हुई हैं और जो बजट पारित हुआ है तो कहीं न कहीं हम चीज को मानकर चलते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 5 सालों तक छत्तीसगढ़ की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 17 दिसंबर, 2018 को छत्तीसगढ़ पर 41 हजार, 6 सौ, 95 करोड़ रूपये का ऋण भार था। लेकिन पिछले 5 साल में ही वह ऋण भार बढ़कर 91 हजार, 5 सौ, 20 करोड़ रूपये हो गया है। हम यही समझते हैं कि लगातार शराब, खनिज, P.S.C. और ट्रांसफर को लेकर जो घोटाले हुए हैं तो मुझे लगता है कि यह जो ऋण भार और घोटोले का भार आया है, वह कहीं न कहीं उसको कॉम्पनसेड करने के लिए आया है। हम यह मानकर चलते हैं कि छत्तीसगढ़ पर बहुत भार है। लेकिन साथ ही एक विश्वास भी है कि छत्तीसगढ़ कृषि उन्नत राज्य है। छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा मानते हैं। छत्तीसगढ़ में संसाधन की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता है। हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी के कुशल प्रबंधन में बहुत ही जल्दी हम छत्तीसगढ़ को वापस उन्हीं ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ पूरे देश में जाना जाता था। यदि मैं शौचालय योजना की बात करूं तो आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में कई ऐसे गांव थे, जो ओ.डी.एफ. घोषित हुए थे। यदि हम वर्ष 2018 के पहले तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास निर्माण में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान में था, जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाये थे। लेकिन पिछले 5 वर्ष में पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य थे, जहां पर एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बने थे।

माननीय सभापति महोदय, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला बजट छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी नींव रखने वाला है। जिससे न सिर्फ किसानों, बल्कि आनी वाली युवा पीढ़ी को भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन

मिलेगा। जिस तरह से P.S.C. घोटाले की जांच की बात कही गई है। चाहे मैं इस विषय की बात करूं, चाहे ऐसे विभिन्न विषयों या सारे विभागों की बात करूं। आने वाले समय में निश्चित ही छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे रूप में देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आम जनता के बीच से बात आती है कि इस बार बजट में टैक्स में एक भी रूपये नहीं बढ़ाया गया है। जहां हम अगले 5 सालों में एक बड़ा विजन डॉक्यूमेंट लेकर चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिये कि छत्तीसगढ़ में एक भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। निश्चित ही यह हमारे वित्त मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कुशल प्रबंधन है। एक तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि हमने एक बहुत बड़ा रिस्क, एक बहुत बड़ा टास्क लिया है। लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में निश्चित ही सबके सहयोग से हम यह टास्क और रिस्क बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। मैंने अलग-अलग विषयों और सभी मंत्रालयों में अपनी बात रखी है। जिससे एक ही चीज निकलकर आती है कि यहां पर जितने भी विभागों पर चर्चा हुई है, उसमें पक्ष या विपक्ष, जो चर्चा में उपस्थित थे। भले ही दबी जबान से ही लेकिन विपक्ष इन बातों से सहमत है, यह साफ दिखाई दे रहा था । मुझे बहुत खेद है कि आज जिस तरीके से सदन में कार्यवाही हुई है क्योंकि हम पहले ही जानते थे कि राम जी के अयोध्या के जन्मभूमि के अवसर पर आज कृतज्ञता ज्ञापित होगी तो आदिवासी भाई बहनों को मुद्दा बनाकर विपक्ष द्वारा जिस तरीके से सदन का बहिष्कार किया गया है, उसके लिए हम खेद भी व्यक्त करते हैं क्योंकि विपक्ष में काफी वरिष्ठ सदस्य बैठे थे, जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन नये सदस्य होने के नाते मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि आज विपक्ष ने जो किया है, मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ सीखने का अवसर मिलेगा । मैं पुन: आदरणीय वित्त मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं देती हूं और आने वाले अमृतकाल में आजादी का 100वां वर्ष आएगा, उसमें हम सब मिलकर एक नया छत्तीसगढ़ और एक नया भारत का पुन:स्थापना करेंगे, इस बात के साथ मैं सबका अभिनंदन करते हुए सभापति महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्री प्रेमचंद पटेल (कटघोरा) :- सभापति महोदय, मैं वित्त विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करने और उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में आज भारत देश पुन: विश्व गुरू करने की राह पर है । आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था उनके कुशल नेतृत्व में 5वें स्थान में है और आने वाले पॉच साल में इस देश की अर्थव्यवस्था में हमारे प्रदेश का भी योगदान हो और विश्व में तीसरे स्थान पर आने की परिकल्पना है, उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान निश्चित रूप से होगा । हमारी मॉ भारती को बढ़ाने और सजाने, सँवारने में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का योगदान होगा । सन् 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उसके साथ-साथ दो अन्य राज्यों का निर्माण हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाओं, प्राकृतिक संसाधनों, पर्याप्त मात्रा में खनिज

संसाधनों के होने के कारण छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कहीं दोनों राज्यों से आगे है । हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय जी की सरकार बनी है और हमारे वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी ने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बजट प्रस्तुत किया है । वैसे तो उन्होंने सभी विभागों का एकजाई बजट प्रस्तुत किया है और हमारी आवश्यकता के अनुसार सभी विभागों को बजट मिला है । आज वित्त मंत्री चौधरी जी ने बजट प्रस्तुत किया है, वह हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला बजट है । हम 5 साल पहले की बात करें तो छत्तीसगढ़ का कर्ज 39695 करोड़ रूपए था । वर्तमान में हम 91520 करोड़ रूपए के कर्जे में हैं । हमारे प्रदेश के इस साल के बजट का आकार 1 लाख, 47 हजार 500 करोड़ है, जो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने में बहुत योगदान देगा । कहीं न कहीं हम अच्छी सरकार की, अच्छी प्रजातंत्र की व्यवस्था देखेंगे । प्रजातंत्र में हमारी सरकार है और राजतंत्र में राजा हुआ करते थे, वह पहले ऐसा टैक्स लिया करते थे कि वह टैक्स लेते थे और प्रजा को पता भी नहीं चलता था। ऐसा ही टैक्स की व्यवस्था हमारे श्री ओ.पी. चौधरी जी ने की है कि हम जो टैक्स ले रहे हैं वह किसी को पता भी नहीं चल रहा है। यह टैक्स हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। इस बजट में कहीं किसी टैक्स में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। फिर भी आज हमारा जो बजट है, वह कई गुना बढ़ा हुआ है। निश्चित रूप से हमारे विज्ञान के थीम पर, 10 स्तम्भ आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्रीओ.पी. चौधरी जी ने बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से यह हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान साबित होगा।

सभापति महोदय, आज हम उनके विभाग पर्यावरण, आवास की बात करें, किसी देश और प्रदेश की बात करें, तो निश्चित रूप से उस प्रदेश की और उस देश के निर्माण में, कहीं न कहीं प्रगति में यह आवास पर्यावरण विभाग बहुत योगदान देता है। क्योंकि आज जब हम विकास की परिकल्पना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, ईमारत देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं ईमारतों की बदौलत ही किसी देश की, किसी प्रदेश की ऊंची ईमारतों के कारण ही पहचान होती है कि उस प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था कैसी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी की घोषणा-पत्र में, मोदी जी गारन्टी में था कि हमारे प्रदेश में 18 लाख आवास बने। इसके लिए हमारे वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी ने बजट दिया है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में आवास बनाने में प्रक्रिया को गति मिलेगी। कांग्रेस की सरकार में 5 साल से रूका हुआ था। लेकिन इसमें हमारे वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी का हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का निश्चित रूप से योगदान रहेगा।

माननीय सभापति जी, आज ग्राम एवं नगर निवेश की बात करें तो हमारे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए बड़े शहरों में 194 जगहों को चिन्हित किया गया है। इससे प्रदेश के 53 बड़े शहरों के

लिए जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार किया गया है। शेष 139 निवेश क्षेत्रों की विकास योजनाओं हेतु हम सब लोगों के परिकल्पना के अनुसार भुगतान हेतु 132 लाख का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए श्री ओ.पी. चौधरी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सिस्टम में परिवर्तन हुआ है। इस विभाग को कम्प्यूटरीकृत करने, ऑनलाईन करने के लिए विभाग द्वारा व्यवस्था की जा रही है। पहले विकास अनुज्ञा एवं भवन निर्माण अनुज्ञा मेनुअली दी जा रही थी, जिसके कारण प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता था। अब आनलाईन अनुज्ञा प्रदान करने हेतु, साफ्टवेयर तैयार करने हेतु चिप्स के माध्मय से सलाहकार संस्था को चयनित किया जाकर आगामी 4 वर्षों के लिए अनुबंध किया गया है। इसके लिए नगर एवं ग्राम निवेश में आनलाईन भवन विकास अनुज्ञा हेतु सरकार द्वारा 48 लाख रूपया नवीन मद में प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय :- पटेल जी, अब खत्म करिये।

श्री प्रेम चंद पटेल :- सभापति महोदय, बड़े शहरों में प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे श्री ओ.पी. चौधरी जी ने इसके लिए चिंता की है। हमारे इस प्रदेश को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा प्रारंभ किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के लिए 103 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, जो बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण हो रहा है, उससे पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, उसमें से निकलने वाला धुंआ प्रदूषण फैला रहा है, उसे रोकने के लिये हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा 24 घण्टा और 7 दिन निगरानी रखने के लिये 17 प्रकार के वायू प्रदूषण मानिटरिंग सिस्टम की स्थापना 163 उद्योगों में की जा रही है । सभापति महोदय, इन औद्योगिक घरानों के कारण नदियों में प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे निकलने वाला जो उत्सर्जित जहरीला पदार्थ है, इसका नदियों को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है । इसको रोकने के लिये शिवनाथ, महानदी, खारून, हसदेव, केलो, सिहावा में आरंग, भाटापारा में बेंदरी, शिवनाथ नदी में बेमता, हसदेव नदी में कोरबा, केलो नदी में रायगढ़ से नदियों के उद्धार करने के लिये क्रियान्वयन किया जा रहा है । सभापति महोदय, मैं कोरबा जिले से आता हूँ तो मैं अपनी बातों को रख देता हूँ । आप सभी को पता है कि कोरबा जिला पूरा औद्योगिक एरिया है, कोरबा पूरा कोयला खदानों से घिरा हुआ है, कहीं न कहीं कोरबा जिला प्रदूषण से प्रभावित है । सभापति महोदय, मैं कटघोरा विधान सभा से आता हूँ, हमारे उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी जी बैठे हुये हैं, मैं यहां पर मांग करूंगा कि कटघोरा में माईनिंग कॉलेज की स्थापना की जाये और इसके साथ ही कहीं न कहीं पर कटघोरा में नर्सिंग कालेज खोला जाना भी आवश्यक है । यह क्षेत्र चाहे रेल के माध्यम से हो, चाहे खनिज के माध्यम से हो, कोयला के माध्यम से हो, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला क्षेत्र है । माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से मांग को पूरा करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ । हमारे अविभाजित बिलासपुर जिले में भी पुराने तहसील थे, चाहे मुंगेली हो, चाहे जांजगीर चांपा हो, चाहे सक्ती हो, चाहे कटघोरा हो, जो जिला

छूट गया है, उसे भविष्य में जिला बनाने के लिये हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी और वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी जी निश्चित रूप से विचार करेंगे । जो पांच साल पुरानी सरकार थी, उन्होंने इसके लिये घोषणा की थी, हमें इसे लेकर आगे बढ़ाना है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहता हूँ कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे दीपका क्षेत्र में, हमारे बम्हनीकोना पंचायत के चार लोग, कोयला लेने के लिये गये थे,कोयला निकालते समय दुर्घटना हो गया, उसी समय ब्लास्टिंग हुआ, जिसके कारण चार लोग खदान में दब गये थे । वहां पर 3 लोगों की मृत्यु हो गयी है और एक घायल है । सुबह रेस्क्यू करके उनके डेड बॉडी को निकाला गया है । हमारे उप मुख्यमंत्री श्री चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री लखन भईया, कैबिनेट के हमारे केदार कश्यप जी बैठे हैं, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी हैं, उनके लिये कुछ आर्थिक सहयोग हो सके तो इस सदन में आप लोगों से मांग करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अनुज शर्मा जी के बाद बोल लूंगा।

सभापति महोदय :- अनुज शर्मा जी।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त विभाग से संबंधित मांग संख्या-6, मांग संख्या-21 एवं मांग संख्या- 31 के समर्थन में अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वर्ष 2047 का विजन है, यह बजट उसकी ओर छत्तीसगढ़ को बढ़ाने वाला बजट है और इस बजट में जो पूंजीगत आय और व्यय दोनों में जो वृद्धि हुई है और जिस प्रतिशत में वृद्धि हुई है, यह महत्वपूर्ण है। इसके पहले का जो प्रतिशत होता था, वह 12 प्रतिशत होता था, अभी हमारा अंदाजा है कि वह 20 प्रतिशत होगा। यह हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की स्मार्टनेस है, जिन्होंने एक भी नया कर नहीं लगाया और किसी भी पुराने कर में कोई वृद्धि नहीं की। एक स्मार्ट वित्त मंत्री ही इस काम को कर सकते हैं। मैं इसके लिये उन्हें बहुत-बहुत बधाई दूंगा और बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा।(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, यह एक ऐसा बजट है, जिसमें तकनीक पर बहुत ध्यान दिया गया है। यह समय के हिसाब से चलने की बात है। बजट प्रस्तुत करने के तरीके से ही यह बात इंगित हो जाती है कि एक इलेक्ट्रानिक माध्यम से इस बजट को पढ़ा गया और कहीं न कहीं इसने संकेत दिया कि छत्तीसगढ़ किस ओर अग्रसर होने वाला है। इस बजट में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि मेरे पूर्ववक्ताओं ने पहले से ही इन बातों का जिक्र कर दिया है, इसलिये मैं ज्यादा नहीं करूंगा। नया रायपुर में ई-बस की एक बहुत अच्छी पहल है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों, रियल स्टेट प्रमोटरों, उद्योगपतियों के साथ संवाद, विचार विमर्श हेतु इवेंट आयोजित किये जायेंगे। यह छत्तीसगढ़ के लिये एक अच्छा आकर्षण पैदा करेगा। बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में इनवेस्टमेंट प्रमोशन के इवेंट

आयोजित किये जायेंगे ताकि वहां के निवेशक छत्तीसगढ़ आ सके और यहां पैसा लगा सके। इसमें आई.टी. के प्रमोशन के लिये काम किया जायेगा। हमारे यहां जो हमारे युवा हैं, जो आई.टी. सेक्टर में काम करते हैं, वह राज्य को समृद्ध करने का प्रयास करेंगे। एक और खूबसूरत बात यह है कि जब मैंने वित्त मंत्री जी से जी.एस.टी. पर चर्चा की तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ सिस्टम को ठीक करने से जी.एस.टी. की वसूली में बहुत बड़ा अमाउण्ट आने वाला है। मैं उसके लिये भी वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना, स्टेट कैपिटल रिजन, इस बजट के ऐसे बहुत सारे हाईलाईट्स हैं, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब मैं इनकी ओर आपका ज्यादा ध्यान आकृष्ट नहीं करूंगा। मैं सीधे उन विषयों पर आता हूं, जिस पर मैं बात करना चाहता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वर्ष 2047 की परिकल्पना की है कि जब देश अपनी आजादी का 100 साल मनायेगा तो एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। हम कहीं न कहीं चाहते हैं कि हमारे देश में औद्योगिक क्रांति हो, हमारा देश आर्थिक रूप से सशक्त देश बने। लेकिन एक और क्षेत्र बचता है और वह है हमारे यहां की हवा। हम शुद्ध हवा को अपने शरीर के अंदर ले, तब हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे नहीं तो हम उद्योगों का और कांक्रीट का जंगल बनकर रह जायेंगे और शुद्ध हवा के लिये तरस जायेंगे। माननीय सभापति जी, एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि :

"लाली मेरे यार की जित देखी तित लाल,
लालन देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल"

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां लाल की जगह काला इस्तेमाल होता है। मैं जित जाता हूं, तित काला होता है और बहुत काला होता है। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह क्षेत्र माननीय मंत्री जी के लिये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। उनके पास जो-जो विभाग हैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र उन सारे विभागों पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सभापति महोदय, मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वहां प्रदूषण का स्तर ऐसा है कि जो बच्चा गोरा पैदा होता है, वह सांवला हो जाता है । वहां दुल्हन गोरी ब्याह के आती है। जब एक बच्चे की मां होती है तो उसका रंग काला पड़ जाता है। यहां प्रदूषण इतना है। सौभाग्य से मुझे भी थोड़ा फेयर रंग मिला है मैं खुद को मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार कर रहा हूँ कि अब अगली बार आपके सामने आऊंगा तो मैं ब्लैक डायमंड के रूप में आऊंगा। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं मैं आपका ध्यान जिसकी ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यहां ई.एस.पी. संयत्र चलाये जाते हैं, लेकिन केवल नाम के लिए चलाये जाते हैं। कभी ठण्ड के मौसम में मेरे क्षेत्र में एक घण्टे घूमकर देखिए। आपको एक-एक सांस लेने से डर हो जाएगा। यहां पर मैं मानवीयता के ग्राउण्ड पर बात करना चाह रहा हूँ। अगर उस क्षेत्र को औद्योगिक क्रांति का केन्द्र बनाया गया है तो उन उद्योगों की नैतिक जिम्मेदारी

होती है कि वह इंसानों के रहने लायक जगह रहे। वहां पर पक्षियों का झुण्ड नहीं दिखता है। वहां छोटे-छोटे जीव-जन्तु खत्म हो गये हैं। ऐसा न हो कि वह बाद में सिर्फ उद्योगों का जंगल रहे, वहां इंसान रहना छोड़ दें। इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की पराकाष्ठा है। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की पराकाष्ठा है। जब सड़कों पर ट्रकें चलती हैं और उससे उड़ने वाले धूल से जब प्रदूषण पैदा होता है उसमें कोई पानी छिड़कने की जहमत नहीं उठाता है। यहां प्रदूषण का यह एक बहुत बड़ा कारण है। यहां ई.एस.पी. संयंत्र को प्रॉपर नहीं चलाया जाता है सिर्फ उद्योग कुछ यूनिट बिजली बचाने के लिए लोगों के जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। जो मानवता के दुश्मन हैं उन पर ऐसी कार्यवाही की जाये कि पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मानवता के दुश्मन सिर्फ कांग्रेसी हैं।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मानवता के दुश्मन कहने का मतलब यह है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने जो ढीला-ढाला रवैया अपनाया है, यह उसका नतीजा है । मैं इसी की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। माननीय वरिष्ठ और विद्यान हमारे सदस्य महोदय ने जो कहा है। इसमें हमारे क्षेत्र में सांस से जुड़ी बीमारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आपको और बताना चाहता हूँ कि उद्योगपति हमारे क्षेत्र से पैसे कमाते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में सी.एस.आर. के मद को खर्च नहीं किया जाता है। उस क्षेत्र के लोगों का सबसे पहले उस पैसे पर हक बनता है कि वहां उनका विकास हो, उस क्षेत्र में रहने वालों का विकास हो। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इसमें कड़ाई के साथ नियम बनाया जाये। काला धुंआ पीयें हमारे लोग और विकास कार्य किसी दूसरी जगह पर हो। मुझे यह बात न्यायसंगत नहीं लगती।

माननीय सभापति महोदय, जब मैंने ई.एस.पी. संयंत्र के प्रयोग के बारे में जानकारी चाही तो विभाग के द्वारा उसका भी ऐसा गोलमोल जवाब आया है कि मुझे कहने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं उस पर बात करता। ऐसा गोल-गोल जवाब देते हैं कि मैं क्या बताऊं? वहां वृक्षारोपण की हालत ही नहीं है। एक तो पर्यावरण विभाग के अधिकारी ऐसे हैं जो पर्सनल बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। वह इतना Afford कर सकते हैं। ऐसे अधिकारी हैं, जो पर्यावरण विभाग के अधिकारी पर्सनल बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। उनकी इतनी आय है। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। हम जनप्रतिनिधियों की बातों की इतनी उपेक्षा होती है क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की बात करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस विषय पर जरूर ध्यान देंगे। न सिर्फ काला धुंआ, हमारे यहां गोरा धुंआ भी होता है। जब हमारे यहां सैकड़ों की तादाद् में जो क्रेशर मशीनें चल रही हैं उससे यहां के लोग गोरे भी हो जाते हैं। आप उस रास्ते से गुजरिये आपको फाउण्डेशन या पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपने आप

मेकअप हो जाता है। उस क्षेत्र में इतने सारे क्रेशर मशीन हैं । माननीय विद्वान सदस्य जी, मैं यह बोलूंगा, यह मेरी पीड़ा है। उस क्षेत्र में मुझे जवाब देना होता है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को इन बातों से अवगत करना चाहता हूँ। आप तो हरियर हरियर जगह के हो, मैं करिया सफेद जगह के हौं।

माननीय सभापति महोदय, हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि हमने आपके लिए ऐसी दुनिया बनाई जहां साफ सांस भी नहीं ले सकते। पर्यावरण विभाग जब वायु प्रदूषण की जांच करता है जो वायु प्रदूषण का मिनिमम स्तर है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करें कि थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। ऐसे ई.एस.पी. संयंत्रों के प्रयोग पर, ऐसे उपकरणों के प्रदूषण का स्तर नापने पर थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। वहां पर समय-समय पर प्रदूषण के स्तर की जांच होती रहे। माननीय सभापति जी, न सिर्फ हवा, पानी की हालत खराब है, जो खारून नदी पूरे रायपुर को पानी पिलाने का काम करती है, जहां से खारून नदी को जल की सप्लाई होती है। जब खारून नदी में आगे जायेंगे तो पानी पीने लायक तो क्या, नहाने लायक नहीं होता है। जमीन के नीचे के पानी में एसिड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने गावों में पानी पी नहीं पाते हैं। कन्हेरा, कुम्हारी जैसे मेरे क्षेत्र के गांव हैं जहां पीने लायक पानी नहीं है। उनको दूसरे गांव से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। इन खदानों में पटाई का जो काम चल रहा है, इसलिए मेरे क्षेत्र में पानी का जो जल स्तर है, ग्राउण्ड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है। आप मांढर में चले जाईये। मांढर में पीने के पानी के लिए अभी से त्राहिमाम हो गया है। वहां के लड़कों को लड़की वाले अपनी लड़की नहीं देते। तुंहर इहां पिये के पानी नई हे, हमर बेटी का देबो कहिथे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तोर शादी कैसे होईस?

श्री अनुज शर्मा :- मोर शादी तो रायपुर में होय हे। मोर ससुराल रायपुर में है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, कृपया अपने विषय पर ही रहिये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति जी, मै मुद्दे की ही बात पर हूं, मैं मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटक रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि खदानों को पाटा जा रहा है जिससे वहां का ग्राउण्ड वॉटर का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे जो water bodies हैं, उनकी पटाई पर रोक लगाई जाये ताकि उस क्षेत्र में पानी का लेवल बना रहे और पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। बोरवेल में पानी आये। इससे न सिर्फ मेरे क्षेत्र बल्कि रायपुर शहर भी प्रभावित होता है। माननीय सभापति जी, एक लाईन मुझे याद आ रही है। मेरे क्षेत्र की जनता की आवाज लगती है-

हम हैं कि तात्लुक को निभाने में लगे हैं,
कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं।
मालूम करो कि हाथ उन्हीं का तो नहीं था,
जो लोग यहां आग बुझाने में लगे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी कुछ मांगों को रखना चाहूंगा जो मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हमारे क्षेत्र में जल स्त्रोतों का संरक्षण हो सके। जैसे खारून नदी में पानी के प्रदूषण के स्तर में नियंत्रण हो सके ताकि वह पानी लोग उपयोग में ला सकें और जो दूसरी water bodies हैं, उसका संरक्षण हो सके ताकि ग्राउण्ड वॉटर लेवल नीचे न जाये। वायु प्रदूषण पर कड़ा नियंत्रण हो क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत हैं। स्पंज आयरन की लगभग 400 फैक्टरी हैं। आपको बताना चाहूंगा कि प्रति महीने दुर्घटना में 02 लोगों की मृत्यु होती है। परसों एक दुर्घटना हुई, अनदेखी से फिर बड़ा ब्लास्ट हुआ। इन चीजों पर भी नियंत्रण जरूरी है। मानवीय मूल्य की कद्र करनी होगी।

माननीय सभापति महोदय, सी.एस.आर. का पैसा हमारे प्रभावित गावों में जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर खर्च होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। जब दुर्घटना होती है तो अस्पताल तक ले जाने का जो ट्रेवल टाइम है, उस दुर्घटना में चोटिल जो हमारा मजदूर होता है, जब हम उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के ट्रेवल टाइम को कम करना होगा। टैक्स हमारे क्षेत्र का तो विकास भी हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। माननीय सभापति जी, इसी आग्रह के साथ मांग संख्या 6, 21, 31 का समर्थन करते हुए मेरी बात पर माननीय मंत्री जी संवेदनापूर्ण विचार करेंगे, निर्णय लेंगे, इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय मंत्री जी, मैंने वित्त विभाग के बजट को ओपन करते हुए वित्त विभाग में बहुत सारी बातें कही थी। मुझे वित्त विभाग के संबंध में और कुछ बातें बोलनी है, उसके मांग के संबंध में कुछ बातें बोलनी होंगी तो मैं विनियोग विधेयक में बोल दूंगा। मुझको कुछ चीजें आपके ध्यान में लानी है। जब मैं विपक्ष में था तब मैं पाचं साल तक लोक लेखा समिति का सभापति था। जब आप बजट पुस्तिका में लाते हैं तो यह नियम है कि दो साल में आपने प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दी तो वह विलोपित हो जाएगा। जब यह नियम में शामिल है तो आप कलेक्टर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं तो इसको भी बिजनेस रूल में शामिल कीजिये। हम बजट में विलोपित करने के लिए लाते हैं या कार्य करवाने के लिए लाते हैं तो आप इसके लिए नियम बनाईये कि जो भारसाधक विभाग है, उसकी हर हाल में प्रशासकीय स्वीकृति करवायें और प्रशासकीय स्वीकृति नहीं करवाता है तो उस जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो। जैसे वह नियम में शामिल है तो यह भी नियम में शामिल हो। कार्यपालिक विभाग में यह होता है कि आपत्ति लेनी विद्वता मानी जाती है। हम यदि पता करेंगे किसी को कि क्या प्रशासकीय स्वीकृति में है तो ई.ई. ऑफिस से अगल आपत्ति लगेगी, सब इंजीनियर अलग आपत्ति लगायेगा, एस.डी.ओ. अलग आपत्ति लगायेगा, ए.सी. अलग आपत्ति लगायेगा, सी.ई. अलग आपत्ति लगायेगा, ई.इन.सी. अलग आपत्ति लगायेगा, फिर अंदर जाएगा तो उस विभाग का जो भी जिस रैंक का अफसर बैठता होगा, वह भी

आपत्ति लगायेगा, फिर वह सरकार में जाएगी, सरकार से कुछ क्योरी आएगी। साहब, आप एक चेक लिस्ट बनवा दीजिएये कि प्रशासकीय स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग की जो भी योजनाएं हैं, उसमें यह-यह जानकारी चाहिए और इतने दिवस के भीतर चाहिए। बजट है तो आपको दो साल के अंदर स्वीकृति करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आप वही बात उठा रहे थे। तो यह भी आप नियमों में शामिल कीजिये कि यदि दो साल में जो कार्रवाई नहीं करता है, उस अधिकारी के ऊपर कार्रपाई होगी। नहीं तो यह नियम जनप्रतिनिधियों के अपमान के सिवाय कुछ नहीं है। लोक लेखा समिति में यह बात आती थी। यदि सरकार आग्रह करे कि पांच साल तक यह बजट में चलता रहे तो हम पांच साल तक चला देंगे। इसलिए आपसे यह एक आग्रह है कि इसको करिये। दूसरी बात, मेरे प्रश्न में नहीं आया पाया। मैंने रायपुर और छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा था। आपने 184 अवैध कॉलोनियों में सिर्फ 12 कॉलोनियों के खिलाफ एफ.आई.आर. की है। भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस सरकार का अवैध कॉलोनी स्टार्टअप था। रायपुर में अवैध जमीन प्रकरण के कब्जे में कौन लोग जुड़े थे, वह जन-जन की चर्चा में है। क्या आप यह निर्णय ले सकते हैं कि जो भी चिन्हित अवैध कॉलोनी होगी, आपने प्रदेश में 600 से ऊपर अवैध कॉलोनियां बतायी थी, उसकी रजिस्टी नहीं होगी? यदि अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री बैन हो जाएगी। आपके पास यह अमला है क्या कि जो यह रोज चेक कर सके? आपके पास यह सिस्टम डेव्हलप है क्या? रेरा के पास इतनी व्यवस्था है क्या कि वह चेक कर लें कि कॉलोनी में जितने नियम-कानून हैं, उसका वह पालन करते हैं? सरकार में यह सिस्टम होना चाहिए कि जो कॉलोनी अवैध घोषित है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। अपने ही आप डीमोलराईज होगी और 172 अवैध कॉलोनी है, उसमें एफ.आई.आर. क्यों नहीं हो रही है? 12 कॉलोनी पर ही क्यों एफ.आई.आर. हुई है? 172 लोग हमारे दामाद नहीं है कि उसके ऊपर हम विशेष कृपा करें। आपके पास पूरी जानकारी है। प्रदेश में कितनी अवैध कॉलोनियां हैं, इसका आपने ही उत्तर दिया था। तीसरी बात विधायक निधि के कार्य के सबंध में है। जो नये विधायक हैं, उसमें बहुत लोग नहीं जानते हैं कि विधायक निधि आपके विभाग के अंतर्गत आता है। भूपेश बघेल जी के समय में 50 लाख से 1 करोड़ पहुंची और 1 करोड़ रूपये से सीधे 4 करोड़ रूपये हो गई। आप कितने रूपये करेंगे, यह आपके विवेक के ऊपर है, लेकिन विधायक निधि के कार्यों की समीक्षा हो। आप बीस कार्य यह-यह ले सकते हैं, अब बहुत सारे नये कार्य आ गये हैं। मैं यदि जाता है तो कहते हैं कि साबह, मुझे सेल्फी जोन बनाना है। अब मैं कहां से पैसा दूंगा? वह कितने में बनेंगे? यदि मुझे ट्राइसिकल देनी है, जो 50 हजार रूपये की आती है। मैं 5-10 हजार रूपये का स्वेच्छानुदान दे सकता हूं। यदि मुझे एक ट्राइसिकल देनी है, जो ज्यादा कीमत की है तो मैं कहां से दे सकता हूं? मान लीजिये कि मुझे चौक बनवाना है, मुझे अटल जी की प्रतिमा लगवानी है तो जो उसके नाम से बने हैं, उसको दो दशक बाद उसको नये स्वरूप में फिर से पुनर्नियोजित करने की फिर से उसके कौन-कौन से काम शामिल किए जा सकते हैं और उसके कौन-कौन से काम डिलीट किए जा सकते हैं। मैं कन्वर्जेंस के लिए अभिसरण में पैसे

देना चाहता हूं। मैं कन्वर्जेंस के लिए बिल्डिंग में भी पैसे सकता हूं। कौन से विभाग के बिल्डिंग में दे सकता हूं? किसे वृक्षारोपण के लिए दे सकता हूं? मैं कौन-कौन से काम के लिए दे सकता हूं? इसके पुनर्निधारण के लिए एक समीक्षा होनी जरूरी है। मुझको आपसे जो तीसरी बात जाननी है, आप देखेंगे कि इस 10-15 सालों में जलवायु परिवर्तन में सिर्फ मैंने ही प्रश्न किया है। आप विधान सभा से जानकारी निकलवा लीजिये कि जलवायु परिवर्तन में किसी सदस्य ने प्रश्न किया है क्या? छत्तीसगढ़ में जो जलवायु पिरवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है या वैश्विक प्रभाव है या देश के प्रभाव है या ग्लोबल इफेक्ट हो, आपके पास अध्ययन के लिए उसमें बजट ही नहीं है। क्या आप केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर हैं ? छत्तीसगढ़ में जो प्रभाव पड़ रहा है तो क्या केंद्र सरकार ही उसका निर्धारण करेगी या आप स्वयं करेंगे ? यदि आप स्वयं करेंगे तो आपके पास इक्यूपमेंट, संस्था, व्यक्ति, बजट क्या है ? मैं जरूर इसको सुनना चाहूंगा चूंकि आप क्षमतावान हैं, ऐसे विषय में और कोई दूसरा विभाग रहता तो मैं इस बात को नहीं उठाता । अगली बात जो मुझे आपसे जाननी है कि नयी राजधानी में नामकरण की प्रक्रिया क्या थी ? किसी शासन में नामकरण की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए ? एक बार हमने नामकरण किया और हम कैबिनेट तक गये । कॉलेज का नामकरण किया उसमें यह आपत्ति आयी कि इसका क्या योगदान है वह हमें बताया जाये । अब मेरा दिमाग घूम गया तो मैंने उत्तर दिया कि जिन्होंने आपको सरकार बनाने के तौर-तरीके सिखाये हैं, स्वतंत्रता के लिये लड़े हैं, जो विचार पैदा करते हैं, ये वे लोग हैं या भूपेश बघेल जी ने जो चाहा कि किसी चबूतरे में इसका नाम टांग दो, वही नामकरण हुआ । एक कमेटी बनी थी, हमारे साथ 2-3 लोग थे । हमने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है । हम सेक्टर के नाम को नहीं बदलेंगे जिससे कुछ दिखे कि यह अंतर्राष्ट्रीय लेबल का है लेकिन कुछ नाम जो छत्तीसगढ़ बनाने के लोकनायक हैं । नायक मतलब कांग्रेस के लोगों ने उंगली की नख नहीं कटाई और नाम लिखवाने चले हैं तो मुझे यह जानना है कि उसकी प्रक्रिया क्या है या कैबिनेट ने तय किया या कोई समिति बनी या कोई निर्धारण हुआ ? भूपेश बघेल जी ने जैसा कहा न कि चम्पारण में राम भगवान की प्रतिमा लगेगी तो कल्चरल मिनिस्ट्री (Cultural Ministry) सब काम छोड़कर राम भगवान की प्रतिमा लगाने के लिये चम्पारण की ओर बढ़ गयी तो उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या प्रक्रिया हुई और किस तरह से उसके नामकरण हुए हैं ? कितने नामकरण हुए हैं वह अवैध हैं या वैध हैं ? इसको जरूर बताने का कष्ट करेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि जो असंतुलन की बात करता था । उस दिन केदार जी मेरी बात को थोड़ा सा दूसरे अर्थ में चूंकि वे बहुत क्षमतावान मंत्री हैं । मैंने बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का उदाहरण दे दिया । आज मैं दूसरे उदाहरण दे देता हूं कोरबा, रायगढ़ और बलौदाबाजार बोल देता हूं । अभी डी.एम.एफ. में केंद्र सरकार के कुछ निर्देश आये हैं । बेमेतरा में कितने पैसे हैं ? मैंने कल कोण्डागांव में लाईब्रेरी देखी वह डी.एम.एफ. के पैसे से बनी है । मैं धमतरी में बनवाना चाहूं तो इस

जन्म में नहीं बनवा सकता, वैसी लाईब्रेरी है । आपने लाईब्रेरी बनाने की शुरूआत की, नालंदा-जावंगा में परिसर है । ऐसी चीजों को बनवाया तो कहीं 500 करोड़ है और कहीं 5 करोड़ है । यदि 500 करोड़ में एकाध निर्माण अच्छे भी हुए हैं तो 50 निर्माण जांच के दायरे में हैं, लोग जेल में हैं तो जहां यह असंतुलन हो रहा है । यदि बिलासपुर में कम पैसे हैं, बेमेतरा में कम पैसे हैं, यदि धमतरी में कम पैसे हैं, महासमुंद में कम पैसे हैं तो उसके लिये समन्वित और संतुलित विकास हो । क्या आप कोई परियोजना उसके लिये प्रस्तुत करेंगे ? इसका अध्ययन करेंगे और करवायेंगे ? इसके लिये बजट के माध्यम से हम और क्या कर सकते हैं ? ठीक है कि बीजापुर, दंतेवाड़ा की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, मैं उनके तर्कों से सहमत हूं लेकिन रायगढ़, कोरबा और बलौदाबाजार की जो परिस्थितियां हैं तो उसके अतिरिक्त रायपुर जिले में भी इसके क्षेत्रफल के हिसाब से डी.एम.एफ. उतना नहीं है, जितना होना चाहिए ।

मानननीय सभापति महोदय, दूसरी बात । क्या इस असंतुलन को दूर करने के लिये कोई योजना आप वित्त विभाग से प्रस्तुत करेंगे ? तीसरी बात, जो आगे की बात है । पर्यावरण में नदियों पर संकट की एक बात है । अरपा और खारून अपने अस्तित्व से जूझ रही है । बंबई में जो जलभराव होता है न, मुझे तुरंत उस नदी का नाम याद नहीं आ रहा है, वह छोटी सी नदी है लेकिन लुप्त हो गयी । वह नाला बन गया । अनुज जी पेयजल की स्थिति, मांढ़र ग्राउंड वाटर लेबल के बारे में जो दूसरी बात कह रहे थे, मैं आपको बता दूं चूंकि आप दो दशक तक रहेंगे । हो सकता है कि मैं दो दशक तक न रहूं । छत्तीसगढ़ के बड़े बांध हैं, मैं गंगरैल के बारे में तो श्योर बोल सकता हूं । अभी भी वह दुर्ग, भिलाई, रायपुर, धमतरी और बलौदाबाजार तक सबको पानी पिलाता है । अगली बार, अगले 20 साल में यदि आप ग्राउंड जल वाटर के बारे में कोई नीति नहीं बनायेंगे, आपका ही प्रश्न था । राजेश मूणत जी का प्रश्न था कि कितने भू-जल स्त्रोत से उद्योग चल रहे हैं और किसने परमिशन दी है ? तो भू-जल दोहन के बारे में यदि आप नीति नहीं बनाते हैं तो यह बांध कृषि के लिये काम नहीं देगा, यह पेयजल के लिये काम देगा और यदि कृषि और उद्योग के लिये भी बनाना है तो फिर आपको जो पईरी लिंक है उसको बनाना पड़ेगा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें इसका अस्तित्व बचाने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? तीसरी बात, मैं आखिरी बात की ओर बढ़ता हूं । मैं थोड़ा सा हाथ उठाकर खड़ा हुआ था, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा एन.जी.टी. । क्या आप समझते हैं कि नगर-निगम के कचरे का निपटान के लिए वो पर्याप्त है? उनकी जो तकनीकी योग्यता है और जो क्षमता है, वह पर्याप्त है? रायपुर के ट्रेचिंग ग्राउंड को देख लीजिए। किसी भी शहर के ट्रेचिंग ग्राउंड का आप दौरा कर लीजिए। हमने उस दिन भी बात की थी। कोरबा में, रायगढ़ में या कहीं भी जहां प्लांट हों, राखड़ कितने तरह का निकलता है? कितने तरह के राखड़ का कितना परसेंट निपटान होता है? मुझे दुख के साथ इस बात को कहना है। आप नये हैं। आपकी उसमें गलती नहीं है। सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी उद्योगपति की एजेंसी थी ।

उद्योगपति के राखड़ के निपटान के लिए सरकार के पास दम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपसे अपेक्षा है। निजाम बदल गया है, सूरत बदल गयी है, कलम बदल गया है, अधिकारी के विभाग भी बदल गये हैं। मंत्री भी जोरदार आये हैं। तो ये नये दौर की, नये युग की, नयी चुनौतियां हैं। तो एन.जी.टी. कचरा निपटान, गीला-सूखा प्लास्टिक एक बात हुई। अब उसके बाद क्या प्लास्टिक पर यहां प्रतिबंध है? कौन से तरह के प्लास्टिक पर प्रतिबंध हैं? उसमें आप कितने सजग हैं? हम वाहवाही के लिए कहेंगे कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है या दूसरा राज्य है या पांचवां राज्य है, जिसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। साहब, हम क्यों मान लें कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध है ? यदि प्रतिबंध है नहीं तो ओपन कर दीजिए नहीं करवा सकते, क्योंकि वह पैसा खाने का माध्यम बन जाता है कि आपके यहां इतने एम.एम. का प्लास्टिक मिला है, मुझे पैसा दीजिए। या तो प्रतिबंध हो तो पूरी तरह प्रतिबंध हो और नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। जो होना होगा, वह होगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं, जिसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। आशा है कि आप कार्यवाही भी करेंगे और आशा है कि आप उत्तर भी देंगे। माननीय सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार।

सभापति महोदय :- मोहले जी।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति जी, एक बात बस कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, रायपुर शहर का पूरा कचरा वो भी मेरे क्षेत्र में ही डंप होता है, उसमें समय-समय पर जो केमिकल का छिड़काव होता है वो भी बराबर नहीं होता है, जिसकी वजह से जिस गांव में होता है, वहां के लोगों का सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इस पर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता था। माननीय मंत्री जी, कृपया ध्यान देंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति जी, मैं इस बात का माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पिछले दो साल जैसे चन्द्राकर जी ने कहा कि बजट में प्रावधान रखा गया। पिछली सरकार में भी और उसके बाद हमारी सरकार में भी हर समय दो साल के बाद प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के बाद वह बजट से बाहर कर दिया जाता है। विधान सभा की प्राक्कलन कमेटी में पिछले समय विधायक थे तो हम लोगों ने प्रस्ताव में बात रखी थी, जिसमें पी.डब्ल्यू.डी. और अन्य विभाग के अधिकारी आये थे तो दो साल की जगह उसे 5 साल किया जाये और प्रशासकीय स्वीकृति बजट में 2 साल के बाद न निकाला जाये। क्यों नहीं निकाला जाये क्योंकि एक विधायक का या विधान सभा का कार्यकाल 5 साल तक है तो 5 साल के बाद अगर निकालना है तो 5 साल के बाद जो नयी सरकार बने, पुरानी सरकार आये, उस काम को करे। तो ये प्रशासकीय स्वीकृति 5 साल के अंदर हो। ऐसा मैं आपसे आग्रह करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंगेली की बात करूं तो मुंगेली से जोड़ापुर से रोहरा और जोगीपुर तक चारभाठा तक रोड को 2 साल के बाद बजट से निकाल दिया गया है। उसके बाद भठलीकला से कुरसी तक के रोड को भी निकाला गया है। उसके बाद जोड़ापुर से रोहरा चमारी ये 3 रोड

को 2 साल होने के बाद निकाल दिया गया था तो उसे नये में सम्मिलित किया जाये। मैं ऐसी आपसे मांग करता हूं और यह भी है कि शासन की जो घोषणा होती है, पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घोषणा हुई थी कि मुंगेली जिले के जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन हो। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई थी और मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि मुंगेली जिले के भालापुर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए वो भी विनियोग बजट में तो मैं यह बात कहना चाहूंगा कि जब विधान सभा हाउस में घोषणा की जाती है तो क्या पिछली सरकार के बजट को मान्यता दी जाती है? इसे भी आप बताने का कष्ट करें। या तो फिर उसे नया जोड़ दें। मैं यह आपसे मांग करता हूं और वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी अमर टापू 18 दिसंबर को जाने वाले थे तो नहीं गये तो हमने उनके माध्यम से वहां उप मुख्यमंत्री गये थे तो मैंने मांग की थी और साय जी से मैंने मांग की थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कंतेली में कॉलेज खोलेंगे, कंतेली मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में आता है, अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है । कंतेली में कॉलेज खोलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं । इस मांग की ओर आप जरूर ध्यान देंगे और बजट में जोड़ेंगे । मुख्य मार्ग से चमारी-रोहड़ा होते हुए खुजहा तक सड़क की मांग करता हूं, इसके लिए भी बजट में प्रावधान रखेंगे । धन्यवाद् ।

समय
4.00 बजे

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस सदन का हिस्सा हूं जहां पर वित्त मंत्री जी ओ.पी.चौधरी जी हैं । जब प्रशासनिक सेवा से राजनीति में समाज सेवा के माध्यम से प्रवेश किया तो कई लोगों ने कई बात कही, लेकिन आपने भी वक्त से कुछ बातें कही है - ऐ वक्त ज़रा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, वक्त को थोड़ा वक्त दे दीजिए, वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा । वक्त बदला और इस सदन में आपने जब बजट भाषण पढ़ा तो मैं चूंकि धरातल पर रहता हूं । मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में युवाओं से बातचीत की तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी इस बार वित्त मंत्री जी ने जो बजट पढ़ा है और वह भी ओ.पी.चौधरी जी ने, तो निश्चित रूप से इस साल का बजट धरातल पर उतरेगा और दिखेगा कि प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है । मैं आपको बधाई देता हूं और मांग संख्या 6, मांग संख्या 21, मांग संख्या 31 के समर्थन में मैं खड़ा हूं और जितने भी वक्ता थे, सभी ने अपनी बात को बहुत गंभीरतापूर्वक रखा है । माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 2024-25 के लिए वित्त विभाग की अनुदान मांग संख्या 6 के अंतर्गत कुल 7956 करोड़, 87 लाख, 39 हजार का बजट आपने प्रस्तुत किया है । मैं वित्त विभाग के लिए किए गए इस प्रावधान का समर्थन करता हूं । इसमें शासकीय सेवा से निवृत्त शासकीय सेवकों के लिए रिटायरमेंट के पश्चात् राज्य शासन द्वारा दिए जाने वाले पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए कुल 7729 करोड़, 14 लाख का प्रावधान किया गया है । इसमें राज्य के लगभग 1 लाख, 31 हजार से अधिक

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन, परिवार पेंशन की राशि, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण आदि का भुगतान किया जाएगा । मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । हमेशा, जब कोई भी सरकार आती है तो वह व्यय की बात करती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे सुविधाएं प्रदान करें ? कैसे लोगों को लाभ दिलाएं ? कौन सी ऐसी सरकार है जो जनता के हित में खड़ी रहती है । लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं, कोई भी राज्य तभी चलेगा जब आय का साधन होगा । जब तक आय का साधन नहीं होगा तब तक हम इन कामों को नहीं कर सकता । इसके लिए गंभीर होने की आवश्यकता है । कुछ ऐसे विषय हैं, जिनमें आय सके स्रोत बनाने चाहिए । जैसे मैं भिलाई नगर निगम क्षेत्र से आता हूं । भिलाई नगर निगम में 14 से 15 करोड़ रूपए सालाना सम्पत्ति कर की वसूली होती है । वह हम सभी लोगों से लेते हैं, चाहे झोपड़ पट्टी के लोग हों, चाहे मध्यम परिवार के लोग हों, चाहे उच्च परिवार के लोग हों । कभी कभी मेरी इच्छा होती है, कभी बड़ा काम करने का अवसर आया तो इस टैक्स को समाप्त करना है लेकिन अगर टैक्स समाप्त करना है तो टैक्स किस रूप में वसूला जाए ? तो ऐसा प्रदेश में हमें सभी नगर निगम क्षेत्रों में, अलग-अलग जगहों में कुछ आय के स्रोत बनाने चाहिए । चाहे वह एम्युजमेंट पार्क हो, चाहे कोई ऐसा क्षेत्र हो जैसा माननीय मोदी जी ने अहमदाबाद में सरोवर बनाया है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, मैं उसे देखने भी गया था, कांकरिया सरोवर । उससे अहमदाबाद को एक बड़ी आय मिलती है । आय के स्रोत पर हमें बात करनी चाहिए, सब लोग अपने अपने क्षेत्र की डिमांड तभी कर सकते हैं जब हमारे पास आय हो और वित्त मंत्री जी को भी दोनों हाथ फैलाकर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी । मैं कुछ चीजें और चाहता हूं । आवास और पर्यावरण आपके पास है । पिछली बार भिलाई नगर निगम क्षेत्र में एक विषय देखने को मिला । पिछली बार राज्य शासन में एक मैडम थी, उनका निवास वैशाली नगर विधान सभा के सूर्या रेसीडेंसी में था। आजकल वह मैडम जेल की चारदीवारी में है। वह मैडम जिस रेसिडेंसियल में रहती थी, उसे कॉलोनाईजर ने बनाया है। कॉलोनाईजर रोड, नाली, सड़क स्वयं बनाता है। उसके लिए वह हितग्राहियों से फ्लैट और बंगलों की राशि लेता है। यह देखने को मिला, क्योंकि उनको अपना वर्चस्व दिखाना था। वह सरकार में नंबर वन की पंक्ति पर थी। इतने बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने 10 करोड़ रूपए नगर निगम की अधोसंरचना मद का पैसा उस कॉलोनी में खर्च कर दी। आप ऐसा कोई आदेश जारी करिए। क्योंकि हमारे क्षेत्र में, रायपुर शहर में एक-एक विधान सभा में 10-10 कॉलोनाईजर, 20-20 कॉलोनाईजर है, हम उनको भी काम करने की अनुमति दें। हम लोगों को समझाते हैं कि अवैध नल कनेक्शन मत कीजिए, इसलिए समझाते हैं ताकि एक राशि नगर निगम मे जमा हो जाए। हम कॉलोनाईजर को समझाते हैं कि नगर निगम का पैसा आपकी कॉलोनी में खर्च नहीं की जा सकती। क्योंकि इसे कॉलोनाईजर ने बनाया है। अगर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत होंगे तो कहीं न कहीं हमारा वित्त विभाग का जो पैसा है, उसका भी दुरूपयोग होगा। एक आवक भी नहीं होगी। इसके लिए आपको एक

मापदंड तय करना होगा। मैं एक दूसरी मांग करता चाहता हूं, हमारे अजय चंद्राकर जी ने बताया कि वित्त विभाग एक ऐसा विभाग है, जहां पर आप विधायक निधि से कुछ मांग सकते हैं, कुछ नया जोड़ सकते हैं। हम अधिकतर देखते हैं कि केन्द्र सरकार की योजनाओं को और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर लाने के लिए मितानिनों का बड़ा योगदान होता है। हम लोग सबके लिए सोचते हैं, लेकिन जो मितानिन होती है, हम उनके लिए कभी नहीं सोचते हैं। मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरी स्वयं की इच्छा है, मेरी जो विधायक निधि है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 350 से ज्यादा मितानिन हैं, मैं उनको विधायक निधि से स्कूटी दे सकूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो विधायक उनको स्कूटी देना चाहता है दें। वे जमीन पर बड़ी मेहनत करते हैं, मरीजों को अस्पताल ले जाने से लेकर, उनको दवाईयां उपलब्ध कराने से लेकर, केन्द्र सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने से लेकर, राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने से लेकर सारा काम मितानिन करती है।

सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय CRP के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आप CRP को मानदेय नहीं देते हैं। आप मितानिनों को मानदेय देते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय देते हैं। CRP के विषय पर कोई सोचता नहीं है। मैं चाहता हूं कि CRP का मानदेय तय हो, क्योंकि वह आजीविका मिशन के अंतर्गत बहुत बड़ा काम करते हैं, इसलिए CRP का मानदेय होना बड़ा आवश्यक है। आप बड़ी-बड़ी योजनाएं ला रहे हैं। पिछले कार्यकाल में मेरे विधान सभा में राज्य सरकार ने 60 करोड़ रूपए के ऑडिटोरियम की स्वीकृति दी है। उसका टेंडर भी हो चुका है। क्योंकि उसका टेंडर PWD विभाग से हुआ है। मैं चाहता हूं कि 60 करोड़ के ऑडिटोरियम की आप पुन: स्वीकृति दें ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। भिलाई को शिक्षाधानी और खेलधानी के रूप में जाना जाता है। यहां तक कि हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबका निवास भी वहीं पर है। उनके बच्चे भी वहां पर पढ़ते हैं, भिलाई में प्रदेश भर के लोग आकर अध्ययन करते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं। आपने वित्त विभाग में बहुत सारे विषयों को रखा है। इस बजट से इस बात की उम्मीद रहेगी कि आप जब अगली बार बजट प्रस्तुत करेंगे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विष्णुदेव साय जी की सरकार आपके नेतृत्व में यह प्रदेश निश्चित रूप से उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सभी सदस्यों का जिन्होंने अपने विचार आज इस महत्वपूर्ण सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर रखे हैं, उन्हें सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने स्वयं इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। बहन भावना बोहरा जी, आदरणीय प्रेमचंद पटेल जी, आदरणीय अनुज शर्मा जी, आदरणीय अजय चंद्राकर जी, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी और आदरणीय रिकेश सेन जी ने अपने-

अपने विचार रखे हैं। मैं उन्हें विशेष रूप से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक वित्त विभाग का प्रश्न है तो वित्त विभाग में इस बार हम लोगों ने आमल-चूल परिवर्तन लाने के लिए बड़े प्रयास किये हैं। हमने क्रांतिकारी कदमों की ओर अपना नजरिया बढ़ाया है। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जिस दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक रणनीति के तहत् अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े Vision के साथ कर रहे हैं, उसी की मैपिंग करने का प्रयास हमने हमारे नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ में किया है। आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2047 तक अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है और एक Vision लाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कल ही हमने उसको छत्तीसगढ़ की मैपिंग करते हुए निर्धारित किया है कि वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकासशील से विकसित राज्य के रूप में हम विकसित करेंगे। उसके लिए हम एक दृष्टि पत्र (Vision Document) प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिसका नाम होगा - "अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @ - 2047". 1 नवंबर को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, इसको आपका विभाग बना रहा है या कोई कंपनी या विशेषज्ञ बना रहे हैं?

श्री ओ.पी. चौधरी :- इसमें तमाम तरह के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

श्री राजेश मूणत :- आपका भी सुझाव सादर आमंत्रित है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में राज्य योजना को हम इसके लिए नोडल बनाएंगे। लेकिन मैं सम्माननीय सदस्य और पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह Vision Document बनाने के लिए हमको तमाम तरह के विशेषज्ञ की जरूरत होगी, अर्थशास्त्री की जरूरत होगी, अच्छे विद्वानों की जरूरत होगी और विशेषज्ञ संस्थाओं की जरूरत होगी। नीति आयोग और I.I.M. अहमदाबाद जैसी संस्थाओं की जरूरत होगी। इस तरह के सारे collaboration को सुनिश्चत करने के लिए और भविष्य में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की नीतियों के निर्धारण में expert view को समाहित करने के उद्देश्य से इसी बजट में छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। जो कि विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न विशेषज्ञों को जोड़ने का एक माध्यम बनकर उभकर आएगी। इस दृष्टिकोण से यह Vision Document बनाने की योजना बनाई गई है। इसमें हम सभी सम्माननीय सदस्यों और सभी विशेषज्ञों की भी राय लेना सुनिश्चित करेंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर, सन् 2000 को इस राज्य का गठन किया था। इसी वर्ष सन् 2024 को उसी 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन हम इस Vision Document को छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन को समर्पित करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हम लोग एक Vision के तहत् आगे बढ़ रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ के 100 से अधिक स्थानों पर ऑनलाइन माध्यम से "विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़" की परिकल्पना और इस Vision को संबोधित करने जा रहे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी दिन में 12.30 बजे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 100 से अधिक स्थानों पर ऑनलाइन माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन को इसी "विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़" की थीम पर संबोधित करेंगे। mid term target के रूप में जैसा कि मोदी जी ने strategy बनाई है कि आगे जाकर हमारी economy कैसे 5 ट्रिलियन डॉलर हो, कैसे 10 ट्रिलियन डॉलर की economy बने। उन्होंने अभी नया लक्ष्य निर्धारित किया है कि अपने आने वाले 5 सालों में तीसरे term में भारत देश की economy को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। जब वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी सत्ता में आये और पूरे देश की जनता ने 30 सालों बाद नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व को पूर्ण बहुमत के साथ जब सत्ता की चाबी प्रदान की, उस समय दुनिया में हमारा देश 11वें नम्बर की अर्थव्यवस्था थी और 11वें नम्बर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगाते हुए महज 10 सालों के भीतर हम 5वें नम्बर की अर्थव्यवस्था बने हैं और इस प्रक्रिया में हमने ब्रिटेन जैसे देश को पीछे छोड़ने में सफल हुए हैं, जिसने हमें सदियों तक गुलाम बनाकर रखा था । इस तरह के बड़े विजन के साथ नरेन्द्र मोदी जी काम कर रहे हैं । उसी तरह का एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निर्धारित किया है कि अभी छत्तीसगढ़ की जी.एस.डी.पी. 5 लाख करोड़ की है, उसे आने वाले 5 सालों में सन् 2028 तक 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य हमने रखा है । इस पूरी प्रक्रिया में जहां-जहां लीकेज़ है, जहां-जहां गड़बड़ियां हैं, उसको ठीक करने के लिए हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं और इसके लिए हमने टेक्नालॉजिकल इंटरवेंशन्स को तकनीकी के उपयोग को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है और जहां-जहां जो-जो टेक्नॉलाजी का प्रयोग हो सकता है, कहीं अटेंडेंस में, कहीं टैक्स की चोरी रोकने में, कहीं पर फायनेंसियल सिस्टम में गड़बड़ी को रोकने में, कहीं प्रदूषण को रोकने में जहां-जहां टेक्नॉलाजी का प्रयोग किया जा सकता था, उन सारी जगहों में हम टेक्नालॉजी के प्रयोग को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं और टेक्नालॉजिकल इंटरवेंशन्स के लिए सभी विभागों को मिलाकर इस बार के बजट में 266 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की हमारी जो रणनीति है, 5 लाख करोड़ की जी.एस.डी.पी. को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने की है, उसका मूल आधार तकनीकी आधारित रिफार्म और इनोवेशन ही है । उसी के आधार पर हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं । हमने वित्त विभाग में फायनेंसियल कंट्रोल के लिए, फायनेंसियल मानीटरिंग के लिए इस बजट में इफ्विज 2.0 को इंट्रोड्यूज़ किया है और उसके लिए भी हमने बजटीय प्रावधान किया है ।

सभापति महोदय, मैं रजिस्ट्रेशन विभाग की बात करूं, जहाॅ पंजीयन होता है, उसमें भारत सरकार का जो एन.जी.डी.आर.एस. पद्धति है, उसको भी हमने इंट्रोड्यूज़ किया है और प्रदूषण के मानकों में भी

जहां-जहां पर जरूरी है, वहां पर टेक्नालॉजी को भरपूर तरीके से उपयोग करने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग क्षेत्रों में दशकों तक प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, उसे निजात दिलाने के लिए हमारा विभाग पूर्णत: प्रतिबद्ध है ।

सभापति महोदयस, 163 उद्योग ऐसे हैं, जो कि एलर्ट की श्रेणी में आते हैं, हानिकारक प्रदूषण करने वाले उद्योग हैं, उसमें हम लोग ऑनलाईन एमीशन मानीटरिंग सिस्टम की स्थापना करने जा रहे हैं । इसमें समझने की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि मानीटरिंग का जो इंस्ट्रूमेंट लगता था, पहले वह उद्योगों के पहले सर्वर में जाता था और उस सर्वर से पर्यावरण विभाग या पर्यावरण बोर्ड डेटा प्राप्त करता था । हम उसको विभागीय खर्च से इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट उनकी चिमनी में लगा रहे हैं और वह जो डेटा है, वह उनके सर्वर के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट हमारे सर्वर में आएगा तो उससे जो घाल-मेल होता था, उसको रोकने में पूरी तरह से मदद मिल पाएगी । हम लोग रोज जाकर डंडा करेंगे, पुलिस-दरोगा खेलेंगे, उससे मामले की बात बनती नहीं है । विभाग के पास, सरकार के पास इतना अमला नहीं होता । इसलिए हम वहां पर टेक्नालॉजी को वहां पर इंट्रोड्यूज़ कर रहे हैं और डेटा सीधा सर्वर में हमारे विभाग में प्राप्त करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और जल्द की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर जो परसप्रेटर सिस्टम बंद हो जाता है, बिजली बचाने के लिए यह किया जाता है, वह किया जाता है, इस तरह की जो चीजें होती है, हम उसको समाप्त कर पाएंगे । जैसे ही वह गड़बड़ होगी, एमिशन का लेवल चाहे वह कार्बन मोनाऑक्साईड हो, सल्फर डॉईऑक्साईड हो, जो भी हानिकारक गैसें हैं, उनका एमिशन एक लेवल से जैसे ही ऊपर उठेगा, हमें तुरंत रेड एलर्ट प्राप्त होगा और उसके माध्यम से हम उसको तत्काल बंद करने की कार्रवाई या नोटिस देने की कार्रवाई या फाईन करने की कार्रवाई हम तुरंत सुनिश्चित कर पाएंगे और यही टेक्नालॉजी ही इन सभी चीजों का असली मायने में माध्यम हो सकता है । इसी के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं । ऑन लाईन कान्टीनिवस इम्बियेंट एयर क्वालिटी मानीटरिंग स्टेशन जैसे आप रायपुर में कलेक्ट्रेड के पास देखते होंगे कि जहां पर मिशन लेवल या जो पीएम 2.5 का लेबल कितना है, उसको तुरंत दिखाता रहता है । नया रायपुर में भी यह बढ़ा है । इस तरह से हम सिस्टम लगा रहे हैं, ताकि लोग भी देख सकें कि प्रदूषण का स्तर क्या है और उसमें हम सुधार लाने की दिशा में लगातार काम कर सकें ।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा विषय रख रहे हैं। मैं एक विषय आपके ध्यान में ला देता हूं। आपने प्रदूषण जांच यंत्र लगाया है। शास्त्री चौक पर प्रदूषण यंत्र लगा हुआ था, उसको निकालकर टी.व्ही. लगा दिया गया है। कोई व्यक्ति विभाग का यंत्र निकालकर चला जाये और विभाग को पता ही ना लगे कि हमारा प्रदूषण यंत्र किसी ने निकाल दिया तो फिर कोई भी, कहीं भी कुछ भी करके चला जायेगा और पता नहीं लगेगा तो हम कैसे करेंगे ? वहां पर विज्ञापन की टी.व्ही. लग गई ओर उसको गायब कर दिया गया।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सभापति महोदय, निश्चित रूप से हम इसको संज्ञान में लेंगे। यह पिछले समय में जब भी हुआ है, हम उसकी पूरी जांच करायेंगे और उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं। हम इन सब चीजों को बढ़ावा देंगे, पिछले सरकार के समय हमारी पार्टी की सरकार थी, उस समय लगाया गया था।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और आग्रह कर देता हूं। जिन सज्जनों ने रायपुर शहर का मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान योजनाबद्ध तरीके से किसी विजन के साथ 20 साल, 30 साल की योजना लेकर बनाते हैं। यहां तो 30-30 फीट, 40-40 फीट के गड्ढे को, 1 हजार एकड़ को रेसीडेंयिल जमीन घोषित कर दिया गया। दूसरा, पार्किंग के नाम पर जिन्होंने नियमितीकरण का खाका बनाया था, रायपुर शहर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, राजनांदगांव हो, जिसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था है, आपने जिसका नक्शा पास किया था, वहां पार्किंग की जगह छोड़ी थी, उसकी जगह दुकान निकाल दी और उस जगह को रेग्युलराइज कर रहे हैं। कहते हैं कि पार्किंग के नाम पर 50 हजार रूपया पटा दो और अपना मकान रेग्युलराइज करा लो तो वह गाड़ियां कहां खड़ी होगी सड़क के ऊपर ? जिस सड़क को चौड़ीकरण के लिए करोड़ो रूपया मुआवजा बांट रहे हैं, वहां पर पार्किंग की सुविधा दे दी कि सड़क पर खड़ी कर दो। यह पहला छत्तीसगढ़ है, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग के नियम बने हैं, आपने उसके तहत नक्शा पास किया, आपने नक्शे में पार्किंग की जगह दर्शाई है, आपने उस जगह पर दुकान निकाल दी, कामर्शियल कर दिया। क्योंकि रेसीडेन्सियल में कामर्शियल एलाउ ही नहीं है। लेकिन नियमितीकरण के नार्म्स बना दिए हैं कि वहां पर पार्किंग की कोई जरूरत नहीं है। आप सड़कों पर खड़ा करें। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस पर भी एक बार विचार करें। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी का सड़क है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, रायपुर के मास्टर प्लान की समीक्षा की जरूरत है। इन पांच सालों में जितने परिवर्तन किए गए, रायपुर के उन परिवर्तनों की एक कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए। वह दो-चार व्यक्तियों के इशारे पर हुए, जनता की मांग पर नहीं हुए हैं।

श्री राजेश मूणत :- मेरा तो उस पर ध्यानाकर्षण भी लगा है। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मंत्री जी खुद समझदार हैं। वह रायपुर में कलेक्टर भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आप आयेंगे, हम आयेंगे, चले जायेंगे, लेकिन राजधानी रहेगी, शहर रहेगा। भविष्य के 50 साल की परिकल्पना के साथ काम हुआ था।, मेरा आपसे आग्रह है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, आप एक बार इसकी विवेचना जरूर करा लें।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बैठियेगा। अमर अग्रवाल जी।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर):- माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस बात का जिक्र राजेश मूणत जी कर रहे हैं, वह केवल रायपुर का विषय नहीं है। यह

नियमितीकरण का विषय पूरे प्रदेश का है। नियमितीकरण के कानून बना, उसके बाद जो निर्देश दिए गए हैं, उसके कारण लाखों प्रकरण लंबित है, कलेक्टर उसका नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नियम ही सबसे बड़ी बाधा है। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि फिर से उन सारे नियमों की समीक्षा करके, नियमितीकरण रोक कर जो नये नियम हैं, जो भविष्य के लिए काम आये, समीक्षा करके उसका निराकरण कर देंगे तो छत्तीसगढ़ में जो बढ़ते हुए शहर हैं, वे व्यवस्थित हो जायेंगे। आप सबको रद्द कर दें, जो आदेश गये हुए हैं, फिर से उसकी समीक्षा करके नये नियम प्रसारित करना चाहिए।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति जी, मैं इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा। जितने अवैध वाले भी आते हैं, ये प्लाट बेचकर चले गये और पूरी जवाबदारी हमारी। सड़क बनाओ, नाली बनाओ, फिर बाद में नियमितीकरण के लिए आवेदन लगाते हैं। तो वहां पर व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो मैं उस ओर भी कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, मंत्री जी की बात का फ्लो खत्म होगा। उनका भाषण चलने दीजिये।

श्री राजेश मूणत :- क्या है कि उस तरफ कोई नहीं है। तो थोड़ा-बहुत हम सहयोग कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप लोग बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, बहुमूल्य बात किए हैं। मंत्री जी की जानकारी में है। लेकिन अब उनको बोलने दीजिये।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिंता जताई है, वह बहुत ही वाजिब है, नियमितीकरण की प्रक्रिया और उसके रूल 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी के सरकार भी बनी थी, लेकिन उसमें क्या चीज को किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, उसे बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया था ।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, उस समय तत्कालीन मैं था, उस समय स्पष्ट प्रावधान था कि कामर्शियल जगह का कोई भी नियमितीकरण नहीं होगा । उस पर यह भी स्पष्ट था कि पार्किंग के अंदर किसी व्यक्ति की जमीन हो, वहां दुकानें निकाल दे, उसे रेगुलाईज कर दे, टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग के तहत मास्टर प्लान के नियमों का मतलब क्या हुआ ? अगर आप किसी का नक्शा पास कर रहे हो, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि 2400 स्क्वेयर फीट का नक्शा है, इसमें कितने लैंड का उपयोग करना है, कितना पार्किंग के लिये जगह छोड़नी है, यह स्पष्ट है । उसके बाद हम रेगुलराईज कर दें, यह तो आश्चर्यजनक है सर कि आप रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी कर दो, वहां पर रोड चौड़ीकरण का मुआवजा दो, इससे अच्छा धंधा तो कुछ हुआ नहीं है साहब ? सरकार करके गयी है, इसलिये ध्यान दिला रहे हैं ।

सभापति महोदय :- अब आप बोलिये ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी । माननीय सभापति महोदय, मैं वहीं कंसर्न रख रहा था कि पहले जो नियमितीकरण के रूल बने थे, उसमें सारे मास्टर प्लॉन के रूल्स का, टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग के रूल्स को ध्यान में रखकर उसको बनाया गया था, यह दुर्भाग्यजनक है कि नियमितीकरण का तात्कालिक प्रोविजन चल रहा है, उसमें पार्किंग में भी कई सारे विषयों को काम्प्रोमाईज किया गया है । लैंड यूज पर भी कई सारे विषयों को काम्प्रोमाईज किया गया है । सभापति महोदय, जैसे ही हमारी सरकार आई है, हमने पहले व्यावहारिक रूप से बोला था कि नियमितीकरण की प्रक्रिया को रोक दीजिए, हम पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे । मैं यह सदन में बात रखना चाहता हूँ । (मेजों की थपथपाहट) सरकार ने बीच में जो नियम बना दिये थे, उसमें टेक्नीकल रूप से कई दिक्कतें आ रही है, सभी का समाधान करते हुये शहर नियोजन की दृष्टि से, सिटी प्लानिंग की दृष्टि से, वह इतना कम पैसा में कर दिये हैं सर, उसका मतलब नहीं है । वह कागज में ...।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैंने आपको रजिस्ट्री का बताया था । राजस्व में डाका कैसे डाला था, चौधरी जी ने उसको पकड़ा । सर, आपने मास्टर प्लान के गाईड लाईन के आधार पर रजिस्ट्री का निर्धारण तय कर दिया । 30 परशेंट की छूट दे दी । स्टाम्प ड्यूटी में आपने 30 परशेंट की छूट दे दी और 30 परशेंट स्टाम्प ड्यूटी में कम कर दिया, क्योंकि उसमें एक नंबर का पैसा लगता था । स्टाम्प तो एक नंबर पर खरीदना पड़ेगा । स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के बाद क्या किया, आपने इधर शुल्क बढ़ा दी । राज्य सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिये शुल्क बढ़ा दी। जो पंजीयन शुल्क थी, आपने उसमें क्या किया, यह वित्त से ही जुड़ा हुआ है, जो राजस्व में डाका डाले हैं, वह बता रहा हूँ । अब उसमें क्या किया कि पंजीयन शुल्क के अंदर आप आर.टी.जी.एस. करोगे तो नहीं लेगा, चेक काटोगे तो नहीं लेगा, नगद लेगा । सर, ऐसा पहली बार सुना हूं ऐसा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजेश जी, जो कुछ नहीं हुआ और जो हो रहा है, उसी का नाम कांग्रेस शासन है । अब मंत्री जी को चलने दो ।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, इसमें इतना ही आग्रह करूंगा कि जितना स्टाम्प ड्यूटी में पैसा लगा, आपने पंजीयन में जितना छूट दिया है, उतना पैसा कैश से कितना जमा हुआ है, दोनों का मिलान होना चाहिये । मेरा आपसे इतना ही आग्रह है ।

सभापति महोदय :- अब कृपया करके उनको बोलने दीजिए । मंत्री जी, आप सुन तो लिये हैं । सब की बात सुन लिये हैं, आप लोग तो वरिष्ठ हो गये हैं । वरिष्ठ लोगों की सलाह को सुन रहे हैं, लेकिन मंत्री जी आप बोलिये । आप लोग तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, आप तो बहुत ध्यानी-ज्ञानी लोग हैं ।

श्री अमर अग्रवाल :- आप बाजू में बैठते हैं तो कैसे सहते हैं ?

सभापति महोदय :- वह नहीं रहते हैं तो मैं बैचेन भी हो जाता हूँ ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सम्माननीय सदस्यों ने बताया और मुझे भी लगता है कि जब कोई सिस्टम सुधरता है तो भ्रष्टाचारियों की जेब में कम पैसा जाता है और सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा जाता है और जब सिस्टम बिगड़ता है तो भ्रष्टाचारियों की जेब में ज्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा जाता है। हर जगह पर सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया गया है। इसमें कई जगहों पर इसके उदाहरण और कई जगहों पर इसकी बानगी दिखती है। मैं आपको जी.एस.टी. के संबंध में बताना चाहूंगा। अभी तो हम विभागों में अंदर घुस-घुस कर समीक्षा कर रहे हैं। आप लोहा उठाईये, कोयला उठाईये, कोई भी एरिया उठाईये, ट्रांसपोर्टेशन उठाईये, हर जगह पर दुनिया भर की चीजें मिल रही है। हम लोगों ने उसमें deep अध्ययन करके, यहां पर बिजनेस इंटेलिजेंस की बात रखी हैं। हम Government of India के सारे सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। पहले एक गाड़ी को पकड़ते थे और उसका फाईन करके छोड़ देते थे। लेकिन हम उसका फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, सब खोज रहे हैं तो एक-एक गाड़ी पकड़ाने से 3-3, 4-4 और 5-5 करोड़ रूपये की वसूली हो रही है। कल ही रात में एक केस में 03 करोड़ रूपये कैश सरेण्डर किया गया है। सेंट्रल के केस में भी इतना बड़ा कैश सरेण्डर नहीं होता है। इन्हीं सब के आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अपने राजस्व आय को 22 प्रतिशत बढ़ायेंगे। हमने यह बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, हमारा ईमानदारी से यह प्रयास रहेगा कि हम तकनीकी के प्रयोग से और लोगों को टाईट करते हुए हर दृष्टिकोण से काम करें। इसी तरह का तकनीकी उदाहरण जी.एस.टी. में बिजनेस इंटेलिजेंट यूनिट का है, आपको उसका प्रभाव अगले साल निश्चित रूप से दिखेगा। जब हम इसी सदन में डेटा प्रस्तुत करेंगे तो साफ तौर पर अंतर दिखाई देगा कि क्या-क्या चीजें हो रही थी और किन-किन चीजों में सुधार किया गया है। हम यह सारे विषय लेकर चल रहे हैं और इसके अलावा हमने दुर्ग में ट्रेनिंग अकादमी की स्थापनी की है। वित्त विभाग की प्रशिक्षण की दृष्टि से यह भी एक बड़ा काम हुआ है।

सभापति महोदय, हमारे सम्माननीय सदस्यों के कुछ कन्सन्र्स थे, मैं उनको रखना चाहूंगा। आपने रेत के विषय पर बात रखी थी। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, हम उसमें चर्चा करेंगे। वित्त विभाग की दृष्टिकोण से रेत से बहुत बड़ा राजस्व नहीं आता है, लेकिन उससे जिस तरह से लोगों को परेशानी, दिक्कतें होती हैं, हमारे लिये वह राजस्व बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा सिस्टम सुधरे, हम इसका प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। हम इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अवैध कॉलोनियों के विषय में बहुत सारे विषय उठाये हैं, जिसमें रिकेश सेन जी, राजेश मूणत जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी और मोहले जी शामिल हैं । मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो अवैध कॉलोनी है, उसमें आज की तारीख में अर्बन एरिया में ज्यादा बड़ा रोल नगर निगमों का है और जो ग्रामीण क्षेत्र है, वह एस.डी.एम. की अधिकारिता में आता है। टी.एन.सी.पी.

निश्चित रूप से लेआऊट पास करने का काम करता है लेकिन इसमें जितनी कार्यवाही हो रही है, उसमें टी.एन.सी.पी. या तो एस.डी.एम. के माध्यम से कार्य करता है या तो नगर निगम के माध्यम से कार्य करता है। सरकार एक है, इसमें सबकी collective responsibility है। हमारे संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। हम यह विभाग, यह मंत्री, वह मंत्री नहीं बोल सकते। हम निश्चित रूप से सभी मंत्रालयों के बीच एक बढ़िया सामंजस्य स्थापित करेंगे, सम्माननीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे और अवैध कॉलोनी में जिस तरह से बाढ़ आयी है, उसको नियंत्रित करने के लिये हमारी सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, एक मिनट। एक छोटा सा प्रश्न है। वह राजस्व बढ़ाने में काम कर रहे हैं, अवैध काम को रोकने में काम कर रहे हैं। रायपुर शहर की दो प्रमुख सड़कें, एक केनाल रोड और एक एक्सप्रेस हाईवे निकला है। हम लोगों ने दोनों सड़कें एक नियम बनाकर चालू की कि कोई रास्ता बीच से नहीं देंगे, कोई अप्रोच नहीं देंगे। लेकिन वहां अवैध रूप से कई कॉलोनियों ने अप्रोच ले लिया। जिनका लेआऊट कैसे पास हुआ, उनको परमिशन कैसे मिली और वह कैसे काम कर रहे हैं ? जब सरकार करोड़ों रूपये खर्च करके रेलवे की जमीन परचेस करती है और उसके बाद वह रोड बनाती है, तो हमने वह रोड बिल्डर और जमीन वालों के लिये नहीं बनायी है, आम जनता को राहत देने के लिय बनाई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसमें जो लोग रास्ता मांगते हैं और यदि आप उन सब के लिये रास्ता खोलना चाहते हैं तो उनसे 400, 500 और 600 रूपये डेव्हलपमेंट चार्ज लीजिये और उनको रास्ता दे दीजिये ताकि आपका राजस्व हो और दूसरी सड़क बनाने में वह पैसा उपयोग में आए। सभी जगहों पर सरकार व्यवस्था करती है। रोड़ बनाती है, खम्भें, लाईटें भी लगाती हैं। हम और आप जनप्रतिनिधि ही लगवाते हैं क्योंकि वहां से हमें वोट लेना है। इसलिए अगर ऐसा है तो जो प्रतिबंधित है अगर आप उन पर कार्यवाही तो नहीं कर पायेंगे और यदि आप कार्यवाही कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उनसे रेग्युलाईज करने के लिए इतना बड़ा शुल्क लें ताकि वहां हम एक नई सड़क बना सकें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य का बहुत अच्छा सुझाव है। निश्चित रूप से इस दिशा में भी हमारी सरकार विचार करेगी और हम उस दिशा में काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा विषय रखा है। एक्सप्रेस वे जैसी सड़क, मैं सम्माननीय सदस्य को बहुत-बहुत धन्यवाद् ज्ञापित करना चाहूंगा कि उनके कार्यकाल में...।

सभापति महोदय :- माननीय मूणत साहब का बहुत पुराना अनुभव है। इसलिए उनका लाभ लेना चाहिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने लोक निर्माण मंत्री रहते हुए, यह सड़क बनायी। पूरे देश में उदाहरण है। रेलवे के ट्रेक को रेलवे से खरीदकर, उस जमीन को 139 करोड़ रूपये में खरीदा गया था।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, उस समय कलेक्टर भी यही थे। मैं सदन को आश्चर्यजनक बात बताऊंगा। उसकी लागत 700 करोड़ रूपये निकाली थी। हमने लड़ते-भिड़ते, पत्र व्यवहार करते-करते, यहां दलदल है, यहां यह है। फिर उसका 139 करोड़ रूपये में सौदा हुआ। यह भी कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। उसकी लागत 700 करोड़ रूपये से 139 करोड़ रूपये में आएं। मैं उसके लिए उनको भी धन्यवाद् देता हूँ कि आपके कलेक्टर कार्यकाल में ही वह काम हुआ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो बात रखी है हम उसकी समीक्षा करेंगे। हम डेवलपमेंट शुल्क लेकर, एप्रोच देने की बात पर निश्चित रूप से विभाग और पूरी सरकार इस संबंध में विचार करेगी।

माननीय सभापति महोदय, विधायकों के कामों की समीक्षा का विषय है। यहां वह बहुत तरह से आया है। माननीय रिकेश जी की ओर से आया है। सम्माननीय अजय चन्द्राकर जी ने रखा है कि उनके काम में क्या-क्या होना चाहिए, हम क्या-क्या चीजें ले सकते हैं तो हम उस पर भी समीक्षा करने के लिए उस दिशा में भी काम करेंगे। सम्माननीय सदस्य ने जो राशि विस्तार की बात कही है, हम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से चर्चा करके, अग्रिम कार्यवाही के बारे में आगे बढ़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर कई सारे सदस्यों ने विकास कार्यों, नये कार्यों के लिए कहा है। सम्माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने रखा है, सम्माननीय भईया प्रेमचंद पटेल जी ने रखा है। जो हमारी वित्तीय प्रक्रिया है उसके तहत उसको स्वीकृत करने की दिशा में काम करेंगे। यहां घोषणा वाला विषय नहीं है, लेकिन जो-जो महत्वपूर्ण काम है, उन सभी कामों को या तो अनुपूरक में लेकर, यह बहुत जरूरी सी.एफ. एडवांस में लेकर। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने...।

श्री राजेश मूणत :- मैं आपसे फिर से आग्रह कर लूं। माननीय सभापति महोदय, एक रायपुर में नालंदा परिसर बना। वहां अभी लगभग 2200 वेटिंग चल रही है। यहां इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, इतनी बड़ी क्यू लगी है एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है जो नालंदा परिसर बच्चों के पढ़ने के लिए बना। आप एक टॉवर और बना दीजिए। वह आवास एवं पर्यावरण विभाग से बनता है। कोई तकलीफ नहीं है। उसको आप आराम से पैसा दे सकते हैं। आप खनिज निधि से दे सकते हैं। जहां 2900 बच्चे लाईन में लगे हैं वेटिंग में है एक रायपुर राजधानी के लिए अच्छी सौगात हो जाएगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज आप घोषणा कर ही दीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मोतीबाग के पास एक टॉवर ऑलरेडी बनकर खड़ा है। दूसरा, उसके अलावा हमने इस बजट में पूरे प्रदेश के लिए 22 नालंदा परिसर के लिए प्रावधान किया है तो यहां 22 नालंदा परिसर रहेंगे..।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो रायपुर के लिए मांग कर रहा हूँ। अब 22 नालंदा परिसर कहां जाएंगे। जहां पर हजारों लोग, जहां पर पूरा का पूरा एजुकेशन हब है, वहां पर पूरे बच्चे हैं..।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, एक-दो क्यों बोलूं, रायपुर में 3-4 नालंदा परिसर होंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, ठीक है।

सभापति महोदय :- आप बोलिए। आपने उनकी बात सुन लिया। अब आप बोलिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, रायपुर में और कहीं जरूरत है जो नालंदा परिसर वर्तमान में भी है, अगर वहां पर भी भीतर के कैम्पस में टॉवर बनाने की जरूरत महसूस करते हैं तो भी वह 148 करोड़ रूपये का प्रावधान है। उसी से उसको भी किया जायेगा, उसमें सारी चीजें शामिल हैं। निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सम्मानन
ीय सदस्यों ने जो-जो नये काम सुझाये हैं उसको जून के अनुपूरक में या बहुत जरूरी होगा तो सी.एफ. एडवांस में करेंगे। इसमें भी जिसमें शामिल होगा, मिलाजुला कर आगे करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, विधायक निधि के अंतर्गत जो काम हैं, उसके संबंध में भी समीक्षा करके जो-जो काम हैं, उसको भी हम लोग समाहित करके करने का प्रयास करेंगे। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि राजस्व टैक्स में कहीं पर भी न तो कोई दर में वृद्धि किये हैं, न कोई नया टैक्स इंपोज किये हैं। उसके बाद हमने इतनी बड़ी-बड़ी मोदी की गारंटी को इस बजट में पूरा किया है। उसमें विशेष रूप से अनुपूरक बजट और इस बार के बजट को मिला करके आवास योजना में 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। (मेंजो की थपथपाहट) कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया। महतारी वंदन योजना के लिए अभी 3 हजार करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारी माताओं, बहनों ने 73 लाख फार्म भर चुकी हैं। लगभग 8 हजार करोड़ रुपये से ऊपर की धनराशि हम उस योजना में खर्च करने जा रहे हैं। उसके बाद भी विकास की गति न रूके, पूंजीगत व्यय भी होता रहे, सड़के, पुल भी बनती रहें, उसके लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इतने सारे बड़े वित्तीय दबावों के बीच में भी हम लोग पूरा सारी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी सदस्यों के, सभी लोगों का सहयोग सुनिश्चित करते हुए हम लोग आगे भी इन सब कामों को बढ़ायेंगे। चाहे पर्यावरण की, जी.एस.टी. की, वित्त विभाग की कन्सर्न हो, सब लोग मिल करके इस प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे। सभापति महोदय, यही वचन देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सभा में उपस्थित नहीं थे। इसलिए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होने के कारण मैं कटौती प्रस्तावों पर मत न लेते हुए सीधे मागों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 6 **वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिये** - सात हजार नौ सौ छप्पन करोड़, सतासी लाख, उनचालीस हजार रूपये,

मांग संख्या 21 **आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये** - एक हजार एक सौ चौहत्तर करोड़, तीन लाख, नब्बे हजार रूपये तथा

मांग संख्या 31 **योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये** - चौंसठ करोड़, अठारह लाख, चार हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2)	**मांग संख्या**	**10**	**वन**
	मांग संख्या	**17**	**सहकारिता**
	मांग संख्या	**23**	**जल संसाधन विभाग**
	मांग संख्या	**45**	**लघु सिंचाई निर्माण कार्य**
	मांग संख्या	**57**	**जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**
	मांग संख्या	**75**	**जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि मे से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 10 **वन के लिये** - दो हजार आठ सौ बत्तीस करोड़, तीस लाख, चौंसठ हजार रुपये,

मांग संख्या - 17 **सहकारिता के लिये** - दौ सौ चौवन करोड़, छिहत्तर लाख, सत्तावन हजार रुपये,

मांग संख्या - 23 **जल संसाधन विभाग के लिये** - एक हजार चार सौ तेरह करोड़, छब्बीस लाख, अठावन हजार रुपये,

मांग संख्या - 45 **लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये** - छः सौ अठानवे करोड़, उन्नीस लाख, नब्बे हजार रुपये,

मांग संख्या - 57 **जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये** - सत्तावन करोड़ रुपये तथा

मांग संख्या - 75 **जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये** - तीन सौ तिरपन करोड़, एक लाख रुपये तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 10

वन

निरंक

मांग संख्या - 17

सहकारिता

निरंक

मांग संख्या - 23

जल संसाधन विभाग

निरंक

सभापति महोदय :- चूंकि कटौती प्रस्ताव देने वाले एक भी सदस्य उपस्थित नहीं है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होने के कारण अब केवल मांगों पर ही चर्चा होगी। श्री नीलकंठ टेकाम।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- आदरणीय सभापति महोदय, वैसे शुरूआत तो आपको करना था, लेकिन आप अभी आसंदी में है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले हमारे मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बस्तर के इतिहास में पहली बार इन्द्रावती नदी में दो बड़े-बड़े डेम बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। (मेजों की थपथपाहट) आज मैं इस बात को लेकर बस्तर के

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महापुरूष स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने बस्तर का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना जो भानपुरी के पास में है, उसका निर्माण कराया था और सौभाग्य से उसके जमीन के विवाद से संबंधित जो मामले थे, उसके निराकरण करने का काम मैंने एक एस.डी.एम. के हैसियत से किया था और आज उस डेम के कारण इन्द्रावती नदी का संरक्षण बढ़ा है। आदरणीय सभापति महोदय, बस्तर का जो भौगोलिक स्थिति है, वह पूरी तरीके से वनों से आच्छादित है और वहां पर आज भी कई ऐसी नदियां है, जो पूरे वर्षभर बहती रहती है। मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि इन्द्रावती नदी का पानी का आधा से ज्यादा हिस्सा उड़ीसा राज्य में जा रहा है और वह लोग बड़े दादागिरी के साथ ले जा रहे हैं। हमारे बस्तर के भोले-भाले लोग इस पर बहुत ज्यादा मुखर होकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो भी स्त्रोत है, चाहे नारंगी नदी हो, चाहे बारदा नदी हो या उसकी जो सहायक नदियां हैं, यदि हम उस पर एक बड़ा प्लान बनाकर, बड़ी योजना बनाकर छोटे, बड़े और मध्यम किस्म के डेम के माध्यम से उसके पानी को संरक्षित करते हैं तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो सिंचित क्षेत्र का विस्तार होगा और दूसरा जो है इंद्रावती नदी जो बस्तर और उसके बाद आगे चलकर आंध्रा और तेलंगाना की भी एक जीवनदायिनी नदी है वहां के लोगों को इसका फायदा हो सकेगा । हमारे मंत्री महोदय ने पहली बार इस बात की चिंता की है कि जो डेम 50 साल और 100 साल से ज्यादा उम्र के हो गये हैं, उनकी सुरक्षा के लिये एक अलग से विभाग का गठन किया जाये ताकि समय-समय पर यह विभाग इन बांधों के रख-रखाव के बारे में उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो टूट-फूट हो गयी है उनको ठीक करने में काम कर सके । मैं कोण्डागांव जिले में अकेले चूंकि मैं उस जिले की बात बताना चाहता हूं कि ढ़ाई हजार स्टॉपडेम, एनीकट और छोटे-छोटे ऐसे कंस्ट्रक्शनंस जिनका निर्माण होने के बाद से मेंटेनेंस के अभाव में, मेंटेनेंस की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है और इस बजट में पहली बार इन सभी चीजों की भी चिंता की गयी है और इनकी चिंता करना बहुत आवश्यक भी है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जल संरक्षण की जो भी योजनाएं हम बनाते हैं उसको उपयोग करने वाले लोगों की समिति का गठन किया जाना बड़ा जरूरी है इसके अभाव में हम देखते हैं कि स्टॉपडेम तो बन जाता है लेकिन उसकी कड़ी और शटर कौन उठाकर ले जाता है उसका पता नहीं चलता । कई बार बारिश के पहले स्टॉपडेम की जो कड़ी और शटर है उसको निकालकर सुरक्षित नहीं रखा जाता है जिससे वह सड़ जाता है । ऐसे अकेले कोण्डागांव जिले में ढ़ाई हजार स्टॉपडेम हैं या तो उनकी कड़ी-शटर खराब है या उसमें कोई लीकेजेस आये हुए हैं या फिर उसके साईड से पानी निकलकर बह जा रहा है तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आपके करकमलों से एक अभियान चलना चाहिए कि ऐसे तमाम् जितनी भी जल संरक्षण की जो संरचनाएं हैं उनके रखरखाव के बारे में विशेष प्रावधान किया जाये और उनको किसानों के उपयोग के लिये, लोगों के निस्तार के उपयोग के लिये और जंगली क्षेत्रों में

जंगली जानवरों के लिये और जंगल के अंदर रहने वाले इंसानों के पेयजल की व्यवस्था के लिये उपयोग किया जाना चाहिए ।

मानननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग ने अपने बजट में नयी परियोजनाओं में खर्च करने का प्रावधान रखा है और 35,000 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है यह निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़वासियों के लिये सौभाग्य का विषय है । मैं इसके लिये अपनी ओर से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, जल-जंगल और जमीन हमेशा आम जनता के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बस्तर के युवा मंत्री को दो महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली है । एक जल की और दूसरा जंगल की और जमीन तो ऑलरेडी हमारे पास है तो मैं चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया । जिस उद्देश्य को लेकर माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य को अस्तित्व में लाकर इसको खुद ही संवारने का जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को मूर्त रूप देने का काम इस कार्यकाल में जरूर होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं । (मेजों की थपथपाहट) वन विभाग से संबंधित जो योजना है, जो प्रावधान है । मैं इसकी प्रत्येक मांग का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि तेंदूपत्ता केवल जंगलों में दिखने वाला हरा पत्ता नहीं है। इसको हरा सोना के नाम से जाना जाता है और वह इसलिए कहा जाता है कि तेन्दूपत्ता से आच्छादित क्षेत्र में रहने वाले वहां के लोगों के जीवन दशा को और जीवन की दिशा को परिवर्तित करने का काम तेंदूपत्ता, महुआ, चार, तेंदू, इमली इसके माध्यम से ही होता है। 5500 रूपये मानक बोरा की पहली बार ये जो वृद्धि की गई है, इसके लिए मैं आपकी ओर से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इससे निश्चित तौर पर हमारे उन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी भाइयों को विशेषकर इसका लाभ मिलेगा। जो लोग तेंदूपत्ता तोड़ते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करते हैं। मैं आपसे यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि पिछली सरकारों ने तेंदूपत्ता को लेकर जो गलती की है, तेंदूपत्ता तोड़ने का, उनकी कटाई करने का और तेंदूपत्ता तोड़ाई का काम तो मैं समझता हूं कि एक हवा की झोंका की तरह हुआ करता था और इससे आम जनता के मन में खासकर बस्तर और ऐसे क्षेत्रों में जहां पर तेंदूपत्ता होता है, उनके मन में तेंदूपत्ता को लेकर विश्वास खत्म होने लग गया था। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे पुनर्जीवित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये तारीफेकाबिल है और इससे न केवल हमारे आदिवासी भाइयों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य का भी गौरव बढ़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसान वृक्ष मित्र योजना, इसमें 60 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसका भी समर्थन करते हुए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि हम लोगों को वृक्षारोपण के साथ, हरियाली के साथ जितना ज्यादा जोड़ेंगे, उतना ज्यादा हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हमारे क्षेत्र में आच्छादन बढ़ेगा। महोदय, कुछ बातें ध्यान में लाना चाहता हूं

खासकर जंगल में जो आग लगने की घटना है। जंगल में जो आग लगने की घटना है, इसको नियंत्रित करने के जितने भी प्रयास किये गये हैं वो अभी भी पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाया है और इसका मुख्य कारण है जनभागीदारी में कहीं न कहीं कमी के कारण ऐसा होता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो हमारे वन प्रबंधन समितियां हैं, हमारे जंगली क्षेत्रों में रहने वाले वहां के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, वहां पर रहने वाले समाज सेवक हैं, उनको इस अभियान के साथ जोड़ा जाये, क्योंकि जंगल में आग लगने के कारण वहां की जो जैव विविधता है, उस पर इसका सीधा-सीधा असर होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे प्राचीन धरोहर हैं, उनका अस्तित्व मिटने के कगार में चले जाते हैं। महोदय, बस्तर के बारे में तो कहा जाता है कि बस्तर की भूमि एक ऐसी भूमि है, जहां पर इतिहास के किसी भी पत्ते में यहां पर कहीं भी न ज्वालामुखी आया है, न कोई भूकंप आया है और न ही कोई जलवायु परिवर्तन का यहां पर कोई इतिहास मिलता है। तो यहां की जो मिट्टी हैं, यहां की जो हवा है, यहां के जो पेड़-पौधे हैं, ये पाषाणकाल से आजतक उसी रूप में मौजूद है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में या बस्तर में कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की स्थापना अभी तक नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे भी जंगल और जंगल के जीव-जंतुओं के बारे में पढ़ें। जैव-विविधता के बारे में पढ़ें और अगर वे पढ़ेंगे, यहां की संस्कृति के साथ उनका जुड़ाव रहेगा तो हमारा जो जंगल है जो 44 प्रतिशत मात्रा में है, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन बहुत अच्छे से हो सकेगा। मेरा एक सुझाव है। आदरणीय सभापति महोदय, सहकारिता विभाग भी माननीय मंत्री महोदय के पास है ।

समय
5.00 बजे

सहकारिता के मामले में पिछले 2 दिनों से हम शक्कर कारखाने के बारे में बात कर रहे थे । मैं कोंडागांव जिले में कलेक्टर के रूप में काम कर रहा था । कोंडागांव जिले में 4 लाख टन मक्के की पैदावार होती है । हमने सहकारिता के माध्यम से वहां पर मक्का प्रोसेसिंग प्लांट चालू किया था । जिसकी लागत 110 करोड़ की थी उसका फायदा वहां के 43 हजार किसानों को होने वाला था । उन 43 हजार किसानों में से 30 हजार किसान वो आदिवासी थे, जिनको वन अधिकार पत्र मिला हुआ था । लेकिन पिछली सरकार ने षड्यंत्रपूर्वक तरीके से उस मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण को बीच रास्ते में रोक दिया और उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया । ठीक है, एथेनॉल में ही कनवर्ट हो गया, कोई बात नहीं । लेकिन कम से कम उस मक्का प्रोसेसिंग प्लांट से वहां के किसानों को कम से 20 रूपया किलो में उनका मक्का खरीदी की सुनिश्चित व्यवस्था थी, वह व्यवस्था जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, समर्थन मूल्य में धान की खरीदी । यह हमारे छत्तीसगढ़ की जरूरत भी है और हमारी आवश्यकता भी है और राजनीतिक प्रतिबद्धता भी है । पूर्व के वक्ताओं नेभी कहा है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकारें जिसकी भी रहेगी लेकिन समर्थन मूल्य में धान की खरीदी बंद नहीं हो सकती है । इसलिए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से इसकी खरीदी होती है । हमारा अधोसंरचना बहुत कमजोर है । हमारे धान खरीदी केन्द्र असुरक्षित हैं, हमारे धान का संग्रहण केन्द्र असुरक्षित है और ऐसी सारी सहकारी समितियों के माध्यम से जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, कभी आप पता लगाकर देखेंगे कि जो धान की बिक्री की गई है उसके पेमेंट में जो देरी हो रही है । लोग चौबीस-चौबीस घंटे तक बैंक में जाकर इंतजार कर रहे हैं तब जाकर उनको 10 से 15 हजार मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक तो ऐसे सभी सहकारी बैंक जो बनकर तैयार हैं लेकिन रिजर्व बैंक से अनुमति नहीं मिलने के कारण चालू नहीं हो पा रहे हैं, उनको शीघ्रातिशीघ्र चालू कराया जाए ताकि आम जनता को इसका फायदा हो सके । दूसरा, जितने भी संग्रहण केन्द्र हैं, उन संग्रहण केन्द्रों को स्थायी किस्म का तैयार किया जाए ताकि समय और धन की बचत हो सके । तीसरा, जो कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर, उनकी पदोन्नति को लेकर जो शिकायतें हैं उसको शीघ्र दूर किया जाए, जिससे हमारा सहकारी क्षेत्र काफी तेजी से आगे बढ़ सकेगा । इतना ही कहकर मैं कौशल विकास पर एक लाईन कहना चाहूंगा । मैंने कल भी एक आंकलन में बताया था कि 57 लाख बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मात्र 3 लाख है । हमारी उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत कमजोर है । ऐसी स्थिति में जो ड्रॉपआउट्स हो रहे हैं, उन ड्रॉपआउट्स बच्चों को कौशल विकास के माध्यम से उनका स्किल अपग्रेडेशन करने का काम कौशल विकास के माध्यम से किया जा सकता है । इसमें काम हो रहे हैं लेकिन इसको और अच्छे तरीके से करने की जरूरत है । मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद्, जय हिंद ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं 2023 के बजट की मांग संख्या 10, 17, 23, 45 57 और 75 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रूपए की दर से संग्रहण दर का भुगतान किया जाना, स्वागत योग्य कदम है । परंतु पूर्ववर्ती सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों के कारण चरणपादुका योजना बंद कर दी गई । उसे प्रारंभ किया जाना चाहिए । यह बहुत बड़ी योजना डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए दी गई थी । वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किसान वृक्ष मित्र योजना प्रारंभ की गई है । निजी भू-स्वामी, शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थानों को वाणिज्य कर वृक्षारोपण के लिए सहायता प्रदान किया जाएगा, इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान स्वागत योग्य कदम है। वनों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कैंपा योजना है, आपको ध्यान दिलाता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में यह कैंपा नहीं, यह भ्रष्टाचार योजना हो गयी थी। हर योजना में भ्रष्टाचार था, उसमें कैंपा शब्द जुड़कर चला जाता था। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग है कि वह भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदले और छत्तीसगढ़ के वनों के विकास में पैसा लगे जो केन्द्र सरकार

संरक्षण और संवर्धन के लिए देती है। हमारी सरकार में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ऐसी मेरी कामना है। वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप वनों के प्राकृतिक पुनरूत्पादन हेतु 240 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना, अभी कुछ दिनों पहले इस सदन में पूर्ववर्ती सरकार के लोग बड़ा छाती पीठ-पीठकर लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना पर बात कर रहे थे, सभापति महोदय, आपने भी उस चर्चा में भाग लिया था। इसके अंतर्गत फलदार प्रजातियों का वृक्षारोपण, चारागाह विकास, जल की उपलब्धता, हाथी मानव द्वंद के कुशल प्रबंधन की रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो स्वागत योग्य कदम है। बारनवापारा अभ्यारण में पर्यटन सुविधाओं के लिए 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विभाग के कार्यों का वेब, मोबाईल बेस्ड प्लेटफार्म तैयार किये जाने के उद्देश्य से 14 करोड़ 77 लाख का प्रावधान किया गया है। वन विभाग द्वारा किये जाने वाले लकड़ियों की नीलामी के लिए ऑनलाईन ऑक्सन पोर्टल का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है, यह भी स्वागत योग्य कदम है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मांग है कि छत्तीसगढ़ में टाइगर क्लब का गठन होना चाहिए जिसके माध्यम से टाइगरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक टीम बनकर काम कर सके जो अशासकीय तौर पर भी जो लोग काम करना चाहते हैं, जो सरकार का हिस्सा नहीं है। ऐसे समाजसेवी लोग टाइगर क्लब के माध्यम से टाइगर के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर सकें। सभापति महोदय, आपके पूर्व क्षेत्र में अचानकमार टाइगर रिजर्व है, टी.आर. बालू जी जब वन मंत्री होते थे तब उसकी घोषणा की गयी थी। आज दिनांक तक सरकार की नजरें इनायत नहीं थी, पिछले पांच साल में मामला वंदे मातरम था, अचानकमार टाइगर रिजर्व पर नजरें इनायत करने की आवश्यकता है, यह बहुत बड़ा जंगल है, यह आज के डेट में संगठित नहीं है, चारदीवारी से बंधा हुआ नहीं है। वह टाइगर रिजर्व के नाम पर तो है लेकिन वहां टाइगर रिजर्व की योजनाएं फलीभूत होती नहीं दिखती है। पर्यटन का केन्द्र बनने के कारण रूक जा रहा है।

सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग का बहुत बड़ा विषय आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1962 से छत्तीसगढ़ के बड़े जलाशय खूंटाघाट जलाशय से लगे हुए 16 गांव सिंचाई से वंचित थे, इस सदन में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1962 की मांग को 2023 के बजट में शामिल करते हुए बेलतरा विधान सभा के उन 16 गांवों को लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से जोड़ा गया है, सिंचाई परियोजना की घोषणा की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सिंचाई के रकबे के विस्तार के लिए नवीन सिंचाई परियोजना हेतु 300 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जाना है। संभावित सिंचाई परियोजनाओं की सूची में 10 करोड़ से अधिक लागत के 156 कार्य प्रस्तावित किया जाना स्वागत योग्य कदम है। लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं में 992 करोड़ रूपए, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रूपए,

एनीकट स्टापडेम निर्माण हेतु 662 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाना स्वागत योग्य कदम है। केलो सिंचाई परियोजना की नहरों का काम वर्षों से अधूरा था, केलो डैम का नाम स्व. दिलीप सिंह जूदेव जी के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। परंतु कागजों में आज भी केलो डैम के नाम से जाना जाता है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक किंवदंती कहे जाने वाले कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी के नाम को इस विषय के साथ स्थायी तौर पर जोड़ा जाए। केलो परियोजना के तहत किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर निर्माण का कार्य पूरा किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, स्वागत योग्य कदम है। जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन हेतु डिजीटल सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। राज्य जल सूचना केन्द्र की स्थापना हेतु एक करोड़ का प्रावधान किया जाना स्वागत योग्य कदम है। अभी नीलकंठ जी चिंता कर रहे थे, सिंचाई, बांधों की देखभाल नहीं होती है, एनीकट का देखभाल नहीं होता, इस बजट में उसके लिए 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यह भी स्वागत योग्य कदम है।

सभापति महोदय, सहकारिता का क्षेत्र है। 100 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद बीज भंडारण हेतु गोदाम सह कार्यालय निर्माण किया जाएगा जिसके लिए 21 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार यह प्रावधान कम है, इसमें बजट में राशि बढ़ाये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कृषि साख सहकारी समितियां प्रदेश में हैं। छत्तीसगढ़ कृषि आधारित व्यवस्था वाला राज्य है। इसलिए साख समितियों को दी जाने वाली आर्थिक व्यवस्था को बढ़ायी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाओं को कम्प्यूटरीकृत कार्यों हेतु 1 करोड़, 5 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, परंतु इसमें एक और व्यवस्था जोड़ी जानी चाहिए कि सहाकारी संस्थाओं के पंजीयन हेतु आज दिनांक तक कोई ऑनलाइन प्रावधान नहीं है। स्व सहायता समूह से लेकर सभी समितियां ऑनलाइन प्रावधान के तहत् उसमें फॉर्म भर लें और पंजीकृत हो जाएं। 5 नवीन जिलों की अवधारणा के लिए नवीन मद में 50 लाख रूपये का प्रावधान किय गया है।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग का एक विषय है - कानन-पिंडारी । सभापति महोदय, कानन-पिंडारी आपके क्षेत्र में आता है। उसको मिनी जूं का दर्जा मिला है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तरफ से उसके लिए कई वर्षों से सेटअप भी स्वीकृत है। परंतु आप प्रशासनिक लचरता को देखिये कि प्रदेश के गिने-गिने जूं में आने वाला कानन-पिंडारी आज भी सेटअप के लिए तरस रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि उसको सेटअप की पूर्णता प्रदान की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में खोंदरा में डियर पार्क बनाने की घोषणा की गई थी।

सभापति महोदय :- कहां पर ?

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, खोंदरा में। खोंदरा बेलतरा और मस्तूरी विधान सभा का सेंटर है। वहां पर डियर पार्क बनाने की घोषणा की गई थी तो यदि उसकी प्रतिपूर्ति की व्यवस्था इस सरकार में हो जाए तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत् जल संवर्धन के कार्य स्वीकृत हों। क्योंकि लगातार पानी का स्तर नीचे बैठ रहा है, खासकर वन क्षेत्रों में। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत् जल संवर्धन के कार्य हों। वानिकी परियोजना के तहत् पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खोंदरा में वन विभाग ने एक पर्यटन स्थल विकसित किया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी वहां पर 6 टेन्ट हैं और वह 6 टेन्ट क्षतिग्रस्त हैं। उनकी मरम्मत करके कम से कम वहां पर 10 टेन्ट निर्मित करके पर्यटन को बढ़ावा देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरी यह मांग है। बेलतरा विधान सभा के शहरी और ग्रामीण बिलासपुर का बड़ा हिस्सा। जिसमें 18 वार्ड और 62 पंचायतों को मिलाकर बेलतरा विधान सभा बनता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर रोड साइड प्लांटेशन हो, जिसमें फलदार और छायादार पौधों की संख्या 20,000 हो और ट्री गार्ड के सहित लंबे (tall) पौधों का रोपण किया जाए। फदहाखार मेरे विधान सभा का एक बहुत विवादित क्षेत्र है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं हैलिकॉप्टर से जाऊंगा, तब वहां पर पहुंच पाऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसी सीमा पर फदहाखार दिया गया है। वहां पर मेरे 3,300 मतदाता निवासरत हैं। वह वनग्राम के रूप में है और राजस्व ग्राम के रूप में विकसित हो रहा है। वहां पर लगातार बेजा कब्जा बढ़ रहे हैं। ऐसे में वन विभाग के द्वारा वहां पर एक बड़ा महती नगर वन का कार्य कराया जा रहा है। वह पिछले कई वर्षों से लंबित है। वह लगातार चल रहा है। आप भ्रष्टाचार की स्थिति देखिये कि आधे में अवैध तरीके से लोग काबिज हैं और आधे में वन विभाग नगर वन का विकास कर रहा है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि उसका निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण किया जावें। वहां पर 8-9 महीने से मजदूरों के भुगतान लंबित हैं। वह भुगतान सुनिश्चित हो और ऐसी व्यवस्था की जाए कि मजदूरों का भुगतान न रोका जाए। खुंटाघाट एक बहुत बड़ा जलाशय है। वहां पर चिड़िया रहवास योजना के तहत् विदेशों से चिड़िया आती हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से मांग है कि खुंटाघाट जलाशय में चिड़िया के रहवास की व्यवस्था सुनिश्चत होगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, आप बैठिये। मैं आपको 1 मिनट बाद बोलवा रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात कहता हूं।

सभापति महोदय :- ठीक है। आप बोल लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, सबसे पहले मैं केवल दो-तीन चीजों पर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। आप सोलहवें साल में प्रवेश करने वाले मंत्री हैं। आप तो मंत्री बनने के लिए ही चुनाव जीतते हैं। ऐसा है कि यदि आप हारे मतलब सरकार गई। आप जीते मतलब सरकार बननी है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहली बात यह है कि आपने जिन सरकारी अधिकारियों को पैक्स से हटाये हैं। 4-5 जगह ऐसी हैं कि वह लोग स्टे ले आये हैं। आपका विभाग स्टे का गंभीरता से उत्तर नहीं दे रहा है। यह क्या प्राकृतिक न्याय है ? किसको सुननी चाहिए और किसको नहीं सुननी चाहिए ? कृपा करके इस मामले को तत्काल शॉर्ट आऊट कीजिए, एक। दूसरा, अब लगभग 33 जिले हो गये हैं। जब भूपेश बघेल जी थे, तब तो ध्यान नहीं देते थे, हम लोगों ने कई बार कहा । छोटा जिला मतलब विकेन्द्रीकरण माना जाता है तो पॉच जिले वाले रायपुर के जिला सहकारी बैंक में तो हम लोग आज भी आते हैं । आर.बी.आई. से अनुमति लेकर प्रत्येक जिले में जिला सहकारी बैंक खुल जाये । धमतरी जिला जहां सबसे ज्यादा लेनदेन होता है तो जिला सहकारी बैंक खुले। अब उसके बाद आपने पेक्स का पुनर्गठन कर दिया और 1400 से 2200 पेक्स बना दिया । वह 2200 है या 2300 है, कितना है, वह मुझे एगजेक्ट नहीं मालूम। यदि आपको सहकारी आन्दोलन को मजबूत करना है तो पेक्स के भवन बने हैं या नहीं बने हैं, पेक्स के प्रशासनिक कार्यालय बने हैं या नहीं बने हैं ? जो पेक्स बने हैं, वह कितनी अपेक्स बॉडी के मेम्बर बने हैं ? किसी भी प्रबंधक को पूछो, प्रशासकीय अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी क्या बलाएं हैं, उसके लिए न तो कर्मचारियों की भर्ती हुई, न तो उसको मूल विभाग से कोई संसाधन दिए गए । अब वह पेक्स भी मान लो आप सहकारिता का चुनाव करवाते हैं तो मान लो आपके गांव को कोई नया पेक्स बनाया है तो आपका पेक्स कितने अपेक्स में शेयर होल्डर बने हैं या नहीं बने हैं, उसको बताने वाला कोई नहीं है । कृपा करके आप उन पेक्स की बिल्डिंग भी बनाएं, प्रशासनिक भवन भी बनवाएं, जमीन भी एलॉट करवाएं । अब पेक्स की संख्या बढ़ गई, मान लो मैं कुरूद की बात करूं, मैं कभी कुरूद की बात नहीं करता । मान लो कि कुरूद में 21 सोसायटी थी, वह 40 सोसायटी हो गई, मैं एग्जेक्ट नहीं जानता कि कितनी सोसायटी है, पर वहां बैंक की संख्या कितनी है तो उस अनुपात में बैंक भी बढ़ायी जाये, तब विकेन्द्रीकरण या सहकारी आन्दोलन की मजबूती का मतलब होता है । हम चाहते हैं कि मान लो 40 सोसायटी है तो 5 सोसायटी में एक बैंक होना चाहिए तो आप उतने बैंक खुलवाईए, उसकी प्रक्रिया शुरू करवाईए ।

सभापति महोदय, आप केबिनेट में थे तो कभी मैं केबिनेट में भी इस विषय को लिया था । छत्तीसगढ़ में लगभग 40 या 44 किसान राईस मिल हैं । मैं रायपुर का उदाहरण दे देता हूं, मुंगेली का उदाहरण दे देता हूं । मुंगेली नरेश बैठे हैं । रायपुर की नूतन राईस मिल क्यों बंद हो गई ? वह कर्जे में डूब गई । फिर ब्याज, फिर ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज । आज की हालत में पूरे 44 राईस मिल की मशीनरी तो सड़ गई । वह जमीन किसकी है ? सरकार की लीज़ में दी हुई जमीन है । अब वह कितने अरब रूपए के हैं ? मान लोग 44 किसान राईस मिलें होंगे, विपणन संघ होंगे तो 44 राईस मिल के पूरे कर्जे एक किसान राईस को बेचोगे, ऑक्शन करोगे तो छूट जाएगी । कुरूद में किसान राईस मिल है, वह मौके की साढ़े सात एकड़ जमीन है। वह सरकार के लीज़ में दी हुई जमीन है । अब वह बंद पड़ी है या

एकाध गोदाम कहीं पर वर्किंग है । उस गोदाम को कोई भी ऑक्शन में, नीलामी में ले लेगा । आप अरबों रूपए वित्त बढ़ाने की बात कर रहे हैं । रायपुर के विकास के लिए आपको पैसा सिर्फ नूतन राईस मिल को बेचने से मिल जाएगा तो उन 44 किसान राईस मिल के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, उसके बारे में मुझे जरूर बताईएगा । क्योंकि इस बारे में मेरे लगातार बोलने के बावजूद किसी भी सहकारी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया ।

सभापति महोदय, अब जैसे डी मार्ट, सी मार्ट खुल रहे हैं, कई प्रकार के मार्ट खुल रहे हैं । उपभोक्ता भंडार और जिला सहकारी संघ की बड़ी बिल्डिंग हैं । आज के दौर में उपभोक्ता भंडार और जिला सहकारी संघ की क्या उपयोगिता है, आप मुझे यह बताईएगा । सहकारी आन्दोलन में अभी उसका क्या योगदान है ? किसानों का विभाग उसमें क्या कर रहा है ? उपभोक्ता भंडार से कौन सा सरकारी विभाग खरीदी करता है या क्या-क्या करता है ? अधिकारियों को तनख्वाह देने का मतलब क्या है, उसका औचित्य क्या है, यह बताईएगा, फिर मैं बाकी चीजों का प्रश्न करूंगा । सहकारिता में मुझे कुछ चीजें ऐसी बोलनी थी । अपेक्स बॉडी में भी जहॉ सहकारी बैंक काम नहीं कर रहे हैं, अपेक्स बैंक जिनको देख रहा है, उस मामले को हल करके रायगढ़, अंबिकापुर या जशपुर जैसी जगहों में फिर से उसकी प्रक्रिया आपको शुरू करनी चाहिए ।

सभापति महोदय, अब इसके बाद मैं जल संसाधन विभाग में आ जाता हूं । आप आरोप में मत लीजिएगा, आप एफिसिएंट हो, 16वें साल के मंत्री हो, आप जीतोगे मतलब सरकार बनेगी, यह मैंने बोल दिया है । आप हारोगे मतलब हम 15 लोग विपक्ष में रहेंगे । यह एजेंसी सरकार है या सरकार एजेंसी की एजेंसी है ? यह मुझे स्पष्ट करिए । मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे यहां 7 साल से दो सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं स्वीकृत हुई है। कारण बताया गया कि कोरोना के कारण लेट हुई है। कोरोना निकले तीन साल हो गए हैं। वर्ष 2019-20, 2020-21 में कोरोना था। वर्ष 2022-23, 2023-24 निकल गया और 2024-25 लग गया। उससे पहले 3 साल जोड़ लीजिये। एक योजना में अभी तक 36 प्रतिशत काम हुआ है, जैसा कि आपने दुलना का बताया है। कुरूद कोड़ेबोड़ सिंचाई योजना है, जिसमें आप बोलते हैं कि 80 प्रतिशत काम हुआ है। 80 प्रतिशत काम को दिखाने के लिए आपका कौन अधिकारी जायेगा ? आप चलेंगे क्या ? आप मुझे मौके में 80 प्रतिशत काम दिखायेंगे क्या ? वहीं आपने एक एजेंसी का नाम लिया, मैं दोबारा नाम नहीं लूंगा। आप उस दिन बोल रहे थे, उसको कितनी बार एक्सटेंशन दिया गया ? एक्सटेंशन के बारे में कोई नियम नहीं है, रिवाइज करने का कोई नियम नहीं है। यदि आज मोदी जी "Minimum Government Maximum Governance" बोलते हैं, आपका सिंचाई विभाग इसके बिलकुल विपरीत दिखता है। कोई परियोजना कितने दिन में पूरी होगी, उसको कितने दिन में स्वीकृत करना है, कितना एक्सटेंशन देना है, कितनी तरह की स्वीकृति है, कितने तरह के एक्वायरमेंट है, उसको भगवान ही जानता है। जो उसे देखता है, वह अधिकारी जानता है, हम लोग तो नहीं जानते हैं। हम आपको आज

बोल रहे हैं। आपके अधिकारी सुन रहे हैं, जिस गति में काम चल रहा है, आप मुझसे दो साल और ले लीजिये, यदि इस गति में कोड़बोड़ और दुलना को दो साल में पूरा करवा देंगे, तो कुल मिलाकर 10 साल हो जायेगी। कितने करोड़ की योजना है ? एक 28 करोड़ की है और एक 16-17 करोड़ की है। मुझे बोलने में शर्म आती है। इसलिए मैंने कहा कि सराकर उन एजेंसियों की एजेंसी है या सरकार की एजेंसी है ? उनके ऊपर कोई नियंत्रण है या नहीं है, भगवान भरोसे है ?

माननीय सभापति महोदय, तीसरी बात, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत बढ़ाना है। मैं महासमुन्द लोकसभा क्षेत्र को ज्यादा जानता हूं, आप बस्तर के रहने वाले हैं, आप बस्तर को मुझसे ज्यादा जानते हैं। जितनी सारी चीजें कंजरवेशन एक्ट में रूकी हुई हैं, वन विभाग भी आपके पास है। जैसा आपने पिछली बार स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विभाग संभालते हुए स्कूल विभाग का एकीकरण कर दिया था, वैसे ही दोनों विभाग आपके पास है। पर्यावरणीय स्थिति को एक युद्धस्तर पर ले जाईये, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, जिसको आप डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो यदि पर्यावरण की स्वीकृति मिल जाये, जो रूकी हुई है, बागबाहरा में कितनी रूकी हुई है, लोअर जोंक की क्या स्थिति है, अपर जोंक की क्या स्थिति है, पैरी परियोजना के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, मैं अभी थोड़ी देर पहले पर्यावरण विभाग बोल रहा था, पीने का पानी का काम गंगरेल देगा, एम.आर.पी. तब तक पूरी नहीं मानी जायेगी, जब तक पैरी लिंक का काम नहीं माना जायेगा। आप पैरी परियोजना को किस स्वरूप में लेंगे, यह आप देख लीजिये। नहीं तो पीने का पानी रहेगा। सोंढुर को कब तक क्लीयरेंस मिलेगा, प्रदेश में इस तरह की जितनी समस्याएं हैं, आपके पास दोनों विभाग है, आप युद्धस्तर पर लेंगे, पूरी होंगी तो आपका नाम भी सदियों तक इसमें चलेगा, चूंकि दोनों विभाग आपके पास है।

सभापति महोदय, तीसरी बात, हमारे पास एरीगेशन के जितने सर्वे हैं, अब नये सर्वे तो होते नहीं हैं। नये सर्वे नाम की चीज बंद हो गई है। क्या बड़ी परियोजनाएं बंद हो गई, यदि उसके बाद छत्तीसगढ़ 40 प्रतिशत तक पहुंचता है या 50 प्रतिशत तक पहुंचता है यानि पूरी हो गई ? इसके बाद हमारे पास अवसर नहीं है ? माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे कहना है कि कंजरवेशन एक्ट दिनों दिन कड़ा होते जा रहा है। समाज में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी दिख रहे हैं। क्या एक लघु-मध्यम सिंचाई योजना का सर्वे करवाने के लिए कोई डिवीजन या विभाग बनायेंगे, जो इस बात को देखे कि अधिकतम सिंचाई हो और न्यूनतम जमीन एक्वायर हो या पर्यावरण को कम नुकसान करे, कम डूब में आये। पोलावरम परियोजना की वजह से कोन्टा डूब रहा है, इस तरह का मत हो। एक नाला है, जिसको हम बनाते हैं, 30-40, 50 एकड़ की सिंचाई होती है तो ऐसी परियोजनाओं का सर्वे कराकर उसको सघन रूप में लेंगे क्या ? जो भूमिगत जल स्त्रोत को सिंचाई, पर्यावरण और निस्तारी सभी चीजों के लिए काम देंगी।

सभापति महोदय, मैं उपरोक्त बातों के बाद आखिरी बात करता हूं। बजट में आपकी इच्छाशक्ति दिखती है। मैंने बजट की प्रशंसा की थी। अभी विनियोग में आपकी विशेष प्रशंसा कर दूंगा। मैं दो बातें

बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो क्षेत्र की है। आप कुरूद क्रास करते हैं, देखते हैं कि एक नया रोड शुरू हुआ है, वहां नीचे 3 नालियां हैं। रबी फसल या पेयजल के लिए पानी देते हैं तो नहर में सामान्य गति में पानी बहता है तो नालियों में पानी नहीं जाता है। उससे एक किलोमीटर आगे मैंने बजट में शामिल करने के लिए पत्र भी लिखा है, मोर विशेष मांग होही तेतका बेर गोठिया ला चल देबे ।

(श्री पुन्नूलाल मोहले जी के वन मंत्री श्री केदार कश्यप के पास जाने पर)

मोर विषय के मांग होही ततका देर तै गोठियाय ला चल देबे । मुंगेली के बेर मैं चुप रहूँ । माननीय पुन्नूलाल जी, कुरूद के बारे में बोलहूं त तै गोठियाय ल चल देबे । मुंगेली के बारे में बोलहूँ त चुपचाप बैठे रहूं, ले बोल कइके । माननीय मंत्री जी, वहां पर मैंने आपसे आग्रह किया था कि क्रास रेगूलेटर स्वीकृत करेंगे तो जो 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर की नालियां है, उसमें सामान्य गति से भी पानी चढ़ जायेगा । किसानों को जब निस्तारी के लिये आप पानी भरेंगे तो काम देगा । सभापति महोदय, मुझे आखिरी चीज जो जानने की उत्सुकता है, लैंटाना के बारे में आप जरूर बतायेंगे । हम रेवेन्यू बचाने का काम कर रहे हैं तो क्या लैंटाना का मनरेगा से उन्मूलन नहीं हो सकता है ? यह दूसरे तरीके से नहीं हो सकता है, उसको नगद पैसे में करवाना जरूरी है ? मैं तो जब जाता हूँ, जिधर जंगल में गया हूँ, जब जाता हूँ, जंगल वैसा ही दिखता है । साफ-सफाई वाला जंगल, लैंड स्कैपिंग हुई है, लैंटाना मुक्त है और साफ-सफाई दिखती है, ऐसा जंगल तो मैं आज तक नहीं देखा हूँ । एकाध जहां लैंटाना उन्मूलन हुआ है, वहां किसी दिन दिखाने ले चलियेगा कि लैंटाना उन्मूलन में इतना अरब रूपया इस जंगल में खर्च हुआ है और यह ऐसा था करके एक फोटो और लैंटाना उन्मूलन के बाद फोटो आप जरूर दिखायेंगे, इस आशय के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और क्रॉस रेगूलेटर के बारे में कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मैं अमूमन अपनी कांस्टिटूयेंशी के बारे में कभी नहीं बोलता, लेकिन क्रास रेगूलेटर किसानों का विषय है, निस्तारी का विषय है, इसके बजट के लिये चिट्ठी भी लिखा था । कुरूद से जहां पर आप क्रास करते हो, अभी नई रोड शुरू हुई है, चार दिन पहले हुआ है, उससे आधा किलोमीटर आगे रायपुर की ओर आपके अधिकारियों को दिखा दूंगा, इसे बनायेंगे तो बड़ी सुविधा हो जायेगी । मैं पहली बार किसी बजट में कुरूद का नाम लिया हूँ । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री संपत अग्रवाल ।

श्री संपत अग्रवाल (बसना) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बजट के पक्ष में बोल रहा हूँ । हमारा बजट बहुत ही अच्छा है, इससे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम देश के अग्रणी राज्यों में आ जायेगा । इस बजट की सराहना सभी लोग करते हैं कि यह बजट बहुत ही बढ़िया है, इससे छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान मिलेगी । आज जो माननीय वन मंत्री जी के विभाग पर चर्चा हो रही है तो मैं बसना विधान सभा से आता हूँ, वह काफी दूर है । वैसे तो कई सारी चीजों को बजट में लिया गया है, बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें हैं, जिनकी मैं मांग करता हूँ और उसको पूरा कर देंगे तो हमारे क्षेत्र का

अच्छे से विकास होगा । सभापति महोदय, हमारा गढ़फुलझर पौराणिक स्थल है, यह जंगल के बीच में है, उसका विकास किया जाना चाहिये । परसापाली पहाड़ी क्षेत्र पर वृक्षारोपण एवं दर्शनीय स्थल के रूप में विकास किया जाना है । तेंदूपत्ता वृक्ष प्रजाति संरक्षण क्षेत्र नवागांव, कोलिहादेवरी, क्षेत्र का विकास अपेक्षित है । बम्बू सेट अप एवं बॉस संरक्षण क्षेत्र स्थापना ...।

सभापति महोदय :- एक मिनट अग्रवाल जी । मैं रोक रहा हूँ ।

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रम 8 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है ।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

सभापति महोदय :- अब बोलिये ।

श्री संपत अग्रवाल :- सभापति महोदय, बम्बू सेट अप एवं बांस संरक्षण क्षेत्र स्थापना अथराभांटा क्षेत्र का विकास, इसी प्रकार राजा दरबार पहाड़ी विकास एवं संरक्षण, बसना फारेस्ट कैंपस में अहाता निर्माण, पिथौरा रेंज वन क्षेत्र क्रमांक 267 के समीप दुर्गा मंदिर के समीप चैन लिंक कार्य एवं गार्डन निर्माण, पिलवापाली जलाशय के शीर्ष कार्यों का जीर्णोद्धार एवं नहर रिमॉडलिंग एवं सी.सी.लाईनिंग कार्य, खुर्सीपार जलाशय के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर रिमॉडलिंग एवं सी.सी.कार्य, 18 नाला जलाशय शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर रिमॉडलिंग एवं सी.सी. प्लानिंग कार्य, देवसराल सपोज जोंक नदी एनीकट निर्माण कार्य, पथल्ला नाला में एनिकट निर्माण कार्य, बिटांगीपाली व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर जीर्णोद्धार तथा सी.सी. लाईनिंग कार्य, कुमढ़ेल नाला व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर जीर्णोद्धार तथा सी.सी. लाईनिंग कार्य, कुंती नाला व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर जीर्णोद्धार तथा सी.सी. लाईनिंग कार्य, चंदखुरी जलाशय के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर जीर्णोद्धार तथा सी.सी. लाईनिंग कार्य, सुरंगीपाली नाला में ग्राम छोटे पटनी के नीचे एनिकट, तालागांव में एनिकट निर्माण कार्य। सभापति महोदय, बस थोड़ा-सा, एक मिनट का और है।

सभापति महोदय :- हां, पढ़िये। मैं तो आपको टोक ही नहीं रहा हूं, आप पढ़िये ना।

श्री संपत अग्रवाल :- सभापति महोदय, जल संसाधन एवं उप संभाग बसना कार्यालय एवं अहाता निर्माण कार्य।

श्री राजेश मूणत :- सर, अहाता निर्माण तो हो गया है।

श्री संपत अग्रवाल :- राजेश मूणत जी, मैं पहली या दूसरी बार ही बोल रहा हूं। यदि टोक देंगे तो घबरा के बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय :- संपत अग्रवाल जी, आपको जितनी बार बोलना है बोलिये। आपको कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। आप आराम से पढ़िये।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संपत अग्रवाल :- सभापति महोदय, अभी तो खड़े होने में ही बेचैनी हो रही है, यदि कोई टोक दिया तो बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय :- नहीं, आप बोलिये। मै आपसे कह रहा हूं कि आप बोलिये।

श्री संपत अग्रवाल :- सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत पूर्व के वर्षों में सालाना लगभग एक से डेढ़ करोड़ रूपये आवंटन प्राप्त होता था किंतु विगत तीन वर्षों में केवल 35 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसके कारण जिला के युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने में कठिनाई हो रही है। बसना विकासखण्ड जिला मुख्यालय से काफी दूर होने के कारण उस क्षेत्र के युवाओं के द्वारा नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु महासमुंद आने जाने में परेशानी के कारण वह रूचि नहीं दिखा रहे हैं, उक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बसना में लाईवलीहुड कॉलेज खोलने से काफी लोग लाभान्वित होंगे। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां लाईवलीहुड कॉलेज खोला जाये। इसी तरह की एक-दो और छोटी-छोटी मांगें हैं, जिसे मैंने इसमें लिख दिया है, वह प्रदान किया जाये। इसमें जो भी बजट हुआ है और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसकी बहुत-बहुत तारीफ और सराहना कर रहा हूं और हमारा छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में आये।

सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- आप दोनों को भी अवसर दूंगा। राजेश मूणत जी बोलिये। थोड़ा-थोड़ा सब बोल लीजियेगा।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो इसलिये बोलने खड़ा हुआ हूं कि जो विभाग है, उस विभाग के अंतर्गत शहर के भीतर कोई काम ही नहीं है लेकिन वन विभाग की दृष्टि से राजधानी का सबसे पुराना चिड़िया घर नंदन वन है। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, वह उसके पहले से बना हुआ है लेकिन वह धीरे-धीरे खंडहर होते जा रहा है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि एक बार उसका मेंटेनेंस और सारे कार्य करवा दीजिये और उसका जीर्णोद्धार करवा दीजिये। क्योंकि यह राजधानी का सबसे पुराना और एक ही चिड़िया घर है। सभापति महोदय, इसे आप भी जानते होंगे और मंत्री जी से आग्रह है कि यह राजधानी का एक कार्य है, इसको प्राथमिकता से करवा दीजिये।

सभापित महोदय :- जी। मंत्री जी नोट कर रहे हैं। श्री पुरन्दर मिश्रा जी।

श्री पुरन्दर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- सभापति महोदय, मैं सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करते हुए सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- आप यह सब भूमिका मत बोलिये। आप सीधे अपनी मांग में आ जाईये।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- सभापति महोदय, यह 1982 का मामला है, इसमें थोड़ी भूमिका बोलनी पड़ेगी।

सभापति महोदय :- हां, आप सीधे 1982 में आ जाईये। आप बोलिये।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- सभापति महोदय, मैं आपकी मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात रखता हूं। भुवनेश्वर में 1982 में अपर जोंक और लोवर जोंक परियोजना के लिये एक मीटिंग हुई थी। उसको राजनीतिक सब्जी बाग दिखाया गया, जिससे वह कार्य आज तक पेंडिंग हो गया। मेरा निवेदन है कि आप युवा मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में पानी की आवश्यकता है, पीने के पानी की आवश्यकता है। यहां वॉटर लेवल कम हो गया है। लोवर जोंक परियोजना, उड़ीसा वाला हिस्सा बन चुका है और हमारे हिस्से में जो लोवर जोंक था, वह नहीं बना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें उड़ीसा और मध्यप्रदेश के 36 गांव डूबान में आयेंगे और लगभग 01 लाख एकड़ की सिंचाई होगी और एक हजार ग्राम लाभांवित होंगे। जिसमें बसना, पिथौरा, सरायपाली, बिलाईगढ़ और सरसींवा, इन अचंलों की सिंचाई होगी। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और आज कल किसान धान उत्पादन करने में बहुत माहिर हो गया है। पहले की स्थिति नहीं है। पूर्व में वर्ष 1996 में तात्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, प्रधानमंत्री जी के साथ आए हुए थे तो मैंने उनको एक मांग पत्र दिया था। मेरे पास जल आयोग फरिदाबाद का एक पत्र है, जिसमें यह लिखा है कि लोवर जोंक परियोजना की अद्‌यतन जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उस समय मैं बहुत छोटा नेता था। मैं उस समय दौड़ भाग नहीं कर पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के आर्शीवाद से विधायक बना हूँ। सिंचाई मंत्री जी के सहयोग से, फिर से लोवर जोंक परियोजना को शुरू करने की इच्छा रखता हूँ। जिसमें हीराकुण्ड डेम इतना बड़ा बांध होगा, बिजली उत्पादन होगी और उससे लोग लाभांवित होंगे। इसके साथ-साथ मैं किसानों के दु:ख-दर्द को समझते हुए, जो पूर्ववर्ती सरकार ने मण्डी टैक्स को तीन प्रतिशत किया था, उस पर मांग करता हूँ। मैं इसको अलग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- ठीक है। एक-एक मिनट बोल लीजिए।

श्री सुशान्त शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा। माननीय रामविचार नेताम जी ने याद दिलाया कि जल संसाधन विभाग की मांग रूक गई है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में शामिल गोंदईया एनीकट की प्रशासकीय स्वीकृति लंबित है। वैसे ही दुलहरा जलाशय, माननीय बद्रीधर दीवान जी का सपना होता था कि दुलहरा जलाशय में सिंचाई व्यवस्था बने। दुलहरा जलाशय रतनपुर के पास है, उससे सिंचाई परियोजना व्यवस्थित हो। वर्ष 2023-24 के बजट में घुटकुल लोफंदी एनीकट भी शामिल है, परंतु आज भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई है। उसकी स्वीकृति दी जाए। खूंटाघाट नेवसा लिफ्ट एरीगेशन, जो मैंने आपसे पूर्ववर्ती चर्चा में बात कही है उसको जल्द से जल्द फ्लोर पर लाकर टेण्डर कराने की व्यवस्था बने। मोफका एक नहर है जो आज की डेट में आप यह समझ लीजिए कि शहरीकरण की भेंट चढ़ चुका है और अवैध प्लाटिंग का केन्द्र है। उस निरीक्षण नहर को सुदृढ़ीकरण करके, उसे वापस नहर का स्वरूप

दिया जाये। केन्द्रीय सहकारी बैंक बिलासपुर की जो शाखाएं हैं अभी उसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि आहरण और वितरण की कमी है। जैसे बेलतरा एक शाखा है जहां पर खाते में लोगों का पैसा होने के बाद भी, एक कार्य दिवस में 25 हजार रूपये से ज्यादा भुगतान नहीं दिया जाता। एक कार्य दिवस में 25 हजार रूपये से ज्यादा भुगतान किया जाये और कम से कम सहकारी बैंकों की ए.टी.एम. की स्थापना की जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का पुन: अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। माननीय मंत्री जी, आप नज़रे करम फरमाईये। एक छोटी सी बात है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय केदार जी, आप नज़रे करम फरमाईये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की बड़ी समस्या है।

श्री राजेश मूणत :- कौन सी वाली नजर?

सभापति महोदय :- आप बोलिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं नज़र की बात कहूंगा तो बात बिगड़ जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, भाठापारा शाखा नहर जो है ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- आपको जो भी मांगना हो, आप संगीत में मांगिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जी। मुझे संगीत में मांगना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं नज़र पर सुनाता हूँ।

"बने करे राम मोला अंधरा बनाए।

आंखी में देखके दु:ख नइ धराए।"

सभापति महोदय :- आप भाठापारा शाखा नहर की बात कर रहे थे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ मंत्री जी, मैं वही तो चाह रहा था। माननीय मंत्री जी, भाठापारा शाखा नहर जो बुड़ेरा तक नहर आयी है अगर आप इसका थोड़ा विस्तार कर दें और इस नहर को उधर माठ, मूरा, नहरडीह और पचरी तक ले जाएं तो मेरा क्षेत्र धन्य हो जाएगा।

समय
5.39 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया इस नहर को विस्तार दे दें। चाहे वहां लिफ्ट एरिगेशन से हो या दूसरे सिस्टम से हो। माननीय मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह व्यवस्था

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कोसरंगी संस्था जीरो माईनर नंबर 26 नहर नाली के लाईनिंग का काम हुआ था जो इतनी जगहों से टूटा है कि मैं क्या बताऊं। यह काम 5 करोड़ 85 लाख रूपये का था, यह इतनी जगहों से टूटा है, इसका मुरम कौन खा गया? आज तक पता नहीं चला। उसमें मुरूम की फीलिंग नहीं हो पाई। वह नहर की दुर्दशा है। आपसे आग्रह है कि इसको एक बार या तो जांच करा लें, लेकिन कृपया उस काम को पूरा करा दीजिए। 5 करोड़ 85 लाख रुपये का यह काम था। यह मेरा आपसे निवेदन है, इस पर कार्यवाही करा दीजियेगा। माननीय मंत्री जी, कनकी सब डिवीजन में रबी के लिए पानी नहीं मिल पाता है। अगर यहां रबी की फसल के लिए गंगरेल से पानी छुड़वा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। माननीय मंत्री जी नोट भी कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। मेर आपसे आग्रह है कि उसको नोट कर लेंगे तो उस पर आपकी कुछ कृपा हो जायेगी। कनकी सब डिवीजन वाले आपासी का पैसा पटाते हैं, लेकिन उनको पानी नहीं मिलता है। वह पैसा तो पटा रहे हैं लेकिन आप पानी नहीं दे रहे हैं। आपसे एक आग्रह यह है कि कि जिसका वह लोग पैसा पटायें, उनको पानी भी मिले। बस, मेरा इतना ही निवेदन है। मैं मांग संख्या 10, 17, 23, 45, 57, 75 का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- पुन्नूलाल मोहले जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहले जी, आप धोखे से भी मुंगेली के बाहर मत बोलना।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- मैं मुंगेली के अंदर ही बोलूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको मुंगेली के अंदर बोलना है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यकाल में मुंगेली में शक्कर कारखाना खोलने की घोषणा हुई थी, वह शक्कर कारखाना पंडरिया में हो गया था। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- किसके कार्यकाल में ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपके कार्यकाल में पंडरिया में शक्कर कारखाना हो गया था, इस कारण से मेरे क्षेत्र में शक्कर कारखाना नहीं खुल पाया।

अध्यक्ष महोदय :- कार्यकाल बदल गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मंत्री जी वही हैं। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि यदि शक्कर का कारखाना खुले तो, धर्मजीत सिंह जी पहले लोरमी के विधायक थे, उनके यहां 60 एकड़ पठरा में जमीन है, पौनी में, फांकी में जमीन है

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी भूल गये हैं कि क्या मांग थी ? धर्मजीत सिंह जी की भी विधान सभा बदल गई है।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

श्री पुन्नूलाल मोहले :- विधान सभा बदल गई है तो जगह नहीं बदली है। उनका स्थाई निवास तो वहीं का था न।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह शक्कर कारखाना या सट्टा कारखाना बोलें ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- शक्कर कारखाना। वहां पर मेरे क्षेत्र में शक्कर कारखाना हो। पिछले समय मुंगेली विधान सभा से होते हुए चकरभाठा में बैंक की खोलने की स्वीकृति हुई थी, उसका सामान वगैरह चला गया था। वहां बैंक चालू नहीं हो पाया। भटगांव में अमोरा है, वहां भी बैंक खुल गया था लेकिन वहां भी चालू नहीं हो पाया। आप दोनों जगह में बैंक चालू कराने की कृपा करेंगे। कंतेली में भवन नहीं है, वहां पर बैंक खुल गया है लेकिन बैंक का भवन नहीं है। पिछले समय मैं आपसे मांग किया था, एक गांव किरना, कवलपुर है, उस गांव में नदी में जाने के लिए लोगों के आवागमन की सुविधा नहीं है, वहां स्टापडेम विथ पुलिया बनाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे, लगभग वह 1 करोड़ रुपये से कम का है या 1 करोड़ रुपये से कम में निर्माण हो सकता है। मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा कि मेरी मांगों पर जरूर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। सहकारिता, जल संसाधन और वन भी है। यह सबका सीधा-सीधा वास्ता हमारे क्षेत्र के लोगों से है। मैं बहुत ज्यादा अचानकमार की बात, वहां की तकलीफ की बात इसलिए नहीं करूंगा कि अब वह मेरे क्षेत्र में नहीं है। लेकिन फिर भी आप वहां के लिए सहृदयतापूर्वक उनके विकास की बात जरूर सोचियेगा। परंतु मेरे विधान सभा क्षेत्र में कानन पेंडारी है, वह अभी तखतपुर विधान सभा में है। बहुत पहले मथुरा प्रसाद दुबे जी जब वन मंत्री हुआ करते थे, तब उनने उसके निर्माण का काम शुरू कराया था। धीरे-धीरे उसका स्वरूप अच्छा हुआ, उसका आकार बढ़ा है। लेकिन अब और वहां पर बहुत सी संभावनायें हैं जिनको करना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए। वहां लोग हजारों की संख्या में आते हैं और छुट्टियों के दिनों में बहुत से लोग वहां आते हैं। डॉयरेक्टर, डिप्टी डॉयरेक्टर, अभी फिलहाल ए.टी.आर. जिसके अंडर में है, मिस्टर नायर अच्छे अधिकारी हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं जब भी वहां से निकलता हूं तो संड के दिन, कोई त्यौहार के दिन सारी दुकानें सड़क के ऊपर लगती हैं और सारी भीड़ भी वही रहती हैं। अगर किसी दिन एक भी ट्रक का ब्रेक फेल हुआ या कोई भी एक नशे में गाड़ी चलाते हुए आया तो पचासों लोगों को मार डालेगा। ठीक उस सड़क के सामने में बिल्कुल लगा हुआ, मतलब बीच में सड़क, एक तरफ कानन पेंडारी और एक तरफ फॉरेस्ट की भूमि है, वह सारी दुकानों को गुमटी बनाकर, गांव वालों की प्राथमिकता के आधार पर वहां या ओपन में भी उन दुकानों को शिफ्ट करवाईये, पीने का पानी बनवा दीजिये, बैठने के लिए शेड बनवा दीजिये। लोग ऐसी बेतरतीब घूमते रहते हैं। जब कोई वहां टूरिस्ट बनकर जा रहा है और वह टिकट लेकर अंदर जाएगा तो थोड़ा प्रोटोकाल में इतना ख्याल रखिये कि उसको थोड़ा-सा सम्मान दे दें। कितना रूपया लग

जाएगा? वहां आपके अधिकारियों का दिमाग क्यों नहीं गया कि वहां एक शेड बनवा दें? वह लोग गिरते पानी में कहां जायेंगे? वहां घूमने के लिए एक बढ़िया कोई कपल आया है तो दौड़ कर जायें, कोई अपने मां को लेकर आया है तो वह भिगते पानी में खड़ा रहता है, कोई अपनी बहन के साथ घूमने गया है तो वह कहां जायेगा? यह तो आपको पहले दिन से सोचना चाहिए था कि वहां पर एक शेड बनवा दीजिये, पीने का पानी का इंतजाम कर दीजिये, वहां बेंच रख दीजिये। आप उस पर जरूर ध्यान दीजिये। उस कानन पेंडारी के पास एक स्मृति वन है। उस स्मृति वन में बहुत बड़ा एरिया है। उस स्मृति वन में मैं आपको वाइल्ड लाईफ पालने के लिए नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन वह एक ऑक्सीजोन के रूप है, उसके अंदर में थोड़ा साफ-सफाई, सेफ्टी, सीक्योरिटी, यह सबका इंतजाम कराकर उसको आम लोगों के लिए खोलिये ताकि वहां पर लोग घूमने जाये, परिवार के साथ जाये। वहां कुछ बैठने का, कुछ पीने के पानी का इंतजाम करवाईये। आदरणीय मंत्री जी, तीसरी चीज यह है कि स्मृति वन के किनारे में आपने एक वन चेतना केन्द्र बनवाया है। मैंने वन चेतना केन्द्र बनते हुए तो देखा है। मैं सोच रहा था कि वन की चेतना जागृत करने के लिए आपने वन चेतना केन्द्र बनवाया है, लेकिन मेरे को वहां इतना चेतना तो नहीं दिखा। वहां सिर्फ नेतागिरी के कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां जो भी सत्तारूढ़ दल के लोग थे, उन लोग जिसको चाहे उसको वहां कार्यक्रम करने के लिए देते थे। वहां जब चाहे तब कोई भी कार्यक्रम होता था, लेकिन वन विभाग का कार्यक्रम नहीं होता था। आपने मेरे लिखित जवाब में दिया है। आपकी कभी-कभार कोई मीटिंग होती है तो वहां हम जाते हैं। मैं वहां अंदर घूसकर नहीं देख पाया हूं। बाहर में अव्यवस्था ही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर उसका वन चेतना केन्द्र नाम रखे हैं। जैसा कि हम लोग कान्हा किसली नेशनल पार्क जाते हैं तो वहां पर शाम को एक छोटा-सा गैलरी सरीके बनाकर इंटरप्रीटेशन सेंटर में प्रोजेक्टर से जो दिखाते हैं, वह आपने वहां पर क्यों नहीं करवाया? यह तय हो जाये कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे अलग-अलग जंगलों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कभी आप मसाई मारा उद्यान का दिखाईये, कभी आप यहां का जंगल का दिखाईये, कभी किसी नेशनल पार्क का दिखाईये, कभी कान्हा किसली नेशनल पार्क का दिखाईये। आम लोग उसको देखेंगे तो उनको एक इंट्रेस्ट भी रहेगा। आप अच्छा प्रोजेक्टर रखियेगा तो लोग 7 बजे शाम को कम से कम जंगल के बारे में देखने तो जायेंगे। अचानकमार में वहां पर बना हुआ है। मैं वहां पर 20 साल विधायक रहा हूं। आपने निर्माण कार्य को तो कराया है, लेकिन वहां पर किनारे में जो रेस्ट हाऊस है, वहां रूकने वाले टूरिस्ट को आपने कभी भी एक घंटे के लिए इंटरप्रीटेशन सेंटर में एक प्रोजेक्टर भी नहीं दिखाया है। अगर आप सोच लेंगे कि आपके जंगल के बारे में लोगों में जारूकता आये तो इन सब चीजों को करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में बोलिये।

माननीय मंत्री जी, उसी सकरी में जल संसाधन विभाग का बहुत बड़ा सेंटर है। वहां सकरी में भी एक बैठने की जगह नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि को, कोई अधिकारी के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है। मैंने बजट में आपसे मांग भी किया था और आपने एक रेस्ट हाऊस की मांग को स्वीकृति दी है। मैं

चाहता हूं कि जल संसाधन विभाग से वहां बढ़िया वाला, अच्छा वाला रेस्ट हाऊस बनवाईये ताकि वहां अधिकारी भी जाये, जनप्रतिनिधि भी जाये और वहां पर बैठकर लोगों की समस्या सुन सकें, जनता से संवाद हो सकें।

श्री अजय चन्द्राकर :- और आनंद भी ले सकें।

श्री धर्मजीत सिंह :- आनंद लने की बातें नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 20 साल से विधायक हूं, लेकिन मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी रेस्ट हाऊस में रात को नहीं रूका । मुझे मालूम है कि रात रूकने के बाद किसी तरीके से उंगलियां उठती हैं तो मैं अपने ऊपर आक्षेप लेना पसंद नहीं करता । मैं रेस्ट हाऊस को ऐशगाह और आराम के लिये या मुर्गा और मुर्गी खाने की जगह नहीं बल्कि जनता से सीधे सम्वाद का रास्ता मानता हूं जहां पर सार्वजनिक रूप से आयें । मैं अगर किसी के घर में बैठकर बात करूंगा तो 3 दिन बाद कोई भी आदमी यह बोलता है कि वह तो केवल फलां सेठ के यहां या फलां व्यक्ति के यहां बैठता है लेकिन मैं अगर रेस्ट हाऊस में बैठकर 6 घंटे भी लोगों से मिलूंगा तो मेरे ऊपर आरोप नहीं लग सकता । मैं इसलिये बोलना चाहता हूं कि जनता और हमारे बीच सम्वाद करने के लिये आप एक जगह दे दीजिये । माननीय मंत्री जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो कानन पेण्डारी है । उसके 2 किलामीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर कोटा की तरफ घनघोर अंधेरा रहता है, घनघोर अंधेरा बना हुआ है तो उस अंधेरे को भी दूर करिये । नगरपालिका, नगर-निगम अगर नहीं लगाता है तो कम से कम आप अपने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिये वहां पर सड़क में लाईट, सौलर लाईट जो भी बड़े-बड़े लाईट हैं उसे रखिये ताकि वहां जानवरों की सेफ्टी हो । चूंकि मैं वहां का विधायक तो अभी बना हूं, केवल 3 महीने हुए हैं । मैंने अखबारों में पढ़ा है कि वहां पर बहुत बड़े-बड़े अखबारों के फ्रंट पेज में छपा था कि कानन-पेंडारी के अंदर घुसकर 50 चीतलों को मार डाला गया, यह आपके रिकॉर्ड में होगा । आपके अफसरों को मालूम है और यहां पर भी जो अफसर बैठे हैं, मैं उनमें से बहुतों को जानता हूं जिन्होंने इस प्रकार की घटना और आरोप को उन लोगों ने देखा और सुना है । मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि किसी ने मारा लेकिन यदि इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह अखबारों में छपता है तो सेफ्टी के लिये वहां पर आप जरूर इसको कराईये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि कुछ भू-माफिया आपके कानन के दीवाल से लगे हुए कोई प्रोजेक्ट बिल्डर लोगों का आने वाला है या आ सकता है । आप लोग किसी चीज को गांव के बच्चों के स्कूल को बनने को देने के लिये एन.ओ.सी. नहीं देते हैं । आपका विभाग प्रोफेसर खैरा जैसी अपनी जिंदगी को वनवासियों के बीच में समर्थन देने और समर्पण करने वाले की मूर्ति लगाने और उसके कुटीर की रक्षा करने के लिये विधायक से मिले हुए 10 लाख रूपये की अनुमति उसे बनाने के लिये नहीं देते । ऐसे बिल्डरों को भी अनुमति मत दीजियेगा । मेरा यह कहना है कि

बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से वह गोली 2.2 से शॉट मारेगा तो जानवर मर जायेगा इसलिये आप इस पर संवेदनशीलता से सोचिएगा।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मांग और करना चाहता हूं कि भैंसाझार परियोजना वीरेन्द्र कुमार सखलेचा जी, मैंने एक फोटो भी देखी थी । वीरेन्द्र कुमार सखलेचा जी थे, मनहरणलाल पाण्डे उनके सिंचाई मंत्री थे फिर उसके बाद वह योजना आगे बढ़ी फिर पीछे हटी फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब थे, आडवाणी जी थे दिल्ली के मंत्री उन्होंने उस योजना को पूरा कराने का प्रयास किया उसमें अधिकांश काम हो गये हैं और जो थोड़े-बहुत काम नहीं हुए हैं वह भ्रष्टाचार का खेल है । आपने कह दिया है कि उसको देख लेंगे, जांच करा लेंगे । मैं उस भैंसाझार परियोजना का नाम तखतपुर के बहुत बार विधायक रहे हुए पंडित मनहरणलाल पाण्डे जी के नाम पर रखने के लिये आपको प्रस्ताव दे रहा हूं । मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि अभी इसी वक्त कह दीजिये । लेकिन इस पर विचार करियेगा । एक अच्छे व्यक्ति जो वहां पर वर्षों मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और हमारे क्षेत्र के वे बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं अगर उनके नाम से करेंगे तो यह उनके लिये सच्ची श्रद्धांजलि होगी । माननीय मंत्री जी, पिछले 5 वर्षों में खास-खास लोगों के द्वारा जंगलों में जो अवैध कब्जा किया गया है उसको भी हटवाने का काम करेंगे और मंत्री जी एक मांग...।

श्री अजय चंद्राकर :- उसे कितने लोगों ने कब्जा किया है, कितने में कब्जा किया है यह भी बताने का कष्ट करेंगे और यदि आप नहीं बतायेंगे तो फिर पूछ लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, फिर पूछ भी लेंगे तो उसका तो जवाब आ ही जायेगा । यह आपको कोई वह नहीं है । आप तो जल-जंगल, जमीन के रखवाले हैं । आप हैं तो जल, जंगल, जमीन की रक्षा होगी करके भरोसा है। नहीं तो वहां जो पहले बैठते थे हम बोलते थे कि खुडिया में एक गेट खोल दीजिए। अचानकमार टाइगर रिजर्व के टूरिस्ट वहां जायेंगे, 10, 5 किलोमीटर घूमकर आ जायेंगे। तो भारत सरकार का forest conservation act धारा ये ब्रेकेट में 9, 4, 3, 5 ऐसा लिख-लिख कर वहां से इतनी धारा पढ़ते थे कि कोई काम ही नहीं होता था। ये अभी आदिवासी की हत्या हुई की बात करके चले गये। दो लोग लड़कर उसमें हत्या हो गयी, जल गये। मैं यहीं इसी सदन में मामला उठाया कि निवासखार गांव में एक रेंजर ने एक 70 साल की वृद्ध बैगीन महिला को बाल पकड़कर मारा, पीटा, घसीटा, पटका, लात से मारा और मैंने जब उसके बारे में मामला उठाया तो बड़ी मुश्किल से उसे सस्पेंड किया गया। वह तो अपने अधिकारियों और मंत्रियों में इतना पॉपूलर था कि एक हफ्ते के बाद उस आदिवासी महिला से मार-पीट करने वाले अधिकारी को रि-स्टेट किया गया और उसे कांकेर में पोस्टिंग दी गई और कांकेर में पोस्टिंग दी गई मुख्यमंत्री के बहुत खास आदमी के घर में लाल भाजी, टमाटर, सेम, आलू, प्याज, भजिया ये सब पहुंचाने की आपने ड्यूटी दे दी। तो वन मंत्री जी, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमारे गरीब लोगों को कोई मारेगा, सख्त कार्रवाई करिए। हमारे बैगा-बैगीन लोगों

की रक्षा आप करिए। उनको काम का अवसर दीजिए और ये धारा दफा पढ़कर उनके विकास में आड़े बनाने वाले कानून-कायदे को मानने की जरूरत नहीं है। वहां तो जो पिछले 5 साल बैठते थे, अगर वे चाह लेते थे कि मुझे यह काम नहीं करना है तो वो तो बाद में बोलते थे, अधिकारी पहले समझ जाते थे और कूद-कूद कर 3 पत्ते का ऑर्डर बनाकर ले आते थे। लीजिए साहब, इस दफे में, इस कानून में नहीं बनेगा। प्रोफेसर खेरा की स्मृति में बनने वाला एक छोटा सा भवन कौन से कायदे से और कौन से कानून में रूका है? सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत अधिकार दिया है कि नाली, बिजली, पानी, सड़क इसको आप नहीं रोक सकते। मैंने हाईकोर्ट जाकर सड़क रूकवाया। अचानकमार टाइगर रिजर्व का खुलवाया अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार ने जो पिछली सरकार थी, एक छोटी सी कमेटी हेाती है वाइल्ड लाइफ कमेटी। इनको पता नहीं कितनी वाइल्ड लाइफ की चिंता थी। आपने रास्ता बंद कर दिया। वहां की बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं आने देंगे। आजादी के 74 साल बाद भी हमारी गरीब बच्चियों को आप कोटा आने और पेंड्रा जाने से रोकेंगे? वहां के बीमार लोगों को आपने मरने के लिए मजबूर कर दिया। वहां गाडियां नहीं चलती हैं। वहां के लोगों को आने-जाने का वाहन साधन नहीं है। आप खुद नहीं चलाते हैं। बच्चियों ने मुझसे मांग की कि हम स्कूल कैसे जायें? मैंने बोला था कि फॉरेस्ट से उनके बच्चियों के स्कूल जाने के और आने के टाइम में एक मोटर चलवाइए। जब यहां बड़ी दूर-दूर से लेबर को लेने जाते हैं, employee को लेने जाते हैं तो वहां की बच्चियों के लिए भी करिए। अगर आपने रास्ता बंद कर दिया है तो फॉरेस्ट की वहां गाड़ी होनी चाहिए और मंत्री जी, मैं आपसे बोल रहा हूं वो रास्ता खोलिए। उस रास्ते को मरम्मत करवाइए। ये उस रास्ते को मरम्मत भी नहीं होने देते हैं। पता नहीं कौन से प्रकार का टाइगर रिजर्व बन गया है इससे बड़ा-बड़ा टाइगर रिजर्व हम देखे हैं। कान्हा नेशनल पार्क देखे हैं। बांदीपुर देखा हूं, बांधवगढ़ देखा हूं। अध्यक्ष महोदय, वहां तो गाडियां चल रही हैं। यहां आखिर गाड़ी क्यों नहीं चलने दी जाती है ? तो मेरी आपत्ति है, मेरी मांग है और मेरा interest है और मेरा यह लक्ष्य है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन सी धारा दफा बताते हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- दुनियाभर की दफा बताते हैं। मैं क्या बताउं? और वो शेर पिछली सरकार में क्यों मर गया था? बुल्डोजर में दबकर मर गया था। आखिर में वह मर गया। चलिए, मैं उन सब चीजों में नहीं जाता। अंग्रेजों के जमाने का वह रोड आज खराब है। हमको अमरकंटक जाना है, टूरिस्ट प्लेस का डेव्लपमेंट करना है, गौरीपाट से लेकर, केउंची तक की सड़क की मरम्मत कराइए और उस रोड ओपन करवाइए। तब अचानकमार टाइगर रिजर्व टूरिस्टों के आकर्षण का केन्द्र बनेगा। बड़े-बड़े जा रहे हैं। एक जज साहब ने मुझे बताया कि वो जा रहे थे और उन्होंने यह नहीं बताया जज हूं करके, उसको रोक दिये और उसे वापस कर दिये। वे भी बेचारे भले आदमी वापस आ गये। माने, कुछ तो आप सोचिए भाई। ऐसा कैसे चलेगा?

समय
6.00 बजे

ये कोई जियाउल हक़ का शासन है क्या कि यहां पर कोई भी कुछ भी कर देगा ? वन विभाग का कानून चीफ़ जस्टिस के कानून से भी बड़ा हो गया है । मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सहृदय बनिये, विचार करिये । उन बच्चियों के बारे में विचार करिये जो पढ़ने के लिए कोटा आना चाहती हैं लेकिन कोई बस टाइमिंग में नहीं है, कैसे आएंगी ? वो आपकी बच्ची है तो आप क्या करते ? अध्यक्ष महोदय, यह विष्णुदेव साय की सरकार संवेदनशील सरकार है । आप असंवेदनशीलता को छोड़िए । मैं कोई आरोप लगाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं । मेरे दिल में पीड़ा है इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं । मैं उस महिला से मिला, 18 लोगों को मुलजिम बनाया गया था । मैंने अपने विधायक निधि का जनसम्पर्क होता है, 18 लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए मैंने 10-10 हजार रूपया उनके नाम से बांटा है, 1 लाख और 80 हजार रूपया उनको दिया ताकि वे वकील लगाकर छूट सकें । वो जेल चले जाते हैं तो उनकी जमानत के लिए बोलने वाला कोई नहीं है । उनके पास तो एप्रोच भी नहीं है कि वे अपनी जमानत के लिए किसी से बात कर सकें । ऐसे निरीह लोगों को जेल भेजने से क्या फायदा है साहब ?

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपसे केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपा करके इस मामले में वनवासियों से व्यवहार में संवेदनशील रहिएगा । नियम, कायदा, कानून बहुत अच्छे हैं, हम उनको जैसा चाहें वैसा पढ़ सकते हैं । उसमें अगर गरीबों को मदद करने के लिए नियम को बहुत ज्यादा कड़ाई से नहीं पढ़ेंगे तो कोई बहुत नुकसान नहीं होगा और किसी को ।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, जब आदिवासियों की बात होती है तो आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा भावुकता में समय भूल जाते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं खत्म कर देता हूं सर । मेरी पांडे जी वाली बात को भी सुन लीजिएगा और गरीब लोगों के बारे में भी विचार करिएगा और कानन पेंडारी का वन चेतना केन्द्र वाला देख लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक बार वो शेर कैसे दबकर मरा उसको बताओ (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, उन्होंने समाप्त कर दिया । तुम साथ में मत बैठा करो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब आप विपक्ष नहीं है । तो यहां कौन ऊंघते बैठे रहेगा ।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता, कौशल विकास पर हमारे माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी, श्री सुशांत शुक्ला जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री सम्पत अग्रवाल जी, श्री राजेश मूणत जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री अनुज शर्मा

जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, श्री धर्मजीत सिंह जी सभी ने बहुत अच्छे सुझाव इस सदन में रखे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा हमारा पूरा छत्तीसगढ़ देश के मध्य भाग में स्थित है और यहां लगभग 45 प्रतिशत वन आच्छादित है । पूरे देश के वनों की बात करें तो उसमें लगभग 13 प्रतिशत वन हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर हुआ । जिस धरती पर कभी मार्कन्ड ऋषि, कभी कंक ऋषि अनेक महापुरूषों ने जन्म लिया, उनकी तपोभूमि रही है । यहां पर उन्हें जिस तरह से लोगों का प्यार मिला । उससे भी सौभाग्य की बात है कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ ये भगवान श्री राम जी का वन गमन क्षेत्र है, जिसको हम लोग दण्डकारण्य के नाम से जानते हैं । प्रभु श्रीराम जब आए रहे होंगे तब इन्हीं वनों से गुजरे थे । नहीं मालूम उस समय वनों की क्या स्थिति थी, कितना वातानुकूलित था कि भगवान राम के वनवास का 70 से 80 प्रतिशत समय इसी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर गुजरा । हम लोग तो वनवासी क्षेत्र से आते हैं । हम लोग भगवान श्रीराम को पूजते हैं, मानते हैं । प्रभु श्रीराम को हम लोग राजा के रूप में देखते हैं । कभी उनकी वेशभूषा के बारे में चर्चा करते हैं, कभी उनके मुकुट के बारे में चर्चा करते हैं, वह हमको ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, वे हमको वनवासी के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने अपना 14 साल का जीवन वनवासी के रूप में ग्रहण किया, इस धरती पर गुजारा, जब तक वे आयोध्या में थे तब तक वे राजाराम के रूप में जाने जाते थे, जब वे हमारे वनवासी भाई के साथ रहें, उनके साथ सीखा, उनको सीखाया, इन सबसे आपस में सीखा तो उसके कारण उन्हें मर्यादा पुरूषोत्तम राम के रूप में पहचान मिली। यह इस धरती का सौभाग्य है। अभी हम लोग माननीय किरण देव जी के साथ बैठे थे, अभी दो तीन दिन पहले रामाराम मेला हुआ, अभी भी वहां पर लाखों की संख्या में वनवासी बंधु है, क्योंकि वहां भगवान राम के पद चरण पड़े थे, आज उसी के कारण दंडकारण्य पूरा जंगल क्षेत्र है। आप दुनिया के किसी भी जंगल में चले जाईए, आपको वहां पर कांटा मिलेगा लेकिन हमारे इस दंडकारण्य में भगवान राम के पद चरण पड़े थे, इसके कारण से आज एक भी कांटा नहीं मिलता है। यह इसकी खासियत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर बहुत सारी बातें रखी। उन सबने बहुत अच्छे सुझाव दिए। वन विभाग में यहां पर अलग-अलग तरीके से बजट का प्रावधान किया है। उस बजट में हम बताना चाहेंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे तेंदूपत्ता संग्राहकों को जिसके लिए माननीय मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी के तहत् मुखिया या सदस्य की सामान्य या दुर्घटना मृत्यु होने पर उसको बीमा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करते हैं, इसमें लगभग 19.79 करोड़ की राशि का भुगतान जीवन बीमा योजना के माध्यम से किया गया है। हमारे पूरे प्रदेश में जो जंगली हाथी है, वह लगभग 354 हाथी है, इनका जो विचरण क्षेत्र है, जो लेमरू हाथी रिजर्व तथा आसपास के क्षेत्रों मे होता है, उसके विकास के लिए, उसके प्रबंधन के लिए 20224-25 में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मैं तेंदूपत्ता संग्राहकों के संदर्भ में कहना चाहूंगा। वर्ष 2019 से 2023 तक

हमारे तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4 हजार रूपए दिया जाता था। लेकिन अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि हम तेंदूपत्ता के संग्राहकों को जिसको वर्षों से हरा सोना कहा जाता था, उस हरे सोने की वास्तविक कीमत लगभग 5500 रूपए प्रति मानक बोरा आदिवासी भाइयों को, वनवासी भाइयों को प्रदान करेंगे, इस बात का संकल्प लिया था और आज उस संकल्प को इस बजट के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के 12.60 लाख ग्रामीण और जंगल में रहने वाले लोगों को इसका सीधा-सीधा लाभ प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय, चरणपादुका योजना। अध्यक्ष महोदय, जब आपने प्रदेश का नेतृत्व किया था और उस समय आपने हमारे वनवासी भाइयों के दुख दर्द को समझा था। उनके पैरों की सुरक्षा के लिए आपने चरणपादुका योजना चलाई थी। उस चरणपादुका योजना के तहत् हमारे वनवासी भाइयों को चरणपादुका दी गयी थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार को पीड़ा हुई कि हमारे वनवासी भाइयों को क्यों चरणपादुका दी जा रही है ? उन्होंने उस चरणपादुका योजना को बंद कर दिया। लेकिन मुझे इस सदन को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब फिर से चरण पादुका योजना के लिए वर्ष 2024-2025 में 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत् हम फिर से चरण पादुका योजना प्रारंभ करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की गारंटी के तहत् मिशन-बी के तहत् मधुमक्खी पालन के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें हम 6 से 7 जिलों में मधुमक्खी पालन करेंगे ताकि हाथियों को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसको हम एक मॉडल के तौर पर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार डिजीटल इंडिया को प्राथमिकता दे रही है और डिजीटल इंडिया को प्राथमिकता देने के चलते अभी इसके लिए 14.77 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। जिसे ई-कुबेर के नाम से जाना जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मेधावी छात्र-छात्राओं हेतु पुरस्कार योजना, प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना, व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना एवं गैर व्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत 6,434 छात्र-छात्राओं को 9.97 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2023 की छात्रवृत्ति का भुगतान शैक्षणिक परिणाम आने के बाद किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के वन मण्डलों में पौध पाठशाला एवं वन विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों में निम्न गतिविधियां संचालित होंगी। जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए रोपण, रख-रखाव की संपूर्ण जानकारी हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। कृषि वानिकी में उपयोग किये जाने वाले आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक लाभप्रद पौधों के रोपण के विभिन्न मॉडल का प्रदर्शन इन क्षेत्रों में तैयार किया जाएगा। वन समितियों के प्रशिक्षण हेतु आय मूलक गतिविधियों का मॉडल एवं सजीव प्रदर्शन (लाइव डेमो) इन केन्द्रों में किया जाएगा। ऑडियो-वीडियो माध्यम से इन केन्द्रों में

प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वानिकी, वन वर्धन, वन्य प्राणी संरक्षण संबंधी विषयों पर भी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा वन समिति सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इन पौध पाठशालाओं में की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पक्ष के सदस्यों ने कहा कि वन विज्ञान केन्द्रों में स्थानीय स्कूल-कॉलेज और छात्र-छात्राओं को वन्य प्राणी व पर्यावरण संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण देना आवश्यक है। हम उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर रहे हैं ताकि हमारे शोधार्थियों को इस केन्द्र से सीधा-सीधा लाभ प्राप्त हो सके। नैसर्गिक वन पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जंगल सफारी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे और लोगों को वह सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य व टाइगर रिजर्व हैं, इन क्षेत्रों में हम पर्यावरण चेतना केन्द्र, नेचर सफारी, नैसर्गिक पर्यटन स्थलों में स्थानीय निवासियों को रोजगार देने का काम करेंगे। वन समितियों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से हम उनके संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन केन्द्रों में बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहर से आने वाले पर्यटकों के जंगल भ्रमण की व्यवस्था की दृष्टि से वाहन की व्यवस्था की जाएगी। साथ में रूकने व संसाधन आदि की व्यवस्था और स्थानीय युवकों को नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्थानीय नवयुवकों को नेचर गाइड की प्रशिक्षण दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त संस्थानों जैसे - जंगल लॉजेस एण्ड रिसोर्ट, कर्नाटक व बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आदि की मदद ली जाएगी। इको टूरिज्म को लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इको टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के नैसर्गिक पर्यटन केन्द्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की जाएगी। जिसका संचालन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंधित नियमों व प्रावधानों को सशक्त किया जाएगा। नैसर्गिक वन पर्यटन के माध्यम से बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन एवं आय के साधन विकसित किये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लघु वनोपज आधरित उत्पादों की बिक्री बढ़ाये जाने हेतु शासन ने..।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप चुनाव में विजयपुर गए थे । अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक बहुत बड़ा प्लांटेशन है, बढ़िया बड़ा-बड़ा झाड़ लगे हैं, लेकिन जब मैं विधायक बनकर उधर दौरे में गया तो उसकी सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको लगाने में करोड़ों रूपए लगेंगे । आप उसकी सुरक्षा तो करवा दीजिए और वहीं पर कुछ ईको टूरिजम का कुछ कर दीजिए । तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में विजयपुर गांव के पास जो दर्री जगह है, जिला बिलासपुर है, तहसील है, पोस्ट आफिस नहीं बता पाऊंगा तो वहां पर सागौन का प्लांटेशन है । वह बहुत पुराना है, कोई लगवाया होगा, वह अभी तक बचा हुआ है

तो उसकी सुरक्षा करा दीजिएगा और वहां पर ईको टूरिजम के लिए छोटा-मोटा कुछ बनवा दीजिए । लोग घूमने आएंगे तो शेड बनवा दीजिएगा । मैंने तो जंगल सफारी की भी मांग की थी । वहां बढ़िया सांवतपुर का बांध है । आपके यहां के जंगल सफारी सरीखे वह भी बन जाएगा । अगर जंगल सफारी बनाने का प्लान हो तो हमारे भी प्रस्ताव का ख्याल रखिएगा । ये मैं मांग कर रहा हूं, आप विचार कर लीजिए । अगर संभावनाएं हैं तो उसको कराईएगा, पर उस झाड़ की सुरक्षा जरूर कराईए । हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का हेलीकाप्टर वहीं उस जंगल के बीच में उतरा था, उसकी सुरक्षा करवा दीजिए ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, वह वाजिब है और हम उसको निश्चित तौर पर कराएंगे, इस बात को आश्वस्त करते हैं । उसके अलावा मैं आपको लघु वनोपज के माध्यम से बताना चाहूंगा क्योंकि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लघु वनोपज को बढ़ावा देने की दृष्टि से पूरे देश में, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मिलेट को प्रोत्साहित किया है, उसके कारण हमारे जो वनवासी बंधु हैं, जो लगातार लघु वनोपज का उत्पादन करते हैं, उनका विक्रय उपलब्ध होने के साथ-साथ बाकी सारे चीजों की बिक्री हेतु हम लोग स्थान उपलब्ध करवाते हैं । इससे उन हितग्राहियों के खाते लगभग साढ़े पॉच सौ करोड़ रूपए तक जाता है । यह बहुत बड़ा अभियान है । हम इसको और बढ़ाएंगे, ताकि हमारे जो वनवासी बंधु हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, उनका जीवन-स्तर बेहतर हो सके । इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संघ के माध्यम से छत्तीसगढ़ हर्बल ब्राण्ड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, यह माननीय सदस्यगण से आग्रह है । अभी हमने यहां पर दिया भी है । हमारे यहां पर चूंकि छत्तीसगढ़ के जंगलों से यह हर्बल ब्राण्ड बनाए गए हैं और यह हमारे उन वनवासी भाइयों के जीविका का बहुत बड़ा साधन है। उसके दरों में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों तक जाये, यह मेरा आप लोगों से निवेदन है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि वनोपज संघ एवं केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के मध्य एम.ओ.यू. करके एक करोड़ से अधिक मूल्य के छत्तीसगढ़ हर्बल ब्राण्ड के उत्पाद केन्द्रीय भंडार, दिल्ली स्थित...।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, एक मिनट । क्या आप बताएंगे कि पाटन में भी लघु उद्योग, वन वाला कुछ उद्योग लगाए थे क्या ? वहां क्या उत्पादन हो रहा है, जरा बताएंगे क्या ?

श्री केदार कश्यप :- अभी वहां पर कोई प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने पाटन में क्या बनाया है, यह बता दीजिए ?

श्री केदार कश्यप :- मैं उसके लिए अलग से चर्चा कर लूंगा ।

श्री अनुज शर्मा :- हमारे क्षेत्र से भी एक जूस वाला प्रोसेसिंग का यूनिट था, उसको यहां से वहां शिफ्ट कर दिया गया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पाटन वाला लघु उद्योग कहां से कहां शिफ्ट हुआ, कौन से पैसे से बना, वह बता दीजिए । वह तो जनहित का विषय है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आपसे पूछ रहे हैं तो आप यह मत समझिए कि हम आपसे कोई पूछ रहे हैं । अब आप नये चौकीदार हैं, नये रखवार हैं, नये मालिक हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाटन जहां पर सागौन का तीन झाड़ नहीं होगा, वहां लघु उद्योग बनने के लिए लघु वनोपज का पैसा गया था तो ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वैल्यू एडीशन ऐसा होगा कि बस्तर का मॉल वहां आएगा। परिवहन आपको अलग से देंगे । जशपुर और सरगुजा का मॉल वहां आएगा।

श्री केदार कश्यप :- जब कोई मंत्री रहा होगा, तब हुआ होगा । अभी आप नजरें इनायत बोल रहे थे, तब उधर किसी की नजरें इनायत हुई होगी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वही नजरें इनायत नहीं होना चाहिए न साहब ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लागत बस बता दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप कुछ मत बताईए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पाटन में इस टाईप से लघु वनोपज का पैसा गया था तो गरीब लोग जहां रहते हैं, जहां जंगल है, वहीं बनवाओ न और उनका उद्धार हो, यह हम आपसे आग्रह कर रहे हैं ।

श्री केदार कश्यप :- निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता है, पीड़ा है, उन क्षेत्रों में जहां पर वनोपज होता है, उन क्षेत्रों पर ही हमारे इस तरह के प्रसंस्करण केन्द्र हैं, ये सारे वेल्यु एडीशन के काम हैं, यह सारा चीज वहीं पर हो, यह हमारी चिंता है, यह सरकार की भी चिंता है, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की भी चिंता है और हम सब उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के सन्दर्भ में यहां कुछ विषय रखना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयोनेत्तर मद अन्तर्गत 12396.79 करोड़, आयोजना मद अन्तर्गत 1773.42 करोड़ एवं वन्य प्राणी मद अन्तर्गत 268.28 करोड़ कुल 3,281.49 करोड़ का बजट प्रावधान है। इस प्रकार वर्ष 2024-25 हेतु बजट में 112.13 करोड़ रूपये की, लगभग 3.54 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हरियाली प्रसार हेतु वन एवं वनोत्तर क्षेत्र में हरिहर छत्तीसगढ़ योजना अन्तर्गत वर्षा ऋतु वर्ष 2023 में 2,984 हैक्टेयर क्षेत्र में 16.86 लाख पौधों का रोपण किया गया। इस वर्ष वर्षा ऋतु में 2,431 हैक्टेयर क्षेत्र में तैयारी करके इस कार्य को कराया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप वृक्षारोपण का बता रहे हैं तो आप एक चीज की जानकारी दे दीजिये। यदि हमको शहरी क्षेत्र में रोपण करवाना है तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है ? हमको शहरी क्षेत्र में, कहीं भी जैसे रायपुर, मुंगेली में वृक्षारोपण करवाना है तो उसके लिए क्या योजना है ? तखतपुर में भी करवाना हो तो क्या योजना है ? आप ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं, ठीक है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में पर्यावरण वानिकी के माध्यम से वृक्षारोपण करवाने के लिए 39 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। हम लोग उसमें भी शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य करायेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ए.एन.आर. जिसमें प्राकृतिक पुनरोत्पादन का संरक्षण कार्य के लिए योजना क्रमांक 3531 प्राकृतिक पुनरोत्पादन का बांस वनों सहित अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के लिए 120 करोड़ की वृद्धि करते हुए लगभग 240 करोड का इस बजट में प्रावधान किया गया है। बांस वनों का पुनरोद्धार, बिगड़े बांस वनों में पुनरोद्धार योजना अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के लिए 68 करोड़ 79 लाख का बजट प्रावधान है। हम लोगों ने बिगड़े वनों के सुधार हेतु वर्ष 2024-25 के लिए 272 करोड़ 04 लाख का बजट प्रावधानित है। नदी तट रोपण में वर्ष 2024-25 के लिए 7 करोड़ 47 करोड़ रूपये का प्रावधान है। भू एवं जल सरंक्षण हेतु 119.27 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। पर्यावरण वानिकी में 40 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। पथ वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत 6 करोड़ 96 रूपये बजट में प्रावधान किया गया है। वन मार्गों पर रपटा एवं पुल-पुलिया निर्माण हेतु 8 करोड़ 60 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। कैम्पा कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 हजार करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- अब दूसरा विभाग ले लें।

श्री केदार कश्यप :- जी, जी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कुछ बातें कहना चाहूंगा। प्रिमिटिव ट्राइब्स, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चिंता है, जिसके तहत जन मन योजना प्रारंभ किया है। उसके तहत अभी हमारे यहां जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, इसके तहत जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, मरवाही, कवर्धा, गरियाबंद, धमतरी, नारायणपुर जगहों पर हमारे जो प्रिमिटिव ग्रुप्स रहते हैं, उनके लिए संवर्द्धन केन्द्र हेतु 119.75 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसके तहत उनके लिए एक अलग प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने मिनी फुड पार्क गरियाबंद के लिए भी प्रावधान किया है, जिसमें 7.80 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है। माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं। हमारे माननीय राजेश मूणत जी ने भी नंदनवन के लिये मांग की थी । मैं यह बताना चाहूंगा कि नंदनवन के लिये हमारे जितने भी पशु थे, उसको जंगल सफारी, नया रायपुर में स्थानांतरित कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे 700 से अधिक प्रजातियों के पक्षी रहते हैं, उन पक्षियों को देखने के लिये बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उसके लिये भी बजट में 315 लाख का इस बजट में प्रावधान किया गया है । हमारे प्रशांत शुक्ला जी ने खूंटाघाट के लिये भी कहा था, उसकी सुरक्षा के लिये, रहवास के लिये, इन सभी चीजों के लिये हम प्रावधान करेंगे । अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे और भी प्रस्ताव हैं...।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वन का तो पारित कर दिये माननीय, माननीय अजय चन्द्राकर ने इरिगेशन के बारे में मांग की थी, उसके बारे में कुछ बोल दीजिए ।

श्री केदार कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, अभी तो वन विभाग का ही चल रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 2003-2004 में बनी थी, वर्ष 2006-2007 में हमारे वनवासी भाईयों को, जो छोटे-छोटे प्रकरण में, कभी डी.एफ.ओ. के पास में, कभी रेंजर के पास में, कभी एस.डी.एम. के पास में, चक्कर लगाना पड़ता है । यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे मामलों को जिनमें 50 हजार से कम देय राशि है, ऐसे जो छोटे-मोटे अपराध हैं, उन पर जो प्रकरण दर्ज है, उससे हानि का अपलेखन करते हुये 13,221 प्रकरणों को समाप्त करके लगभग 2 करोड़ 85 लाख 30 हजार 354 रूपये का अपलेखन करने का निर्णय ले रहे हैं । इसका सीधा-सीधा लाभ हमारे इन वनवासी भाईयों को होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जंगल सफारी में लगातार मांग आती है कि वहां हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसको सीधे एन्ट्री दिया जाये, फ्री में उनको पास दिया जाये । अब कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12 वीं तक के विद्यार्थियों को फ्री में एंट्री की सुविधा रखी जायेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इको टूरिज्म को संरक्षण के लिये स्थानीय बेरोजगार युवाओं को गेट मनी, संयुक्त वन प्रबंधन समिति में उपलब्ध चक्रीय निधि से जिप्सी क्रय हेतु लोन देने का प्रावधान किया जायेगा । उसके अलावा वन्य प्राणियों के द्वारा जो जनहानि होती है, उसका मुआवजा वर्तमान में 6 लाख रूपया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह राशि पर्याप्त नहीं है और इसके लिये हम लोगों ने तय किया है कि अब इसको 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक उनको प्रावधान किया जाये । (मेजों की थपथपाहट) जो स्थायी रूप से अपंग होता है, उसके लिये प्रावधान को 2 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपये तक दिया जायेगा । (मेजों की थपथपाहट) घायल होने पर 59,100 रूपये का प्रावधान था, उसे बढा़कर 1 लाख रूपये तक का प्रावधान किया गया है । पशु हानि होने पर 30 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये की अधिकतम सीमा का प्रावधान किया जायेगा । मैं यह आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे समाजसेवी हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थायें हैं, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिये बहुत सारे अच्छे कार्यों को अंजाम देते हैं, उनको पुरस्कृत करने की दृष्टि से विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु उत्कृष्ट वानिकी कार्य वन प्राणी संरक्षण पुरूस्कार दिया जायेगा, जिसके तहत हम अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत करेंगे । वन प्रबंधन समितियों एवं गैर शासकीय निजी संस्थाओं हेतु वन्य प्राणियों की सुरक्षा और वनोपज प्रस्संकरण हेतु भी पुरूस्कार का प्रावधान कर रहे हैं, ताकि इससे हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा वनों की संरक्षण की दृष्टि से उनको प्रेरणा मिल सके, यह प्रावधान किया गया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को एक बात और कह देता हूँ कि एक नियम यह भी बन गया था, उसको जरा खत्म करा देंगे, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, मैं उसको नहीं

जानता। अचानकमार टाईगर रिर्जव में एक डी.एफ.ओ. साहब ने एक नियम बना दिया था कि बीट नंबर 18 में जानवर का शिकार होगा तो मुआवजा मिलेगा और बीट नंबर 19 में जानवर का शिकार होगा तो मुआवजा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, न ही शेर पढ़ा लिखा है न ही गाय पढ़ी लिखी है। वह क्या जानेंगे कि कौन से बीट नंबर में जाना है। वह जानवर कौन से बीट में मरेंगे, उससे मतलब नहीं है। यदि जंगल में जानवर मर रहे हैं, तो वह नियम सब के लिये लागू हो। यह नियम बीच में बना हुआ था। इस प्रकार से बीट नंबर 18 एवं बीट नंबर 19 की बात हुई थी। उसको कृपा करके दिखवा लेंगे।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे गरियाबंद जिले में एक तरजुंगा गांव है, जहां वन विभाग का रेस्ट हाऊस बना हुआ है, वह बहुत पुरातन काल का है, जो एकदम जर्जर स्थिति में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसके जीर्णोद्धार की घोषणा कर दें ताकि वह नया बन जाये। वह बहुत ही ज्यादा जर्जर स्थिति में है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है हो गया।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवा लूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आपने मेरी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप मेरी तरफ तो ध्यान दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- जी, बिल्कुल। मैं आपकी मांग को गंभीरता से ले रहा हूं।

श्री अजय चन्द्रकार :- मंत्री जी, यह बीट नंबर वाला मामला सही है या गलत है, यह तो बताईये।

श्री केदार कश्यप :- मैं दिखवा लेता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, आप मत दिखवाईये। यहां सदन में उस विषय पर चर्चा हो चुकी है। उस पर विभाग ने संज्ञान लेने की बात कही थी। मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि अचानकमार टाईगर रिर्जव के लिये ऐसा न हो। मैंने आपसे बोला है कि कानन पेंडारी में व्यवस्था को ठीक कराने, वन चेतना केंद्र के बारे में और कवर्धा जिला के पंडरिया में बदौरा का रेस्ट हाऊस है, वह अंग्रेजों के जमाने का है, वह जर्जर हो चुका है, आप उस रेस्ट हाऊस को बनवाईये। हम बोल बोलकर थक गये हैं, उसे कोई नहीं बनवाता। आप उसको बना दीजिये, वह पुरानी चीज है, वह हेरिटेज बिल्डिंग है।

श्री रोहित साहू :- माननीय मंत्री जी, घोषणा कर दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, हम उनको आश्वस्त करते हैं कि हम उसको तत्काल ठीक करवायेंगे क्योंकि वह हमारा asset है (मेजों की थपथपाहट) और उसको प्राथमिकता के साथ पूरा करवायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन विभाग की दृष्टि से आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। हमारा पूरा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहां पर पूरे प्रदेश में बोआई का क्षेत्र 56.83 लाख

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हेक्टेयर है। हमारी निर्मित सिंचाई लगभग 35 प्रतिशत है। सिंचाई का मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनिकट, स्टॉप डेम, बैराज, नलकूल, यह सभी स्थापित है। पूरे प्रदेश में 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई येाजनाएं निर्मित थी। वर्तमान 2023 में 08 वृहद, 38 मध्यम एवं 2472 लघु सिंचाई योजना हैं तथा 827 एनिकट, स्टॉप डेम निर्मित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिये बता रहा हूं क्योंकि आपके नेतृत्व में वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2018 तक इस पूरे छत्तीसगढ़ में 6.35 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित हुई। इस प्रकार प्रति वर्ष औसतन 42,300 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित की गयी। जबकि विगत पांच वर्षो में जो कहते थे कि मैं किसान पुत्र हूं और अपने आप को अन्नदाता कहते थे, मैं उनके कार्यकाल का पिछले पांच वर्षों का ही आंकड़ा निकालकर बताता हूं। उसमें 0.69 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की गयी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह साबित किया था और कहा था कि यह आपके आर्थिक सर्वेक्षण में है। उनके कार्यकाल में सिंचाई क्षमता घटी है। यह हमने अविश्वास प्रस्ताव में उनके ही आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़कर बताया था कि यह देख लीजिये कि आपके पांच साल के शासन में सिंचाई का और खेती का रकबा घटा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बोधघाट परियोजना में उनका दिमाग ज्यादा था। वह उसमें चुनौती लिये थे लेकिन पता नहीं बोधघाट में कितनी एकड़ सिंचाई हुई है। यदि कुछ हुआ होगा, उसके बारे में भी बता दीजियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बोधघाट और पर्यटन विभाग तो एक वॉसकाप कंपनी थी उसको भुगतान करने के लिये शुरू किया गया था। इस कंपनी को किसी न किसी माध्यम से फर्जी भुगतान देते रहना है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तक उसका डी.पी.आर. नहीं बना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बोधघाट के बारे में भी थोड़ा सा बता ही दीजिये क्योंकि उसमें बड़ी-बड़ी बातें हुई थी और हम लोग वहां चुपचाप बैठकर सुनते थे। वे कहते थे कि हम बोधघाट की चुनौती स्वीकार करते हैं। कहां है चुनौती ? थोड़ा बताईये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक लगभग 10 हजार 725 करोड़ रूपये खर्च कर सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण विस्तार हेतु कार्य किया गया है जबकि पिछली सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए मात्र 5 वर्षों में 7 हजार 866 करोड़ रूपये खर्च किया। यदि हम बात करें तो वर्ष 2014 से वर्ष 2018 की तुलना में 27 प्रतिशत कम है। यहां पर अभी हमारे माननीय विधायक अजय चन्द्राकर जी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे । उन्होंने यहां पर दो योजनाओं के बारे में विषय रखा था, उसमें प्रश्न भी किया था। उसमें पानी की हर बूंद से फसल हो, पर ड्रॉप, पर क्रॉप। यह साकार करने हेतु हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ किया गया था जिसमें हमारे लोगों को ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसके पूरे होने की तारीख भर बता दीजिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। हम उस योजना को प्राथमिकता के साथ में लेंगे। पिछली सरकार ने उसे बहुत Neglect करके रखा था, लेकिन हमारी यहां पर 35 योजनाएं थीं, फिर से हम उन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे ताकि उसके माध्यम से हमारे सीधे-सीधे किसानों के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी 5 वर्षों हेतु हमारी सरकार की जो प्राथमिताएं हैं, मैं सदन को उनके संदर्भ में बताना चाहूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के चार महत्वपूर्ण संसाधनों जल, परिवहन, संचार एवं ऊर्जा पर प्रमुखता से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जल संसाधन है। जिसके लिए वॉटर विजन 2047 अमृतकाल में तय किये गये एजेंडा का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जायेगा। जल उपयोगिता की दक्षता Water use efficiency को बढ़ाकर, निर्मित सिंचाई क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर में दो लाख हेक्टेयर की कमी का प्रयास किया जायेगा। सरगुजा एवं बस्तर संभागों में 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई योजनाओं के नवीन एवं पुनर्स्थापन की अतिरिक्त सिंचाई का विकास किया जायेगा। नवीन परियोजनाओं में रबी फसलों का रकबा 1 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जायेगा। पूर्व सरकार की उदासीनता से उपेक्षित नवीन एवं अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण कर 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का सृजन किया जायेगा। नवीन प्रौद्योगिकी तकनीकी एवं तकनीकी सेवा प्रदाता के रूप में जल संसाधन विभाग को सक्षम कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जायेगा। उपलब्ध सतही जल 50 प्रतिशत उपयोग में लाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जायेगा। नवीन सिंचाई तकनीकी को बढ़ावा दिया जायेगा। सभी तरह की संरचनाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 हजार 432 योजनाओं, कार्यों हेतु 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसके पूर्ण होने पर सिंचाई क्षमता 1 लाख 81 हजार हेक्टेयर का विस्तार, पुनर्स्थापन संभव होगा। सिकासार कोड़ार इंटरलिंकिंग परियोजना का सर्वेक्षण कार्य भी बहुत लम्बे समय से मांग रही है। हमने इस बजट में उसके लिए भी सर्वे का प्रावधान रखा हुआ है। वह हमारी मोदी जी की गारण्टी की प्राथमिकता में है। इसको हम प्राथमिकता के साथ में प्रारंभ करायेंगे। सिंचाई की 4 प्रमुख वृहद परियोजनाओं अरपा भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना, सोंढूर जलाशय हेतु वर्ष 2024-25 के बजट में 316 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। हमारे समय में सूक्ष्म और सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए 35 योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, जिनसे लगभग 11 हजार हेक्टेयर नई सिंचाई क्षेत्र विकसित होना था। इसलिए हम फिर इन अधूरी योजनाओं को प्रारंभ करायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए विशेष कार्ययोजना लेकर आएं हैं। बस्तर संभाग में मुख्यालय जगदलपुर में नवीन मुख्य अभियंता कार्यालय खोला जाएगा, जिससे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना है, जिसके संभाग के 7 जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विकास को गति मिल सकेगी। वहां पर सी.ई. ऑफिस की स्थापना की जायेगी। बस्तर संभाग में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु 350 योजनाओं, जिनकी लागत 2200 करोड़ रूपये है, को बजट में शामिल किया गया है जिससे लगभग 35,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। गोदावरी जल विवाद अधिकरण द्वारा पारित निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को गोदावरी कछार अंतर्गत 302 टी.एम.सी. पानी के उपयोग हेतु एवार्ड पारित है। परंतु राज्य में इन्द्रावती नदी पर कोई भी वृहद सिंचाई एवं अन्य परियोजना निर्मित नहीं होने के कारण से उपरोक्त पानी उपयोग नहीं आता जो कि बहकर गोदावरी नदी के माध्यम से तेलंगाना राज्य की ओर चला जाता है, जो व्यर्थ बह जाता है। इस बजट में इन्द्रावती नदी पर 2 मेगा लिफ्ट परियोजनाएं क्रमश: मटनार बैराज एवं देउरगांव बैराज परियोजना के निर्माण हेतु बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें 3800 हेक्टेयर खरीफ एवं 2800 हेक्टेयर रबी, कुल 6600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरगुजा क्षेत्र में पूर्व से निर्मित मध्यम सिंचाई परियोजनाएं एवं लघु सिंचाई परियोजाओं से सिंचित जल का अधिकतम उपयोग हो सके, इसके लिए नहरों, बांध की मरम्मत, जीर्णोद्धार कार्य इस बजट में शामिल किया गया है। सरगुजा संभाग में सिंचाई सुविधाओं हेतु 780 योजनाओं जिनकी लागत 6400 करोड़ है को बजट में शामिल किया है जिससे लगभग 62,700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। सरगुजा अंचल में कुछ नवीन मध्यम सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- बड़ी-बड़ी योजनाओं का जिक्र करके आगे बढ़ जाईये। आप थोड़ा रफ्तार बढ़ाईये। समय बहुत हो गया है। संक्षिप्त में और बड़ी योजनाओं को बताईये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल प्रबंधन के लिए ज्ञानवर्धक उत्पाद विश्लेषण उपकरण और निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित करने के लिए S.W.I.C. राज्य जल सूचना केन्द्र का प्रावधान किया गया है। जिसमें हम डेटा उत्पादक एजेंसियों के अपने डोमेन, विशिष्ट डेटा एकत्र करने का बहुल कार्य होगा, जितने भी हमारे अस्त-व्यस्त रहते हैं, उनको व्यवस्थित करने की दृष्टि से यह उपयोगी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत में राज्य के अनेक छोटे-बड़े मध्यम सिंचाई के जो बांध हैं जिन पर अरबों रुपये का निवेश राज्य शासन के द्वारा किया गया है, उसके संधारण के लिये लगभग 72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से 26 बांधों की सुरक्षा की जायेगी। इसके अलावा अहिरन खारंग लिंक छपराटोला फीडर्स जलाशय के क्रियान्वयन हेतु हमारा शासन प्रयासरत है जिसके लिए बजट में 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। भू जल दोहन

पर अभी हमारे माननीय अजय चन्द्राकर जी, राजेश मूणत जी चिंता व्यक्त कर रहे थे। वर्षो से लगातार ग्राउण्ड वाटर का दुरूपयोग होता था और एक एन.ओ.सी. के आधार पर कई उद्योग उस जल का उपयोग करते थे।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी की चिंता दुनिया में कोई दूर कर ही नहीं सकता। आप क्यों चिंता कर रहे हैं ? इसलिए आप तेजी से आगे बढ़िये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए विभाग के माध्यम से हम आधुनिक तकनीकी से जल आपूर्ति, जल की मात्रा का मापन, देयकों को तैयार करना, भुगतान आदि का पारदर्शिता के साथ में कार्य करेंगे, जिससे विभाग को राजस्व की प्राप्ति समय पर होगी एवं हमारे माननीय सदस्यों की चिंता भी दूर होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों के प्रति हमारी चिंता है, जिसमें लगभग 739 अभियंताओं के पद भर्ती करने का प्रावधान किया गया है, जिसको क्रमबद्ध तरीके से हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध करायेंगे। इसके अलावा सहकारिता विभाग के माध्यम से लगातार.. ।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय मंत्री जी आपसे आपके विभाग में आग्रह किया था, आप उसकी थोड़ा घोषणा कर देते।

श्री केदार कश्यप :- मैंने कहा कि वह मेरे संज्ञान मे है। हम उसको तत्परता के साथ में पूरा करायेंगे जो माननीय सदस्यों ने कहा है, प्राथमिकता के साथ में करायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका तत्परता से क्या अभिप्राय है ?

श्री केदार कश्यप :- तत्परता से अभिप्राय अब लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हो पायेगा, लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 में जब आपके नेतृत्व में सरकार थी, तब शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर हमारे छोटे एवं बडे किसानों को 5 लाख रुपये सीमा तक अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सहकारिता में आ गये ?

श्री केदार कश्यप :- सहकारिता में आ गये।

श्री केदार कश्यप :- क्रास रेगुलेटर भी लग जाएगा। आप चिंता मत करिये। ठीक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर किसानों को जो ऋण दिया गया है। कृषक ऋण ब्याज पर दर युक्तियुक्तकरण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मांग संख्या 17 में 145 करोड़, मांग संख्या 41 में 110 करोड़ 20 लाख एवं मांग संख्या 64 में 34 करोड़ 80 लाख, इस तरह कुल 290 करोड़ रूपये प्रस्तावित किया गया है। हमारे यहां पर जो शक्कर के कारखाने हैं। हमारे कवर्धा के पण्डरिया विधा सभा क्षेत्र में शक्कर कारखाना है, जिसका पण्डरिया का जो रीकव्हरी प्रतिशत है, वह उच्चतम रिकव्हरी प्रतिशत वाला शक्कर कारखाना है। हमारे यहां पर वर्ष 2023-2024 में 11.70 लाख मेट्रिक टन गन्ना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पेराई का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 15.02.2024 की स्थिति में 6.99 लाख मेट्रिक टन गन्ना पेराई कर 59 हजार मेट्रिक टन शक्कर उत्पादन किया गया है। औसत शक्कर रीकव्हरी प्रतिशत 11.6 है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना परिसर में प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना मोड पर 80 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के संयंत्र हेतु दिनांक 29.12.2020 को शक्कर कारखाना और एम.के.जे. बायो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, भिलाई के मध्य अनुबंध किया गया था, जिसमें दिनांक 15 जुलाई, 2023 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं मक्का प्रसंस्करण इकाई एवं सहकारी शक्कर कारखानों में राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में धन विष्टन किया जाता है। अपैक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख, सहकारी समितियों एवं मक्का प्रसंस्करण इकाई, कोण्डागांव में धन विष्टन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मांग संख्या 17, मांग संख्या 41, मांग संख्या 64 में लगभग 11 करोड़ 42 लाख रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) योजना के अंतर्गत 144 करोड़ 16 लाख रूपये नाबार्ड से आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में गोदाम विहीन एवं जर्जर गोदाम वाली 100 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद एवं बीज आदि भंडारण हेतु प्रति गोदाम राशि 25.56 लाख की लागत से ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) योजना के अंतर्गत 200 मेट्रिक टन क्षमता के गोदाम सह-कार्यालय निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 21 करोड़ 11 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी भारत सरकार के माध्यम से केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत हमारे यहां पर जितने भी योजना के तहत में रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसाईटीज ऑफिस का कम्प्यूटीकरण किया जाना है। जिसमें सोसायटियों के पंजीकरण, उप विधि संशोधन, विवाद समाधान एवं अन्य मुद्दों सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए कम्प्लीट डिजिटल Ecosystem तैयार की जाने एवं पूर्ण रूप से पेपरलेस करने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ किया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, जब से धान की कीमत 3100 रूपये हुई है। अभी हम लोगों को बीच-बीच में हर गांव का आवेदन मिल रहा है कि को-ऑपरेटिव बैंक में बहुत लंबी लाईन लगती है तो उसी बैंक का ग्रामीण बैंक जो छोटा-छोटा का ब्रांच खुलता है, उसके लिए आप जरा बोल दीजिये। हम लोगों से भी सलाह लेकर रिजर्व बैंक से अनुमति लेकर आप उसका ब्रांच खोलवा दीयिजे। गांव वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो जरा बैंक का विकेन्द्रीकृत हो जाये। आप उसमें हम लोगों को जरूर कहिये कि विचार करके उसको जरूर खोलेंगे।

श्री केदार कश्यप :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसके लिये भरपूर प्रयास करेंगे ताकि हमारे लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा सुविधायें प्राप्त हो सकें । कम्प्लीट डिजिटल इकोसिस्टम (Complete Digital Ecosystem) तैयार किये जाने के लिये पेपरलेश करने की दृष्टि से जो योजना चालू की जा रही थी इस परियोजना की कुल लागत 1.22 करोड़ रूपये है । केंद्र इसमें 60 प्रतिशत की राशि देगा और 40 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार के माध्यम से वहन किया जायेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे पास में मॉ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोण्डागांव में मक्का आधारित ईथेनॉल संयंत्र निर्माण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जिसके बारे में माननीय नीलकंठ टेकाम जी कह रहे थे, उसके प्रक्रियाधीन में डूबत व्यय की राशि 5.99 करोड़ को राईटअप करने का निर्णय किया गया है और हमारे 5 नवीन जिले क्रमश: सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मोहला-मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ छुईखादन गंडई एवं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में विभाग के जिला कार्यालय की स्थापना हेतु प्रति कार्यालय 20 पद के मान से कुल 100 नवीन पदों का सृजन किया गया है जिसके लिये वर्ष 2024-25 के बजट में 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है । इसके लिये भी वर्ष 2024-25 के बजट में मांग संख्या-17 में 2 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है । इसके अलावा कौशल विकास के लिये आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो काम हुआ था । पूरे देश में जो पहला लाईवलीहुड कॉलेज खोला गया था वह भी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में आज उससे पूरे देश में एक वातावरण जिसमें लाईवलीहुड कॉलेज की स्थापना, कौशल उन्नयन की दृष्टि से हमारे लोगों की स्किल अपग्रेडेशन की दृष्टि से लगातार काम किये जा रहे हैं और लगातार उस दृष्टि से हमारे लोगों को प्लेसमेंट भी मिल रहा है इसके लिये लगातार हमने अभी कौशल विकास के माध्यम से लाईवलीहुड, छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत 41 करोड़ 22 लाख 50,000 रूपये, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिये 22 करोड़ 56 लाख 50,000 रूपये कुल राशि 63 करोड़ 59 लाख की अनुदान मांग हमने प्रस्तावित किया है । अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय बहुत हो चुका है । मैं इसके संदर्भ में संक्षिप्त में कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अब समाप्ति कर लें ।

श्री केदार कश्यप :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि जो कौशल प्रशिक्षण है । छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है जहां पर नियोजन आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया है । जो नवीन गाईडलाईन है उसमें प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षण की राशि का 60 प्रतिशत प्रशिक्षित हितग्राहियों के नियोजन होने पर ही भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है । हम नियोजित युवाओं की भी ट्रेकिंग करते हैं । इसके अलावा प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षकों का भी प्रशिक्षण हो

इस बात की भी विभाग चिंता करता है । उनके टी.ओ.टी. का जो प्रमाणीकरण है वह भी अनिवार्य किया गया है । कौशल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक की उपस्थिति और मानिटरिंग के लिये अर्थात् कौशल प्रशिक्षण के नियमित मॉनिटरिंग के लिये पहले प्रशिक्षक की बॉयोमैट्रिक डिवाईस के माध्यम से ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज की जा रही है साथ में प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षक की शत्-प्रतिशत उपस्थिति एवं उनकी गतिविधियों पर निगरानी करने के उद्देश्य से आई.पी. आधारित सी.सी.टी.वी. कैमरा भी अनिवार्य कर दिया गया है । जिसमें गुणवत्ता भी अच्छी हुई है और वहां पर उपस्थिति भी बेहतर हुई है और इस पूरी योजना के तहत् वर्ष 2013 से अब तक लगभग 61525 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी को उनके बजट के लिए बधाई देते हैं। टेबल तो पीटिए, बधाई दे रहे हैं तो। (मेजों की थपथपाहट)

श्री केदार कश्यप :- बहुत सारे विषय हैं, लेकिन समय-सीमा के कारण सेमैं मैं उसमें ज्यादा नहीं कह रहा हूं और विभाग के संदर्भ में सभी सदस्यों ने अपनी बातों को बड़ी गंभीरता के साथ में रखा । मैं चाहूंगा कि सभी विभाग के इस डिमांड मांग पर सर्वसम्मति से इस मांग को पूरा करें। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 10 **वन के लिये** - दो हजार आठ सौ बत्तीस करोड़, तीस लाख, चौंसठ हजार रुपये,

मांग संख्या - 17 **सहकारिता के लिये** - दौ सौ चौवन करोड़, छिहत्तर लाख, सत्तावन हजार रुपये,

मांग संख्या - 23 **जल संसाधन विभाग के लिये** - एक हजार चार सौ तेरह करोड़, छब्बीस लाख, अठावन हजार रुपये,

मांग संख्या - 45 **लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिये** - छः सौ अठानवे करोड़, उन्नीस लाख, नब्बे हजार रुपये,

मांग संख्या - 57 **जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये** - सत्तावन करोड़ रुपये तथा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या - 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिये - तीन सौ तिरपन करोड़, एक लाख रुपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सेल्फ मोड चल रहा है। दूसरा पक्ष, दूसरी टीम तो है नहीं। यह वन वे चल रहा है।

समय :
6.57 बजे

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 8 के अनुसार अशासकीय कार्य भी संपादित किया जाना है। अत: कार्यसूची के पद क्रमांक 7 के उपपद (3) का कार्य आगामी कार्य दिवस में लिया जायेगा। अब मैं अशासकीय संकल्प लूंगा। अजय चन्द्राकर जी।

समय :
6.58 बजे

<u>अशासकीय संकल्प</u>

<u>सदन का यह मत है कि "प्रदेश के किसानों के हित के लिये "मण्डी शुल्क" 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत पूर्ववत तथा अतिरिक्त "कृषक कल्याण शुल्क" को समाप्त किया जाये।"</u>

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस अशासकीय संकल्प का विषय ऐसा है कि "प्रदेश के किसानों के हित के लिये "मण्डी शुल्क" 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत पूर्ववत तथा अतिरिक्त "कृषक कल्याण शुल्क" को समाप्त किया जाये।" आशय इतना है कि कुल मिलाकर अभी 5 प्रतिशत लिया जाता है, उसे 2 प्रतिशत किया जाये, सब जोड़कर यह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब देखिए मैं उनके पक्ष में जो बात कहूंगा, पर कांग्रेस शासन में भूपेश regime में वर्ष 2020 में एक अधिसूचना जारी की गई। फिर वर्ष 2021 में एक अधिसूचना जारी की गई। फिर 29/07/2022 को जारी की गई। फिर 12/07/2022 को जारी की गई। अलग-अलग अधिसूचना इतने प्रकार की जारी की गई, उसको एक सामान्य किसान तो समझ ही नहीं सकता। केवल माननीय मंत्री जी और उसके अधिकारीगण उसे समझेंगे। चारों अधिसूचना में किसे कितना प्रतिशत घटाया गया? बढ़ाया गया? बासमती में लिया गया ? गैर बासमती में लिया गया? किसान के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए है, नहीं मालूम। पर 5 प्रतिशत होने से किसानों को एक तो 115 रूपया कम मिल रहा है। किसानों को पहला घाटा है। अब मंडी शुल्क कोई व्यापारी नहीं देता, किसान देते हैं। आप हिसाब-किताब निकाल लीजिए कि किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, उसमें से हमने घोषणा की, उसमें 115 रूपया कम मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि कुरूद की जो मंडी है, वह प्रदेश में सबसे बड़ी मंडी है। आपके कार्यकाल में जैसा वातावरण आपने बनाया तो सी क्लास से वह सीधे ए क्लास में पहुंची है और उसे लगभग आज प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी होने का सौभाग्य प्राप्त है। उसमें केवल वर्ष 2021-22 का उदाहरण दे देता हूं। जो मंडी शुल्क है, वह 60318736 इतना रूपया 2 प्रतिशत में प्राप्त हुआ । मैं केवल वर्ष 2021-22 का बता रहा हूं जो बढ़ी उसके बाद से। उसके पश्चात् मंडी शुल्क आज तक 30889988 है माने लगभग 3 करोड़ प्राप्त हुआ है। यानी मंडी शुल्क 5 प्रतिशत बढ़ाने से मंडी को फायदा नहीं हुआ । यह मैं प्रदेश की सबसे बड़ी धान मंडी का उदाहरण दे रहा हूं । उसके पश्चात् कृषक कल्याण शुल्क इन्होंने लगाया है । साजा विधान सभा क्षेत्र में या बेमेतरा जिले में कृषक भवन बनाने के अतिरिक्त आप एकाध उदाहरण बताइए कि कृषक कल्याण में क्या काम किया गया है ? साजा या बेमेतरा विधान सभा में या उनके चहेते एकाध विधायक के कहने से किसान भवन स्वीकृत किये, किसान विश्राम गृह गांव गांव में बनाने के अतिरिक्त कृषक कल्याण का काम बता दीजिए ? अब उसके अतिरिक्त, प्रदेश में आपने धान खरीदी का सिस्टम मजबूत किया और अभी लगातार उसको बढ़ाया । लगभग 2500 राईस मिल खुले । लोगों को थ्रेस सेक्टर के उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, किसी भी बड़े उद्योग की तुलना में । इसके अतिरिक्त इसके सहायक उद्योग 500 और हैं जो धान या मंडी आधारित है, जैसा पोहा, मुरमुरा जैसे उद्योग । हम दो-महीने, तीन महीने धान खरीदते हैं और बाहर का धान यहां न आए उसके लिए नाकाबंदी तो कर देते हैं, वहां तक ठीक है कि बाहर का धान न आए और मंडी टैक्स की चोरी न हो । अब उसके बाद धान की कुटाई हो गई तो हम लोग गर्व से बताते हैं कि संग्रहण केन्द्र से धान मिलर्स के पास पहुंच गया और हम निर्धारित समय में मिलिंग को समाप्त कर देंगे, अच्छी बात है । उसके बाद 12 महीने उस राईस मिल को चलाने के लिए, अगल-बगल के जो राज्य हैं चाहे वह झारखंड हो, उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो । वहां एक रूपए भी मंडी शुल्क नहीं है, जीरो परसेंट मंडी शुल्क है । धान आना चाहिए, मोटे धान की जरूरत है, मुरमुरा को या मोटे धान की जरूरत है पोहा को या राईस मिल वालों को, फ्री सेल को किसी तरह के अच्छे चावल की जरूरत है फ्री सेल के लिए, गवर्नमेंट का काम खत्म करने के बाद, तो मंडी टैक्स के कारण यहां धान नहीं आता, जिसके कारण मुख्य उद्योग और सहायक उद्योग दोनों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । अब मैंने 3, 4, 5 प्वाइंट बताए । कृषक कल्याण के लिए क्या किया, किसानों को धान का 3100 रूपए देने के लिए कहा, उसमें क्या हो रहा है, कलेक्शन कितना कम हुआ और सहायक उद्योग, उद्योग में क्या प्रभाव पड़ रहा है ? कृषक कल्याण की दृष्टि से जो आपने लगाया, आपने क्या कृषक कल्याण किया, इससे लाभ क्या हुआ ? अब यह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करती है तो मंडी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए छत्तीसगढ़ में लाईव मंडी कितनी है ? जितनी मंडियां हैं, उनमें से 20-25 मंडिया ही लाईव हैं, पांच सात मंडियां हैं जो बारहों महीने चलती हैं। बाकी मंडियां नाम के लिए कृषक मंडी हैं । उसमें मैं ज्यादा

नहीं बोलना चाहता । लाईव मंडी के क्षेत्र में उसका निर्माण कार्य कम होता है, जो टैक्स अधिक पटाती हैं । मैंने बताया कि साजा जैसे क्षेत्र जहां लाईव मंडी एक भी नहीं है वहां निर्माण कार्य होते हैं । तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंडी के पास, लाईव मंडियों के लिए बहुत पैसे हैं, पैसे की कमी नहीं है । मंडियों को ऋण भी मिल जाते हैं, उसके लिए किसान की जेब काटने की जरूरत नहीं है । यदि जेब काटना आपको अच्छा नहीं लगता तो शुल्क को कम करने की जरूरत है । मैं समझता हूं कि आप उदार मंत्री हैं, इसमें सहृदयतापूर्वक विचार करके यह अधिसूचना में 5 परसेंट इसका, 2 परसेंट इसका, 3 परसेंट इसका, इन अधिसूचनाओं पर इधर उधर बोलने के बजाय, एक लाईन में जो 5 परसेंट लेते थे उसको सबको जोड़कर 2 परसेंट लेंगे, यह घोषणा करने की कृपा करेंगे और 2018 के घोषणा पत्र में 2 परसेंट को 1 परसेंट करने का था । अमर जी जो घोषणा पत्र बना रहे थे अभी वे संयोग से यहां नहीं हैं । उन्हें सभी जगहों से यह सुझाव प्राप्त हुए थे कि 5 परसेंट को पूर्ववत् 2 परसेंट किया जाए । यह हमारे घोषणा पत्र के भी बिंदु रहे हैं । इसलिए इसको लागू किया जाए, यह मेरा आग्रह है ।

श्री पुरंदर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री अजय चन्द्राकर द्वारा मंडी शुल्क कम करने तथा कृषक कल्याण शुल्क समाप्त किए जाने संबंधी लाए गए अशासकीय संकल्प के संबंध में मेरा सभी महानुभावों से आग्रह है कि वे कृषक के हित में लाए गए इस अशासकीय संकल्प को वापस लेने का कष्ट करेंगे क्योंकि मंडी बोर्ड का राज्य विपणन विकास निधि में मंडी समितियों का अंशदान के रूप में राशि प्राप्त होती है और मंडी समितियों द्वारा प्राप्त होने वाले मंडी शुल्क से ही मंडी बोर्ड का राज्य विपणन विकास निधि में अंशदान दिया जाता है। मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मंडी बोर्ड अपनी वार्षिक आय की 20 प्रतिशत राशि कृषक कल्याण कोष में जमा करती है और कृषक कल्याण शुल्क में प्राप्त होने वाली राशि भी कृषक के हित में ही उपयोग की जाती है । प्रदेश के कृषक गुणवत्तापूर्ण कृषि उपज और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके इस हेतु बीज विकास निगम के माध्यम से तथा प्रदेश में गठित सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को प्रमाणित बीज प्रदाय किया जाता है। प्रमाणित बीज का उपार्जन बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने वाले कृषकों से ही किया जाता है। बीज उपार्जन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे उत्पादन अनुदान तथा वितरण अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश अनुसार मंडी बोर्ड द्वारा भी 200 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त उत्पादन अनुदान तथा 100 रूपये प्रति क्विंटल अधिक वितरण अनुदान बीज निगम तथा संचालक कृषि के माध्यम से उत्पादन कृषक को प्रमाणित बीज क्रय करने के लिए किसान को प्रदाय किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही विद्वान सदस्य, किसान हितैषी, प्रदेश के बड़े ही ऊर्जावान, ऊर्जावान के साथ मैं चर्चित भी बोलने वाला था लेकिन मैंने सोचा की चर्चित बोलना ठीक नहीं है। ऐसे नेता जो किसानों के हित के लिए बात रखते हैं जो स्वयं बहुत बड़े कास्तकार हैं। दाऊ साहब, आपने किसानों की चिंता की है। इसके लिए पूरे प्रदेश में आपकी भूरी-भूरी प्रशंसा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतना अच्छा संकल्प लाकर प्रदेश के किसानों के हित की बात की है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। माननीय विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व वाली सरकार की जो किसान हितैषी छवि है, उसको आपने यहां रेखांकित ही नहीं किया, उद्धृत ही नहीं किया, बल्कि उस दर्द को आपने यहां पर लाया है। मैं आपकी भावना का कद्र करता हूं, सम्मान करता हूं और हम चाहते हैं कि यह दो प्रतिशत होना चाहिए, मैं आज आपके माध्यम से घोषणा करता हूं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी सहमत होंगे। हम लोगों ने चुनाव के पहले गांव-गांव में लोगों के बीच जाकर, किसानों के बीच जाकर, मजदूरों के बीच जाकर, हमारे खेतिहर मजदूरों के बीच जाकर, वहां काम करने वाले रोपा, डगार, खेती, खलिहान सब के बीच जाकर लोगों के साथ मिले। उनका कहना था कि हमारा जो कृषि मंडी शुल्क है, जो किसान कल्याण के नाम से सरकार द्वारा दोहन किया जा रहा है, उससे हमारे व्यापारी तपका के साथ-साथ किसान तपका बहुत परेशान है, इसलिए इससे हमको मुक्ति दिलाईए। हम लोगों ने भी निवेदन किया कि हमको भी इस सरकार से मुक्ति दिलाईए। किसानों ने हमारा समर्थन किया। किसानों ने कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे और इनको मजा भी चखायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि उसका निर्णय पूरे प्रदेश भर के किसानों ने किया, खेती खलिहान से जुड़े हुए लोगों ने उसका बदला लिया और हमें अवसर दिया। हमें किसानों के हित में काम करने का अवसर मिला है। आपकी भावना के अनुरूप मैं घोषणा करता हूं कि वहां पर तीन प्रतिशत मंडी शुल्क किसान कल्याण के नाम से लिया जाता था, उसे दो प्रतिशत किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह संकल्प पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि "प्रदेश के किसानों के हित के लिये "मण्डी शुल्क" 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत पूर्ववत तथा अतिरिक्त "कृषक कल्याण शुल्क" को समाप्त किया जाये"।

संकल्प स्वीकृत

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सोची हुई कार्य प्रणाली को माननीय मंत्री जी ने आज क्रियान्वित किया और पार्टी की विचारधारा को भी क्रियान्वित किया। रामविचार नेताम जी और अध्यक्ष महोदय को मैं सदन की ओर से, प्रदेश के सभी कृषकों, उनसे जुड़े हुए ट्रेडर्स और सबकी ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय बृजमोहन जी, मण्डी टैक्स 5 के कारण छत्तीसगढ़ में धान का निर्यात करने वाले सब लोग समाप्त हो गये थे। अब वह लोग पुन:जीर्वित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि पुन्नूलाल मोहले जी 3 बजे से अपने संकल्प को पढ़ रहे हैं। इसलिए आप इनके दोनों संकल्पों को नियम को शिथिल करके एकसाथ ले लीजिए और दोनों भाषण एकसाथ करवा लीजिए। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम दोनों एकसाथ पढ़ रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- अशासकीय संकल्प। श्री पुन्नूलाल मोहले जी प्रस्तुत करेंगे।

(2) सदन का यह मत है कि जिला मुंगेली में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किया जाये।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि जिला मुंगेली में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बोलिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली जिला अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 27 प्रतिशत, आदिवासियों की जनसंख्या 12 प्रतिशत है और शेष जनसंख्या अन्य पिछड़े वर्ग की है। वहां पर अधिकतर गरीब लोग निवास करते हैं और निवास करने से वह गरीब लोग अपना ईलाज नहीं करा पाते हैं। वहां पर अस्पताल में किडनी, हार्ट व ट्यूमर की बीमारियों, कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन हैम्रेज जैसी अनेक गंभीर बीमारियों के लिए सी.टी. स्कैन मशीन, एम.आर.आई. व अन्य सुविधाएं नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने हमारे अस्पताल में आदर्श चिकित्सालय देने की बात कही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपके कार्यकाल में सन् 2012 में नवनिर्मित जिला मुंगेली में 100 बिस्तर चिकित्सालय की स्वीकृत प्रदान की गई थी। जिला चिकित्सालय मुंगेली 5 एकड़ भूमि में स्थापित है। जिसमें 100 बिस्तर का जिला अस्पताल है। 100 बिस्तर का मातृ एवं शिशु अस्पताल है और एस.सी.एम.एच. संचालित हैं। वर्तमान में दोनों ही भवनों में लगभग 300 बिस्तर समायोजित है तथा उक्त अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 12 वर्षों के कार्यकाल में जिला अस्पताल, मुंगेली में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में साफ-सफाई एवं उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। जिसके कारण उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान वाले शासकीय चिकित्सालय की श्रेणी में भारत सरकार को मुंगेली में महत्वपूर्ण योजना कायाकल्प में भी प्रथम स्थान एवं रनअप जैसे उत्कृष्ट स्थान पर

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

निरंतर पुरस्कृत होता रहा है। जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा जिला अस्पताल मुंगेली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखकर ही D.M.F. फण्ड के अंतर्गत विशेष चिकित्सकों की नियुकित की गई है। अवगत है कि मुंगेली अस्पताल में प्रदाय की जाने वाली गुणवत्ता।

श्री अजय चंद्राकर :- पुन्नूलाल मोहले जी, एक मिनट। माननीय मंत्री जी, आप देख लीजिए कि पुन्नूलाल मोहले जी के संकल्प में पूरी दीर्घा खाली है। कृषि विभाग के अधिकारी बैठे हैं। आपके दोनों विभाग के अधिकारी नहीं नहीं हैं। इनके दो संकल्प हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने से पड़ोसी जिले कटघोरा, बेमेतरा, कवर्धा, पेंड्रा-गौरेला-मरवाही तथा बिलासपुर से भी बड़ी संख्या में लोग मुंगेली जिले में उपचार के लिए आते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- विपक्ष की भूमिका भी हम लोगों को ही निभानी पड़ेगी और ध्यानाकर्षित करना पड़ेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप पहले मुझे बोलने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- तोरे पक्ष में तो बोलत हो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली जिले में निम्नलिखित विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली जिले में चिकित्सा विशेषज्ञ निम्नलिखित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं - मातृ शिशु एवं शिशु स्वास्थ्य चिकित्सक, हड्डी रोग, रेडियोलॉजी, नेत्र रोग, दंत रोग, नशामुक्ति, फिजियो थैरिपी, मेडिसीन, एन.आर.सी., निश्चेतना, गैर संचारी रोग, टी.बी., मलेरिया, एड्स, डायलिसिस, रक्त परीक्षण, जनरल सर्जरी, मानसिक रोग, नाक-कान-गला रोग और स्पीच थैरिपी। इसके लिए वहां पर लगभग 500 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए गंभीर बीमारियों का ईलाज नहीं हो पाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत् 5 लाख की स्वीकृति दी है। परंतु उस योजना का लाभ गरीब लोग नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वहां पर गंभीर बीमारियों का ईलाज नहीं हो पाता है तो वह रायपुर के एम्स में जाते हैं। वह इधर-उधर भटकते रहते हैं। उनके रूकने की जगह नहीं है, समय में उनके पास पैसा नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है । इन परिस्थितियों से वे पीड़ित हैं, दुखी है । ऐसे अनुसूचित क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की इच्छा जाहिर की है और पूरे जिले में खोलना है । ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मैं कहूंगा कि मुंगेली जिला में चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है ।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठतम सदस्य ने अशासकीय संकल्प लाया है । उन्होंने निश्चित तौर पर बड़े लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा की है । सदन में भी मांग रखते-रखते उनका बाल पक गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से

आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य की मांगों पर विचार करें और क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अति पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं । बहुसंख्यक हैं । निश्चित तौर पर अगर वहां महाविद्यालय की मांग पूरी होगी तो अच्छी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होगी और लोगों को स्वास्थ्य की परेशानी से जुझना पड़ता है, उससे निदान मिलेगा । ऐसा मैं माननीय सदस्य के मांग के लिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उनकी मांग पूरी होगी तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में एक अच्छा वातावरण बनेगा और स्वास्थ्य सेवाएं सुगम होगी ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य आयुर्विज्ञान आयोग के मापदण्ड के अनुसार प्रदेश में 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, 3 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं । बिलासपुर संभाग में 3 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान, स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़, स्वर्गीय बिसाहु दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कोरबा संचालित है। वर्तमान में जिला मुंगेली में 100 बिस्तर का जिला अस्पताल पूर्व से संचालित है, जिसमें 8 विशेषज्ञ और 14 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत् हैं । जिला मुंगेली में 100 बिस्तर का मातृत्व एवं शिशु अस्पताल एम.सी.एच. चालू है, जिसमें 7 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत् हैं । लोरमी में 50 बिस्तर का एम.सी.एच. क्लीनिक संचालित है, जिसमें 3 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत् हैं । 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिसमें 9 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत् हैं । जिला अस्पताल मुंगेली से सिम्स की दूरी 50 किलोमीटर है, स्वास्थ्य की सुविधाओं और स्थानीय छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कवर्धा और जांजगीर-चांपा में भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । माननीय प्रधानमंत्री जी मंशा स्वास्थ्य सुविधाओं को नीचे तक पहुंचाने की है । उनकी मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए माननीय सदस्य जिस प्रकार से चाहते हैं कि वहां चिकित्सा महाविद्यालय खुले तो इसके लिए हम केन्द्र सरकार को अनुमति के लिए भेजेंगे और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस संकल्प को अभी वापस ले लें, हम इसकी प्रक्रिया करेंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, जब आप केन्द्र सरकार को सहमति के लिए भेजेंगे तो भेज दीजिए और सर्वसम्मति से पास कीजिए । जब आप खुद सहमत हैं और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार हम केन्द्र सरकार को भेजेंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदेश से नहीं होती है । केन्द्र से अनुमति मिलने के बाद होता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव बनाकर भेज दीजिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव बनाकर हम केन्द्र सरकार को भेज देंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहल :- फिर सर्वसम्मति से पास कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेने को तैयार हैं ? क्योंकि मंत्री जी ने कह दिया कि आपका प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा । इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो संकल्प होते हैं, वह प्रस्ताव पास करके सहमत हो जाते हैं तो केन्द्र सरकार को हम भेजेंगे, ऐसा होता है । इसमें वापस लेने की बात ही नहीं है, ऐसा तो होता रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह संकल्प वापस लेकर प्रस्ताव भेजेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का यह मत है कि 'जिला मुंगेली में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाये।' इस स्वरूप में इसको स्वीकार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- स्वरूप बदल दिया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसका स्वरूप बदलकर..।

अध्यक्ष महोदय :-स्वरूप बदल दिया जाये। और इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाये।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन का यह मत है 'जिला मुंगेली में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाये।' इस स्वरूप में इसको ले लें, तो हमें दिक्कत नहीं है और इसको पारित किया जाये।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- मुझे भी दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- यथा संशोधित संकल्प पारित किया जाता है, जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने संशोधन किया है। मंत्री जी इससे सहमत हैं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हां, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इससे सहमत हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, तीसरी अगली बार ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी का एक संकल्प पारित हो गया। दूसरा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा अशासकीय संकल्प अगले दिन के लिए रख लीजिये। कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। दोनों विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं हैं। सिर्फ मंत्री- मंत्री हैं। एक को सुधरवा दीजिये न।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री राम विचार नेताम) :- हां, मैं इसी के लिए अनुमति लिया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अशासकीय संकल्प लाया गया था, उसको संशोधित रूप में स्वीकार करने

के लिए आग्रह कर रहा हूं। ' सदन का यह मत है कि प्रदेश के किसानों के हित के लिए मण्डी शुल्क 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की जगह इसे 1.5 प्रतिशत मण्डी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क .5 प्रतिशत किया जाये' इस रूप में स्वीकार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- दो प्रतिशत के अंदर है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सहमत हैं, सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सबकी सहमति है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि ' जिला मुंगेली में चिकित्सा महाविद्यालय का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जायेगा।'

यथा संशोधित संकल्प पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। मोहले जी, क्या दूसरा संकल्प लेंगे ?

श्री पुन्नू लाल मोहले :- हां, दूसरा संकल्प ले लीजिये। एक मिनट का है। माननीय मंत्री सदन में घोषणा कर चुके थे।

(3) मुंगेली विधान सभा के अनुसूचित जनजातियों बाहुल्य ग्रामों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरा में सम्मिलित किये जायें।"

श्री पुन्नू लाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि " मुंगेली विधान सभा के अनुसूचित जनजातियों बाहुल्य ग्रामों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जायें।"

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी , मंत्री जी हां बोल दे तो बात आगे बढ़ जायेगा।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वरिष्ठ नेता, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने उस क्षेत्र में रहने वाले तमाम अनुसूचित जनजाति वर्ग के बड़ी संख्या में जहां-जहां लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों को, उन गांवों को प्राधिकरण में शामिल नहीं किया गया था। मैं समझता हूं कि इस तरह के मैदानी क्षेत्र के अधिकांश जो ट्राइबल बाहुल्य ब्लाक है, जनपद क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो निवासरत हैं, उनको जो शासन की सुविधा है, खासकर प्राधिकरण क्षेत्र में जितने भी विकास के लिए या अन्यान्य कामों के लिए जो स्वीकृतियां दी जाती हैं, वह स्वीकृतियां इन क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा था। इसलिए माननीय सदस्य की चिंता है। मैं समझता हूं कि यह वाजिब है। मैंने इस चिंता को, इस बात को कल अपने भाषण में रखा था कि हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। मैं इसे देखकर जैसा भी होगा, आपसे आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- क्या यह स्वीकृति मुंगेली के लिए है या प्रदेश के अन्य विकासखण्डों ..।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, कवर्धा, राजनांदगांव, बाकी जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जहां-जहां भी हैं, जो 25 प्रतिशत बहुलता है, जहां पर 25 प्रतिशत से ऊपर है, जिस गांव में लोग निवास करते हैं, उन गांवों को भी, उस ब्लाक को हम प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मोहले जी, आपकी मांग पूरी हो गई।

श्री राम विचार नेताम :- अध्यक्ष महोदय, इस रूप में स्वीकार करते हुए पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- यथा संशोधित प्रस्ताव क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण में मध्य क्षेत्र में सम्मिलित करने का है, पारित किया जाये।

यथा संशोधित संकल्प पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 26 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(07 बजकर 25 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 26 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 7 शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 23 फरवरी, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं